सत्यमेव जयते

वर्ष 2020-2021 के समेकित वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित

CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS WITH AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2020-2021

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees' Provident Fund Organisation

CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2020-2021

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN 14, BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110 066

INDEX

S.NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Consolidated Balance Sheet	1-2
2.	Schedules forming the part of Balance Sheet	3-13
3.	Consolidated Income & Expenditure Account	15-17
4.	Schedules forming the part of Income & Expenditure Account	18-20
5.	Details of Fixed Assets and Investment Schedules	21-23
6.	Receipt and Payment Account, EPS, 1995 (Contribution Account)	24
7.	Receipt and Payment Accounts, EDLI, 1976 (Contribution Account)	25
8.	Receipt & Payment Accounts, EDLI, 1976 (Administration Account)	26
9.	Schedule forming part of the Accounts	27-48
10.	Audit Report	49-61
11.	Audit Certificate	62-64
12.	Management Letter	65-118

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31-03-2021			
			Amount-Rs.
	Schedule	Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS A/C			
Members Operative A/c	1	85,74,31,64,10,873.64	75,27,15,84,00,486.83
Members Inoperative A/c	2	39,30,85,48,158.00	28,27,29,46,166.68
RESERVES AND SURPLUS			
Special Reserve Fund	3	4,40,50,54,908.05	4,05,97,23,375.17
Interest A/c - EPF Contribution Fund	4	2,58,52,57,02,982.65	2,45,44,68,93,649.74
Investment Fluctuation Account		0.00	2,70,07,98,358.13
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5	8,33,72,44,20,236.39	7,83,67,54,64,390.49
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		97,10,28,01,37,158.73	85,91,31,42,26,427.03
Employees' Pension Scheme, 1995			
EPS CONTRIBUTION FUND	6	59,95,19,34,57,324.13	52,78,64,75,12,008.07
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	7	28,00,46,32,964.55	29,81,63,57,301.84
SUB -TOTAL - PENSION FUND		60,23,19,80,90,288.68	53,08,46,38,69,309.91
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
EDLI CONTRIBUTION FUND	8	3,45,46,28,24,683.54	3,07,65,37,72,282.81
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	9	19,05,61,543.45	16,35,72,129.13
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		3,45,65,33,86,226.99	3,07,81,73,44,411.94
Employees' Administration Fund (EPF scheme-1952)			
EPF - ADMINISTRATION FUND	10	2,79,54,02,32,685.27	2,61,23,59,77,065.22
RESERVES AND SURPLUS			
Staff Provident Fund- Interest A/c	11	3,84,40,92,763.71	3,13,61,66,600.30
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS			
Building Construction Fund	12	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Staff Provident Fund A/c	13	16,59,32,79,882.11	15,79,73,87,988.55
Staff Pension-cum-Gratuity A/c	14	1,26,49,25,29,263.29	1,03,34,63,97,235.84
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	15	3,32,09,91,633.76	3,29,12,81,818.47
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		4,38,66,36,68,125.18	3,95,67,97,52,605.42
EDLI Administration Fund			
EDLI ADMINISTRATION FUND	16	35,96,92,06,703.68	33,74,80,24,098.46
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	17	59,02,98,455.07	59,08,20,781.62
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		36,55,95,05,158.75	34,33,88,44,880.08
GRAND TOTAL		1,65,54,35,47,86,958.30	1,46,37,61,40,37,634.40

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31-03-2021			
			Amount-Rs.
	Schedule	Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
ASSETS			
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
EPF CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	18	95,19,01,33,86,416.40	83,99,53,98,46,346.70
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	19	1,91,26,67,50,742.33	1,91,77,43,80,080.33
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		97,10,28,01,37,158.73	85,91,31,42,26,427.03
Employees' Pension Scheme, 1995			
EPS CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	20	58,15,42,72,56,196.19	50,90,00,95,03,745.40
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	21	2,07,77,08,34,092.49	2,18,45,43,65,564.51
SUB -TOTAL - PENSION FUND		60,23,19,80,90,288.68	53,08,46,38,69,309.91
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS	22	3,41,23,66,99,939.05	3,02,75,31,30,718.22
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	23	4,41,66,86,287.94	5,06,42,13,693.72
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		3,45,65,33,86,226.99	3,07,81,73,44,411.94
Employees' Administration Fund (EPF scheme-1952)			
FIXED ASSETS	24	4,80,66,74,422.79	4,67,84,73,223.47
CAPITAL WORK IN PROGRESS	24A	8,76,26,48,856.90	8,66,81,97,981.90
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS	25	2,71,27,12,39,918.52	2,53,85,02,67,395.25
STAFF PROVIDENT FUND - INVESTEMENTS	26	20,06,89,27,030.80	18,52,81,02,491.98
PENSION CUM GRATUITY FUND - INVESTMNETS	27	1,24,59,71,85,322.95	1,02,27,86,09,221.92
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	28	9,15,69,92,573.23	7,67,61,02,290.90
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		4,38,66,36,68,125.19	3,95,67,97,52,605.42
EDLI Administration Fund			
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS	29	35,05,67,39,537.16	32,73,42,61,738.28
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	30	1,50,27,65,621.58	1,60,45,83,141.80
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		36,55,95,05,158.74	34,33,88,44,880.08
GRAND TOTAL		1,65,54,35,47,86,958.30	1,46,37,61,40,37,634.40

Sd/-

(HEMANT JAIN)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(MUKHMEET S. BHATIA)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
	Employees' Provident Fund Scheme, 1952		
SCHEDULE No. 1			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS OPERATIVE A/C			
	Opening Balance	75,27,15,84,00,486.83	64,40,20,64,19,430.79
Add :			
1	Contribution (including refund of withdrawal / loans		
	and transferred securities) received	12,42,53,35,35,631.96	12,35,97,59,36,339.05
2.	Contributions received by way of transferred		
	securities (H.Q. Office contra.)	20,44,03,89,203.96	1,53,56,84,341.02
3	Interest credited to members Account	6,28,27,10,79,080.00	5,18,73,06,20,015.00
4	Transferred from Inoperative A/c during the year	0.00	-5,29,19,79,90,114.45
5	Other Receipts	20,60,98,82,348.57	47,75,42,53,001.16
6	Past Accumulations (A/c No. 1)	98,68,42,13,905.37	29,20,05,80,346.85
	Total	20,10,53,91,00,169.86	13,03,99,90,83,928.63
Less :			
1.	Payment made during the year to outgoing		
	members on final settlement	3,65,22,59,52,102.93	3,36,93,75,44,397.78
2.	Premia paid on members life insurance policy	19,37,21,933.00	15,77,71,590.00
3.	Withdrawals / Loan paid during the year to the members	5,27,90,01,52,623.00	3,23,68,97,66,654.00
4.	Transferred to Inoperative A/c during the year	29,59,11,41,318.32	-4,76,07,04,32,909.77
5.	Miscellaneous payment amount of securities		
	transferred back to exempted establishments	40,47,01,21,805.80	32,33,24,53,140.58
	Total	9,63,38,10,89,783.05	2,17,04,71,02,872.59
	Balance as on 31st March	85,74,31,64,10,873.64	75,27,15,84,00,486.83
SCHEDULE No. 2			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS INOPERATIVE A/C			
	Opening Balance	28,27,29,46,166.68	16,38,36,65,325.00
Add :			
1.	Amount transferred from Operative A/c during the year	29,59,11,41,318.32	-4,76,07,04,32,909.77
2	Interest credited to members Account	0.00	0.00
	Total	57,86,40,87,485.00	-4,59,68,67,67,584.77
Less :			
1	Amount transferred to Operative Members A/c during the year		-5,29,19,79,90,114.45
2	Payment made during the year to members on settlement	18,55,55,39,327.00	41,23,82,76,363.00
	Total	18,55,55,39,327.00	-4,87,95,97,13,751.45
	Balance as on 31st March	39,30,85,48,158.00	28,27,29,46,166.68
SCHEDULE No. 3			
Special Reserve Fund :			
	Balance as per last Balance Sheet	4,05,97,23,375.17	3,74,18,90,992.53
Add :			
1.	Amount recovered from Employers	0.00	0.00
2.	Interest on S.R.F. Account	34,50,76,486.89	31,80,60,734.37
	Total	4,40,47,99,862.05	4,05,99,51,726.90
Less :			
1.	Amount paid from Special Reserve Fund	0.00	67,198.73
2.	Amount transferred to Death Relief Fund	-2,55,046.00	1,61,153.00
	Total	-2,55,046.00	2,28,351.73
	Balance as on 31st March	4,40,50,54,908.05	4,05,97,23,375.17

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
SCHEDULE No. 4			
Interest A/c - EPF Contribution Fund			
	Opening Balance	2,45,44,68,93,649.74	2,65,90,15,63,838.12
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPF Contribution Fund	13,07,88,09,332.91	-20,45,46,70,188.38
	Balance as on 31st March	2,58,52,57,02,982.65	2,45,44,68,93,649.74
SCHEDULE No. 5 (Current Liabilities and Provision)			
I - CURRENT LIABILITIES			
1	TDS Payable-deducted on claim settlements	42,71,33,722.00	23,12,91,212.00
2	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	65,93,66,159.87	70,91,86,903.85
b	Irregular payments	8,35,20,026.46	7,68,56,270.46
c	Over Payments	2,95,54,575.25	3,09,86,405.25
	B. Central :		
a	Amount credited to Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional) but not debited to A/c No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
b	Excess credits to Account No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	1,42,07,18,511.19	1,50,07,89,794.56
c	Excess credits in EPF investment A/c	0.00	0.00
d	Advance from Govt. towards Disabilities Scheme	44,06,975.00	44,06,975.00
e	Recovery of PMRPY Benefits during 2019-2020 [A/c No. 01]	10,31,42,857.00	9,21,74,387.00
3	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	13,58,37,22,321.90	30,64,67,82,313.05
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
4	EPS Investment A/c-TREP Borrowing- Payable	0.00	4,49,96,55,961.60
5	Others	0.00	0.00
	Total	16,43,28,78,487.67	37,91,34,43,561.77
II - PROVISIONS			
a	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2020-21	6,99,80,06,00,000.00	6,10,54,31,00,000.00
b	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	1,17,49,09,41,748.72	1,35,21,89,20,828.72
	Total	8,17,29,15,41,748.72	7,45,76,20,20,828.72
	Balance as on 31st March	8,33,72,44,20,236.39	7,83,67,54,64,390.49
Employees' Pension Scheme, 1995			
SCHEDULE No. 6			
EPS Contribution Fund			
	Opening Balance	52,78,64,75,12,008.07	45,43,58,17,10,682.08
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPS Contribution Fund	7,16,54,59,45,316.06	7,35,06,58,01,325.99
	Balance as on 31st March	59,95,19,34,57,324.13	52,78,64,75,12,008.07
SCHEDULE No. 7 -CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
	Sundry Credits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	21,87,14,182.68	77,01,88,763.19
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	1,42,90,43,138.84	1,42,90,43,138.84
b	Recovery of PMRPY Benefits payable to PMRPY A/c	46,96,99,830.00	42,97,73,366.00
3.	EPS Investment A/c-TREP Borrowing- Payable	0.00	99,99,17,814.97
	Cash Book Balance		
4.	State Bank of India (Over Draft) Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	1,66,49,45,254.55	4,61,63,307.84
	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	15,39,22,19,061.48	8,82,00,25,228.00
5	Amount payable to EP Fund (PMRPY)	8,83,00,11,497.00	17,32,12,45,683.00
6	Others (Excess credit of PMRPY)		0.00
	Balance as on 31st March :	28,00,46,32,964.55	29,81,63,57,301.84

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
	Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976		
SCHEDULE No. 8			
	EDLI Contribution Fund		
	Opening Balance	3,07,65,37,72,282.81	2,72,18,02,34,626.98
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Contribution Fund	37,80,90,52,400.73	35,47,35,37,655.83
	Balance as on 31st March	3,45,46,28,24,683.54	3,07,65,37,72,282.81
SCHEDULE No. 9- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
Sundry Credits :			
1.	Excess credit in A/c No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)	3,37,22,813.37	6,57,84,455.37
2.	Excess credit in A/c No. 25 (EDLI Cont. A/c -Central)	9,64,43,612.21	9,64,43,612.21
3.	Excess credit in R.B.I. A/c	13,44,061.55	13,44,061.55
4	Excess credits in EDLI Investment A/c		0.00
5	Amount payable to EDLI Adm. A/c	0.00	0.00
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	5,90,51,056.32	0.00
	Balance with Investment A/c(SCB)	0.00	0.00
7	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	19,05,61,543.45	16,35,72,129.13
	Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund		
SCHEDULE No. 10			
EPF - ADMINISTRATION FUND			
	Opening Balance	2,61,23,59,77,065.22	2,41,15,15,82,327.64
Add :			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	93,30,915.79	6,28,86,050.37
2.	Excess of Income over Expenditure during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	18,29,52,83,532.60	20,03,82,98,818.59
3.	Others	0.00	0.00
	Total	2,79,54,05,91,513.61	2,61,25,27,67,196.60
Less			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	3,58,828.34	1,67,90,131.38
2.	Excess of Expenditure over Income during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	0.00	0.00
3.	Others	0.00	0.00
	Total	3,58,828.34	1,67,90,131.38
	Balance as on 31st March	2,79,54,02,32,685.27	2,61,23,59,77,065.22

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
SCHEDULE No. 11			
Staff Provident Fund Interest Account :			
	Opening Balance	3,13,61,66,600.30	2,74,41,16,520.00
Add :			
1.	Interest realised on investment of securities	1,13,63,85,680.96	90,79,17,568.08
2	Interest accrued but not due on Investments	36,50,60,790.22	37,36,27,999.99
3	Interest due but not received on Investments	10,00,500.00	8,73,000.00
4	Interest on S.B. Account	29,572.00	18,632.00
5	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	4,63,86,43,143.48	4,02,65,53,720.07
Less :			
1.	Interest credited to members account	79,23,83,447.00	88,58,17,695.00
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investment	21,66,932.77	45,69,424.77
3	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	79,45,50,379.77	89,03,87,119.77
	Balance as on 31st March	3,84,40,92,763.71	3,13,61,66,600.30
SCHEDULE No. 12			
Building Construction Fund :			
	Opening Balance	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Add :			
1.	Provision made during the year	0.00	0.00
2	Interest credited to the Fund	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
SCHEDULE No. 13			
A. Staff Provident Fund :			
	Opening Balance	11,11,40,33,056.87	11,01,63,00,130.08
Add :			
1.	Contribution (including refund of withdrawal)	2,19,99,87,682.35	3,08,36,43,670.00
2.	Interest credited to member's account	79,23,83,447.00	88,58,17,695.00
3.	Other receipts	25,37,87,579.00	0.00
	Total	14,36,01,91,765.22	14,98,57,61,495.08
Less :			
1.	Payment made during the year to outgoing		
	members on final settlement	2,46,32,24,562.00	2,48,09,85,610.99
2.	Premia paid on members life insurance policy	0.00	0.00
3.	Loan paid during the year to members	23,60,97,312.00	28,42,30,596.00
4.	Other Payments (Transfer to other Regions)	19,82,06,893.00	1,10,65,12,231.22
	Total	2,89,75,28,767.00	3,87,17,28,438.21
	Balance as on 31st March	11,46,26,62,998.22	11,11,40,33,056.87
B. S.P.F. A/c transferred from other Regions :			
	Opening Balance	55,61,68,183.94	23,86,48,189.72
Add :	Amount transferred out to the Regions	19,82,06,893.00	1,10,65,12,231.22
	Total	75,43,75,076.94	1,34,51,60,420.94
Less :	Amount received from other Regions	25,37,87,579.00	78,89,92,237.00
	Balance as on 31st March	50,05,87,497.94	55,61,68,183.94
C.	Amount payable from SPF A/c to EPF Adm. A/c	4,63,00,29,385.95	4,12,71,86,747.74
	Total (A+B+C)	16,59,32,79,882.11	15,79,73,87,988.55

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
SCHEDULE No. 14			
Staff Pension-cum-Gratuity Fund			
	Opening Balance	1,03,34,63,97,235.84	84,96,93,46,174.62
Add :			
1	Amount transferred from Account No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	14,19,88,25,000.00	13,16,00,82,000.00
2.	Interest realised on S.B. Account	10,77,749.00	16,16,468.00
3.	Interest realised on Securities during the year	7,06,26,82,128.94	4,31,90,85,779.16
4	Interest accrued but not due on Investments	1,89,86,28,597.96	91,47,65,340.44
5	Interest due but not received on Investments	48,74,800.00	27,93,600.00
6	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
7	Amount paid by the Regions from A/c No. 2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	5,24,55,05,359.26	5,44,56,50,920.18
	Total	1,31,75,79,90,871.00	1,08,81,33,40,282.40
Less :			
1.	Payment made by the Regions	5,24,55,05,359.26	5,44,56,50,920.18
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investments during the year	1,99,56,248.45	2,12,92,126.38
3	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	5,26,54,61,607.71	5,46,69,43,046.56
	Balance as on 31st March	1,26,49,25,29,263.29	1,03,34,63,97,235.84
SCHEDULE No. 15 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
I -CURRENT LIABILITIES			
1	New Pension Scheme Contribution Payable	1,72,90,196.01	2,11,26,568.01
2	Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable	0.00	0.00
3	Security Deposit Refundable	1,92,68,475.09	1,98,73,330.09
4	Group Insurance Scheme (New)	51,65,198.82	47,13,159.43
5	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Admn. Fund)	29,66,03,131.21	29,06,48,036.78
	B. Central :		
a	Excess credits to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
b	Excess credits to Account No. 9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	8,29,780.00	8,29,780.00
c	Amount payable to EPF Contribution A/c	0.00	0.00
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India : (Over Draft)		
	EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	31,00,95,034.36	29,09,03,200.18
	EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
	Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)	0.00	0.00
	Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	0.00	0.00
	Head Office	93,12,300.44	45,22,955.44
	PDNASS	8,00,452.00	1,17,33,643.16
	EPF Appellate Tribunal	0.00	0.00
7	Proportionate (1%) of Total Administration Cost Excess received from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	1,44,85,42,492.59	1,55,04,15,062.11
8	Others (Excess credit Pen. Cum Gratuity Fund Inv. A/c)	0.00	0.00
	Total	2,14,00,92,555.40	2,22,69,51,230.08

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
II - PROVISIONS			
a	Provision for amount transferable to A/c 9 (Staff Pension Cum Gratuity Fund)	0.00	0.00
b	Provision for Rent, Rates & Taxes Payable	0.00	0.00
c	Other Expenses Payable	1,18,08,99,078.36	1,06,43,30,588.39
	Total	1,18,08,99,078.36	1,06,43,30,588.39
	Balance as on 31st March	3,32,09,91,633.76	3,29,12,81,818.47
	EDLI Scheme, 1976 - Administration Fund		
SCHEDULE No. 16			
EDLI Administration Fund			
	Opening Balance	33,74,80,24,098.46	31,32,62,67,220.65
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Administration Fund	2,22,11,82,605.21	2,42,17,56,877.81
	Balance as on 31st March	35,96,92,06,703.68	33,74,80,24,098.46
SCHEDULE No. 17- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
a	Sundry Credits :		
1	Excess credit in A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,35,70,155.53	1,35,81,289.23
2	Excess credit in A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges - Central)	4,83,77,675.89	4,83,77,675.89
b	Proportionate (1%) of Total Administration Cost transferrable to A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
c	Cash Book Balance : (Over Draft)		
	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	6,11,319.47	6,67,810.67
	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	52,77,39,304.18	52,81,94,005.83
d	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	59,02,98,455.07	59,08,20,781.62
	Employees' Provident Fund Scheme, 1952		
SCHEDULE No. 18			
Employees' Provident Fund -Investments		95,19,01,33,86,416.40	83,99,53,98,46,346.70

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
SCHEDULE No. 19 (Current Assets, Loans & Advances)			
I - CURRENT ASSETS			
1	Amount in Transit :		
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	4,38,59,55,590.43	1,84,16,44,729.43
2	Cash Book Balance		
	State Bank of India :		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	8,41,25,76,149.49	9,93,00,47,207.49
	Reserve Bank of India :		
	E.P.F. Investment Account	4,22,32,45,189.20	4,58,06,998.92
3	Interest on EPF Investment receivable		
a	Interest accrued but not due on Investments	1,60,70,60,45,168.20	1,57,39,65,12,762.64
b	Interest due but not received on Investments	2,97,26,24,515.09	1,61,85,80,966.12
c	Interest accrued on FDRs	14,34,18,239.00	7,85,07,933.00
4	Sundry Debits :		
a	Suspense Account (Unclassified) :		
	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	1,27,68,85,111.74	1,12,33,54,668.95
b	Irregular Payments	8,35,20,026.46	7,68,56,270.46
c	Over Payments	2,95,54,575.25	3,09,86,405.25
d	Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9 :		
i	Excess accounted for by R.Os as transfer		
	to A/c No. 5 from A/c No.1 and vice-versa	44,70,07,726.70	40,76,30,186.70
ii	Extra debit made to Account No. 5 by bank	10,64,11,676.86	53,20,05,098.18
iii	Amount debited to A/c No. 5 but not		
	credited to A/c No.1 & vice-versa	3,67,26,624.29	13,65,82,585.29
5	Amount receivable from EPF Admn. A/c	0.00	0.00
6	Amount receivable from EPS Fund (PMRPY)	4,68,68,73,757.00	12,16,50,28,129.00
7	Amount receivable from Govt. (PMRPY)	3,06,12,07,405.00	3,06,12,07,405.00
8	Others	0.00	0.00
	Total	1,90,57,20,51,754.71	1,88,44,47,51,346.43
II - LOAN & ADVANCES			
	Special Reserve Fund (Recoverable) :		
	Balance as per last Balance Sheet	3,32,96,28,733.90	3,32,96,89,258.90
Add :	Amount paid to Members during the year	-2,32,632.62	0.00
Less :	Amount received from Employers	2,63,46,97,113.66	60,525.00
	Total	69,46,98,987.62	3,32,96,28,733.90
	Balance as on 31st March	1,91,26,67,50,742.33	1,91,77,43,80,080.33
Employees' Pension Scheme, 1995			
SCHEDULE No. 20			
Employees' Pension Fund -Investments		58,15,42,72,56,196.19	50,90,00,95,03,745.40

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
SCHEDULE No.21- CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
a	Cash Book Balance :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
3.	Balance in Investment Account (SCB)	16,56,55,465.01	1,56,05,531.27
b	Sundry Debits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	1,47,91,48,583.05	1,36,42,02,107.38
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	-16,31,54,447.20	82,60,26,138.80
3.	Excess accounted for by R.Os as		
	transfer from A/c. 10 to 11 & vice-versa	20,17,63,057.60	20,17,63,057.60
4.	Amount debited to A/c No.11 but not		
	credited to A/c No. 10 & vice-versa	24,28,21,866.20	24,28,21,866.20
c	Remittance in Transit	1,70,76,51,568.68	63,01,03,795.68
d	Interest on EPS Fund Investment receivable		
1	Interest accrued but not due on Investments	75,52,85,12,493.76	74,45,26,24,240.88
2	Interest due but not received on Investments	1,03,50,86,251.50	67,26,02,033.66
3	Interest accrued on FDRs	9,20,66,964.00	8,19,79,854.00
4	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	20,11,40,00,000.00	23,90,44,00,000.00
5	Interest receivable under Minimum Pension scheme	4,84,52,86,606.89	3,87,49,09,759.00
e	Pension contribution receivable from Central Govt.	1,02,52,19,95,683.00	1,12,18,73,27,180.04
f	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	2,07,77,08,34,092.49	2,18,45,43,65,564.51
	Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976		
SCHEDULE No. 22			
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS		3,41,23,66,99,939.05	3,02,75,31,30,718.22
SCHEDULE No.23-CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
a	Cash Book Balance :		
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	8,60,14,246.60	12,82,99,553.10
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	0.00	4,91,01,322.13
3.	Balance in Investment Account (SCB)	58,72,934.62	4,48,197.70
b	Remittance in Transit :		
1.	From A/c No. 21 to 25	9,74,96,579.96	9,74,96,579.96
2.	From Bank to A/c No. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
c	Sundry Debits :		
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	11,32,21,412.28	11,23,83,157.94
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	1,65,96,337.50	1,65,96,337.50
3.	Excess accounted for by R.Os as		
	transfer from A/c. 21 to 25 & vice-versa	1,35,47,809.14	1,35,47,809.14
d	Interest on EDLI Fund Investment receivable		
1	Interest accrued but not due on Investments	4,02,75,21,049.69	3,90,20,43,484.48
2	Interest due but not received on Investments	3,37,22,000.00	79,18,635.62
3	Interest accrued on FDRs	2,21,61,694.00	76,46,392.00
4	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	0.00	72,82,00,000.00
e	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	4,41,66,86,287.94	5,06,42,13,693.72

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund			
SCHEDULE No. 24			
FIXED ASSETS		4,80,66,74,422.79	4,67,84,73,223.47
SCHEDULE No. 25			
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS			
	Special Deposit Account	2,69,17,12,39,918.52	2,51,32,19,67,395.25
	FDRs	2,10,00,00,000.00	2,52,83,00,000.00
	Balance as on 31st March	2,71,27,12,39,918.52	2,53,85,02,67,395.25
SCHEDULE No. 26			
EPF STAFF PROVIDENT FUND -INVESTMENTS		20,06,89,27,030.80	18,52,81,02,491.98
SCHEDULE No. 27			
EPF STAFF PENSION CUM GRATUITY FUND -INVESTMENTS		1,24,59,71,85,322.95	1,02,27,86,09,221.92
SCHEDULE No.28-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES			
1	Amount in Transit :		
a	EPF A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	5,18,03,113.18	5,18,03,113.18
b	Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	1,22,68,499.25	1,22,68,499.25
	Total	6,40,71,612.43	6,40,71,612.43
2	Cash Book Balance		
(A)	State Bank of India :		
a	EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c- Regional)	0.00	0.00
b	EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c- Central)	28,61,47,095.82	38,08,07,184.71
c	Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)	2,15,74,203.02	5,01,65,030.51
d	Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	2,755.70	15,03,29,863.97
e	Head Office	0.00	0.00
f	PDNASS	0.00	0.00
g	EPF Appellate Tribunal	39,08,61,098.57	37,18,52,771.57
	Total	69,85,85,153.11	95,31,54,850.76
(B)	Reserve Bank of India :		
a	S.P.F. Investment Account	5,62,862.41	5,24,723.00
b	Pension-cum-Gratuity Investment A/c	41,80,715.44	1,96,104.00
	Total	47,43,577.85	7,20,827.00
(C)	Imprest Account	47,326.90	45,494.90
3	Sundry Debits :		
	Suspense Account (Unclassified) :		
a.	Suspense Account (Admn. Fund)	22,55,55,748.15	22,32,55,966.06
4	Erroneous Debit to Account Nos. 8 & 9 :		
a	Excess accounted for by R.Os as transfer		
	to A/c No. 8 from A/c No. 2 and vice-versa	2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
b	Erroneous debit made to A/c No.8 (Staff Prov. Fund A/c)	1,78,339.00	1,78,339.00
c	Erroneous debit made to A/c No.9 (Staff Pen cum Gr. A/c)	0.00	0.00
	Total	24,61,72,882.12	2,06,17,133.97

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
5	Recoverable Advances (Staff)		
a	Conveyance advance	23,72,427.65	23,82,451.15
b	House Building advance	25,43,32,187.44	21,64,38,892.61
c	Fan advance	73,520.80	73,520.80
d	Warm Clothing advance	1,234.75	1,234.75
e	Festival advance	74,48,406.82	12,03,908.54
f	Natural Calamity advance	1,24,600.45	1,24,600.45
g	Advance of Pay	-4,44,670.88	-8,36,346.00
h	Advance of DA/TA	1,64,23,302.94	1,65,10,512.54
i	Food grain advance	0.00	0.00
j	Advance to Staff Co-operative Canteen/Stores	1,92,944.00	1,92,944.00
k	Computer Advance	2,74,97,806.57	2,71,13,933.55
l	Unorganised Workers Social Security Scheme	0.00	0.00
m	Miscellaneous Payments	51,03,468.02	53,84,173.92
	TOTAL	31,31,25,228.56	26,85,89,826.31
6	Prepaid Expenditure	0	0.00
7	Interest on EPF Adm. Fund Investment receivable		
1	Interest accrued but not due on Special Deposit A/c	0.00	0.00
2	Interest due but not received on Special Deposit A/c	0.00	0.00
3	Interest accrued on FDRs	8,78,10,484.00	6,76,960.00
8	Interest on Staff Provident Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	36,50,60,790.22	37,36,27,999.99
	Interest due but not received on Investments	10,00,500.00	8,73,000.00
9	Interest on Pension cum Gratuity Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	1,89,86,28,597.96	91,47,65,340.44
	Interest due but not received on Investments	48,74,800.00	27,93,600.00
10	Proportionate (1%) of Total Administration Cost receivable from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
11	Security Deposits (Advance to parties)	3,29,32,829.20	3,10,59,535.20
12	Others (TDS refundable)		0.00
13	Advance to Agencies/Contractors (Capital Work)	77,99,02,149.42	67,50,16,366.42
14	Accrued Interest recoverable on Advances paid to staff	3,00,07,255.51	1,96,47,029.68
15	Amount receivable from SPF a/c	4,63,00,29,385.95	4,12,71,86,747.74
	Balance as on 31st March	9,15,69,92,573.23	7,67,61,02,290.90

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Fund			
SCHEDULE No. 29			
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS			
	Special Deposit Accounts	35,05,67,39,537.16	32,73,42,61,738.28
SCHEDULE No.30-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES			
A	Cash Book Balance :		
1.	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	0.00	0.00
2.	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
B	Remittance in Transit :		
1.	From A/c No. 22 to 24	1,54,34,043.77	1,54,34,043.77
C	Sundry Debits :		
1.	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,03,41,205.86	1,02,86,156.56
2.	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	1,18,39,758.32	1,18,39,758.32
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c 22 to 24 & vice -versa	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
D	Interest on EDLI Adm. Fund Investment receivable :		
	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
E	Amount receivable from EDLI Contribution A/c	0.00	0.00
F	Excess Transfer of Proportionate (1% share) of Total Administration Cost A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c Central)	1,44,85,42,492.59	1,55,04,15,062.11
G	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	1,50,27,65,621.58	1,60,45,83,141.80

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2021			
			Amount-Rs.
	Schedule	Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
INCOME			
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
EPF- Contributions Fund			
Interest Income during the year	31	7,40,77,31,46,266.00	5,86,05,76,44,107.75
Other Income during the year	32	5,05,88,69,424.97	8,30,26,62,498.26
TOTAL INCOME- EPF CONTRIBUTION FUND (A)		7,45,83,20,15,690.97	5,94,36,03,06,606.01
Employees' Pension Scheme, 1995			
EPS CONTRIBUTION FUND			
Income from Pension Contribution	33	5,05,62,01,04,276.87	5,19,53,13,29,622.40
Interest Income during the year	34	4,14,72,14,33,372.44	3,90,42,05,42,214.08
Other Income	35	2,74,03,67,145.58	9,01,89,56,067.11
TOTAL INCOME - PENSION FUND (B)		9,23,08,19,04,794.89	9,18,97,08,27,903.59
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
EDLI CONTRIBUTION FUND			
Income from Contribution from employers		21,85,15,80,328.12	22,39,88,24,014.77
Interest Income during the year	36	24,35,54,79,395.81	21,46,53,24,147.90
Other Income	37	18,86,10,800.08	37,64,93,978.99
TOTAL INCOME -EDLI CONTRIBUTION FUND (C)		46,39,56,70,524.01	44,24,06,42,141.66
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
EPF - Administration Fund			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	38	37,97,36,08,448.62	38,34,36,24,982.94
Interest income during the year	39	17,96,10,84,389.47	18,61,04,82,794.72
Receipt from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central) -Proportionate share (1%) of Total Administrative Expenses of EPFO for the current year (receivable) & arrears for earlier years received		38,11,72,569.52	37,60,93,814.34
Other Income - Miscellaneous Receipts		9,66,75,076.75	31,74,78,660.63
TOTAL INCOME - EPF ADMINISTRATION FUND (D)		56,41,25,40,484.36	57,64,76,80,252.63
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	40	27,99,22,817.13	39,59,16,814.07
Interest income during the year	41	2,32,24,79,456.60	2,40,19,53,518.58
Other Income -Receipts from A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c -Regional)			3.00
Other Income -Receipts from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)		-	-
TOTAL INCOME -EDLI ADMINISTRATION FUND (E)		2,60,24,02,273.73	2,79,78,70,335.65

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2021			
			Amount-Rs.
EXPENDITURE	Schedule	Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
EPF- Contributions Fund			
Interest payment to the Members	42	6,99,80,06,00,000.00	6,10,54,31,00,000.00
Interest paid to vendors on purchase of securities		2,80,67,09,203.18	2,92,04,42,089.25
Loss on Sale of ETF Securities/PY adjustments		28,90,79,32,463.90	-
Interest accrued on SRF		34,50,76,486.89	31,80,60,734.37
Interest on overdraft paid to Banks		89,28,88,204.09	1,03,33,73,970.78
Misc-Intt. paid on deposits refunded to exempted trusts		-	-
TOTAL EXPENDITURE - EPF CONTRIBUTION FUND (A-1)		7,32,75,32,06,358.06	6,14,81,49,76,794.40
I - Excess of Income (A) over Expenditure (A-1) carried to Balance Sheet		13,07,88,09,332.91	(20,45,46,70,188.38)
Employees' Pension Scheme, 1995			
EPS CONTRIBUTION FUND			
Amount paid to outgoing members / beneficiaries	43	2,04,16,99,66,154.69	1,81,17,51,01,449.52
Commission to Banks for disbursement of pension		1,04,48,22,610.70	98,03,32,208.30
Accrued Interest paid on purchase of Investments (Securities)		1,27,49,09,950.15	1,73,20,05,069.78
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Other payments:			
A/c No. 10 (EPS Contribution A/c Regional)		4,62,60,763.29	1,75,77,850.00
A/c No. 11 (EPS Contribution A/c Central)			10,000.00
TOTAL EXPENDITURE - PENSION FUND (B-1)		2,06,53,59,59,478.83	1,83,90,50,26,577.60
II- Excess of Income (B) over Expenditure (B-1) carried to Balance Sheet		7,16,54,59,45,316.06	7,35,06,58,01,325.99
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
EDLI CONTRIBUTION FUND			
Assurance Benefits paid		8,54,91,37,998.84	8,70,93,00,077.24
Accrued Intt. paid on purchase of Invest. (Securities)		3,68,90,416.44	5,72,75,832.96
Loss on Sale of ETF Securities		-	-
Other payments:			
A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)		5,89,708.00	5,28,339.63
A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c - Central)		-	236.00
TOTAL EXPENDITURE-EDLI CONTRIBUTION FUND (C-1)		8,58,66,18,123.28	8,76,71,04,485.83
III- Excess of Income (C) over Expenditure (C-1) carried to Balance Sheet		37,80,90,52,400.73	35,47,35,37,655.83

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2021			
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
EPF - Administration Fund - (100% Expenditure of EPFO)			Amount-Rs.
A- Establishment Expenses		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
Salaries of Officers and Staff & Bonus		10,94,44,18,529.00	11,07,48,95,631.50
Allowances and Honorarium		2,79,17,62,606.00	2,84,19,85,564.00
Grants - Welfare Funds etc		8,97,98,425.00	7,68,68,939.79
Contribution to Staff Pension cum Gratuity Fund		19,83,51,05,359.26	18,60,57,32,920.18
S.P.F., E. D.L.I. Benefits		37,70,154.00	16,37,030.00
Board's share towards N.P.S.		44,83,22,272.22	41,56,72,684.08
Interest on N.P.S. Contribution		95,379.00	3,22,860.00
Service Charges towards N.P.S.		10,83,416.36	17,31,529.39
TA & LTC		9,56,89,888.00	6,57,80,336.00
TOTAL A		34,21,00,46,028.84	33,08,46,27,494.94
B- Other Administrative Expenses			
Electricity Expenses		23,47,28,533.00	26,56,33,608.43
Postage		3,59,10,923.10	6,48,43,548.10
Printing & Stationery		9,63,85,145.34	11,60,17,312.78
Rent, Rates & Taxes		28,31,14,136.00	30,52,76,683.00
Vehicle Running & Maintenance Expenses		1,02,57,828.00	97,97,393.00
Telephone, Internet & Communication Charges		5,90,85,989.32	5,61,68,222.70
Insurance Expenses			
Water Charges		59,59,347.00	98,12,373.00
Staff Paid from contingencies		1,12,14,78,172.63	1,10,75,91,744.95
Audit Fee		35,38,841.00	35,39,747.00
Legal Charges		10,29,38,167.86	8,99,11,404.00
Consultancy Expenses		3,25,44,183.00	33,39,58,840.00
Conveyance Hire		8,03,13,782.00	7,00,44,933.45
Advertisement & Publicity		1,43,51,006.00	-48,32,327.00
AMC - Computers, Servers, Elect. Equip. & other Office Equip.		37,68,77,708.00	49,99,44,616.40
Travelling Expenses		9,79,62,854.00	19,00,52,249.00
Other Charges (Recurring/Non-Recurring)		15,65,23,341.93	18,18,91,667.55
Bank Commission and T.T. Charges		69,74,93,373.17	72,82,02,150.14
Maintenance of Office Buildings/Staff Quarters		22,36,02,751.00	23,37,69,904.00
Net Depreciation on Fixed Assets		27,35,08,988.56	26,31,27,787.60
Loss/Gain on Liquidation of Assets		6,35,852.00	2,081.00
Provision for Building Construction Fund		0.00	0.00
Total B		3,90,72,10,922.91	4,52,47,53,939.10
TOTAL EXPENDITURE- EPF ADMINISTRATION FUND (D-1)		38,11,72,56,951.75	37,60,93,81,434.04
IV- Excess of Income (D) over Expenditure (D-1) carried to Balance Sheet		18,29,52,83,532.60	20,03,82,98,818.59
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Proportionate share (1%) in the total administrative expenditure of EPFO		38,11,72,569.52	37,60,93,814.34
Other payment:			
Account No. 22		47,099.00	19,643.50
Account No. 24		-	-
TOTAL EXPENDITURE -EDLI ADMINISTRATION FUND (E-1)		38,12,19,668.52	37,61,13,457.84
V- Excess of Income (E) over Expenditure (E-1) carried to Balance Sheet		2,22,11,82,605.21	2,42,17,56,877.81
TOTAL EARNING OF THE EPFO (I + II + III + IV + V)		7,87,95,02,73,187.51	7,72,54,47,24,489.84

Sd/-
(HEMANT JAIN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(MUKHMEET S. BHATIA)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
	EPF Contributions Fund		
SCHEDULE No. 31			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	5,01,94,03,06,980.50	4,26,96,39,14,677.80
2	Interest accrued but not due on Investments	1,60,70,60,45,168.20	1,57,39,65,12,762.64
3	Interest due but not received on Investments	2,97,26,24,515.09	1,61,85,80,966.12
4	Profit on Sale of ETF Securities	72,31,04,14,115.30	0.00
5	Interest accrued on FDRs	14,34,18,239.00	7,85,07,933.00
6	Interest on Regional Savings Bank Account	-4,61,110.22	1,27,768.19
7	Interest on Securities received from estts.	0.00	0.00
8	Interest from subscribers / memebrs on loans	0.00	0.00
9	Excess Provision of Interest payable for earlier year - written back (Inv. Fluctuataion Fund written Back)	2,70,07,98,358.13	0.00
	Total	**7,40,77,31,46,266.00**	**5,86,05,76,44,107.75**
SCHEDULE No. 32			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	3,56,35,03,268.05	5,18,24,63,755.35
2	7Q Interest collected during the year	1,49,53,62,878.57	3,12,02,01,205.91
3	Other receipts (INTEREST ON S.B. A/C)	3,278.35	-2,463.00
	Total	**5,05,88,69,424.97**	**8,30,26,62,498.26**
	EPS CONTRIBUTION FUND		
SCHEDULE No. 33			
Income from Pension Contribution			
1	Pension contribution received from employers	4,40,09,53,35,773.91	4,44,48,54,56,768.36
2	Pension contribution received from Central Govt. during FY	75,19,01,00,000.00	50,96,67,00,000.00
3	Pension contribution receivable from Central Govt. during the FY	-9,66,53,31,497.04	24,07,91,72,854.04
	Total	**5,05,62,01,04,276.87**	**5,19,53,13,29,622.40**
SCHEDULE No. 34			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	2,17,87,32,50,784.90	1,78,84,74,83,181.86
2	Interest accrued but not due on Investments	75,52,85,12,493.76	74,45,26,24,240.88
3	Interest due but not received on Investments	1,03,50,86,251.50	67,26,02,033.66
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	9,20,66,964.00	8,19,79,854.00
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	99,10,78,23,597.00	1,11,62,85,62,078.98
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	20,11,40,00,000.00	23,90,44,00,000.00
8	Interest received under Minimum Pension scheme	0.00	0.00
9	Interest receivable under Minimum Pension scheme	97,03,76,847.89	83,23,15,034.90
10	Interest on Regional Savings Bank Account	3,16,433.39	5,75,789.80
	Total	**4,14,72,14,33,372.44**	**3,90,42,05,42,214.08**
SCHEDULE No. 35			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	1,14,77,22,262.26	2,81,05,25,061.86
2	7Q Interest collected during the year	68,73,94,772.00	4,65,59,59,325.30
3	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 10	90,52,50,111.32	1,55,24,71,679.95
4	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 11	0.00	0.00
	Total	**2,74,03,67,145.58**	**9,01,89,56,067.11**

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
	EDLI CONTRIBUTION FUND		
SCHEDULE No. 36			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	11,55,88,15,484.30	8,75,53,59,664.85
2	Interest accrued but not due on Investments	4,02,75,21,049.69	3,90,20,43,484.48
3	Interest due but not received on Investments	3,37,22,000.00	79,18,635.62
4	Profit on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
5	Interest accrued on FDRs	2,21,61,694.00	76,46,392.00
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	8,71,38,00,000.00	8,06,41,53,265.62
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	0.00	72,82,00,000.00
8	Interest on Regional Savings Bank Account	-5,40,832.18	2,705.33
	Total	**24,35,54,79,395.81**	**21,46,53,24,147.90**
SCHEDULE No. 37			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	6,37,80,481.48	16,63,24,928.52
2	7Q Interest collected during the year	3,70,01,490.60	8,96,19,899.47
3	Other receipts in A/c No. 21	8,78,28,828.00	12,05,49,151.00
4	Other receipts in A/c No. 25	0.00	0.00
	Total	**18,86,10,800.08**	**37,64,93,978.99**
	EPF - Administration Fund		
SCHEDULE No. 38			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EPF Administration Charges received during the year	35,52,32,75,012.09	35,48,42,49,159.69
2	EPF Inspection Charges received during the year	2,20,30,48,430.27	2,27,58,93,069.79
3	Penal Damages collected during the year	15,66,79,613.10	37,29,08,444.15
4	7Q Interest collected during the year	9,06,05,393.16	21,05,74,309.31
	Total	**37,97,36,08,448.62**	**38,34,36,24,982.94**
SCHEDULE No. 39			
Interest Income during the year			
1	Interest received on invest. during the year	17,87,29,87,361.07	18,60,98,05,834.72
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest accrued on FDRs	8,78,10,484.00	6,76,960.00
5	Interest on Regional Savings Bank Account	2,86,544.40	0.00
	Total	17,96,10,84,389.47	18,61,04,82,794.72
Less:	Interest credited to Building Construction Fund	0.00	0.00
	Total	**17,96,10,84,389.47**	**18,61,04,82,794.72**
	EDLI ADMINISTRATION FUND		
SCHEDULE No. 40			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EDLI Administration Charges received during the year	20,75,51,660.83	31,19,69,465.93
2	EDLI Inspection Charges received during the year	5,06,56,029.00	5,21,64,263.30
3	Penal Damages collected during the year	1,44,47,398.30	2,00,80,495.28
4	7Q Interest collected during the year	72,67,729.00	1,17,02,589.56
5	Miscellaneous receipts (Give details)	0.00	
	Total	**27,99,22,817.13**	**39,59,16,814.07**
SCHEDULE No. 41			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	2,32,24,77,798.88	2,40,19,47,436.80
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest on Savings Bank Account	1,657.72	6,081.78
	Total	**2,32,24,79,456.60**	**2,40,19,53,518.58**

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current year(2020-21)	Previous Year (2019-20)
EPF Contributions Fund			
SCHEDULE No. 42			
Interest payment to the Members			
1	Interest credited to Members PF A/c during the year (Including In operative A/c's)	0.00	0.00
2	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2020-21	6,99,80,06,00,000.00	6,10,54,31,00,000.00
3	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	0.00	0.00
Total		**6,99,80,06,00,000.00**	**6,10,54,31,00,000.00**
EPS Contributions Fund			
SCHEDULE No. 43			
Amount paid to outgoing memebrs / beneficiaries			
1	Withdrawal / retirement benefits	83,49,22,88,137.90	67,96,61,93,855.01
2	Life Assurance Benefits	0.00	0.00
3	Pension Payments	1,20,67,76,78,016.79	1,13,20,89,07,594.51
Total		**2,04,16,99,66,154.69**	**1,81,17,51,01,449.52**

Schedule No. 24

FIXED ASSETS 2020-21

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

ALL ZONAL OFFICES/ FIELD OFFICE:

(ENTIRE REGION i.e. REGIONAL OFFICE INCLUDING SUB-REGIONAL OFFICES UNDER THE JURIDICTION OF THE REGION)

Amounts (in Rs.)

S No.	Fixed Asset	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Cost/ Valuation at the bignning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the year	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the year end (B)	As at the Current Year-end [A-B]	As at the Previous year-end
1	Land										
a	Freehold Land	66,42,68,460.63	6,28,92,241.00	-	72,71,60,701.63	41,64,297.00	-	-	41,64,297.00	72,29,96,404.63	66,01,04,163.63
b	Leasehold Land	22,90,10,449.50	-	-	22,90,10,449.50	3,82,75,858.71	19,43,890.88	-	4,02,19,759.59	18,87,90,689.91	19,07,34,590.79
2	Building	-	-	-		-	-	-			-
a	Building-Office	2,27,14,22,626.37	4,45,81,123.00	-	2,31,60,03,751.37	38,64,55,956.19	4,01,80,069.30	-	42,66,36,025.49	1,88,93,67,725.88	1,88,49,66,672.18
b	Lease hold Building-Office	77,10,34,104.47	-	-	77,10,34,104.47	20,14,26,723.45	1,08,81,952.32	-	21,23,08,675.77	55,87,25,428.70	56,96,07,381.02
c	Building -Residential	85,78,32,394.99	1,73,91,303.00	-	87,52,23,697.99	24,12,17,219.50	77,54,888.71	-	24,89,72,108.21	62,62,51,589.78	61,66,15,175.49
d	Lease hold Building-Residential	20,31,20,347.00	-	-	20,31,20,347.00	8,01,04,381.00	27,80,237.00	-	8,28,84,618.00	12,02,35,729.00	12,30,15,966.00
3	Plant Machinery & Equipment	98,38,953.00	49,156.00	-	98,88,109.00	37,47,258.87	9,79,916.35	-	47,27,175.22	51,60,933.78	60,91,694.13
4	Vehicals & Motor Car	1,80,11,110.36	13,94,960.00	-	1,94,06,070.36	84,47,378.95	15,70,342.95	-	1,00,17,721.90	93,88,348.46	95,63,731.41
5	Furniture & Fixtures	24,13,76,463.83	4,67,89,647.38	-	28,81,66,111.21	5,65,67,228.13	2,33,40,297.36	-	7,99,07,525.48	20,82,58,585.73	18,48,09,235.71
6	Office Equipments	9,10,28,865.09	2,27,08,410.00	-	11,37,37,275.09	3,31,46,227.62	1,58,69,344.15	-	4,90,15,571.77	6,47,21,703.33	5,78,82,637.47
7	Computers/Peripherals	86,83,01,914.03	18,49,07,449.00	16,03,792.00	1,05,16,05,571.03	56,09,29,687.67	16,15,83,542.84	4,25,000.00	72,20,88,230.51	32,95,17,340.52	30,73,72,226.36
8	Electrical Instalations	4,35,82,998.93	1,35,15,538.00	-	5,70,98,536.93	1,19,19,972.07	33,83,358.67	-	1,53,03,330.73	4,17,95,206.20	3,16,63,026.87
9	Library Books	35,97,268.78	8,10,729.00	-	44,07,997.78	1,62,837.63	83,172.62	-	2,46,010.25	41,61,987.53	34,34,431.15
10	Tubewells & Water Supply	19,76,412.00	88,160.00	-	20,64,572.00	10,06,921.65	3,05,516.02	-	13,12,437.67	7,52,134.33	9,69,490.35
11	Other Fixed Assets	2,09,51,269.58	55,47,446.00	-	2,64,98,715.58	26,74,531.51	17,54,199.70	-	44,28,731.21	2,20,69,984.37	1,82,76,738.07
	Total	**6,29,53,53,640.56**	**40,06,76,162.38**	**16,03,792.00**	**6,69,44,26,010.94**	**1,63,02,46,489.94**	**27,24,10,728.85**	**4,25,000.00**	**1,90,22,32,218.79**	**4,79,21,93,792.15**	**4,66,51,07,150.62**

S No.	Fixed Asset (INTANGIBLE)	Gross Block				Depreciation				Net Block	
		Cost/ Valuation at the bignning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets	Accumulated depreciation at the year	As at the Current Year-end [A-B]	As at the Previous year-end
1	Computer Software	1,55,00,877.00	22,12,817.50	-	1,77,13,694.50	21,34,804.15	10,98,259.71	-	32,33,063.86	1,44,80,630.64	1,33,66,072.85
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	Total	1,55,00,877.00	22,12,817.50	-	**1,77,13,694.50**	21,34,804.15	10,98,259.71	-	**32,33,063.86**	**1,44,80,630.64**	1,33,66,072.85
	GRAND TOTAL	**6,31,08,54,517.56**	**40,28,88,979.88**	**16,03,792.00**	**6,71,21,39,705.44**	**1,63,23,81,294.09**	**27,35,08,988.56**	**4,25,000.00**	**1,90,54,65,282.65**	**4,80,66,74,422.79**	**4,67,84,73,223.47**

NOTE:- INTANGIBLE ASSETS PRIOR TO 01-04-2017, IF ANY ARE INCLUDED IN TANGIBLE ASSETS

Amount in Rs.

SCHEDULE No. 18

Employees' Provident Fund -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securites redeemed during the year	Cost of Amortisation/ Amount of Reconciliation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	13,56,06,34,87,700.00	13,48,33,55,69,091.56	1,65,64,46,58,170.00	74,47,44,900.00	5,80,74,60,000.00	-66,20,28,349.56	15,09,57,95,40,611.12	15,04,09,06,52,600.00
2	Public Sector Undertaking -PSU	16,72,98,63,14,329.19	16,68,33,56,77,729.78	3,39,93,22,41,603.05	-	1,33,25,57,90,000.00	7,90,93,033.53	18,11,80,04,40,757.73	17,53,39,44,02,944.24
3	Private Securities	4,93,12,29,29,000.00	4,93,18,73,87,276.02	-	-	33,96,80,10,000.00	1,13,69,619.00	5,22,34,06,03,198.80	5,85,42,32,16,988.00
4	CCIL Margin Money			4,00,00,000.00				4,00,00,000.00	
5	State development Loans -SDL	34,44,92,51,96,800.00	34,54,36,48,88,419.40	7,33,93,97,21,049.00	29,41,00,000.00	72,22,15,86,100.00	1,49,06,42,167.94	41,14,88,62,81,200.46	41,06,76,67,60,700.00
6	State Govt Securities -STG	1,64,15,17,73,817.00	1,65,10,14,03,582.08	-	20,00,000.00	22,15,18,458.00	14,24,91,058.94	1,64,73,93,94,065.14	1,63,93,22,55,359.00
7	Special Deposit Scheme -SDS	5,31,44,56,11,065.74	5,31,44,56,11,065.74	-	23,83,15,114.88	-	-	5,31,68,39,26,180.62	5,31,68,39,26,180.62
8	Public Account	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ETF	7,06,49,93,09,182.11	7,06,49,93,09,182.11	2,10,57,80,94,207.85	-	1,49,09,54,32,076.31	-	7,67,98,19,71,313.65	7,67,98,19,71,313.65
10	LMF	-	-	1,73,27,85,90,135.00	-	1,73,27,85,90,135.00	-	-	-
11	FDR	32,27,00,00,000.00	32,27,00,00,000.00	76,80,00,00,000.00		32,27,00,00,000.00		76,80,00,00,000.00	76,80,00,00,000.00
12	Amount Under-Reconciliation				19,16,12,29,189.08			19,16,12,29,189.08	
	Total	**84,01,46,46,21,894.04**	**83,99,53,98,46,346.70**	**17,00,21,33,05,164.00**	**20,44,03,89,203.96**	**6,00,11,83,86,769.31**	**1,06,17,67,529.85**	**95,19,01,33,86,416.40**	**94,90,07,31,86,085.51**

SCHEDULE No. 20

Employees' Pension Fund -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on	Value of securites redeemed during the	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	6,97,58,46,60,700.00	6,95,33,23,29,813.97	86,87,32,14,060.00	-	6,33,42,60,000.00	-3,00,03,327.04	7,73,90,12,86,201.01	7,69,84,66,10,700.00
2	Public Sector Undertaking -PSU	7,47,09,57,22,874.97	7,46,07,70,65,090.36	1,54,93,91,56,705.54	-	73,72,97,35,000.00	2,15,97,706.03	8,04,52,13,14,204.52	7,82,82,91,04,581.51
3	Private Securities	2,17,33,40,04,000.00	2,17,35,55,52,304.20	-	-	16,59,30,00,000.00	77,26,741.41	2,23,49,84,00,448.14	2,46,21,70,04,000.00
4	CCIL Margin Money			1,00,00,000.00				1,00,00,000.00	
5	State development Loans -SDL	15,81,71,72,15,200.00	15,85,78,86,14,275.15	3,25,18,53,42,949.00	-	28,91,29,28,900.00	62,70,84,603.16	18,61,43,39,43,720.99	18,57,57,23,48,300.00
6	State Govt Securities -STG	71,61,90,00,000.00	71,85,42,87,403.39	-	-	-	3,57,31,800.92	71,81,85,55,602.47	71,61,90,00,000.00
7	Special Deposit Scheme -SDS	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64	-	-	-	-	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64
8	Public Account	14,47,82,28,12,415.86	14,47,82,28,12,415.86	2,00,12,37,00,000.00	-	-	16,83,53,76,403.00	16,31,11,11,36,012.86	16,31,11,11,36,012.86
9	ETF	3,20,52,36,14,419.83	3,20,52,36,14,419.83	1,01,13,37,77,563.73	-	-	-	4,21,65,73,91,983.56	4,21,65,73,91,983.56
10	LMF	-	-	86,06,26,96,471.00	-	86,06,26,96,471.00	-	-	-
11	FDR	11,25,00,00,000.00	11,25,00,00,000.00	13,47,00,00,000.00		11,25,00,00,000.00		13,47,00,00,000.00	13,47,00,00,000.00
	Total	**50,88,95,22,57,633.30**	**50,90,00,95,03,745.40**	**9,67,79,78,87,749.27**	**-**	**2,24,88,26,20,371.00**	**17,49,75,14,927.48**	**58,15,42,72,56,196.18**	**58,08,32,76,21,600.57**

SCHEDULE No. 22

Employees' Deposit Linked Insurance Scheme -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on	Value of securites redeemed during the	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	34,09,14,17,000.00	33,86,39,30,564.70	2,61,12,15,000.00	-	32,78,25,000.00	-1,76,71,270.65	36,16,49,91,855.35	36,16,35,92,000.00
2	Public Sector Undertaking -PSU	41,06,55,51,000.00	41,05,85,49,727.93	7,78,74,29,214.37	-	2,97,85,00,000.00	8,15,319.49	44,90,24,05,739.24	43,94,64,80,214.38
3	Private Securities	11,24,16,51,000.00	11,24,86,51,991.12	-	-	1,27,80,00,000.00	11,37,693.99	10,93,37,72,180.71	11,89,16,51,000.00
4	State development Loans -SDL	83,43,23,81,000.00	83,65,32,56,717.38	19,61,88,30,000.00	-	1,36,30,38,000.00	3,50,39,048.92	1,01,87,40,09,668.46	1,01,65,30,73,000.00
5	State Govt Securities -STG	3,62,70,00,000.00	3,68,14,22,235.90	-	-	-	53,99,260.98	3,65,60,22,974.92	3,62,70,00,000.00
6	Special Deposit Scheme -SDS	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05	-	-	-	-	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05
7	Public Account	1,11,15,20,30,388.14	1,11,15,20,30,388.14	9,44,20,00,000.00				1,20,59,40,30,388.14	1,20,59,40,30,388.14
8	ETF	17,25,02,25,382.00	17,25,02,25,382.00	5,30,59,00,447.52	-	-	-	22,55,61,25,829.52	22,55,61,25,829.22
9	LMF	99,72,615.00	99,72,615.00	4,81,55,57,734.00	-	4,82,52,80,122.34	-	2,50,226.66	2,50,226.66
10	FDR	83,01,14,767.00	83,01,14,767.00	2,84,21,56,231.00		3,14,21,56,231.00		53,01,14,767.00	53,01,14,767.00
	Total	**3,02,72,53,29,461.19**	**3,02,75,31,30,718.23**	**52,42,30,88,626.89**	**-**	**13,91,47,99,353.34**	**2,47,20,052.73**	**3,41,23,66,99,939.05**	**3,40,98,72,93,734.45**

SCHEDULE No. 26

EPF Staff Provident Fund -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securites redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value				Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	4,37,25,26,000.00	4,35,08,85,848.00	16,97,93,500.00	4,02,00,000.00	-27,97,551.40	4,48,32,76,899.40	4,50,23,26,000.00
2	Public Sector Undertaking -PSU	3,96,08,21,000.00	3,95,77,22,670.85	58,30,89,277.73	46,10,50,000.00	-36,595.03	3,96,27,55,861.01	3,84,88,60,277.72
3	Private Securities	1,03,10,35,000.00	1,03,10,05,076.19	-	11,30,00,000.00	19,079.37	1,03,50,28,679.42	1,15,20,35,000.00
4	State development Loans -SDL	7,20,53,00,000.00	7,22,31,70,957.72	1,35,34,15,000.00	15,96,50,000.00	31,64,567.94	8,41,37,71,389.78	8,39,56,50,000.00
5	State Govt Securities -STG	24,60,00,000.00	24,86,45,961.50	-	-	4,11,011.17	24,82,34,950.33	24,60,00,000.00
6	Special Deposit Scheme -SDS	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	-	-	-	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92
7	Public Account	-	-	-	-	-	-	-
8	ETF	88,10,19,421.80	88,10,19,421.80	21,15,19,294.15	-	-	1,09,25,38,715.95	1,09,25,38,715.95
9	LMF	23,32,021.00	23,32,021.00	22,82,51,278.00	23,05,83,299.00	-	-	-
	Total	**18,53,23,53,977.72**	**18,52,81,02,491.97**	**2,54,60,68,349.88**	**1,00,44,83,299.00**	**7,60,512.05**	**20,06,89,27,030.80**	**20,07,07,30,528.59**

SCHEDULE No. 27

EPF Staff Pension cum Gratuity Fund -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securites redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value				Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	12,23,17,76,200.00	12,17,69,53,699.72	1,37,85,25,330.00	7,44,15,000.00	-45,98,706.24	13,48,56,62,737.96	13,47,66,01,200.00
2	Public Sector Undertaking -PSU	22,07,97,28,000.00	22,05,59,81,756.23	5,36,81,31,210.31	88,59,00,000.00	-34,42,548.76	26,40,76,46,978.80	26,29,39,59,210.30
3	Private Securities	5,36,06,50,000.00	5,36,55,13,467.33	-	19,60,00,000.00	5,42,079.03	5,30,29,79,924.80	5,43,26,50,000.00
4	State development Loans -SDL	47,71,31,80,000.00	47,91,07,75,156.51	13,74,57,75,000.00	46,73,60,000.00	2,90,71,682.25	61,16,01,18,474.26	60,97,16,10,000.00
5	State Govt Securities -STG	74,30,00,000.00	74,83,38,458.55	-	-	8,33,357.56	74,75,05,100.99	74,30,00,000.00
6	Special Deposit Scheme -SDS	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87	-	-	-	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87
7	Public Account	-	-	-	-	-	-	-
8	ETF	13,09,68,92,436.20	13,09,68,92,436.20	3,47,91,13,807.33	-	-	16,57,60,06,243.53	16,57,60,06,243.67
9	LMF	62,26,920.51	62,26,920.51	3,09,06,54,414.00	3,09,75,42,798.77	-	(6,61,464.26)	1,38,535.74
	Total	**1,02,14,93,80,883.58**	**1,02,27,86,09,221.91**	**27,06,21,99,761.64**	**4,72,12,17,798.77**	**2,24,05,861.84**	**1,24,59,71,85,322.95**	**1,24,41,18,92,516.58**

EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995							
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21							
(CONTRIBUTION ACCOUNT)							
Previous year	**S. No.**	**Receipts**	**Amount**	**Previous year**	**S. No.**	**Payments**	**Amount**
Rs. P.			**Rs. P.**	**Rs. P.**			**Rs. P.**
43,68,16,31,84,826.70	1.	Opening Balance as on 01-04-2020	50,60,51,08,23,590.95		1.	Amount paid to outgoing members/ beneficiaries :	
4,44,48,54,56,768.36	2.	(i) Contribution deposited by Employers	4,40,09,53,35,773.91			(a) Amount of Employee's share with	
50,96,67,00,000.00		(ii)Govt. contribution received during 2020-2021* (including arrears)	75,19,01,00,000.00	0.00		interest	0.00
	3.	Interest on the balance in the Public		67,96,61,93,855.01		(b) Withdrawal/Retirement benefits	83,49,22,88,137.90
1,27,13,42,00,000.00		Account of Govt. of India	1,39,84,76,00,000.00	0.00		(c) Life Assurance benefits	0.00
5,75,789.80	4.	Interest on Saving Bank Account	3,16,433.39	1,13,20,89,07,594.51		(d) Pension	1,20,67,76,78,016.79
2,48,15,90,41,231.74	5.	Interest received on Securities	2,93,08,04,56,913.44		2.	Amount paid as commission for	
3,94,65,23,260.00	6.	Penal Damages	1,83,51,17,034.26	98,03,32,208.30		disbursement of pension	1,04,48,22,610.70
	7.	Other receipts :			3.	Amount paid towards Pension Fund	
1,55,24,71,679.95		(a) Regional Contribution A/c No. 10	90,52,50,111.32	0.00		Admn. Expenses	0.00
0.00		(b) Central Contribution A/c No. 11	0.00		4.	Amount of securities transferred on	
				0.00		grant of exemption	0.00
					5.	Amount paid as accrued interest on	
				1,73,20,05,069.78		purchase of Securities	1,27,49,09,950.15
					6.	Other payments :	
				98,91,238.00		(a) Regional Contribution A/c No. 10	4,62,60,763.29
				0.00		(b) Central Contribution A/c No. 11	0.00
				50,60,51,08,23,590.95	7.	Closing Balance as on 31-03-2021	58,04,92,90,40,378.44
52,44,40,81,53,556.55		**TOTAL**	**60,11,46,49,99,857.27**	**52,44,40,81,53,556.55**		**TOTAL**	**60,11,46,49,99,857.27**

***Including a sum of Rs 14,91,40,00,000.00 receiveed from MoL&E against reimbursement of minimum pension of Rs 1000.00**

Sd/-

(HEMANT JAIN)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(MUKHMEET S. BHATIA)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976							
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21							
(CONTRIBUTION ACCOUNT)							
Previous year	S. No.	Receipt	Amount	Previous year	S. No.	Payment	Amount
Rs. P.			Rs. P.	Rs. P.			Rs. P.
2,67,81,72,10,029.40	1.	Opening Balance as on 01-04-2020	3,03,77,76,18,280.76	8,70,93,00,077.24	1.	Assurance Benefits	**8,54,91,37,998.84**
22,39,88,24,014.77	2.	Contribution of Employers	21,85,15,80,328.12		2.	Amount refunded to employers on	
8,71,28,00,000.00	3.	Interest on investment in Public Account of Govt. of India	9,44,20,00,000.00	0.00		grant of exemption	0.00
13,23,93,99,632.10	4.	Interest on investment in securities	15,47,64,23,996.40		3.	Amount paid as accrued interest	
2,705.33	5.	Interest on S.B. Accounts	425.95	5,72,75,832.96		on purchase of securities	3,68,90,416.44
25,59,44,827.99	6.	Penal Damages & 7Q Intt.	10,07,81,972.08		4.	Other payments in :	
	7.	Other receipts in :		5,28,339.63		Account No. 21	11,30,966.13
12,05,41,321.00		Account No. 21	8,78,28,828.00			Account No. 25	
0.00		Account No. 25	0.00	3,03,77,76,18,280.76	5.	Closing Balance as on 31-03-2021	3,42,14,90,74,449.90
3,12,54,47,22,530.59		**TOTAL**	**3,50,73,62,33,831.31**	**3,12,54,47,22,530.59**		**TOTAL**	**3,50,73,62,33,831.31**

Sd/-

(HEMANT JAIN)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(MUKHMEET S. BHATIA)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976							
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21							
(ADMINISTRATION ACCOUNT)							
Previous year	S. No.	Receipt	Amount	Previous year	S. No.	Payment	Amount
Rs. P.			Rs. P.	Rs. P.			Rs. P.
31,32,62,67,220.66	1.	Opening Balance as on 01-04-2020	33,74,77,81,432.87	37,60,93,814.34	1	1% Propotionate expenditure on EPFO	38,11,72,569.52
31,19,68,978.93	2.	Administrative Charges received from the employers	20,75,51,660.83		2	Other payments in :	
5,21,64,263.30	3	Inspection Charges received	5,06,56,029.00	19,643.50		Account No. 22	47,099.00
3,15,40,906.24	4	Penal Damages & 7Q Intt.	2,17,15,127.30	0.00		Account No. 24	0.00
2,40,19,47,436.80	5	Interest received on Investment	2,32,24,77,798.88	33,74,77,81,432.87	3	Closing Balance as on 31-03-2021	35,96,89,64,038.08
2,828.52	6	Interest on Savings Bank A/c	1,657.72				
	7.	Other receipts in :					
3.00		Account No. 22	0.00				
3,253.26		Account No. 24	0.00				
34,12,38,94,890.71		**TOTAL**	**36,35,01,83,706.60**	**34,12,38,94,890.71**		**TOTAL**	**36,35,01,83,706.60**

Sd/-

(HEMANT JAIN)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(MUKHMEET S. BHATIA)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Employees' Provident Fund Organisation

Schedule forming part of the Accounts for the period 2020-21

Schedule 44: Significant Accounting Policies:

1. **Accounting Convention**

The financial statements are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting as recommended by Government of India.

2. **Investments**

(A) The policy of Accounting of ETF investment is pending for approval from the Government of India and will be applicable after notification of proposed amendment in Schemes under EPF & MP Act., 1952. At present, ETF investments are accounted at 'Cost Price'.

(B) The investment in debts securities has been valued at amortized value as per the revised accounting policy for investments as approved by Central Board in its 178th meeting held on 27.01.2007.

3. **Fixed Assets**:

3.1 Till 2015-16, Land & Buildings were shown together; however in new format land is separately shown for 2015-16 onwards. Land is classified as leasehold land and freehold land.

3.2 Expenditure on all items costing more than Rs. 5,000 and having useful life more than one year is considered as capital expenditure and Depreciation on these assets will be treated as expenditure for the year.

3.3 Fixed Assets are valued at historical cost.

3.4 All assets except Land and Building, acquired before 01.04.2015 (Date of switching from cash basis to accrual basis of accounting) have been valued at nominal price @ Re. 1 per item.

Explanation:

Till F.Y.2015-16, only Land & Building were considered as Fixed Assets, but in new system all the items falling under definition of Fixed Assets are treated as Fixed Asset and depreciation

is charged accordingly. Prior to 01.04.2015 all the assets (except Land and Building) purchased and booked as expenditure in the respective years, are valued at Re. 1 per asset and accounted for as opening assets. This is done as per guidelines of Indian Government Financial Reporting Standard (IGFRS) issued by Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB) constituted by C&AG of India with the support of Government of India which is working on migration to accrual basis accounting in Union and State Government organisations.

4. Depreciation

4.1 Depreciation on fixed assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in the Companies Act, 2013 (as amended).

4.2 Full rate of depreciation is provided on fixed assets, which have been used for 180 days or more and at half rate is provided if it is used for less than 180 days during the year.

4.3 On leasehold buildings such as buildings acquired from government agencies or lump sum payment for specified number of the year of lease, depreciation is provided on Straight Line Method with reference to lease period.

4.4 The lump sum lease amount paid on lease hold land is amortised proportionately every year over the lease period of the holding.

4.5 On freehold building depreciation is first applied for the period from date of acquisition to 01.04.2015. There after normal process of depreciation is being followed as per depreciation chart provided.

(Ref. Accounting Standards-6 and10)

Explanation: Depreciation Rate chart as per Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013 is being followed for calculating depreciation.

5. Government Grants/Subsidies:

Government Grants/contribution due for the Employees' Pension Scheme and Employees Provident Fund Scheme is accounted on accrual basis.

6. Employees Dues:

6.1 The salary payable to staff for the month of March shall be treated as expenditure of same financial year on accrual basis, irrespective of actual date of payment.

6.2 The interest, on advances paid to staff will be equally distributed in the period of recovery irrespective of recovery period of the interest.

7. Lease

7.1 Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

7.2 Rent on hired buildings, payable by the end of the year shall be accounted on accrual basis and provision to that extent shall be made.

8. Interest Income

8.1 Interest income on investment pertaining to the year will be treated as income of that year.

8.2 As actual amount is not received it will be shown proportionately, as receivable in the account head "Interest accrued but not due".

8.3 Interest accrued and due but not received on investments are accounted on accrual basis from 2015-16 onwards.

9. Retirement Benefits:

9.1 EPFO maintains separate funds for staff Pension-cum-Gratuity. The liabilities of the EPFO on the account of such items are accounted on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to funds on account of actuarial valuation is accounted for as expenditure or income, as the case may be, of EPFO in the year of addition or deletion. According to the provisions of Accounting Standard-15, the employees' benefits should be accounted for as per the Actuarial Valuation and as per provisions. The cost of retirement benefits should be accounted for during the period for which the services are rendered.

9.2 Leave encashment paid during the year shall be treated as revenue expenditure of that year.

10. Revenue Recognition:

In case of any recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis. Other disclosures with regard to assessment under section 7A, damages levied under section 14 B and interest levied under section 7Q of the EPF & MP Act, 1952 is disclosed in notes to accounts.

11. Advances to contractors/ Agencies for building construction:

Advances given for construction work will be treated as current asset and will be initially shown as "'Advance to contractors/ agencies''. On the basis of measurement at the end of the year the amount will be transferred to the head '"Capital work in progress" to the extent of the work has been executed, but yet to be finally completed.

****

Schedule 45: Contingent Liabilities and Notes on Accounts:

1. **Contingent Liabilities:**

S. No.	Contingent Liability	Current year (Rs.)	Previous year (Rs.)
1.	Claims against the entity not acknowledged as debts.		
(a)	Goods & Service Tax (formerly, Service Tax)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

Status of cases of Goods & Services Tax (formerly, Service Tax) as on 31-03-2021:

S. No.	Period Covered	ST demand & Nature	Status
1	2010-11	2,16,32,19,135.00	Being aggrieved with the O-I-O dated 21.08.2012 Notice filed an appeal before the Hon'ble CESTAT, Panchkula
2	2009-10	1,74,75,41,733.00	Being aggrieved with the O-I-O dated 26.11.2015 Notice filed an appeal before the Hon'ble CESTAT, New Delhi and the appeal has finally been heard on 02.05.2019 and order is reserved which is likely to be pronounced soon.
3	2011-12	2,73,05,33,957.00	
4	2012-13	3,41,89,46,448.00	
5	2013-14	3,02,01,34,524.00	
		13,08,03,75,797.00	

2. Capital Commitments

Estimated value of contracts remaining to be executed at the end of F.Y.2020-21, on capital account and not provided for is Rs. 32,686.85 Lakh. At the end of previous year it was Rs. 31,076.14 Lakh

NOTES ON ACCOUNTS

I. Adoption of Common Format of Accounts:

The Accounts have been prepared in Common Format of Accounts approved by CAG of India and notified by Government of India vide G.S.R. No.284(E), G.S.R. No.285(E) and G.S.R. No.286(E) dated 04-04-2019.

II. Prior period Income & Expenditure

The Income and Expenditure Accounts includes the prior period income for a sum of Rs. 50.41 Crore and expenditure for a sum of Rs. 63.66 Crore

III. Recovery of statutory dues:

1. Total statutory dues assessed under EPF & MP Act, 1952 and due for realization under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q as on 31st March, 2021 are tabulated as under: -

S. No.	Name of the scheme	Total arrear amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q (in Rs. in lakh) as on 31.03.2021		Total arrear amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q (in Rs in lakh) as on 31.03.2020	
		Arrear	Penal Damages/ Interest	Arrear	Penal Damages/ Interest
1.	Employees Provident Fund	391,830.46	205,763.79	345,414.21	216,675.47
2.	EPF Admn. Fund	32,256.19	14,730.74	26,692.94	15,416.44
3.	Employees' Pension Fund	208,200.53	104,704.26	181,900.83	107,154.93
4.	Employees Deposit Link Insurance (EDLI) Fund	17,301.23	7,953.69	16,668.11	9239.55
5.	EDLI Admn. Fund	681.12	308.20	474.28	383.67
Total		**650,269.53**	**333,460.68**	**571150.37**	**348870.05**

(Source MIS)

2. Realisable category amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q, and recovered through demand/recovery notices issued to employers, is recorded on cash basis.

3. Due to uncertainty of recovery and unable to quantify the exact amount of recovery before completion of proceedings, the recognition of revenue should be postponed as per provisions of Accounting Standard-9 with respect to revenue recognition. Further, on receipt of actual contributions amount are to be credited in EPF member's account and not on due basis.

IV. EMPLOYEES PENSION FUND:

Employees' Pension Fund actuarial valuation report has been submitted for 31-03-2016 and 31-03-2017, and has been accepted by the Government. The valuation results as on 31.03.2017 are as under:

Valuation Results:

Net Liability Bifurcation	**Amount in (Rs. Crore)**
(a) Present Value of all the benefits	7,37,700.57
(b) Present Value of contribution	4,03,756.28
Net Present value of all benefits (C)=(a)-(b)	3,33,944.29
Corpus as on 31-03-2017 (d)	3,18,412.38
Net Liability (c)-(d)(Actuarial Shortfall)	15,531.91

The Employees' Pension Fund actuarial valuation for 31-03-2018 and 21-03-2019 has been completed by the Actuary and the draft report is under consideration with the Government.

The RFP for appointment of Valuer for valuation of the Employees' Pension Fund as on 31.03-2020 & 31.03.2021 has been approved by the Government and the same is under process.

V. EMPLOYEES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME:

Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Fund was last valued as on 31-03- 2019 and the valuation results are as under:

	Amount in (Rs. crore)
Net Liability (a)	10,779.34
Less Fund (b)	27,234.66
Surplus after Fund (b)-(a)	16,455.32

A number of amendments have been approved by the CBT, EPF for enhancing the benefits

payable under the EDLI Scheme, 1976. These are listed as below:

1. Increasing the maximum assurance benefit payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 to Rs. 7 lakh.
2. Extending the minimum assurance benefit of Rs. 2.50 lakh payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 w.e.f. 15.02.2020.
3. Extending the benefit payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 to beneficiaries in respect of deceased member who has been a member of the Fund for a continuous period of 12 months preceding the month in which he died.

The above amendments have been proposed for a period of three years from their date of notification and thereafter to be reviewed as per the financial position of the EDLI Fund. The above are under consideration with the Government.

Considering above proposed scheme amendments, the financial position of the EDLI Fund (as on 31.03.2019) shall be as under :-

	Amount in (Rs. crore)
Net Liability (a)	27099.38
Less Fund (b)	27234.66
Surplus after Fund (b)-(a)	135.28

VI. MEMBERS'ACCOUNTS:

(A) In-operative Accounts: The definition of Inoperative Accounts u/p 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. Now the closing balances of In-operative accounts are being shown on the basis of system generated report at the end of the Financial Year. The amount in 'Inoperative Accounts' is Rs. 3,930.85 Crore and No. of such accounts is 11,72,923 as on 31-03-2021.

(B) Irregular payments, and Overpayments :

As on 31.03.2021, a sum of Rs. 8.35 crore and Rs. 2.96 crore were the closing balance under the heads "Irregular Payment" and "Overpayments" respectively, taken on the basis of figures reported by Regional Offices. After detection of over payments or irregular payments, the loss is made good by officials responsible for the same. These payments are properly accounted for and monitored by a duly constituted Over Payment Review Committee. The field offices have also filed civil suits/criminal proceedings against the employees of the Organisation as well as outsiders for the recovery in such cases. Moreover, the Internal Audit Parties have been suitably

directed to take up the issue relating to overpayments & irregular payments during the audit of the field offices."

VII. INVESTMENTS:

(A) Investments pending for realisation-

The details of investments showing yet to realise principal amount and interest thereon along with the action taken by EPFO is annexed as Annexure 'A'

(B) Refund of TDS:

A sum of TDS of Rs. 8.37 crore had been erroneously deducted and deposited in the Income Tax Department during 1997-1998 to 2005-2006. The matter has been taken up with the Secretary MOL&E vide U.O. Note dated 20-06-2018 proposing therein that issue may be taken up at level of Hon'ble Minister of Labour and Employment of the Government of India with Hon'ble Minister of Finance of the Government of India for issuing necessary directions to the Income Tax authorities for refund of Rs. 8,36,98,105.70 along with interest at the earliest. Under Secretary to Govt. of India, MOL&E vide letter dated 16.07.18 has requested to furnish the information relating to Details of Tax Deductions and the amount of tax deducted date wise and tax wise certificate nos. and date of each certificate.

(C) Difference between the figures of Investments:

A difference of Rs. 1916.12 Crore has been noticed in figures of Securities transferred by Exempted PF trusts to CBT on cancellation of exemption during 2020-21, reported by Regional Offices and figures of accepted securities shown by Investment division. Similar pattern has been noticed in Annual accounts of previous years also.

(D) The market value of amount invested in ETF as on 31-03-2021 was Rs.1,60,017.14 Crore.

VIII. SUSPENSE ACCOUNTS:

Suspense Account (EPF), Schedule No.5 (Current Liabilities and Provision	
Opening Balance	**709,186,903.85**
Add: Amount remained unclassified during the year	3,66,86,81,784.36
Total	**4,37,91,02,464.21**
Less: Amount cleared during the year	3,71,85,02,528.34
Closing Balance	**65,93,66,159.87**

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 15 (Current Liabilities and Provision)	
Opening Balance	**290,648,036.77**
Add: Amount remained unclassified during the year	2,32,95,60,180.44
Total	**2,62,02,08,217.22**
Less: Amount cleared during the year	2,32,36,05,086.01
Closing Balance	**29,66,03,131.21**

Suspense Account (EPF), Schedule No. 19 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	**1,123,354,668.95**
Add: Amount remained unclassified during the year	41,22,82,358.85
Total	**1,53,56,37,027.80**
Less: Amount cleared during the year	25,87,51,916.06
Closing Balance	**1,27,68,85,111.74**

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 28 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	**223,255,966.06**
Add: Amount remained unclassified during the year	17,74,77,077.04
Total	**40,07,33,043.10**
Less: Amount cleared during the year	17,51,77,294.95
Closing Balance	**22,55,55,748.15**

IX (i)-PMRPY and PMPRPY:

PMRPY and PMPRPY Schemes are flagship incentive schemes of Government of India for the generation of new employment in private sector. These schemes were launched during October, 2016 for which, the Government provides grant-in-aid through the Bank Account of EPFO at Indian Bank for this purpose.

PMRPY Scheme provides for reduction of employers responsibility of pension contribution with respect to newly inducted Provident Fund members. EPFO is directly reimbursed the deducted amount from the above mentioned bank Account.

Government of India will pay full employer's contribution (EPF & EPS both) as admissible from

time to time w.e.f. 01-04-2018 for a period of three years to the new employees and to the existing beneficiaries for their remaining period of three years through EPFO. The terminal date of registration of beneficiaries through establishment is 31st March, 2019 (amendment in PMRPY was done by Government through Office Memorandum DGE-U-13015/01/2016-MP(G) dated 12-04-2018). PMPRPY scheme designated for textile sector employees had been discontinued and balance lying in account has been transferred to PMRPY scheme account.

Interest earned on savings Bank Accounts maintained for PMRPY and PMPRPY has been returned back to Government of India, while the unutilized grant-in-aid funds of both the schemes are lying in PMRPY and PMPRPY accounts separately opened for this purpose in Indian Bank. The details of the accounts is mentioned as under:-

S.No	**Details of PMRPY**		
1	Opening Balance (01.04.2020)		**353,825,133.00**
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E) 2.1 Fund Received from Govt. of India (MoL&E) 2.2 Fund Received from Govt. of India (MoL&E) of PMGKY 2.3 Amount Transferred from PMPRPY SCHEME Account of Unutilised Fund to PMRPY account	 12,55,15,00,000.00 18,50,00,00,000.00 18,38,04,746.00	
3	Interest Credited by Bank	2,57,98,498.00	**31,61,49,28,377.00**
	Less		
4	Subsidy to employers Amount transferred to PMGKY A/c	 18,50,00,00,000.00	
5	Upfront benefits Debited from PMRPY A/c to Indian bank collection A/c Bifurcation Account no.5 (PMPRPY) Account no.11 (PMRPY)	 3,38,36,62,273.00 8,59,46,76,539.00	
6	Interest Refunded to MoL&E, Govt. of India upto 2019-20 under GFR provisions	5,14,22,189.00	**30,52,97,61,001.00**
		Closing Balance	**1,08,51,67,376.00**

S. No.	**Details of PMPRPY**		
1	Opening Balance (01.04.2020)		**187,186,012.00**
	Add		

2	Fund received from Govt. of India (MoL&E)	0.00	
3	Interest Credited by Bank	4,727,832.00	**4,727,832.00**
	Less		
5	Subsidy to employers	0.00	
6	Interest Refunded to MoL&E, Govt. of India upto 2019-20 under GFR provisions	77,29,403.00	
7	Fund Transferred to PMRPY account	18,38,04,746.00	**19,15,34,149.00**
		Closing Balance	**3,79,695.00**

IX (ii)- PMGKY :

The Government of India on 26.03.2020 announced relief package under PMGKY for the poor to help them fight the battle against Corona Virus Pandemic. As part of the said package, the Central Govt. proposes to pay 24% (employees and employers share under EPF Act) of the monthly wages into EPF accounts initially for the next three months i.e march 2020, April 2020, May 2020. The scheme was further extended for next three months i.e June 2020 to August 2020 .

S. No.	**Details of PMGKY**		
1	Opening Balance (01.04.2020)		**0.00**
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E) 2.1Fund Transferred from PMRPY A/c 2.2 Fund received from TSA A/c	 18,50,00,00,000.00 7,17,83,40,832.00	
3	Interest Credited by Bank	6,64,44,927.00	
4.	Erroneously received credit	36,60,765.00	**25,74,84,46,524.00**
	Less		
5	Subsidy to employers **5.1** Upfront benefits Debited from PMRPY A/c to Indian bank collection A/c Account no.5 (PMPRPY) Account no.11 (PMRPY) **5.2** Directly credited to Beneficiaries A/c	 17,04,35,55,544.00 8,52,34,46,506.00 11,13,38,782.00	
6	Interest Refunded to MoL&E, Govt. of India upto 2018-19 under GFR provisions	0.00	**25,67,83,40,832.00**
		Closing Balance	**7,01,05,692.00**

IX (iii)- ABRY:

ABRY was launched on October 1, 2020 to incentivise employers for creation of new employment, restoration of loss of employment through EPFO. Under this scheme Central Govt. will credit the employees and employers share, under different conditions for the period of two years.

S. No.	Details of ABRY		
1	Opening Balance (01.04.2020)		**0.00**
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E) Fund received from TSA A/c	4,05,00,00,000.00	
3	Interest Credited by Bank	3,21,781.00	
4.	Erroneously received credit	0.00	**4,05,03,21,781.00**
	Less		
5	Subsidy to employers **5.1** Upfront benefits Debited from PMRPY A/c to Indian bank collection A/c	0.00	
		Closing Balance	**4,05,03,21,781.00**

X- Centralised Bank Collection Accounts:

EPFO has moved to Centralized Receipt of statutory contributions in Single Bank Account in Multiple Banks, during December, 2016 in place of earlier system of receipt in decentralized Five Collection Accounts of all the Regional/Sub-Regional Offices. Centralized Receipt of fund is being treated as under:

i. Erroneous Credit against duplicate TRRN is liability, which will be refunded in future. For accounting convenience it is shown in PF Scheme Account.

ii. Credited un-reconciled amount is treated as liability in EPF Scheme Account. Once the amount is reconciled it will be transferred to respective accounts as contribution.

iii. Credits by banks for testing of transaction are treated as Misc. Income in Income and Expenditure Account. Similarly bank charges are shown in Income & Expenditure Account of EPF Scheme.

iv. Closing balances of Single Collection Accounts is shown as bank Balance of EPF

Scheme (After adjustment of transactions of other Schemes and Administration Accounts).

XI. Fixed Assets (Schedule No.24)

(A) 'Other Fixed Assets comprise the assets such as Thermometer gun, pulse oximeter, table glass, sanitizer machine, Boundry wall of Office Land, Temporary shed ,Sony TV, AC & STABLIZER etc.

(B) The details of land not registered in the name of Employees' Provident Fund Organisation is as under:-

S. No.	Name of Zone/Office	Details of Land
1	Hyderabad	Sy No. 276/2 at Allwyn Colony, Kukatpally, GO MS No. 166 dated 17.06.2016
2	Head Office	The builtup office space of EPFO Head Office,14 Bhikaiji Cama place, Hudco Vishala Builidng was purchased from Hudco on lease basis but till date lease deed has not registed in the name of EPFO. The Book value of this Building as on 31-03-2021 is Rs.20,29,55,497.00 only after deprecipation.

XII. STAFF PENSION-CUM-GRATUITY FUND:

As per provision contained in Section 5-D of the EPF & MP Act, 1952 read with Employees Provident Funds (Staff & Conditions of service) Regulations, 1962, the officers and employees of Central Board of Trustees, EPF are eligible for pension-cum-gratuity benefits as applicable to the employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay. CCS (Pension) Rules, 1972 are applicable mutatis mutandis to the employees of EPFO.

Staff Pension-cum-Gratuity Fund was created w.e.f.1st April, 1965 to enable the CBT, EPF to adequately discharge its pension and gratuity payments liabilities towards its employees. The fund is fed from the surplus of administrative charges levied on establishments. The CBT, EPF in its 174th meeting held on 23.02.2006 had approved the proposal to increase the contribution to 21% of total emoluments from 12.4% of total emoluments being transferred prior to 23.02.2006 by way of monthly transfer. The CBT, EPF in the said meeting had, inter alia, recommended that Pension-cum-Gratuity Fund may be valued by the actuary on bi-annual basis.

The actuary has submitted its report for 2019-20 and the total Projected Benefit Obligation (PBO) is tabulated below:

(Rs. in crores)

(i)	Pension	11406.84
(ii)	NPS(Family Pension in death cases)	558.34
(iii)	Gratuity	1058.37
(iii)	Total liabilities (i) + (ii)+(iii)	13023.55
(iv)	Available balance as on 31.03.2021	12460.14
(v)	Deficit (iii) – (iv)	563.41

The report of the actuary has been approved by the CBT, EPF in its 226th meeting held on 05-03-2020.

XIII- Addition/deletion of any head

In case any exigency due to policy decision or statutory requirement, if new head of Account is required to be added/deleted the same shall be done with authorization from competent authority which shall be FA & CAO, EPFO.

Sd/-
(Hemant Jain)
FA & CAO

Sd/-
(MUKHMEET S. BHATIA)
Central P.F. Commissioner

ANNEXURE-A

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF OUTSTANDING DEFAULT OF INTEREST & MATURITY AS ON 31st MARCH,2021

S. No.	Name of establish-ment	Principal (Face Value of Security) in default	Interest due but not received	Present status
1.	M/s Uttar Pradesh Financial Corporation (Since 1st April, 2004)	Nil	45,38,17,159.95	Due to failure of UPFC to comply with the interim order of Hon'ble High Court of U.P.(Lucknow Bench) for payment of the principal amount, Contempt petition was filed in the High Court by RPFC, SRO, Lucknow vide Writ petition No. 1760. The Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad has passed the judgement in favour of EPFO vide order dated 27.07.2018. In compliance with the direction of the order of Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad in The Central Board of Trustee EPF Vs. State of U.P. (W.P. No.1760), UPFC has paid the Principal amount of Rs.25 crore on 27.08.2018. Standard Chartered Bank, Custodian vide e-mail dated 07.09.2018 & RO, Lucknow vide e-mail dated 10.09.2018 has confirmed that Standard Chartered Bank (SCB) has received of Rs. 25 Crore pertaining to UPFC Securities. Apart from that UPFC has paid Rs.27,60,00,00,000/- only as claim for interest on 05.12.2018. In this connection, The Principal Secretary, Deptt. of Infrastructure & Industrial Development, State of U.P., Civil Secretariat, Lucknow vide this Office letter dated 10.05.2019 has been requested to issue necessary direction for early payment of remaining overdue interest amount. **Remarks – Rs.25,00,00,000/- as Principal amount has been received from UPSFC on 27-08-2018.** **Remarks – Rs.27,60,00,000/- as Interest amount has been received from UPSFC on 05.12.2018.**

2.	M/s Richard & Cruddas (RCL) (Since March, 2002)	Nil	4,07,74,162.39	EPFO had taken decision to file writ petition to recover the dues. Lawyer requested EPFO to reconsider the decision. EPFO has written a letter to SCB on 25.07.2014 to collect the papers from the advocate showing that EPFO has filed its claim in BIFR case No. 509 of 1992 in respect of Richardson& Cruddas Limited (RCL) for the entire dues to be recovered. The matter has been taken up with Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises to ensure the payment of the delayed payment dues vide our letter dated 19-09-2016 and dated 17-03-2017. Further matter has been taken up with Chairman and Managing Director (R&CL) to take necessary action for payment of outstanding interest at the earliest vide letter dated 22-05-2017 & letter 09-11-2017 & DO letter dated 31-05-2018 to Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries. Further, a reminder Letter has also been sent to Joint Secretary, Department of Heavy Industries, Ministry of Heavy Industries, Govt. of India dated 05-04-2019 with the request to issue necessary direction for early payment of the outstanding overdue interest amount, SCB,Custodian has been directed to take follow up action.
3.	HMT Machine Tools Limited (HMT) BIFR Case. (Since, 1996)	Nil	3,29,54,230.53	Recovery suits have been filed in City Civil Court Bangalore. HMT has filed an application seeking stay further proceedings invoking section 22 of SICA. The case is still pending. Letter issued on 09-05-2013, 16-08-2014, 27-03-2015 and 05-05-2016 to advocate to furnish opinion on BIFR and to challenge the stay order and to intimate status report. Reminder has also been issued to RC, RO,Bangalore for furnishing the present status of case vide letter dated 29-05-2018 and 02-05-2019.
4.	M/s P.S.I.D.C. (Since 2013-accrued interest on delayed maturity	2,26,00,000.00	1,10,77,776.69	A D.O letter was sent to Chairman, PSIDC on 12-12-2014 to pay the defaulted amount. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary, Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT,EPF. Further reminder to Chief Secretary, Govt. of Punjab has also been issued on 16.08.2016. As no response was received, a D.O. was letter issued to Governor, RBI on 03.02.2017 to look into the matter on priority

	&interest payments are pending since 2004)			and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PSIDC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. Further reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 15-03-2017, 13-07-2017, 05-02-2018 and 21-05-2019 and Principal Secretary of Finance, Govt. of Punjab on 05-02-2018 and 21.05.2019. A D.O. letter is also issued to MD of PSIDC on 18.03.2020. Rs. 10 Lakhs received on 11-03-2020.
5.	M/s Punjab Financial Corporation (Since 2014)	51,20,000.00	8,74,144.14	A D.O letter was sent to Chairman, PFC on 12-12-2014 to pay the defaulted amount. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary, Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT ,EPF. Further reminder to Chief Secretary, Govt. of Punjab has also been issued on 16.08.2016. As no response received, D.O. letter issued to Governor, RBI on 03.02.2017 to look into the matter on priority and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PFC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. Further reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 27-04-2017, 19-9-2017,13-2-2018 & 4-12-2018, 08-05-2019 and M/s PFC on 27-04-2017, 19-9-2017, 16-2-2018, endorsement letter dated 08.05.2019. A meeting was held in the office of PFC at Chandigarh on 27.05.2019 which was attended by representative of SCB, Custodian and official of EPFO, in which the claim of EPFO was strongly put forward. It was decided that PFC would schedule a Secretary level meeting and communicate about the same to all the bond holders. The response of PFC is still awaited.
6.	M/s Infrastructure Leasing &	2,24,73,00,000.00	1,28,02,79,238.92	The government superseded the IL&FS board under section 241(2) of the New Companies Act, 2013 in Oct 2018. This section enables supersession of a company's board to prevent it

	Financial Service			from further mismanagement in order to protect public interest. Application has been filed before NCLAT by Debenture Trustee on behalf of all debenture holders, including EPFO on 8th February 2019. Vide the order dated 12.03.2020 the Hon'ble NCLAT has accepted the resolution mechanism, including a distribution scheme, of the corporate debtor proposed by the Union of India while simultaneously rejecting the contention of some of the creditors that the resolution must be made as per scheme of Section 53 IBC. Order dated 12.03.2020 has been challenged in SLP Dy No 41253/2019 and SLP Dy no 13094/2020 before the Hon'ble Supreme Court by Hindustan Zinc Employees Contributory Fund Trust. In consequence of the same the NCLAT has declined to pass interlocutory orders as evidenced from order dated 28.09.2020. Now, the matter is entrusted to Legal division to file an Impleadment application in Hon. Supreme Court to protect the interests of EPFO which is under process.
7.	M/s DHFL	6,00,30,00,000.00	1,60,39,02,857.86	The updated status of M/s Dewan Housing Finance Limited (DHFL) was placed in the 150th FIAC Meeting held on 26.07.2019. FIAC deliberated on the issue. It was decided that in case of DHFL, all out efforts be made to ensure deposit of the due early redemption amount, however, the same was not deposited by the due date as per M/s DHFL's commitment. Further, M/s Catalyst Trusteeship Ltd. (CTL), the Debenture Trustee (DT) had also sent a legal notice to M/s DHFL.RBI has appointed an administrator and proceeding has been initiated under IBC. Out of total Rs 1361.74 Crs worth bonds issued by M/s DHFL in EPFO's portfolio in Feb. 2019, Bonds worth Rs 800 Crs had an

				option of early redemption. On the downgrading of DHFL rating to AA- in the month of Feb. 2019, post approval of the FIAC and the Chairman CBT, the option of Early Redemption was exercised by EPFO and was communicated to PMs vide letter dated 16th May 2019. M/s DHFL vide its letter dated 24th of June, 2019 informed about the part remittance of Rs. 200 crores towards early redemption option of Rs. 800 Cr of bonds held by EPFO had committed that the remaining Rs. 600 Cr of the bonds would be made to EPFO by remitting Rs. 200 Cr plus due interest during July, August & September '19 respectively. However the balance amount has not been remitted by M/s DHFL to EPFO. RBI vide order dated 20/11/2019 has superseded the Board of Directors of DHFL & appointed Shri R. Subramaniakumar as Administrator. Application has been admitted by NCLT, Mumbai vide order dated 03/12/2019 and "Moratorium" as defined u/s 14 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 has been ordered. The IBC proceedings are underway and EPFO has authorised Portfolio Managers to represent on behalf of EPFO in the meetings of Committee of Creditors, periodic meetings of which is being held. Further, NCLT vide order dated 07th June 2021 has approved the Resolution Plan in respect of Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL). The COC approved Resolution plan submitted by Piramal Capital and Housing Finance Ltd has been approved by RBI on February 18, 2021.Competition Commission of India approved the Resolution Plan of Piramal on May 13, 2021. NCLT has approved the resolution plan on June 7, 2021.
8.	M/s Reliance	Nil	2,92,63,83,561.65	A letterp dated 03.06.2019 was sent to Reliance Capital for

	Capital			making suitable provisions for earmarking funds for servicing the interest and early maturity of EPFO bonds. An agenda item on the "Divestment of stake in Reliance capital AMC by M/s Reliance Capital" was placed in the 150th Meeting of FIAC held on 26.07.2019. FIAC deliberated on the issue & approved the proposal for taking up the matter with SEBI & Ministry of Corporate Affairs. It was also decided to direct M/s Reliance Capital to prematurely redeem the entire investment of Rs.2500 Cr made by EPFO in Reliance Capital NCDs. As approved by the FIAC, for taking up the matter of "Divestment of stake in Reliance Capital AMC by M/s Reliance Capital" with SEBI & Ministry of Corporate Affairs, letters dated 25.09.2019 to SEBI & Ministry of Corporate Affairs were sent regarding the violation of the debenture trust deed & the PMS agreement & request them to examine the same with request that necessary regulatory approval for stake sale by M/s Reliance Capital Ltd in M/s Reliance NAML may only be provided after due compliance of their obligations towards EPFO is made by the respective Companies i.e. M/s RNAM & M/s Reliance Capital Ltd. so that interests of EPFO are duly protected. The DT has filed original application in the Debt Recovery Tribunal against the company on 30th November 2019. An e-mail dated 13.03.2020 has been received from the DT regarding joining of steering committee of debenture holders in the matter of Reliance Capital Limited to have a concerted approach for decision making and accordingly the steering committee has been constituted as informed by the debenture trustee. Multiple litigations have been filed by various investors and subsequent injunctions have been provided by the courts. The largest asset in the book, Reliance General Insurance is pledged

				to the Credit Suisse, wherein the pledge has been invoked by the IDBI trustee. SAT order of directing RCAP to provide information to Credit Suisse has been challenged by the RCAP in Hon'ble Supreme Court.In absence of regulatory intervention in this matter, the resolution would largely depend on the outcome of these litigations/ court cases. An Asset Monetization Committee has been proposed by the DT for furthering the resolution process however certain clarifications have been sought from the DT. AMC participating member must execute Non-Disclosure Agreement (NDA) as the AMC members would have access to (i) unpublished price sensitive information; and/or (ii) other confidential information pertaining to RCL and the Asset Monetization Process. Further, in the commercial suit filed by Vistra ITCL (India) Limited before the Bombay High Court, Vistra on behalf of debenture holders appraised the Court that RCap is in default with respect to secured debentures of over Rs 16,000 crore which are secured by charge overall assets of RCap including the shares it held in Reliance General Insurance Company Ltd. (RGIC). After hearing all the arguments of both parties the court indicated that it was inclined to allow the sale of RGIC shares in order to monetize the asset for recovery of the outstanding dues by way of third party process manager under the supervision of the court in order to maintain neutrality. EPFO has highlighted the legal complications involved in the matter and issued reminders to MCA, RBI, SEBI and MoF for taking appropriate action for initiating IBC proceedings and such other actions necessary for protecting the interests of EPFO and its subscribers.EPFO has also requested MoLE to follow up with the above agencies and also to guide if criminal complaint

				against the RCap and or the DT may be initiated.
9.	NINL	2,50,000.00	13,169.86	Vide e-mail dated 20.02.2021M/s SCB has informed non receipt ofInterest and maturity in respect of 10.45pc Neelachal Ispat Nigam NCD Red 19Feb21 FV INR1000000 for Rs. 263,169.83. M/s SCB has written a letter dated 23.02.2021 to Neelanchal Ispat Nigam Ltd(NINL) to pay the outstanding amount on an urgent basis. Further, Indian Bank acting as the Debenture Trustee of the said issue, vide letter dated 22.02.2021 also requested M/s NINL to clear the outstanding amount immediately while keeping in copy M/s MMTC, the corporate guarantor of the said issue. In this regard the replies received from M/s NINL 24.03.2021 and M/s MMTC Ltd letter dated 24.03.2021 in which they have asked for more time to pay the outstanding amount. As a result, vide letter dated 26.03.2021 addressed to M/s MMTC, Indian Bank has invoked Corporate Guarantee issued by M/s MMTC Ltd. in favour of Indian Bank Main Branch, New Delhi in respect to NINL Bonds 2021 ISIN INE514F07075 issued by M/s Neelachal Ispat Nigam Limited. An email dated 12.04.2021 is received from SCB regarding Notice of the 01st Meeting of the Bondholders of Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL 2021 Bonds, ISIN –INE514F07075) which is scheduled to be held on 30.04.2021. In the said meeting the dissent or assent on the proposed enforcement of security interest in favour of Indian Bank (Debenture Trustee) has been sought from the bondholders. EPFO has sent its consent through SCB, Custodian to Debenture Trustee to initiate enforcement of security/legal proceedings for recovery of default amount.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Employees' Provident Fund Organization for the year ended 31 March 2021.

SEPARATE AUDIT REPORT-OBSERVATIONS	COMMENTS OF THE ORGANISATION
We have audited the attached Balance Sheet of Employees' Provident Fund Organization (EPFO) as at 31 March 2021, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.These financial statements include the accounts of Head office, 22 Zonal offices (ZO) including 136 Regional offices (ROs), Pandit Deen Dayal Upadhyay National Academy of Social Security (PDUNASS). Out of these, accounts of Head Office, six ZOs and thirteen ROs were audited, and comments have been suitably included in this report. These financial statements are the responsibility of the EPFO's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.	1. No Comments, being factual.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.	2. No Comments, being factual.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.	3. No Comments required.

4. Based on our audit, we report that: **i.** We have obtained all the information and explanations, subject to the observations in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit; **ii.** The consolidated Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up by EPFO in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance subject to the observations in the report; **iii.** In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the EPFO as required under Section 5A (5) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 in so far as it appears from our examination of such books; **iv.** We further report that:	4. No Comments, being factual.
A. Balance Sheet **A.1 Capital fund and Liabilities** **Building Construction Fund (Schedule-12)** Schedule - 12 in Liabilities shows Building Construction Fund of ₹887.25 crore. EPFO stated that this fund was created to make provision for construction of office buildings, staff quarters etc., and an amount of ₹887.25 crore was provided up to 2013-14. Thereafter, no provision was made as the expenditure on construction work is being met out of capital budget provided on year-to-year basis. During the audit of accounts for the year 2019-20, Further, Audit observed that as this fund is no longer being used for construction work it may be written back in accounts. EPFO accepted the observation and replied that action has been initiated to transfer the balance to Income & Expenditure account after due process and approval of competent authority. **During the audit of accounts for the year 2020-21, it has been observed that no remedial action has been taken by EPFO.**	**A. Balance Sheet** **A.1 Capital fund and Liabilities** **Building Construction Fund (Schedule-12)** The action is being taken in this regard and file is under process of the approval of Competent Authority.
A.2 Assets **A.2.1 Reconciliation of differences in value of Investments** During the audit of EFPO for the year 2020-21, amount of ₹1916.12 crore has been shown under the head 'Amount under reconciliation'. The details/categories of the figures with details booked under the head reconciliation in the investments with the	**A.2 Assets** **A.2.1 Reconciliation of differences in value of Investments** In this regard, the amount under reconciliation has been identified and has been rectified in the Annual Accounts 2021-22.

matching entries alongwith supporting documents were not made available to audit. EPFO replied that the details of the differences will be rectified after the completion of reconciliation process. In view of this, audit could not derive assurance about accuracy and transparency of amounts of shown under reconciliation.

A.2.2 Investments in Public Accounts (Schedule 20, 22)

The following balances relating to investments in Public Accounts are appearing in the Schedules of Investments of EPFO as detailed below:

(Amount in ₹ Crore)

Schedule No. 20

Employees' Pension Fund -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/ Cost value			Amortized / Cost Value	Face Value
1	Public Account	144782	144782	20012	1683	163111	163111

Schedule No. 22

Employees' Deposit Linked Insurance Scheme -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value			Amortized/ Cost Value	Face Value
1	Public Account	11115	11115	944	0	12059	12059

The document provided did not match with the amount invested or cost of amortisation during the year. This was also pointed in 2019-20.

In view of this, audit is unable to verify the correctness of the amounts appearing under the head Investment in Public Account in Schedules 20 and 22 of Annual Accounts.

A.2.2 Investments in Public Accounts (Schedule 20, 22)

The Cost of Amortisation is the difference in amount invested in the public account was on account of revision of Interest paid by MoL&E to EPFO. MoL&E has revised interest on balance kept in public account in funds of EPS Scheme, 1995 from Rs.10,568.06 Crore to Rs.8,884.52 Crore (for the FY 2018-19) vide letter No. G-20015/1/2018. SS-II dated 01.01.2020 This resulted into a difference of interest of Rs.1,683.54 Crore (Rs.10,568.06 Cr. – Rs. 8,884.52 Cr) which has been mentioned in Scheduled No. 20 of Annual Account of 2020-21, is due to difference of interest as explained above.

The correctness of amount may be verified from the Closing balance/ provided by MoL&E for the FY 2020-21 vide mail dated 02.06.2022 will be provided to Audit party during next visit.

A.2.3 Investments (Schedule - 25 and 29)

This is in reference to comment No. A.1.5 of last year Report, there was difference in the amount of investments in Special Deposit Account as shown in accounts and as confirmed by the Pay and Accounts Office as detailed below:

A.2.3 Investments (Schedule - 25 and 29)

The available Bank Certificates of past 10 years have been checked and no difference has been found, hence this difference pertains to the long back period. The necessary action/efforts by concerned Division are being taken to search/obtain the certificates for the period before 2009-10.

(Amount in ₹ Crore)

Schedule no.	Amount shown in accounts	Amount as intimated by Pay and Accounts office	Difference
25 -EPF Administration Fund – Investments Special Deposit Account	26917	26924	-7
29 -EDLI Administration Fund – Investments Special Deposit Account	3505	3503	2

EPFO replied that the matter would be taken up with Reserve Bank of India for the reconciliation of difference in Balances. **However, no remedial action has been taken by the EPFO.**

A.2.4 Fixed Assets (Schedule - 24)

A.2.4.1Differences in opening balances of Fixed Assets

During verification of opening balances of Fixed Assets from closing balances of previous year accounts, the following differences were noticed:

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Fixed Asset	Gross Block			Depreciation	
		Closing balance of 2019-20 (Cost/valuation at the end of the year 31.03.20)	Opening balance of 2020-21 (Cost/valuation at the beginning of the year 01.04.21)	Difference	Closing balance of 2019-20 (Accumulated depreciation at the end of the year 31.03.2020)	Opening balance of 2020-21 (Accumulated depreciation at the beginning of 2020-21)
1	Land					
a	Free hold land	67.01	66.42	0.59	0.04	0.42
b	Lease hold land	22.16	22.90	-0.74	3.94	3.82

A.2.4 Fixed Assets (Schedule - 24)

A.2.4.1Differences in opening balances of Fixed Assets

The Audit observation has been noted and complied in Annual Accounts 2021-22. Also all the accounting units have been directed to take the opening balance of each head, same as the closing balance of last year and do the adjustments through journal entry, if any.

2	Building					
a	Building-Office	238.41	227.14	11.27	40.50	38.65
b	Lease hold Building-Office	80.14	77.10	3.04	22.19	20.14
c	Building-Residential	78.78	85.78	-7	24.60	24.12
d	Lease hold Building - Residential	15.32	20.31	-4.99	5.39	8.01
3	Plant Machinery and Equipment	0.99	0.98	0.01	0.38	0.37
4	Vehicles & Motor Car	1.86	1.80	0.06	0.90	0.84
5	Furniture & Fixtures	24.03	24.13	-0.10	6.12	5.65
6	Office Equipments	9.20	9.10	0.10	3.41	3.31
7	Computers/ Peripherals	86.97	86.83	0.14	56.35	56.09
8	Electrical Installations	4.37	4.35	0.02	1.20	1.19
9	Library Books	0.36	0.36	00	0.02	0.01
10	Tube well & Water supply	0.20	0.19	0.01	0.10	0.10
11	Other Fixed Assets	2.46	2.10	0.36	0.63	0.26
12	Computer Software	1.55	1.55	00	0.21	0.21

Similar observation (Comment No. A.1.6.i) was issued to EPFO on accounts of EPFO for the year 2019-20. **However, no remedial action has been taken by the EPFO**.

A.2.4.2 Depreciation on Freehold land

Schedule - 24 (Fixed Assets) shows the following details of freehold land and depreciation thereon

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	**Depreciation**			
	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the year end
Land				
Free hold land	0.42	-	-	0.42

During the previous year, audit pointed out the similar observation (Comment No. A.1.6.ii) that there is no provision for charging depreciation on Freehold land either in Company Act or in Income Tax Act. Hence, it was irregular to charge depreciation on freehold land.

In this regard, EPFO admitted the error and replied that the depreciation wrongly charged on freehold land would be reversed and adjusted during the financial year 2020-21.

However, during the audit of EPFO for the year 2020-21, audit observed that no remedial action has been taken by the EPFO.

A.2.4.2 Depreciation on Freehold land

As per the observation, the wrongly charged depreciation has been reversed and adjusted in the Annual Accounts of the current Financial Year 2021-22. The audit team may verify the same during their next audit.

A.2.5 Closing balances of ETF Investments (Schedule – 18 and 20)

During the audit of accounts for the year 2020-21, EPFO provided the closing balances of ETF as per holding certificate issued by Standard Chartered Bank (proper holding certificates issued by Standard Chartered Bank was not provided to the Audit), however, even these balances do not match with the closing balances of ETF Investments appearing in Investments Schedule 18 to 27. Details are as under:

Schedule of investment	**Name of Account as per certificate**	**Difference in crore**
18	CBT-EPF-05-V-DM	13.50
20	CBT-EPF-11-V-DM	13.56

Hence, in the absence of proper holding certificate issued by Standard Chartered Bank, the authenticity of balances provided by the EPFO could not be verified by

A.2.5 Closing balances of ETF Investments (Schedule – 18 and 20)

The holding statement as received from the Custodian for FY 2020-21 has already been provided to Audit Cell (SAR).

On the basis of the Holding Statement from Custodian, the holding (ETF) as on 31.03.2021 is as follows:

Schedule of investments	Account No.	Closing Balance (Amount in Rs.) as per Custodian
18	5	768,116,942,291.03
20	11	421,521,752,497.32

Audit and we have not been able to reconcile the figures. The reconciliation should be made with the figure as per certificate of bank and accounts.	26 | 8 | 1,093,207,221.94 Total | 1,190,731,902,010.29 On perusal of annual account and custodian holding for the past 5 years, it is found that the difference between holding as per annual account and holding as per custodian is because of erroneous data provided by consultant in respect of purchase of ETF units in FY 2017-18 for certain dates and it was carried forward as it is. Further it is informed that the total amount which is in excess in Schedule 18 and Schedule 26 as per the certificate is falling short by the same amount in the certificate for schedule 20. This erroneous data was recently brought to the notice and now being rectified while preparing the annual accounts for FY 2021-22
A.2.6 Amounts pending/settlement There are several balances amounting to ₹1055.00 crore appearing in Balance Sheet pending reconciliation/settlement viz., amount in transit, amount transferred from one account but not credited to the other and vice versa, erroneous debits and credits in accounts, remittances in transit etc. Some of these balances are pertaining to period as early as 1976-77. Department may take urgent steps to reconcile and settle these balances.	**A.2.6 Amounts pending/settlement** It is to inform that before 2017 the collection were made on regional basis. Due to the large volume of transaction (approx 2.5 crores per year) some erroneous debit & credit entries occur in bank accounts, , which may be seen in the schedules entries of previous year still remain UN-reconciled due to unavailability of old records and various other reasons.
B. Income and expenditure account **B.1** The EPFO has discontinued funds of ₹270.08 crore pertaining to Investment Fluctuation account operated since 2006-07 and booked the amount under the head 'Excess Provision of Interest payable for earlier year – written back (Investment Fluctuation Fund written back)' in Schedule 31 of Income & Expenditure Account. The investment fluctuation account written back was pertaining to the earlier period and the amount to be disclosed separately under prior period adjustment in the Income and Expenditure account. This resulted in overstatement of Income by ₹270.08 crore during 2020-21.	**B. Income and expenditure account** **B.1** The amount lying under Investment Fluctuation Fund have been added back in the Interest income since the same has been charged from this head. It has been done as per the decision taken by the Central Board of Trustees in its 227th meeting held on 09-09-2020 and CAG observation. This is the one time adjustment to written back the fund.
B.2 During the scrutiny of Income & Expenditure Account audit noted that there was difference in accrued interest on FDRs, as detailed below:	**B.2** The audit observation has been complied and there is no difference in the Annual Accounts 2021-22

(Amount in ₹ Crore) **Schedule 31 (EPF Cont. fund)** | **Amount as per accounts** | **Amounts as per bank certificates** | **Difference (- understated) (+ overstated)** Interest accrued on FDRs | 14.34 | 21.79 | (-) 7.44 The above difference needs reconciliation.	
B.3 Concurrent Audit Report of EPFO's Portfolio for the month of March 2021 states that "On verification of Expected and past Report of Custodian (SCB), it was observed that Interest and Maturity (including partial Maturity) amounting to ₹1410.09 crore (₹554.91 crore +₹144.20 crore + ₹547.20 crore + ₹163.78 crore) which was due in previous years has not been realized till 31.03.2021". Further, para ii (d) of the Financial Covenants and Conditions of the Bond Trust Deed provide that in the event of any default in the payment of interest and/or in the redemption of the Bonds and all other monies payable pursuant to this Agreement, the Company shall pay to the holder/s of the Bonds, further interest at the rate of 2 per cent per annum over the interest rate for the default in payment of interest, additional interest and/or principal amount till the dues are cleared. Audit noted that although position of the outstanding default of interest and maturity shown in the Notes on Accounts – VII (Investments) – A (Investments pending for realization). But accrued interest and penal charges due after the pay date (Maturities ranges from 15.01.2012 to 22.10.2020) was neither mentioned in the Notes on Accounts nor it was a part of the total amount claimed by EPFO	**B.3** The observation of Audit is noted and the necessary provisions have been included in the Balance Sheet of FY 2021-22.
B.4 In Income & Expenditure Account, ₹21787.32 crore and ₹1155.88 crore were shown as 'Interest received on investment during the year' under the Schedule – 34 (Interest Income during the year -EPS Contribution Fund) and Schedule – 36 (Interest Income during the year - EDLI Contribution Fund), respectively. However, the interest disclosed in accounts was calculated after the deduction of the overdraft of ₹21.23 crore from EPS Contribution Fund and ₹51.04 lakh from EDLI Contribution Fund accounts. Thus, netting of these overdraft charges was not good practice.	**B4**. The observation is noted and the interest on overdraft is separately booked in the annual accounts 2021-22. The audit party may verify the same.
B.5 Income -₹498.33 crore EPFO has received funds from Ministry against the arrears on account of scheme minimum pension of Rs. 1000/- and Government contribution @1.16 % under the EPS	**B.5 Income -₹498.33 crore** MoL&E has released an amount of Rs.1491.40 Crore for the year 2020-21 in respect of Minimum Pension of Rs.1000/- per month.

1995 time to time. During the year 2020-21, the EPFO has received contribution on minimum pension of ₹1491.40 crore against current year pendency of only ₹993.07 crore (₹900.27 crore –contribution & ₹92.80 crore - interest). The Income of prior period income of ₹498.33 crore should be booked in prior period income instead of current year.

EPFO has made expenditure of Rs.1491.40 Crore which includes Rs.993.07 Crore for the current year and remaining as part of pending arrears of Rs.641.62 Crore from previous year. The details are as follows:

Details of Minimum Pension of Rs. 1000/- (Amount in Rs. Crore)

Year	Opening Balance of Cumulative Arrear	Amount due from Central Govt.			Amount received from Central Govt.	Current Year Deficit	Cumulative Arrear
		Contribution	Interest	Total			
	a	b	c	d(b+c)	e	f(d-e)	g(a+d-e)
2020-21	641.62	900.27	92.80	993.07	1,491.40	498.33)	143.29

Amount due only in respect of FY 2020-21 (d=b+c): Rs. 993.07 Crore

Arrears (At the start of FY 2020-21) (a): Rs. 641.62 Crore

Total due (a+b+c): = Rs. 1634.69 Crore

Amount received during FY 2020-21 (e): Rs. 1491.40 Crore

Arrears for the next FY (a+d-e)= 143.29 Crore.

Hence, It can be seen from above details that the amount received in FY 2020-21 is against both the current year dues as well as past arrears.

The excess income of Rs. 498.33 Crore is not an overstatement, rather it is a payment towards past arrears (Rs. 641.62 Crore).

B.6 Loss on sale of ETF securities (Schedule - 42)

In Income & Expenditure Account, an amount of ₹2890.79 crore was shown under

B.6 Loss on sale of ETF securities (Schedule - 42)

(i) Rs. 6,09,882 - Security code 788869 is a ZERO Coupon bond of STG

the head 'Loss on Sale of ETF Securities/PY adjustments' as expenditure in EPF Contribution Fund. The disclosure pertains to the previous period which could be booked under the prior period in the Income and Expenditure account. Further, in this regard, EPFO replied that above amount is the sum of figures of ₹0.06 crore (remaining amount securities is being counted as interest income), ₹2686.51 crore (correction of disclosure of earlier years) and ₹204.22 crore (difference occurred due to the settlement of system). The reply is not acceptable as detailed records alongwith all the supporting documents were not provided to the audit.	category having face value Rs. 10,00,000 and purchase price Rs. 390118 as on 31.03.2020 which is matured in 2019-20 for Rs. 10,00,000 However, in the maturity report of 2019-20 maturity amount showed as Rs.390118 instead of 10,00,000 because remaining amount ie. Rs. 6,09,882 is being counted in interest income. So in order to arrive at correct holding as on 31.03.2021 this remaining amount ie Rs. 6,09,882 is added to the Maturity in STG in the schedule 18. (ii) Rs. 26,86,51,06,162.28 = Actual amount of ETF redemption in FY 2019-20 is Rs. 1,22,23,03,25,914.03, however redemption of ETF in 2017-18 for Rs. 26,86,51,06,162.28 was not accounted for in 2017-18 and therefore was not reflected in closing balance of balance sheet in 2019-20 which needs to be counted in order to arrive at correct figure as on 31.03.2021, so this amount is accounted for as maturity this year. (iii) Rs. 2,04,22,16,419.62 = The difference of Rs. 2,04,22,16,419.62 is occured due to the settlement system of t+1 day. Investment schedule shows the holding of Demat account whereas Receipt and Payment shows changes in balance of bank account. The said amount is the cost price of ETF which was sold on 30.03.2021, however the amount was realised in bank account on 03.04.2021. Therefore, the difference is appearing in the maturity amount of Investment Schedule and Receipt and Payment. This amount will appear in the Receipt and Payment A/c No. 5 of Investment for the year 2021-22.
C. Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule - 45) **C.1 Annual valuation of Employees pension Scheme** As per paragraph 32 of Employees Pension Scheme, the Union Government is required to get annual valuation of Employees Pension Fund conducted by a valuer appointed by it. Further, AS - 15 states that actuarial valuations are required at the end of every accounting period for the purpose of preparation of financial statements. Though the result and impact of annual valuation of 2015-16 and 2016-17 have been disclosed in the Notes to the Accounts but impact of ₹15531.91 crore of actuarial shortfalls have not been accounted for in the books of accounts. As per Notes on Accounts - IV, actuarial valuation for valuation for the year 2017-18	**C. Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule - 45)** **C.1 Annual valuation of Employees pension Scheme** The actuarial valuation under Para 32 is distinct from an accounting valuation as per actual. It may be mentioned that in respect of the combined net liability/deficit of Rs.15,531.91 crore in the valuation report for 2015-16 and 2016-17, it has been stated by the valuing Actuary in the report that the deficit in terms of present value is less than 2.50% of the total liability and is not a matter of concern. It is also a fact that the Employees' Pension Fund since its inception has never experienced any cash flow deficits and neither is such an eventuality anticipated in the near future horizon. As such there is no exigent need for sourcing funds to meet the actuarial deficits.

and 2018-19 has been completed and report is expected to be submitted shortly. Further, it states that "The RFP for appointed of Valuer for valuation of the Employees' Pension Fund as on 31.03.2020 and 31.03.2021 has been approved by the Government and the same is under process". In the absence of the non-accounting of impact of valuation of 2015 and 2016 in the books of accounts and concurrent valuation of the EPS, audit is unable to verify the correctness of the liabilities of EPS. Similar observation was issued to EPFO (Comment No. C) in respect of accounts for the year 2019-20, however, no remedial action has been taken by the EPFO.	Further, it must be stated that based on recommendations of the actuary and experience in operation of the fund, several measures by way of amending some of the provisions of EPS-1995 have already been taken while others are presently under consideration that are expected to have positive impact in reducing the deficit. Some of these measures are as under:- I. The membership of the fund has been restricted to employees whose wages at the time of joining is at or below the wage ceiling of Rs.15,000/- per month. II. The provisions available for contributing to the EPS on wages higher than the wage ceiling at the joint option of the member and the employer has been withdrawn thereby restricting liability on the EPS Fund. The contribution of 1.16% from the Government is also restricted only to such workers who join the scheme below the wage ceiling and only up to Rs.15,000/- III. Calculation of pension benefits taking into account the enhanced wage ceiling (from Rs. 6,500/- to Rs.15,000/- per month) w.e.f. 01.09.2014 are being done only prospectively and on pro-rata basis taking into consideration the spells of service prior to enhancement of wage ceiling and thereafter, thus safeguarding against any unintended leakage of benefits. IV. Calculation of pensionable salary, which is a factor in determination of benefits are based on an average of five years instead of the previously applicable average of 12 months wages. The above amendment were made vide GSR No 610(E.) dated 22.08.2014. The impact of the above amendments would be evaluated during actuarial valuation of subsequent years. As regards the valuation for the year 2015-16 and 2016-17, it is stated that the valuer/ actuary appointed by central government for valuation has already given his report and the same has been accepted by the Central Government. Actuarial valuation for the year 2017-18 and 2018-19 has been completed and report is under consideration with the Central Government. For appointment of Valuer for valuation of the Employees' Pension Fund as on 31-03-2020 and 31-03-2021, tender process was done thrice. The last/third round of tender was opened on 31.08.2021, wherein only one bidder qualified during Technical Evaluation Round. The price quoted by the single bidder was on much higher side. Matter was examined in consultation with Ministry. MoL&E vide letter dated 20.05.2022 has asked to float fresh tender and further also requested to start process for valuation of Employees' Pension

	Fund for the year 2021-22. Now fresh tender has been floated for appointment of valuer for valuation of the Employees' Pension Fund for 3 years (i.e. as on 31-03-2020, 31-03-2021 and 31-03-2022) and after the appointment of Valuer by Central Government, valuation will be undertaken on priority basis. The actuarial valuation under Para 32 is distinct from an accounting valuation as per actual. Regarding remedial action, the status/position is explained above
C.2 Significant Accounting Policy No. 9.2 states that Leave encashment shall be treated as Revenue expenditure of that year. This accounting policy is in contravention of paragraph 127 of AS-15 which provides that the provision for the leave encashment on retirement should be made on the basis of actuarial valuation. Similar observation (Comment No. D.1.1) on the accounts of previous year was issued to EPFO, however, no remedial action has been taken by the EPFO.	**C.2** The observation has been noted and a letter has been issued to the concerned section for the same.
D. General **D.1 Suspense Account – Non reconciliation** The Suspense Account figures in the various schedules of Annual Accounts of EPFO were shown during the year, as detailed below:	**D. General** **D.1 Suspense Account – Non reconciliation** The instructions were issued to all the offices throughout the country for reconciling the pending balances and it is being regularly monitored at ZO/HO level.

Schedule Number & particulars of Balance Sheet	Amount in ₹ Crore
Schedule 5 (Current Liabilities and Provision) **I – Current Liabilities** 2. Sundry Credits a. Suspense Account (unclassified) (EPF)	65.93
Schedule 15 (Admn. Fund) (Current Liabilities and Provisions) **I – Current Liabilities** A. Regional a. Suspense Account (Admn. Fund)	29.66
Schedule 19 (Current Assets, Loan & Advances) **I – Current Assets** 4. Sundry Debits a. Suspense Account (Unclassified) (EPF)	127.68

Schedule 28- Admn. Fund (Current Assets, Loan & Advances) 3. Sundry Debits a. Suspense Account (Admn. Fund) 22.56 These large balances were the erroneous debits/credits pertaining to the earlier years and kept under suspense accounts. These need to be reconciled with the ROs and adjusted in the appropriate heads.	
D.2 In annual accounts of RO, EPFO, Sagar following discrepancies were noticed – **D.2.1** Scrutiny of annual accounts of RO, EPFO, Sagar revealed a negative balance of ₹397.52 crore under Schedule – 4 of Balance Sheet. EPFO replied that the same will be corrected in next financial year.	**D.2** **D.2.1** Annual accounts for the FY 2020-21 were prepared in Common format prescribed by CAG and GOI, where the schedule of interest is on liability side. Hence, the opening balance is negative in liability side as it was earlier positive in legacy format on the Asset Side. "*RO/ZOs* don't have any interest income as amount received from contribution is invested at Head Office level but it is positive in the consolidated Balance Sheet of EPFO."
D.2.2 As per EPF Account Manual Chapter 6, para 6.12 ' all moneys received in EPF contribution by the base of branches/link branches, subsidiary banks through the challan bearing account no.1 transferred to invest account no.5 'SBI, Bombay' During scrutiny of Annual Account 2020-21 of RO, EPFO Sagar it was observed that consolidated balance sheet Schedule-1 EPF Contribution Fund was shown ₹70.85 crore but this amount was not included in the Schedule-18 EPF-Investment'. EPFO replied that the correction will be made in next financial year.	**D.2.2** It has been rectified and the amount has been included in the Schedule-18 EPF-Investment' in F.Y. 2021-22.
D.2.3 In annual account for the year 2019-20 and 2020-21 of EPFO Sagar, it was noticed that closing balance of Liabilities and Assets as on 31.03.2019 Inoperative account was shown as ₹113.86 crore and closing balance as on 31.03.2020 was shown as ₹3.55 crore in the Inoperative account. Thus, a difference of ₹110.31 crore (₹113.86 – ₹3.55 crore) was observed in the closing balance from the last year. However, payment from Inoperative account in Receipt and Payment account no.1 was shown NIL. Further, we observed that ₹110.31 crore was shown in Annexure to Classified Summary for the year 2019-20 but not accounted for in Annual Account for the year 2019-20 and 2020-21. EPFO replied that the correction will be made in next financial year.	**D.2.3** The amount of Rs. 110.31 crore has been shown in Annexure and transferred to Operative Account as per the amended definition of Inoperative Accounts under para 72(6) of EPF Scheme, 1952 w.e.f. 11-11-2016 in the Annual Accounts 2019-20, hence there is no correction to be made as it is shown on the basis of system generated report at the end of the Financial Year 2019-20.

E. Grant-in-aid **E.1 Grants-in-aid under the schemes** The EPFO is mainly financed by receipts from the contributions and from the levy of administrative charges. The Grants-in-aid of the PMPRPY neither received from the Government of India nor utilized by the EPFO. Further, no grant was utilised under ABRY during 2020-21. However, the Grants-in-aid have been received from the Central Government towards schemes of Minimum Pension of ₹1000 per month under EPS, 1995, PMRPY, PMPRPY, PMGKY and ARBY. The head wise grant received and utilised shown in Annexure 1. **v.** Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts. **vi.** In our opinion, and to the best of our information, and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to comment no A.2.1, A.2.2 and B.6 whereas we are unable to form on the express opinion on these matters and the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India: a. In so far as they relate to the Balance Sheet of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organisation as at 31 March 2021; and b. In so far as they relate to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.	**E. Grant-in-aid** **E.1 Grants-in-aid under the schemes** No comment, being factual.

For and on behalf of C&AG of India

Sd/-
(Ashok Sinha)
Director General of Audit
(Health Welfare & Rural Development)

Place: New Delhi
Date: 26-07-2022

Annexure	
1. Adequacy of internal audit system • Internal audit of 58 units including EPFO Hqrs. were planned and conducted during 2020-21by the audit wing of EPFO. The follow up action on the outstanding objection was not effective as 19781 internal audit paras were outstanding as on 31st March 2021	**1. Adequacy of internal audit system** No Comments, being factual. Regular follow up is made to liquidate pending audit paras and for the compliance of objections raised by internal audit parties.
2. Adequacy of Internal control system **i) Deficient Investment software and its operation** During the year department has made some rectifications in Investment software for errors noticed in earlier years. The details of these errors as specified in records are 'incorrect reporting in Investment software, CCIL margin not captured in software, wrongly reflected and added as TI, on maturity date entry passed for amount of both MO+CR in software, MO entry passed with incorrect amount in software, MO report amount wrongly reflected as ₹1 instead of correct amount of ₹496755000, double entry for MO passed in software, two entries passed for FV and CP, two entries passed for one security and one is duplicate' in software etc. This shows that the Investment software is not foolproof and lacks mandatory checks and validations. Further system to prevent human errors in operation of software also appears to be inadequate. In such circumstances audit could not derive assurance that software system for accounting of Investments is reliable, foolproof, scientific and authentic. Department replied that necessary checks and validation to prevent similar errors has been initiated in the Software and the reconciliation process has been strengthened. Reply is not tenable as no specific details pertaining to software upgradation have been provided.	**2. Adequacy of Internal control system** **i) Deficient Investment software and its operation** Following steps have been taken to put mandatory checks and validations in the Software to prevent human errors in the operation of the Software and the modification are made in the software for such mandatory checks and validation: 1. A new 2 level reconciliation functionality has been introduced in place of auto reconciliation. Transactions uploaded by Fund managers and Custodian is verified in Investment Section on daily basis with reports provided by them on email. This functionality is introduced to prevent human error. 2. Edit functionality has been introduced to edit Maturiy, Coupon Frequency, And Coupon Due Dates Of Security if needed or call option is exercised. 3. A new functionality for Migration of securities from one scheme to another scheme due to closure of many schemes has been introduced. This functionality is designed to migrate security codes of one scheme to another. 4. A new functionality "code merger" for more than one security code against a single ISIN, has been introduced in the point number 1 of user manual. This functionality will merge all transactions recorded under different security codes (but having single ISIN) against a single security code. 5. A new functionality to get rid of Duplicate Security Codes which exists in EPFO Software but has been merged in Custodian System and being reported under single security code has been introduced. This functionality is a scaled-down version of ISIN merger functionality. Using this functionality any duplicate Security code can be merged with another irrespective of their ISIN.
ii) System for regular reconciliation of Investments not established In view of repeated audit observations regarding huge un-reconciled balances in Investments, EPFO has during 2019-20 conducted reconciliation of these balances. Despite repeated un-reconciled balances, the department has not yet established a routine and regular system of reconciliation of Investments. As there is possibility of recurrence of similar reconciled balances occurring in future also, therefore a proper	**ii) System for regular reconciliation of Investments not established** In order to reconcile these differences, Investment section has obtained the approval of Competent Authority for engaging a Chartered Accountant for conducting a detailed audit and reconciliation of the un-reconciled amounts. The process of appointing a CA for the scrip wise

accounting policy duly approved by the governing council, for regular reconciliation of balances under different segments of the investment is required. The above observations were also communicated in the previous SAR for the period 2019-20. The department stated that the reconciliation is under process as on date. **(iii)** EPFO did not follow the basic accounting principles and annual accounts were being prepared formula based in MS Excel Programme on single entry system resulting in negative entries in annual accounts. **(iv)** Trial balance and head wise ledgers were not being prepared in their field units as well as EPFO Hqrs.	reconciliation of the amounts has been initiated and will be completed in a time bound manner. **iii)** EPFO follows all the basic principles of accounting and significant accounting policies consented by CAG and approved by Government of India **iv)** EPFO is in the process of development of accounting software. The same is likely to roll out in financial year i.e. 2023-24 as per the plan of action. This is being monitored at the highest level and all issues regarding the accounting units will be maintained properly with respect to ledger & Trial balance etc
3. System of physical verification of Assets **3.1** The physical verification of furniture & fixtures and computer peripherals of EPFO Hqrs. conducted during 2020-21.	**3. System of physical verification of Assets** **3.1** No comments being factual.
3.2 In ZO, Faridabad, physical verification of fixed assets (including library books) and inventory/stores was not conducted.	**3.2** In this regard, it is submitted that the committee has been constituted; The report from the present committee is still awaited.
3.3 In RO, Madurai, physical verification of Fixed Assets was not done during the years 2018-19 to 2020-21 and the details of unserviceable/obsolete stores/assets was also not disclosed.	**3.3** From the period 2021-22 onwards, the Fixed Assets Register has been maintained properly. And for the periods 2018-19 to 2020-21, the teams of officials have been formed to verify the Fixed Assets and the statement of Fixed Assets is being prepared
3.4 In ZO, Bhubaneshwar, no physical verification report of fixed assets and inventory was produced to audit despite of repeated request.	**3.4** The fixed assets for ZO Bhubaneshwar are purchased by concerned RO, hence no Register for fixed assets is maintained at Zonal Office level and verification of the same does not arise.
3.5 In ZO, Bengaluru, physical verification is not conducted in respect of four Regional Offices viz. Bangalore-I, Bangalore-II, K.R. Puram, Electronic City.	**3.5** The verification has been completed in r/o all offices.
4. System of physical verification of inventory Physical verification in respect of consumables and stationery in respect of EPFO had conducted during the year.	**4. System of physical verification of inventory** No Comments, being factual
5. Regularity in payment of statutory dues As per accounts, no payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.3.2021.	**5. Regularity in payment of statutory dues** No Comments, being factual

Annexure to Management Letter

1. Current Assets, Loans and Advances (Schedule - 19) **1.1** ₹69.47 crore has been shown as balance of Special Reserve Fund (Recoverable). However, EPFO did not provide year wise details of employers from which the amount is recoverable and since when it is outstanding. In absence of this, the recoverable amount could not be verified.	**1.Current Assets, Loans and Advances (Schedule - 19)** **1.1** An amount of Rs. 69.47 crore is the Closing Balance of the SRF amount disbursed by various ROs of EPFO less the amount recovered against this payment, since the inception of this reserve. It includes thousands of transactions from all over India, proper records and Registers, etc. of these payments & recoveries are maintained by Regional Offices. The same may be checked by the visit Audit Team vis-à-vis balance shown by those Regional Offices.
1.2 Current assets are all the assets of a company that are expected to be sold or used as a result of standard business operations over the next year. Current assets include cash, cash equivalents, accounts receivable, stock inventory, marketable securities, pre-paid liabilities, and other liquid assets. Schedule 19 - Sundry Debtor depicted ₹11.31 crore(₹8.35 crore under the head Irregular payments and ₹2.96 crore under the head Over Payments) as current assets. However, this amount included the figures from previous years which are carried forward over the years. This needs to be adjusted/reconciled in accounts.	**1.2** Overpayments and irregular payments are being monitored by an Overpayment Committee at Zonal Office level and a section of Head Office. Apart from this several other measures such as concurrent audit/internal audit/Zonal & regional review meetings at Zones & Region etc. takes care of all the doubtful payments to minimize such cases and required legal & compliance measures are taken up in such cases regularly.
2. Investments - FDR of Employees' Deposit Linked Insurance Scheme (Schedule - 22) The face value of FDRs under the Schedule 22 (EDLI) has been shown as ₹53.01 crore whereas in Receipt & Payments Account (Account No. 25 (EDLI)), the FDRs has been shown as ₹53.00 crore. Thus, there is a difference of ₹0.01 crore in the two sets of accounts which needs to be reconciled.	**2. Investments - FDR of Employees' Deposit Linked Insurance Scheme (Schedule - 22)** On 31.03.2014 TDS of Rs. 89,298 was deducted from EPFO TDR account 33685782153 (EPFO Account no. 25) and was remitted to Income Tax Department, Bank file revised return and the amount was recovered from Income Tax. 2. As original TDR was short of Rs. 89,298/- , Hence Bank opened new TDR (Ac- 34728862579) with back dated effect i.e 31.03.2014 on 23.02.2015, the value of the FDR in FY 2017-18 was Rs. 1,14,767 which is the difference pointed out. 3. The complete details of above TDR is as below:

	Date	Amount
Fresh FD Placed	31.03.2014	89,298
Interest received	25.02.2017	26,366
	TOTAL	1,15,664
Wid trf (debit)	26.02.2017	-897
	Net Total	1,14,767
Interest received	24.01.2020	25,127
	Grand TOTAL	1,39,894
Maturity date	23.12.2022	

The same will be reconciled in Annual Accounts for the F.Y. 2022-23 on the maturity value.

3. Difference in amount of redemption of LMF securities (Schedule - 27)

During verification of amount of redemption of LMF securities from relevant records the following difference was noticed:

(Amount in ₹)

Schedule No.	Account No.	Nature of Investment	Value of securities redeemed during the year		Difference
			As per Annual Account	As per Receipt &PaymentAccount	
27	9	LMF	3097542798.77	3096742798.77	800000

Differences need to be reconciled.

3. Difference in amount of redemption of LMF securities (Schedule - 27)

This amount of Rs. 800000/- should actually comes under the head of Capital gain on LMF in receipt and payment statement. This amount is written under the head of Refund of LMF application money which is wrong. Balance Sheet Section has taken this amount in redemption in annual accounts that's why this diference as pointed out by CAG appeared. This difference has been rectified in Balance Sheet of 2021-22.

4. Fixed Assets (Schedule - 24)

4.1 During the scrutiny of annual accounts of EPFO (Head Office), it was found that an amount of ₹792.37 crore was shown under the head 'Capital Work in Progress' in Schedule 24 A. However, as per records, it was found that EPFO paid ₹138.54 crore for residential space, parking space, etc. which were in possession of EPFO during the year 2019-20 and 2020-21 (Possession of 19 Flats of Type-VI dated 28.05.2019, 14 quarters of Type-V dated

4. Fixed Assets (Schedule - 24)

The details are given as below

Building cost BNB Bhikaji cama place	283140000	Under process

<table>
<tr>
<td>13.03.2020 and 8 quarters of Type-IV dated 28.01.2021).
Thus, the non-capitalization of above fixed assets resulted in understatement of Fixed Assets and overstatement of Capital Work-in-Progress by ₹138.54 crore.</td>
<td>
<table>
<tr><td>Purchase of ready built office space and residential accommodation at Kidwai Nagar</td><td>8700000000</td><td>Under process</td></tr>
<tr><td>Redevelopment of BNE, Malviya Nagar</td><td>604728000</td><td>Under process</td></tr>
<tr><td>Replacement of AC plant in HO</td><td>7703000</td><td>completed</td></tr>
<tr><td>proposal for the upgradation of substation and misc works at HO</td><td>32052000</td><td>Under process</td></tr>
<tr><td>Replacement of existing 02 nos 625 KVA DG set & 02 nos 16 passenger lift at HO</td><td>16274000</td><td>completed</td></tr>
<tr><td>providing and fixing of furniture interior and horticulture works at Kidwai Nagar</td><td>13800000</td><td>Under process</td></tr>
<tr><td>providing and fixing of furniture interior E&M services and horticulture works at Kidwai Nagar</td><td>736449000</td><td>Under process</td></tr>
</table>
The above are the status of capital expenditure works. Regarding non capitalization of fixed Assets of Rs.138.54 Crore (Head Office), it is to mention that the amount is included under the budget head- Purchase of ready built office space and residential accommodation at Kidwai Nagar- Full handing over of office floors from NBCC is to be completed.
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2 Difference in capitalization of building
In Schedule 24 - (Fixed Assets), EPFO has shown ₹6.18 crore (₹4.45 crore + ₹1.73 crore) as additions of fixed assets during the year under the heads 'Building - Office' and 'Building - Residential'. However, during the year the amount of projects actually completed and possession of buildings taken by EPFO was ₹42.45 crore (₹18.06 crore – Regional Office, Bangalore; ₹19.13</td>
<td>4.2 Difference in capitalization of building
As the final expenditure statement and Utilization Certificate was yet to be received from CPWD, the amount of capital work in progress was not capitalized. However, as the work is actually completed and taken over from CPWD, the said amount has been capitalized during the year 2021-22 and reflected in the balance sheet for the year 2021-22.</td>
</tr>
</table>

crore – Regional Office, Salem and ₹5.26 crore- Regional Office, Karnataka).

In this regard, EPFO replied that work amounting to₹18.06 crore in respect of Regional Office, Bangalore was completed and possession taken. But no utilization certificate was received by the EPFO. Further, the EPFO did not furnish reply in other cases.

In absence of details of the building status, audit could not ensure the disclosure of building (fixed assets) in the annual accounts

4.3 During the year, the Fixed Assets amounting to ₹23.18 lakh **(Annexure-1)** under the heads Furniture & Fixtures, Office equipment, computer and peripherals and software were not accounted in the Fixed Assets Register of the Annual Accounts of EPFO (Headquarters). This has resulted in understatement of Fixed Assets and overstatement of Expenditure by ₹23.18 lakh.

4.4 Non-charging of depreciation

Audit noted that the following ZOs did not charge depreciation on the fixed assets shown in the EPFO Annual Accounts:

(Amount in ₹)

Name of ZO	Fixed Assets	Gross Block		Depreciation	
		Cost/valuation at the beginning of the year	Additions of fixed assets during the year	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year
Head Office	Computer Software	8703869.00	0.00	0.00	0.00
Vijaywada	Library Books	23615.00	7233.00	-	-
	Computer Software	149390.00	0.00	0.00	21950.00
Hyderabad	Library Books	307113.00	73208.00	-	-
	Other Fixed Assets	332521.00	-	-	-
Bengaluru	Building office	2599743.86		1981791.86	-

4.3 As observed by the CAG, the fixed assets which were left during the year 2020-21 have been rectified and taken into fixed assets account during the FY 2021-22.

4.4 Non-charging of depreciation

Building Office:

The amount Rs.2,12,59,000/- has been inadvertently shown in the gross block of "additions of Fixed Asset During the FY 2020-21" in stead of "Advance to agencies / contractors (Capital work in progress) During the FY 2020-21.

Since the building has not been taken into possession by RO, Keonjhar the calculation of Depreciation is not Applicable.

The same is rectified in the Current Year Balance Sheet for FY 2021-22

The chart of Deprecation rate is being followed in EPFO as per the part "C" of Schedule- II of The Companies Act 2013- extract, where no rate for charging of depreciation on Computer Software and Library book has been prescribed in the above chart. The matter is under process for define the rate of depreciation to be charged on the aforesaid items, so that the same may be communicated to the Zonal Offices with other accounting units for follow-up the same.

	Building-residential	137100352.79	-	35764344.79	
	Vehicles & Motor car	689967.00	-	237106.00	-
Patna	Computer Software	0.00	49880.00	0.00	0.00
Coimbatore	Library Books	340276.00	119901.00	-	-
Ahmedabad	Library Books	52320.00	6995.00	-	-
	Computer software	12500.00	0.00	0.00	0.00
Kerala	Library Books	33722.00	6884.00	-	-
Bandra	Library Books	84120.00	-	-	-
Thane	Library Books	153848.00	53823.00	-	-
Chandigarh	Library Books	366385.00	116234.00	-	-
	Computer software	295512.00	65490.00	144490.00	0.00
Jaipur	Computer software	79446.00	0.00	20050.00	0.00
PDUNASS	Computer software	24975.00	42727.50	0.00	15818.00
Odisha	Building office	21259000.00	-	-	-
	Library Books	735.00	50175.00	-	-
Kanpur	Library Books	201530.00	25614.00	-	-
Hubli	Library Books	230384.00	42511.00	-	-

In the absence of depreciation on fixed assets, the audit could not verify the valuation of fixed assets. EPFO needs to reconcile the fixed assets after depreciation of all Zonal Offices.

4.5 ₹91.18 crore was shown under 'Land' of the Schedule - 24 (Fixed Assets) of the Annual Accounts for the period —2020-21. Cost-wise details of

The Status of land and purchased/sold will be provided to audit during their next visit.

land, possession status, encroachment status of land and purchased/sold status was provided to audit by the EPFO. The details provided to audit is not reconciled with accounts. This needs reconciliation.

5. Non-maintenance of Investment Register for FDR – ₹9080.01 crore

As per the Annual Accounts, the FDRs of ₹9080.01 crore were maintained under the Employees Provident Fund Investments, Employees' Pension Fund Investments and Employees Deposit Link Insurance Scheme Investments.
However, no investment register was prepared and maintained by the EPFO in which rates, maturity date, interest accrued, interest received etc. were maintained to monitor and control the status of interest received/to be received, maturity of FDRs.
Audit further noted that in respect of FDR no. 39265769226 (State Bank of India), there was a difference of interest earned of ₹10.00 crore in two different sets of documents i.e.₹10.41 crore was shown in the bank statement whereas bank certificate shown ₹0.41 crore. This difference needs to be reconciled.

6. Non-disclosure of interest accrual/received

As per bank statement under the Account No. 25 (EDLI), four FDRs disclosed interest received/accrued during the year amounting to ₹3.12 lakh. However, the FDRs were not disclosed in the annual accounts. This resulted in understatement of FDRs investment upto the value as well as income amounting to ₹3.12 lakh. The details are as under:

(Amount in ₹)

Account No.	FDR No.		Accrual Interest	Interest received	Status of FDR	Remarks
25	1	35710827070	7811.00	176765.00	Open	Park Street, Kolkata
	2	36252371765	9096.00	42900.00	Open	
	3	36168222007	14885.00	51608.00	Open	
	4	34728862579	8822.00	0.00	Open	Bandra, Mumbai
Total			**40,614.00**	**2,71,273.00**		
Grand Total				**3,11,887.00**		

5. Non-maintenance of Investment Register for FDR – ₹9080.01 crore

As suggested by CAG Party, the proposed format of FDR Register is being maintained by Banking Section from FY 2022-23 is given below:

Sr. No.	Ac No	FDR No	Date of purchase	FDR Amt	Date of Maturity	Rate of Interest	Maturity Amount	Date of Credit of Maturity amount

This certificate provided to the audit party was misprinted and the entry of 10 crore was escaped. Hence the amount reported in the Accounts was correct.

6. Non-disclosure of interest accrual/received

In this regard, FDR in r/o Park Kolkata, is as per direction of Hon'ble High Court, Calcutta. The same will be accounted for at the time of closing of aforesaid FDRs after the directions of Hon'ble Court.

This FDR in r/o Bandra shall be closed at the time of maturity i.e 23.12.2022 and after closing, this will be reported in Annual Accounts for FY 2022-23.

<table>
<tr><td>Further, details and value of the Fixed Deposits were asked from the EPFO but not made available to audit. In absence of this audit could not ensure the maintenance of Fixed Deposits at the EPFO.</td><td></td></tr>
<tr><td>7. Reasons of erroneously received credit of ₹0.37 crore to the EPFO under the PMGKY were not provided to audit.In absence of the above, audit could not be verified the status and transferring of the funds within the scheme.</td><td>7. In this regard, it is to inform that the debits under the PMGKY have taken place as per the eligibility of PMGKY benefit to employers which was provided via software. However, few debits have been credited back into the A/c due to INVALID ACCOUNT NUMBER, ERROR/INVALID RECEIVER IFSC CODE, INVALID ACCOUNT NUMBER, SYSTEM MUST BE "INV", ACCOUNT CLOSED, Miscellaneous entries (based on remarks we could not fetch voucher id / payment id related data), etc.,</td></tr>
<tr><td>8. The Suspense Account figures in the various schedules of Annual Accounts of EPFO (Headquarters) were shown during the year, as detailed below:
<table>
<tr><th>Head of Account in Balance Sheet</th><th>Amount in ₹</th></tr>
<tr><td>Schedule No.15
Current Liabilities & Provision
EPF Administration Fund
I-Current Liabilities
Sundry Credits
Suspense account (Admn. Fund)</td><td>55,42,219.47</td></tr>
<tr><td>Schedule No.28
Current Assets, Loans & Advances
Imprest Account
Sundry Debits
Suspense Account (Admn. Fund)</td><td>6,24,660.43</td></tr>
</table>
These need to be adjusted in the appropriate heads.</td><td>8. The reconciliation of the Suspense Account figure under schedule Head 15 and 28 has been taken up.
After the due reconciliation of the suspense Account (Admin Fund) under Schedule No.28, the un-reconciled amount of Rs. 6,24, 660.43 as on 31.03.2021 has been reduced to Rs. 2, 33, 921.44 as on 31.03.2022.
The proper accounting of all the suspense accounts under Schedule 15 and 28 is being taken up.</td></tr>
<tr><td>9. Difference in closing balance – ₹4.24 crore

Differences in figures shown in the EPS 95 (Minimum pension of ₹1000 per month) shown in the annual accounts with the utilisation certificates submitted to the Ministry. Details are as under:</td><td>9. Difference in closing balance – ₹4.24 crore

Inadvertently, outstanding amount of Rs.147.53 Crore submitted in Utilization Certificate for 2020-21(as on 31.03.2021), in EPS-95 (Minimum Pension of Rs.1000/- per month). Actual outstanding amount was Rs.143.29 Crore for 2020-21 and the same has been verified.</td></tr>
</table>

(₹in crore)

Particulars	EPS 95 (Minimum pension of ₹1000 p.m.)	Utilisation certificate submitted to the Ministry	Difference as on 31.03.2021
Closing balance	143.29	147.53	4.24

Differences need reconciliation.

For year 2021-22, same verified figure of Rs. 143.29 crore has been taken as opening balance (in respect of arrears) for the year 2021-22. In Utilization Certificate for the year 2021-22 Rs.143.29 Crore has been duly mentioned as arrears of FY 2020-21

10. Investment in equity

As per investment policy of EPFO the ratio of Debt to Equity should be 85:15 based on investments in Debt and Equity, respectively. During the year 2020-21, the corpus of investments in Debt and Equity was 92 and 8 per cent, respectively.

Audit noted that there is no consistent redemption policy for ETFs in place so that returns generated can be passed on to investors in appropriate manner. During 2020-21, despite decade-best performance by equity markets, adequate redemption was not carried out by EPFO. This resulted into poor returns for investors from Equity, thus defeating the very purpose of venturing into Equity markets. There should be at least a methodology for redemption of equity investment to cater to the higher return on equity portfolio of the EPFO.

10. Investment in equity

The investments made in ETFs have been growing in size and increasing every year. However, the Capital Gains as per NAV from equity investments in ETFs are only notional and is not included till realized as income during the financial year. EPFO only distributes the actual income realized during the FY to the subscribers by declaring the rate of interest to be credited to the EPF Balances of the members in the fund. If the income/capital gains from equity portion of investments are to be considered for the calculation of Rate of interest, then capital gains has to be realized by redemption or incomes to be received through dividends. This is also in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and as per SEBI regulation; only realized profits can be distributed. Hence, to obtain incomes from equity, it is necessary that a portion of the investments in Equity is to be redeemed to realize a fair component of returns/income from the equity portion of investments which is also to be included along with the incomes received from Debt portion to arrive at the total incomes to be distributed to the members for the FY.

It is not correct to say that during 2020-21, despite decade-best performance by equity markets, adequate redemption was not carried out by the Department. It may be noted that EPFO had taken steps in late Oct 2021 itself (when the markets peaked) to start the redemption process by placing an agenda item before the CBT which was held on 19th March 2021 and the process of sale was commenced in mid Jan 2022 when the approved minutes of CBT was received.

In the past EPFO had in order to distribute the benefits arising out of earnings on Equity Investments (Employees' provident Fund Scheme), redeemed ETF units on FOUR occasions after taking due approval from, Central Board, EPF. On the first occasion redemption of ETFs was taken mainly on account of following reasons:

	a. Investment made in ETF since August 2015 till the date of implementation of the unitization policy will not form part of the unitization and therefore needs to be periodically redeemed. b. Gains from capital appreciation from investment in ETF have not been distributed to members till date and NIFTY and SENSEX are at their all time high and the investments in ETF in Aug-December- 2015. Second Instance: A proposal was placed before 158 FIAC with the proposal for actual redemption of ETF units in order to distribute the benefits arising out of earnings on Equity Investments for the FY 2019-20. The 227th Central Board, EPF accorded the approval for actual redemption of ETF units and the same principle/methodology was followed as mentioned in Para 8 for redemption of ETF units. In the 3rd instance, the principle adopted for deciding on the quantum of ETFs to be redeemed was as that the proposed redemption from equity investments will be to generate incomes in the proportion of the holding of Debt and equity corpus (in the then ratio of 92:8) The said proposal was placed before 228th CBT wherein, Capital gains to be realized from equity investments was deliberated and approved by the Central Board, to be included as the incomes to be distributed for the FY 2020-21. Fourth Instance: Following the same principle as adopted in the Third instance during the FY 2020-21, for realising the income from ETFs during the FY 2021-22, a proposal for redemption of ETFs was placed before the 229th CBT and with the approval of the CBT, EPF, the same principle/methodology was followed as mentioned in Para 8 for redemption of ETF units. Process of Redemption: To ensure that a robust process is followed during the redemption is done within well defined time frame with a lower cut-off etc to prevent losses from market volatility etc, the CBT had also approved a process to be followed for the redemption which is as follows. ETF units will be redeemed following the FIFO principle. Arrive at last 7 days average NAV for all ETFs based on Nifty 50 ETF Sensex ETF held by SBI MF and UTI MF (7 days counted from the day of approval of the proposal) and allow redemption only on the days when the current market NAV on the day of transaction is not below 5% from the average. This has been done to protect

	downside risk if market falls during the selling phase. However, there was no upper price band. Total units redeemed are to be daily equated and redeemed over 15-30 transaction day's period. This will help in keeping the impact cost for such transaction minimal. It is to be noted that EPFO has adopted a consistent and prudent policy after redemption keeping in mind in the interest of the PF subscribers and also to maintain the long term growth of the returns from the equity investments.
11. As per Notes on Accounts – XII (Staff Pension – cum - Gratuity Fund), the total projected benefit obligation submitted by the actuary in its report for the period 2018-19 mentions deficit to be ₹2667.72 crore which reduced to ₹563.41 crore during 2019-20. The details in support of the reduction in deficit by ₹2104.31 crore was asked but not made available to audit.	**11.** In this regard, It is submitted that the deficit was calculated as per the Total Assets available in the Pension and Gratuity fund which may not depict the actual deficit. Therefore, the same has been rectified in the Annual Accounts 2021-22 and only the surplus amount which transferred from the A/c-4 to A/c-9 since 2019-20 has been deducted from the total deficit as per the latest actuarial report 2019.
12. During the audit of accounts for the year 2019-20, the following observation (Comment No. B.1) was issued to the EPFO – "Scrutiny of annual accounts of Regional Office, Employees' Provident Fund Department, Chennai revealed that under account no. 2 & 21, the cheque upto December 2019 for an amount of ₹58.19 lakh remained uncashed at the end of 30 March 2020. As the validity of the cheque had already expired, needs to be written back into the accounts and suitable liability for the same needs to be created. Since similar time barred cheques were also there in other ROs/ZOs, a suitable directive may be given to all field offices to review all such cases. The uncashed cheques in respect of Accounts no. 1 was ₹12.94 crore and for Accounts no. 10 was ₹2.96 crore as on 31.03.2020. The details of un-encashed cheques of account no. 1 and 10 were not furnished". However, during the audit of accounts for the year 2020-21, EPFO replied that the reconciliation is under process as on date.	**12. Account No.21** Out of 26 cheques to the tune of Rs. 57,91,742 pertaining to A/c. 21, all the cheques were realized/reprocessed, hence it may be treated as closed. **Account No.2** Out of 10 cheques to the tune of Rs.27,238.23, only 2 cheques amounting to Rs. 2159.87 and Rs. 1172.36 (total- Rs. 3332.23) have been realized. The status of remaining cheques is as below 4 cheques pertaining to EPFTNSU- letter has been issued to EPFTNSU for non-presentation of cheques to bank and for remaining 4 cheques, instructions have been issued to confirm the status and issue of fresh cheques. Further, Regional Office, Chennai(South) has been directed to identify the details of very old period unencashed cheques in r/o Account no. 1 & 10 to the tune of Rs. 12.94 crore and Rs. 2.96 crore respectively and reconcile them.
13. Difference in figures **13.1** Scrutiny of annual accounts of EPFO (Headquarters) revealed that there were differences in Staff Provident Fund disclosure with the Broadsheet	**13. Difference in figures** **13.1** The difference has been reconciled as under:-

maintained during the year. Details are as under:

(Amount in ₹)

Particulars	Amount as per Annual Accounts		Amount as per SPF Broadsheet	Difference
Opening Balance	(Schedule 13)	55,34,37,497	55,45,35,320	10,97,823
Subscription	Receipt & Payment Account No. 2	9,21,28,977	9,10,73,878	-10,55,099
Refund of Advance		5,74,551	18,12,928	12,38,377
Withdrawal		10,50,03,860	4,14,55,557	60,844
Final settlement			6,36,09,147	
Closing Balance	(Schedule 13)	58,08,68,081	58,20,88,338	12,20,257

Amount	Particulars
105,003,860	SPF withdrawal/final settlement as per R&P A/c No.2
(41,455,557)	SPF withdrawal as per Broad Sheet
(6,36,09,147)	SPF Final Settlement as per Broad Sheet
60,844/-	Difference between Broad Sheet and R&P A/c No.2

Difference Reconciliation

Amount	Particulars
60,844/-	Difference between Broad Sheet and R&P A/c No.2
63,548,303/-	SPF Final Settlement Taken in R&P A/c 2(Annual A/c)
60,844/-	Transfer out (not taken in R&P A/c 2)
6,36,09,147	Final Settlement as per Broad Sheet
Nil	Final Difference

13.2 Difference in figures of Recoverable Advances (Staff):

(Amount in ₹)

Particulars of items	As per Annual Accounts (Receipt & Payment Account No.2)	As per Broadsheet	Difference
Recoverable Advances (Staff)			
Conveyance Advance	39704.00	37204.00	2500.00
House Building Advance	1300282.00	1293616.00	6666.00
Computer Advance	-295.00	12055.00	-12350.00
Opening Balance as on 01.04.2020			

13.2 Difference in figures of Recoverable Advances (Staff):

The differences are due to previous year's differences of Broad sheet for the year 2019-2020, which are adjusted during 2020-2021.

Conveyance Advance	2,73,332.00	2,70,832.00	2,500.00
House Building Advance	1,27,71,853.00	1,27,65,187.00	6,666.00
Computer Advance	12170.00	24520.00	-12,350.00

13.3 Difference in figures shown in income and expenditure account and balance sheet of the Annual Account are as under:

(Amount in ₹)

Particulars	Amount as per Income & Expenditure Account	Amount as per Balance Sheet
Schedule No.10 EPF – Admn. Fund Less (2): Excess of Expenditure over Income during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Admn Fund	(1,25,66,87,834.36)	1,25,66,87,834.36

The differences need reconciliation.

13.3 There is no difference as this figure was negative in the I&E as in actual there is Expenditure over Income but it was recorded in the head "**Excess of Income over Expenditure"** being the single head, but in Schedule (10) of Balance Sheet, the head "**Excess of Expenditure over Income"** shown separately, hence it was positive. There is no difference in Annual Accounts 2020-21.

14. Regional Office (North & Central)–

14.1 Difference in Staff Provident Fund

₹2,68,99,703/- shown under head Staff Provident Fund 'SPF withdrawals Final settlement' was shown payment side of the Receipt & Payment Account No.2of RO, Delhi (Central) whereas as per records shown ₹2,69,30,293/-. The difference needs reconciliation.

14. Regional Office (North & Central)–

14.1 Difference in Staff Provident Fund

The difference amount of Rs. 30,590/- (Rs.2,69,30,293/- (-) Rs. 2,68,99,703/-) has been reconciled. This is an excess amount of Staff Provident Fund paid to Shri Budh Ratan Maurya, SS (Retired) which has been received back vide Cheque no. 617117 dated 14.10.2020. Therefore, the actual contribution of SPF withdrawal for the year 2020-21 is Rs. 2,68,99,703/- which is correct.

14.2 Overstatement of liability – ₹30,590/-

₹5,96,42,263/- shown in Schedule 13-Staff Provident Fund (SPF)withdrawal/settlement in the balance sheet whereas the actual balances was ₹5,96,72,853/-. This resulted overstatement of liability shown in the balance sheet.

Further, the Regional Office (Central and North) had not maintained the

14.2 Overstatement of liability – ₹30,590/-

There is no overstatement of liability. Difference amount of Rs. 30,590/- (Rs.5,96,72,853/- - Rs. 5,96,42,263/-) has been reconciled. Staff Provident Fund amount was excess paid to Shri Budh Ratan Maurya, SS (Retired) amounting Rs. 30,590/- which has been received back vide Cheque no 617117 dated 14.10.2020 as explained in reply to para 14.1 above. Therefore, the actual contribution of SPF

broadsheet of the Staff Provident Fund.

withdrawal for the year 2020-21 is Rs. 5,96,42,263/- which has been shown correctly in the Balance Sheet.

Further, it is stated that Regional Office Delhi (Central) and Regional Office, Delhi(North) are maintaining the Broadsheet of the Staff Provident Fund from the financial year 2021-22.

14.3 Overstatement of expenditure -

₹31,213/- and ₹16,862/- deducted on account of TDS on third party deducted and GST on Vendors Remittances respectively in the month of March 2021. The statutory liability shown under said account as payment instead of payable under liability side of Balance Sheet. This resulted overstatement of expenditure and understatement of liability by ₹0.48 lakh.

14.3 Overstatement of expenditure -

The amount relates to Rs. 31,213/- and Rs. 16862/- deducted on account of TDS on third party and GST on Vendors Remittances respectively in the month of March 2021. The amount of TDS and GST deducted from the remittance were duly deposited within statutory time limit i.e. 07 days. All the cheques were dated 31.03.2021 which were encashed by Bank on 06.04.2021. Hence TDS/GST was paid on 31.03.2021 as per books of account and was not show as TDS/GST payable. The amount paid to vendor and expenditure has also been correctly booked. Hence there is no overstatement of expenditure.

14.4 Suspense balances

The huge balances of shown under suspense accounts needs rectification or reconciliation in following heads of the Balance sheet during 2020-21:

Head of Account in Balance Sheet	Amount (in ₹)
Schedule No.15	6,15,362.00
Current Liabilities & Provision	
Sundry Credits	
Suspense account (Admn. Fund)	
Schedule No.19	200.60
Current Assets	9,48,843.00
Sundry Debits	46,081.00
Suspense Account (Unclassified) (EPF)	
Irregular payments	
Over Payments	

These need to be adjusted in the appropriate heads of Accounts.

14.4 Suspense balances

These amounts are irregular payments or overpayments and booked as such by the respective offices. The Offices have initiated action to recover the amount.

(A) Head of Account in Balance Sheet **Amount (in Rs.)**

Schedule No. 15

Details of Rs. 6,15,362/- are explained as under:

(i) Amount recovered from staff salary Rs.4,90,204/- towards PM COVID CARE FUND as per directions Of Head Office which remained in suspense as Head Office had deducted the contribution centrally and paid into the PM COVID CARE FUND centrally in lumpsum on behalf of EPFO.

(ii) Amount received from GIS Rs. 1, 25,158/- in respect of staff retired which was paid subsequent financial year i.e. 2021-22. The GIC amount was paid to the following staff on their superannuation on 06.05.2021:-.

1.Smt.Alka J Bali Rs.45214/-
2.Sh. Manmohan Singh. Rs.44306/-
3.Sh. Om Prakash Rs.35638
Total= Rs.1, 25,158/-

(B) Schedule No.19

	(i) Rs.200.60/- This has been reconciled and adjusted in the Balance Sheet for the year 2021-22 under the same head which can be rectified by the subsequent audit party. (ii)**(a)** Currents Assets:- Rs.9,48,843/- It is stated that the amount Rs. 9,48,843/- pertains to RO, Delhi(West). These are (05) cases of overpayments in respect of M/s Richa & Company [DLCPM/4957] pertaining to EPFO Delhi (West) in settlement of withdrawal claims. An F.I.R. has been lodged by Delhi(North) in the year 2015 when the establishment has falling in its jurisdiction. **(b)** Sundry debits, Rs.46,081/- The amount Rs. 46,081/- pertains to RO, Delhi-Central being the balance remaining after amount recovered. (Audit para 14.7 and reply thereto may be referred). The overpayment amount Rs. 50,000/- happened in the month of April 2016 in r/o Sh. Pawan Verma bearing PF No. DS/NHP/19868/51 due to technical error (advance taken by the member not reflected in member ledger) and the same was detected in January 2019 by National Data Centre of EPFO. Out of Rs. 50,000/- an amount of Rs. 3919.50 was recovered by attaching bank account. Since the member didn't pay back the remaining amount, RO, Delhi Central has filed a Civil Suit on 18.11.2019 in District Court, Dwarka vide Suit No. 1300/2019 titled as CBT Versus Pawan Verma. The case was adjourned on dated 19.03.2020 for awaiting of report summons sent at Agra Address of the defendant and consideration of the service reports of the defendant. Further, the case was listed on 19.11.2020, 20.02.2021, 07.09.2021, 21.12.2021, 28.02.2022 and 13.07.2022. Next date of hearing is 03.09.2022 before the aforesaid court for further hearing. The Regional Offices regularly monitors these cases by the mechanism of Regional Fraud Risk Management Committee every month. At Zonal Office level these cases are discussed and progress of recovery and actions are reviewed in Zonal Fraud Risk Management Committee every month.
14.5 Under statement of Cash Balance – ₹27/- (Budget Register 2020-21) A test check of vouchers for the month of March 2021 shown under Budget Register (cash book) of EPFO Regional Office (North), Wazirpur, it was found that out of four transactions, in one case of ₹4652/- pertaining to M/s Paper Spires shown under voucher no. 1140/3/21 during the year. But an amount of ₹4625/- has been entered in the Cash Book, which resulted understatement of balance by ₹27/-.	**14.5 Under statement of Cash Balance – ₹27/- (Budget Register 2020-21)** In this regard it is informed that the amount of Rs. 4,652/- has been paid correctly to M/s Paper Spires vide Voucher No 1140/03/21 but in Budget Register it has been wrongly mentioned as Rs. 4,625/-. Further, correct entry has now been made in the Budget Register by RPFC Delhi (Central). Accordingly, there is no understatement of cash balance.

This needs reconciliation under intimation to audit.	
14.6 Understatement of Fixed Assets of ₹0.50 lakh During the scrutiny of Library records of EPFO, RO, Delhi (North) and Delhi (Central), it is found that an amount of ₹39,923/- of RO, Delhi (North) and ₹10,575/- of RO, Delhi (Central) was not included in the Fixed Assets for the year 2020-21. This has resulted in understatement of Fixed Assets of ₹50,498/- due to non-inclusion of books in fixed assets.	**14.6 Understatement of Fixed Assets of ₹0.50 lakh** In this regard, it is stated that as per the Significant Accounting policies of EPFO, only the purchases of more than Rs. 5,000/- per item and usable life more than one year should be booked as Fixed Assets in the accounts and there is no single book which costs more than Rs. 5000/-. Hence it was not rightly included in the Fixed Assets. Accordingly, there is no understatement of Fixed Assets.
14.7 Disclosure of Irregular payment and overpayment On checking of Balance Sheet of RO, Delhi (North) for the year 2020-21, it was revealed that opening balance of irregular payments under Schedule 5 (2b) and in Schedule 19 (4b) was ₹9,48,843/- as on 01.04.2020 and the closing balance was ₹9,48,843/-as on 31.03.2021. Similarly, there was over payment of ₹46,081.00/- shown under Schedule 5 (2c) and in Schedule 19 (4c) pending for recovery as on 01.04.2020. During the year ₹3,32,628/-of overpayment was made and ₹3,32,628/- was recovered leaving a balance of ₹46,081.00 as on 31 03 2021.Thus, it is implied that no monitoring effort was made to regularize the irregular payment and recover the overpayments.	**14.7 Disclosure of Irregular payment and overpayment** It is stated that the amount Rs. 9,48,843/- pertains to RO, Delhi(West). These are (05) cases of overpayments in respect of M/s Richa & Company [DLCPM/4957] pertaining to EPFO Delhi (West) in settlement of withdrawal claims. **F.I.R. has been lodged by the department on 19.08.2015. A copy of the FIR dated 19.08.2015 is enclosed herewith and marked as Annexure-I.** The overpayment amount Rs. 50,000/- happened in the month of April 2016 in r/o Sh. Pawan Verma bearing PF No. DS/NHP/19868/51 due to technical error (advance taken by the member not reflected in member ledger) and the same was detected in January 2019 by National Data Centre of EPFO. Out of Rs. 50,000/- an amount of Rs. 3919.50 was recovered by attaching bank account. Since the member didn't pay back the remaining amount. RO, Delhi Central has filed a Civil Suit on 18.11.2019 in District Court, Dwarka vide Suit No. 1300/2019 titled as CBT Versus Pawan Verma. The case was adjourned on dated 19.03.2020 for awaiting of report summons sent at Agra Address of the defendant and consideration of the service reports of the defendant. Further, the case was listed on 19.11.2020, 20.02.2021, 07.09.2021, 21.12.2021, 28.02.2022 and 13.07.2022. Next date of hearing is 03.09.2022 before the aforesaid court for further hearing. The Regional Offices regularly monitor these cases by the mechanism of Regional Fraud Risk Management Committee every month. At Zonal Office level these cases are discussed and progress of recovery and actions are reviewed in Zonal Fraud Risk Management Committee every month.
14.8 Overstatement of Current liability ₹0.46 lakh The over payment of ₹46,081/- was shown under Schedule 5 (2c) as Current Liabilities and the same balance was also booked in Schedule 19(4c) as Current Assets which is recoverable. The over payment wrongly booked as Current Liability in Schedule-5 of Balance Sheet resulting overstatement of Current Liability by ₹46,081/-.	**14.8 Overstatement of Current liability ₹0.46 lakh** The amount Rs. 46081/- pertains to RO, Delhi-Central RO, Delhi Central has filed a Civil Suit on 18.11.2019 in District Court, Dwarka vide Suit No. 1300/2019 titled as CBT Versus Pawan Verma. The case was adjourned on dated 19.03.2020 for awaiting of report summons sent at Agra Address of the defendant and consideration of the service reports of the defendant. Further, the case was listed on 19.11.2020, 20.02.2021, 07.09.2021, 21.12.2021, 28.02.2022 and 13.07.2022. Next date of hearing

	is 03.09.2022 before the aforesaid court for further hearing. There is no overstatement as per the Manual of Accounting Procedure and the common format approved by the CAG, the overpayment should be booked both sides of Assets and Liability.
15. The following discrepancies were noticed during the audit of Receipt and Payment accounts of various offices of Employees' Provident Fund Organisation in different States: **15.1 ZO, Coimbatore** **15.1.1 Incorrect exhibition of Work in progress** An amount of ₹93.02 lakh and ₹4.51 lakh was shown as negative balance as Opening Balance and Closing Balance of Capital Work-in-Progress for the year 2020-21 in the balance sheet of RO, Tirunelveli and RO, Nagercoil respectively. Further, it was also noticed that during the compilation of Annual accounts at Zonal office, negative balance of Capital work in progress was netted against the positive balances of CapitalWork-in Progress in respect of other regional offices under its control. Incorrect exhibition of Capital Work-in- Progress during previous year and netting of Capital Work-in-Progress during the year had resulted in the understatement of Capital Work- in-Progress in the Consolidated Balance Sheet of Zonal office.	**15.1 ZO, Coimbatore** **15.1.1 Incorrect exhibition of Work in progress** **RO, Tirunelveli:** It is hereby informed that the minus balance of Rs.93.02 lakhs in 2020-21, out of which, Rs.50.09 lakhs has been carried over as negative balance since 2009-2010. However, the negative balance was rectified as zero during 2017-18 itself. The negative balance was adjusted in the new column created as "Advance to Agencies/Contractors (Capital Work)". The balance amount of Rs.48,60,402.60 reflected shall be replaced with actual advance paid to the agencies and the negative balance may be rectified in the forthcoming financial year on receipt of reply from HRM Division and CPWD. **RO, Nagercoil:** A sum of Rs. (-) 4.51lakh under the head of Capital Work in Progress in the Asset side of the Balance Sheet 2020-21 is being carried over from previous year (2018-19). The same is being analysed year-wise and rectified accordingly in the Balance Sheet.
15.1.2 Incorrect Exhibition of Staff Provident Fund Interest Account Closing Balance of the Staff Provident Fund Interest Account for the year 2019-20 was shown as ₹29.48 crore in the Asset Sideof the Balance sheet (Sl.No.3b).However, the Opening Balance of Staff Provident Fund Interest Account was exhibited as ₹(-)29,47,78,548 in Liability sideof the Balance sheet. Difference may be reconciled and reason for change may be elucidated to audit.	**15.1.2 Incorrect Exhibition of Staff Provident Fund Interest Account** Annual accounts for the FY 2020-21 was prepared in Common format prescribed by CAG and GOI, where the schedule of interest is on liability side. Hence, the opening balance is negative in liability side as it was earlier positive in legacy format on the Asset Side. This has been followed in all offices.
15.1.3 Non-provision of liability towards remittance of statutory deduction.	**15.1.3 Non-provision of liability towards remittance of statutory deduction.**

Remittances were made lesser than that of the recoveries made during 2020-21 as detailed below:

(Amount in ₹)

2020-21			
Head.(Q)- (Remittances	**Recovered**	**Remitted**	**Difference**
Refund of G1S savings fund	7,21,517	3,88,741	3,32,776
Recovery for remittance to other	57,81,798	54,43,506	3,38,292
		Total	**6,71,068**

However, liability was not provided for the differential amount of ₹6.71 lakh during 2020-21 in the Balance Sheet towards remittances due to be made.

The liability for the difference amount has been recorded in the Suspense accounts of schedule-15.

15.2 RO, Madurai

15.2.1 Understatement of Liability by ₹2,800 crore

In 2020-21, the organization has exhibited interest credited to members account as minus balance along with the closing asset balance in the Liability side (Schedule 4) of the Balance sheet.

As the interest credited to the account of the members of the EPF has to be returned to the employees, it should be shown as Liability in the balance sheet and accordingly the organization has exhibited the interest credited to members account in Schedule 1 of the balance sheet. However, as the amount is again exhibited as minus balance in Schedule 4 of the liability side of the balance sheet it has in effect resulted in nullifying the liability already shown in the accounts.

This has resulted in understatement of Liability by ₹27,99,99,62,714.00 as shown below:

(Amount in ₹)

Closing balance of EPF interest account Exhibited as item 3(a) of 2019-20 Accounts which was exhibited as minus Opening Balance in the schedule 4 of Balance sheet of 2020-21 accounts	₹25,14,33,23,174.53
Add interest credited to members account (as per schedule 1)	₹2,85,66,39,540.00

15.2 RO, Madurai

15.2.1 Understatement of Liability by ₹2,800 crore

Annual accounts for the FY 2020-21 were prepared in Common format prescribed by CAG and GOI, where the schedule of interest is on liability side. Hence, the opening balance is negative in liability side as it was earlier positive in legacy format on the Asset Side. *"RO/ZOs don't have any interest income as amount received from contribution is invested at Head Office level but it is positive in the consolidated Balance Sheet of EPFO."*

Total	**₹27,99,99,62,714.00**

15.2.2 Non-inclusion of realizable arrears of EPF contributions - understatement of current asset by ₹2272.83 lakh An amount of ₹7427.47 lakh was assessed as pending EPF contributions to be remitted by various establishments as on 31.3.2021. Details of the assessed arrears are as detailed below: **Category** — **Amount (₹ in lakh)** Category I 1. Under liquidation — 1072.03 2. Stay by courts — 3795.48 3. BIFR. cases — 287.13 **Total** — **5154.64** Category II installment cases — 3.47 Category III other than above — 2269.36 **Total** — **2272.83** The Contribution under dispute (pending with various legal authorities) should be exhibited under notes to accounts. Other assessed arrears of contribution which is realizable should be exhibited under Current Assets as recoverable. However, the organization has not exhibited this as realizable contributions in the Current Assets (under EPF contribution fund) resulting in understatement of Current Assets by ₹2272.83 lakh and by the same amount in the Liability.	**15.2.2 Non-inclusion of realizable arrears of EPF contributions - understatement of current asset by ₹2272.83 lakh** Notes of accounts are prepared in the Consolidated balance Sheet of EPFO, Moreover, the contribution booked in accounts in the year in which it is actually received.
15.2.3 Incorrect Exhibition of Advance to Agencies/Contractors (Capital Work) - Schedule - 14 and Schedule 28(3) Total advances made to CPWD as on 31.3.2021, as per Form 65, was ₹1.92 crore only. However, the total advance made to Agencies/Contractors (Capital Works) was exhibited as ₹5.26 crore in Schedule-28 attached to Balance Sheet. This needs reconciliation.	**15.2.3 Incorrect Exhibition of Advance to Agencies/Contractors (Capital Work) - Schedule - 14 and Schedule 28(3)** Advances paid to the agencies for an amount of Rs.5.26 crore is including the amount of Rs.1.92 crore paid to CPWD, Madurai for the Renovation of Staff Quarters work at RO, Madurai, which is completed partially and the renovation work is yet to be completed in 3 Blocks consisting of 9 Units of staff quarters at RO, Madurai. Regarding the capital work related to the construction of Annex building and Type V quarters to the tune of Rs.3.34 crores, the Settlement of final bill is under process.
15.3 RO, Coimbatore **15.3.1 Withdrawal of interest amount payable to subscribers from Assets**	**15.3 RO, Coimbatore** **15.3.1 Withdrawal of interest amount payable to subscribers from Assets** Annual accounts for the FY 2020-21 were prepared in Common format

As per the Balance Sheet of RO, Coimbatore as on March 2020, closing balance of Interest Account of Employees Provident Fund of RO, Coimbatore was ₹4288,99,02,537.74/-. Further, the interest credited to the members account during the year 2020- 21 was ₹624,45,11,886.10/- after adjustment of interest (₹2,70,23,185.97/- and penal damages of ₹3,80,95,090.93/-) (Schedule 42-₹630,96,30,163/-; Schedule - 32 Rs.6,51,18,276.90). This amount of Rs.624,45,11,886.10 was exhibited in the year 2020-21 as negative figure in Schedule 4 —Interest Account.
Reasons for change of procedure may be elucidated to Audit.

prescribed by CAG and GOI, where the schedule of interest is on liability side. Hence, the opening balance is negative in liability side as it was earlier positive in legacy format on the Asset Side. *"RO/ZOs don't have any interest income as amount received from contribution is invested at Head Office level but it is positive in the consolidated Balance Sheet of EPFO."*

15.3.2 Understatement of Current Assets and understatement of Current Liability ₹26.50 lakh

The RO, EPFO, Coimbatore has paid an advance of ₹26.50 lakh to CPWD for the work of repair and renovation of all toilets of Regional Office, Coimbatore during the year 2020-21. As per Form-65 submitted by the CPWD for the month of March 2021, the said work was not taken up and no expenditure was booked during the year 2020-21. However, the said advance, being current asset, was not exhibited in the Balance Sheet for the year 2020-21 under Schedule 19 Current Assets, Loans & Advance. Further, as the said amount was. unutilized during the year it should have been shown under Schedule 15- Current Liability and Provision which was not done. This has resulted in understatement of Current Assets and understatement of Current Liabilitiesby₹26.50 lakh.

15.3.2 Understatement of Current Assets and understatement of Current Liability ₹26.50 lakh

In this regard, it is informed that the advance of Rs.26,50,000/- was paid to CPWD under the Budget Head "Minor works". Therefore, the said amount was exhibited as payment made under the head "Minor works" and the accounts were closed.

The said amount is adjusted in the Balance Sheet 2021-22 and the advance paid was shown under head "Advance to Agencies/Contractors" with a contra entry in Adjustment (previous years) head

15.3.3 Discrepancies in the opening and closing balances in Staff Provident Fund Account

Following discrepancy was noticed in opening and closing balances of staff provident fund (SPF) as per main account and as per SPF annual accounts for the years 2019-20 & 2020- 21:

₹ in crore)

Year	Opening Balance		Closing Balance		Difference
	EPFO Balance Sheet	SPF Annual Accounts	EPFO Balance Sheet	SPF Annual Account	
2019-20	7.82	9.02	8.42	9.42	**1.00**

15.3.3 Discrepancies in the opening and closing balances in Staff Provident Fund Account

On verification it is found that the actual Closing Balance of SPF Annual Accounts i.e., Rs.9.42 crores and Rs. 10.09 crores for years 2019-20 & 2020-21 respectively is correct, as pointed out by the Audit. There was an error in the balance sheet.

Necessary adjustment has been made in the Balance Sheet 2021-22 and as such, OB & CB of SPF annual accounts & Balance Sheet are same in the Balance Sheet 2021-22.

2020-21	8.42	9.42	9.09	10.09

Difference between Annual account and SPF account books of accounts as on 31.03.2021was ₹1.00 crore. This needs reconciliation.

15.3.4 Discrepancy in Closing Balance of Cash in Hand as per R&P Account and Imprest Account Cash Book.

Cash in hand in Imprest Account below Account No -1 as on 31.03.2020 and 31.03.2021 as per Annual accounts (Receipts & Payment account) was ₹500. However, cash in hand as per Cash Book was ₹4,336 on 31.03.2020 and Nil on 31.03.2021. Difference needs to be reconciled.

15.3.4 Discrepancy in Closing Balance of Cash in Hand as per R&P Account and Imprest Account Cash Book.

The AG Audit has pointed out discrepancy in the closing balance of cash in hand as per R&P Account and Imprest Account Cash book for the year 2019-20, by an amount of Rs. 3836/-.

On verification, it is found that actual cash balance under imprest account is only Rs.500/- which has been rightly reflected in R&P statement. However, the discrepancy in recording of actual expenditure in the Imprest Cash book maintained in the Caretaking section was shown erroneously as Rs.3836/- which was already rectified in the year 2020-21.

15.3.5 Non-Provision of Liability for Outstanding Expenditure.

Salary of the Outsourced staff (Contingent Staff) for the month of March 2021 was made in April 2021. Consolidated bill of ₹19,12,371/-for the Contingent Staff salary for March 2021. Further Scrutiny of the balance sheet revealed that the outstanding Expenditure for the year 2020-21 under the head of Salary to Contingent staff was nil and the outstanding Expenditure was not exhibited as a liability.

On similar lines the Electricity Staff Car maintenance and Telephone Bill which were kept unpaid as on 31.03.2021 was not shown as Current Liabilities in the Balance Sheet.

15.3.5 Non-Provision of Liability for Outstanding Expenditure.

The observation is noted for future guidance and salary of the contingent staff for the month of March 2022 has been booked under Outstanding Expenses in the Balance Sheet 2021-22.

15.4 RO, Tirunelveli

15.4.1 Inconsistency in the preparation of financial statements for the year 2020-21

In the year 2020-21, RO, Tirunelveli has not exhibited the interest credited to members account in the Assets side of the Balance sheet. Instead, the organization has exhibited the interest credited to members account as minus balance in the Liability side as detailed below:

Closing balance of Interest account-EPF for 2019-20(Item 3 of Balance Sheet)

15.4 RO, Tirunelveli

15.4.1 Inconsistency in the preparation of financial statements for the year 2020-21

Annual accounts for the FY 2020-21 was prepared in Common format prescribed by CAG and GOI, where the schedule of interest is on liability side. Hence, the opening balance is negative in liability side as it was earlier positive in legacy format on the Asset Side. It is also informed that *"RO/ZOs don't have any interest income as amount received from contribution is invested at Head*

: ₹1295,36,29,070/- (Taken as minus opening balance in 2020-21) Add Difference between total income from EPF contribution fund and interest credited to members PF account during the year Schedule 31 + 32 - Schedule 42 (₹2,59,89,435.40- ₹1,53,01,03,149) : ₹150,41,13,714 **Total :**₹1445,77,42,784 Reason for changing the procedures was not furnished.	*Office level but it is positive in the consolidated Balance Sheet of EPFO."*
15.4.2 Incorrect accounting of Employee's recoverable advances in the Balance Sheet - Exhibition of negative figure in the Balance Sheet Closing Balance of Advances recoverable in respect of Conveyance Advance and Pay Advance (Schedule 28) as 31.03.2021 was exhibited as ₹(-)9,60,062/- and ₹(-)4,43,191/- respectively. Due to incorrect exhibition of opening balance and closing balance at the beginning and end of the year i.e. as Negative Figure, the advances and recoveries made during the years 2019-20 and 2020-21 could not be ensured in audit.	**15.4.2 Incorrect accounting of Employee's recoverable advances in the Balance Sheet - Exhibition of negative figure in the Balance Sheet** Necessary action is being taken to minimize the negative balance by verifying the available records/registers.
15.4.3 Non exhibition of outstanding Advance with CPWD in the accounts for 2020-21 understatement of Current assets-₹55.64 Lakh RO, Tirunelveli has not shown ₹52.12 lakh available with CPWD, Madurai and ₹3.51 lakh available with CPWD, Coimbatore as on 31.3.2021, as advance to CPWD in the Assets side of the Balance sheet. This had resulted in understatement of Advances to the tune of ₹55.63 lakh (₹52.12 lakh + ₹3.51 lakh).	**15.4.3 Non exhibition of outstanding Advance with CPWD in the accounts for 2020-21 understatement of Current assets-₹55.64 Lakh** The matter has been taken up with CPWD and this will be rectified on receipt of reply from the CPWD.
15.4.4 Incorrect exhibition of Work-in-Progress resulted in minus balance in the Accounts of 2020-21 - ₹93.02 lakh Erroneous Opening Balance of Work-in-Progress brought down as ₹79.79 lakh in 2018-19 was not yet reconciled, leaving a minus balance of ₹93.02 lakh	**15.4.4 Incorrect exhibition of Work-in-Progress resulted in minus balance in the Accounts of 2020-21 - ₹93.02 lakh** It is mentioned that Rs.50,09,046/- has been carried over as negative balance, since 2009-2010 under the head "Land and Building (advances)" 2017-18.

as on 31 March 2021.Further, it was also noticed that revenue expenditure (₹14.28 lakh) was adjusted in WIP.	However, the negative balance was rectified in the new column namely "Advances to Agencies/contractors (Capital Work)" and the negative balance was adjusted. However, during the same year 2017-18, the same amount Rs. (-) 48,60,402.60 has been once again reflected under the head "Capital Work in Progress" i.e., column no. 8 (b) of balance Sheet and Rs.31,18,421/- shown as "the amount capitalized during the year", resulting in the negative balance of Rs.(-) 79,78,823.60/-. The negative amount Rs.48,60,402.60/- reflected above shall be replaced with actual advance paid to the agencies and the negative balance will be rectified in the coming financial year, resulting in the negative balance of Rs.(-)79,78,823.60/-. The negative amount Rs.48,60,402.60 reflected above shall be replaced with actual advance paid to the agencies and the negative balance will be rectified in the coming financial year
15.4.5 Overstatement of Current Liability ₹4.27 lakh Over payment of ₹4.27 lakh made to the EPF subscribers by the RO, Tirunelveli, which is recoverable, has been booked as Current Assets vide Schedule-19 forming part of Balance Sheet for the year 2020-21. The same was also wrongly booked as Current Liability in Schedule-5 to Balance Sheet resulting overstatement of Current Liability by ₹4.27 lakh.	**15.4.5 Overstatement of Current Liability ₹4.27 lakh** An overpayment of Rs.4,26,782/- made to the EPF Subscribers, the same was ordered to recover fully from the officer/official concerned. Due to the stay order given by the Hon'ble Hight Court, Chennai, the recovery was stopped and the court proceedings are yet to be concluded. In this connection, it is also informed that further course of action will be taken, after getting the final order from the Hon'ble High Court. There is no overstatement as per the Manual of Accounting Procedure and the common format approved by the CAG, the overpayment should be booked both sides of Assets and Liability.
15.4.6 Scrutiny of annual accounts of RO, EPFO, Tirunelveli revealed that an additional withdrawal of ₹214.44 crore was effected from Inoperative account for which details are not available in RO, Tirunelveli. EPFO replied that the withdrawal was effected only as per the guidelines of EPFO, Headquarters. However, details of the same were not furnished to audit.	**15.4.6** The definition of inoperative account has been amended vide a Gazette Notification with effect from 11/11/2016. As per the amended provision, considerable amount standing in Inoperative account becomes reclassified as operative account by the system under the closing balances of EPF. Accordingly, the said revised Balance furnished in respect of RO, Tirunelveli is Rs.7,18,55,190/-, leading to the adjusted difference amount of Rs.214.44 crore for the financial year 2019-20. Therefore, there is no withdrawal from inoperative account, but it is only an adjustment entry.

15.5 RO, Ludhiana **15.5.1 Inoperative Account₹1202.20 lakh** RO, Ludhiana created the liability on account of inoperative account for ₹12,02,20,202/- but the exact number of accounts on account of establishments was not shown by way of notes to Accounts.	**15.5 RO, Ludhiana** **15.5.1 Inoperative Account₹1202.20 lakh** Notes of accounts are prepared in the consolidated Annual Accounts of EPFO and disclosure of the same was given there.
15.5.2 Non depiction of annual accounts significant accounting policies Significant Accounting Policies and Notes on Accounts were not incorporated in the annual accounts and are maintained on single entry system. Depreciation policy regarding rate and methods of depreciation was as per the Company Act 2013, but no such disclosure was made in the annual account.	**15.5.2 Non depiction of annual accounts significant accounting policies** Disclosures regarding significant Accounting Policies and Notes on Accounts and Depreciation policy regarding rate etc were incorporated in the consolidated annual accounts of EPFO.
15.6 ZO, Mumbai-II, Thane **15.6.1 New Pension Scheme: ₹(-) 369352** The ₹(-)3,69,352/-negative liability indicates excess payment of NPS contribution (Board's share). However, as against this excess payment of ₹(-)3,69,352/-, the balance shown in the statement of outstanding expenses was ₹(-)5,17,092/-. In reply RPFC-I stated that the negative balances were arised due to reconciliation problem. He further stated that the negative balance has now been reduced compared to the figure of 2018-19.	**15.6 ZO, Mumbai-II, Thane** **15.6.1 New Pension Scheme: ₹(-) 369352** The amount towards the New Pension Scheme reflecting in the Balance Sheet as amount received during the year as ₹61,86,239/- and amount paid during the year ₹58,49,027/- is a positive figure and there is no negative balance in the year 2020-21. The negative balance had been continuing from past many years and it has reduced considerably.
15.6.2 Conveyance Advance of ₹ (-) 8.14 lakh (Schedule-28, Sl. No. 5(a)) The ₹ (-) 8.14 lakh negative balance under Conveyance Advance under current assets indicates excess recovery of conveyance advance. Correctness of negative balance under conveyance advance is required to be examined and confirmed. No reply has been furnished by Zonal Office, EPFO, Thane.	**15.6.2 Conveyance Advance of ₹ (-) 8.14 lakh (Schedule-28, Sl. No. 5(a))** The reason for negative balance is due to the recovery of advance drawn by official while posted in other office of EPFO and subsequently transferred to this office, the advance was recovered from their respective salary but the same was not transferred to their respective offices and vice versa. This matter has been taken up with higher authority for consideration. It will be rectified in future.
15.6.3 Festival Advance (Sch. 28 Sr.5 (e)) - ₹ 3.49 lakh The above festival advance includes a negative balance of ₹ 56,740/-	**15.6.3 Festival Advance (Sch. 28 Sr.5 (e)) - ₹ 3.49 lakh** This matter has been taken up with higher authority for consideration and still in

brought forward from previous year (2019-20). Value of Loan and Advances given by a Department should normally be depicted either in positive or zero value in the asset side of the Balance Sheet. Reason for inclusion of negative balance in current assets and its correctness may be stated to audit. In reply the RPFC-1 stated that festival advances are getting in to negative due to non-reconciliation of recovery made subsequent to transfer of staff after availing festival advance.	process. It will be rectified in future.
15.6.4 Sub-Schedule for Consolidated Income & Expenditure Under the head "AMC - Computers, Servers & other office equipment" an amount of ₹ 14.62 lakh was shown as negative expenditure towards computer consumables. Similarly, under the head "EPF Administration Fund (Expenses)" negative expenditure of ₹ 4.75 lakh was shown towards furniture and fixtures. The circumstances under which negative entry was reflected in the accounts along with detailed documentary evidence in support was called for. No reply has been furnished by Zonal Office, Thane.	**15.6.4 Sub-Schedule for Consolidated Income & Expenditure** The negative balance occurred under the Heads "Furniture & Fixture" & "Consumer Consumables" in Receipts & Payments is due to Fixed Assets details for the year 2019-20 in r/o RO Kandivali East (newly bifurcated region) was taken in current year Balance Sheet i.e. 2020-21. As a result of above, the capital expenditure is more than the revenue expenditure, hence there is negative balance.
15.6.5 Difference of Rs 1832.58 crore between R & P of Account No. 21 and MIS The Office of Addi Central PF Commissioner, Zonal Office Mumbai-II, Thane compiles the reports of its three Regional Offices, namely (RO) Thane, (RO) Kandivali and (RO) Vashi. When the balance under Account No.1 in the Receipt and Payment Account "contribution received under EPF" was compared with the corresponding figures shown in the Management Information System (MIS-105) for the year 2020-21,the following differences was noticed: **(Amount in ₹)** **Account No. 1** / **Kandivali** / **Vashi** / **Thane** / **Total** Sl. No. 18: 38,474,237,115.56 / 22,157,019,736.87 / 30,946,875,881.85 / 91,578,132,734.28 Sl. No. 19: 26,426,632.00 / 28,263,864.00 / 31,175,843.00 / 85,866,339.00	**15.6.5 Difference of Rs 1832.58 crore between R & P of Account No. 21 and MIS** It is stated that the Contributions, Penal Damages & 7Q interest (Sl. No. 18,19 & 20) are the centralised receipts data which is as per the MIS 2.0 dashboard managed by HO and there is no any difference in centralised receipt amount in the year 2020-21.

Sl. No. 20	17,422,417.00	27,876,741.00	19,556,580.58	64,855,738.58
Total	38,518,086,164.56	22213160342	30997608305	**91,728,854,811.86**
MIS 105	6058777000	1566587000	8687508000	
	3596420000	0	0	
Total MIS 105	9655197000	1566587000	8687508000	**19909292000.00**
Difference				**718,19,56,811.56**

From above Table there is a difference of ₹718,19,56,811.56/- (₹9172,88,54,811.56/- –₹1990,92,92,000/-).

When the above differences between Account No. 1 and MIS-105 was brought to the notice of RPFC-1, it was replied that EPFO administers EPF & MP act 1952 under which there are 03 Schemes i.e. EPF, EPS, EDLI. The data extracted from MIS 105 belongs to EPF (Account No.1) only whereas you have compared this data from EDLI (Account No. 21). Therefore, the difference has arrived mistakenly by comparing EPF contribution with EDLI contribution.

Reply is not acceptable as comparing with the receipts shown under EPF (Sl. No.18, 19 & 20) in Account No. 1 with that shown in MIS-105, the difference still exists. The reason for differences may be examined and reconciled figures shown to audit.

15.6.6 Difference in closing and opening balances of Balance Sheet

Scrutiny of closing balances shown under various items (assets and liabilities) in the balance sheet as on 31.03.20 and opening balances of those items shown on 1.4.2020 (2020-21) revealed the following differences:

Liabilities

(Amount in ₹)

Sl. No.	**Liabilities**	**Closing balance as on 31.03.2020**	**Opening balance as on 01.04.2020**	**Difference Amount**
1	Special Reserve Fund	99700499.06	98550903.37	(-)1 149595.69
2	Suspense A/c (EPF)	88335074.76	92510591.76	(+)4175,517
3	Overpayments	949946	886125	(-)63821
4	GIS (New)	249490	392830	(+) 143340
5	NPS	-980812.04	-369352.04	(+)6,11,460

15.6.6 Difference in closing and opening balances of Balance Sheet

It is stated that the Closing Balance of 31.03.2020 of Special Reserve Fund, Suspense A/c (EPF), Overpayment, NPS and GIS tallies with the Opening Balance of 01.04.2020 in r/o all ROs under the Zone

It is stated that the Closing Balance of 31.03.2020 of Suspense A/c (EPF), Conveyance Advance, HBA, Festival Advance, Computer Advance and Overpayment tallies with the Opening Balance of 01.04.2020 in r/o r/o all ROs under the Zone

There is no difference in Closing & Opening Balance in Balance Sheet in r/o ROs

	Total	**188254197.78**	**191971098.09**	**3716900.31**

B. Assets

(Amount in ₹)

Sl. No.	**Assets**	**Closing balance as on 31.03.2020**	**Opening balance as on 01.04.2020**	**Differences**
1	Suspense A/c	102792416.35	114293698.35	(+) 11501282
2	Conveyance	-6,96771	-814268	-117497
3	HBA	4269221	6141946	(+) 1872725
4	Festival	56740	349086.64	(+)292346.64
5	Computer	1618265	1585095	(+)33170
6	Overpayments	949946	886125	(+)63821
	Total	**108989817.35**	**122441682.99**	**13645847.64**

When the reason for the above differences alongwith reconciled position was called for no reply has been furnished by RPFC-1.

15.7 RO, Raipur (Chhattisgarh)

15.7.1 EPF Administration Fund- ₹ 32.95 crore

This does not include interest received on Security Deposit lying with Chhattisgarh State Power Distribution Company amounting to ₹ 16,695. As per the electricity bill for July 2021, an interest of ₹ 16,695 accrued for FY 2020-21 and will be paid in August 2021 needs rectification.
The department stated that the rectification will be shown in balance sheet in future.

15.7.2 Settlement of outstanding dues payable to Department of Posts and service charges receivable from SBI link branch

From letter No Pen.-I/(3) Postal Dist./2015/1166 dated 18.04.2017 of ACPFC-II (Pension) of EPFO Headquarters addressed to all ACPFC it is revealed that settlement of outstanding dues amounting to ₹7268797.00 towards pensions settlement and commission of Department of Posts, Delhi

15.7 RO, Raipur (Chhattisgarh)

15.7.1 EPF Administration Fund- ₹ 32.95 crore

EPF Administration Fund- Rs. 32.95 crore :- Interest received on Security Deposit lying with Chhattisgarh State Power Distribution Company amounting to Rs. 16695/- has been taken in the balance sheet for the year 2021-22.

15.7.2 Settlement of outstanding dues payable to Department of Posts and service charges receivable from SBI link branch

Recovery process from postal department is under progress. Letter to all concerned post office branches has been sent and follow up for recovery is under process.

was pending for settlement. Similarly as per letter No ZO/OR/Zonal Corp/General/8/2017/194 dated 17-08-2017 addressed to EPFO Headquarters service charges of ₹31,54,112.00 was to be refunded by link branch of SBI to EPFO. Their settlement could not be ascertained from records and present status was called for further scrutiny. In reply it was stated that the matter would be taken up with the concerned authority. The same may be done and status of settlement intimated to audit.	
15.7.3 Capital works-in- progress shown as Fixed Asset The Executive Engineer, BCD-II,CPWD, Bhubaneswar intimated in CPWA form 65 (December 2020) i.r.o. C/o office building of SRO, Keonjhar expenditure of ₹1,81,16,000.00 on the work against deposit of ₹ 3,95,95,000.00. In the consolidated accounts the expenditure of ₹ 1, 81, 16,000.00 (₹ 79, 16,000.00 as on 31-3-2020 plus ₹ 1, 02, 00,000.00 during 2020-21) has not been shown as Capital works-in- progress. Though the work is in progress an amount of ₹ 2,12,59,000.00 has been shown under Fixed Asset (Sch-24sl.2) instead of CWIP resulting in overstatement of Fixed Asset by ₹ 2,12,59,000.00 and understatement of CWIP by equal amount.	**15.7.3 Capital works-in- progress shown as Fixed Asset** An amount of Rs. 2,12,59,000.00 was inadvertently shown in the gross block of "additions of Fixed Asset During the year 2020-21" instead of "Capital works-in- progress during the FY 2020-21". The same has been rectified in the Balance Sheet for the year 2021-22 by deducting an amount of Rs. 2,12,59,000.00 from fixed asset and showing the same against the capital work in progress.
15.7.4 Advance shown as works-in-progress without receipt of report of utilization Out of advance of ₹ 59,67,000.00 paid (up to March 2021) to CPWD towards Renovation work of electrical installations at Regional Office, Bhubaneswar ₹ 20,00,000.00 has been shown as Capital works-in-progress(Sch.24A) against receipt of report of utilization (CPWA form 65)of ₹ 35,93,095.00 from the agency{Executive Engineer,(Electrical), BCED-I,CPWD, Bhubaneswar}. This resulted in understatement of Capital works-in-progress (Sch.24A) by ₹ 15,93,095.00.	**15.7.4 Advance shown as works-in-progress without receipt of report of utilization** Out of advance of Rs. 39,67,000.00 paid (up to March 2021) to CPWD towards Renovation work of electrical installations at Regional Office, Bhubaneswar Rs. 20,00,000.00 was inadvertently shown as Capital works-in-progress (Sch.24A) against receipt of report of utilization (CPWA form 65) of Rs. 35,93,095.00 from the agency {Executive Engineer, (Electrical), BCED-I, CPWD, Bhubaneswar}. The difference amount of Rs. 15,93,095 has been rectified in the Balance Sheet for the year 2021-22 by showing the same under the head "capital work in progress".
15.7.5 Understatement of advance to agencies/contractors (capital	**15.7.5 Understatement of advance to agencies/contractors (capital**

works)- Sch. 28 S.No.13

Against actual closing balance of ₹ 2,38,52,905.00 under head advance to agencies/contractors(capital works) ₹ 2,23,03,000.00 was shown as closing balance resulting in understatement of advance to agencies/contractors (capital works) by ₹ 15,49,905.00 (Sch. 28 S.No.13) as under:

(Amount in ₹)

Work	Total deposits as on 31-3- 2021	Expenditure as per report of utilization(CPW A form 65)	Amount shown as CB	Actual closing balance	Difference
C/o Office building of SRO, Keonjhar	3,95,95,000	1,81,16,000	2,23,03,000	2,14,79,000	**15,49,905**
Renovation workofelectrical installations	59,67,000	35,93,095		23,73,905	
Total	**4,55,62,000**	**2,17,09,095**	**2,23,03,000**	**2,38,52,905**	

In reply it was stated that the information sought for had been communicated to the concerned ROs and would be intimated to audit after receipt of the same.

works)- Sch. 28 S.No.13

In this respect, it is stated that the figure Rs.59,67,000/- pointed out as total deposits as on 31.03.2021 under the head Renovation Work of Regional Office, Bhubaneswar has been erroneously shown by the Audit Party. The correct figure is Rs. 39,67,000/- (as per form 65 of CPWD). Accordingly, the calculation should be:

(Amount in Rs.)

Wor	Total deposits as on 31-3-2021	Expenditure as per report of utilization (CPW A form 65)	Amount shown as CB	Actual closing balance	Difference
C/o OfC/o Office building of SRO, keonjhar	3,95,95,000	1,81,16,000	2,23,03,000	2,14,79,000	
Reno Electri Renovation work of Electrical	39,67,000	35,93,095		3,73,905	
Total	4,35,62,000	2,17,09,095	2,23,03,000	2,18,52,905	**4,50,095**

Actual Difference: 2,23,03,000-2,18,52,905 = **4,50,095**

As per the above calculation the CB should be 2,18,52,905 instead of 2,23,03,000 (which was earlier shown). Hence, the difference comes to 4,50,095.

The same has been rectified in the Balance Sheet for the FY 2021-22 by deducting an amount of Rs.4,50,095/- from advance to agencies/contractors (Capital Work) transferred to Capital work in progress (Sl. no. 25 of annexure Sheet) in respect of Regional Office, Bhubaneswar.

15.8 RO, Gwalior

15.8.1 Interest A/c – EPF contribution fund (Schedule-4)

This has been shown by minus Rs.1180.42 crore despite this Regional PF Commissioner –II, RO, Gwalior could not clarify reasons of minus balance. Further Receipt and payment account no 2 (Administrative) also shown minus balance as OB and CB by ₹ 2,23,785 and ₹ 4,27,271 respectively.

The department stated that the correction will be made in next year.

15.8 RO, Gwalior

15.8.1 Interest A/c – EPF contribution fund (Schedule-4)

In this regard it is submitted that in the common format, Interest Account of Employees' Provident Fund, which was shown in the Assets side of BS in 2019-20 in legacy format, has been changed to Liabilities side and shown as negative balance .

Further, Opening Balance of Receipt and Payment Account No. 2 for Rs.2,23,785

	& Closing Balance Amount Rs. 4,27,271 is the amount of uncleared cheques which are cleared in subsequent months and those which are time barred are cancelled
15.8.2 ZO, Bengaluru **Liabilities Schedule-11-Staff Provident Fund Interest A/c ₹ (-)34,48,84,078/-** Unexplained change of Closing Balance of 2019-20 from 31,72,87,752 to (-)31,72,87,752 while reflecting OB in the said schedule resulted in incorrect CB and understatement of interest payable to SPF by Rs.63,45,75,504/-. Correctness of the amount was therefore not ascertained.	**15.8.2 ZO, Bengaluru** **Liabilities Schedule-11-Staff Provident Fund Interest A/c ₹ (-)34,48,84,078/-** Earlier Annual Accounts of Zonal Offices/Regional Offices of EPFO were prepared in the Legacy Format. In the legacy format the SPF and EPF interest were in asset side. On shifting to the Common Format, the same are shown in Liability side due to which the closing balance has become negative. This has been followed in all offices.
15.8.3 BS-Reserves and Surplus SRF- Sch3 -₹ 6,41,74,007.60 Unexplained change of CB of 2019-20 while carrying forward as OB of 2020-21 by ₹ 16,32,458/- resulted in understatement of CB of 2020-21 by the same extent.	**15.8.3 BS-Reserves and Surplus SRF- Sch3 -₹ 6,41,74,007.60** Earlier Annual Accounts of Zonal Offices/Regional Offices of EPFO were prepared in the Legacy Format in which there was a separate schedule for the Death Relief Fund. But in the Common Format of Accounts as prescribed by the Government of India for Autonomous Bodies. Since there is no separate schedule for Death Relief Fund in Common Format onetime adjustment has been done such that the Opening Balance for SRF for the FY 2020-21(Rs.6,41,74,007.60) = (Closing Balance of SRF as on 31st March, 2020 (Rs.6,58,06,466.56) – Closing Balance of DRF as on 31st March, 2020(Rs.1632458.96)). Also, all the payments for the Death Relief are accounted for in the Schedule No. 3 Special Reserve Fund of Common Format.
15.9 RO, Indore **15.9.1Advance to Agencies/Contractor (Capital Work) Rs.6.90 lakh (Schedule 28)** This includes an un-reconcile amount of Rs.6,90,000 towards Advance to Agencies/Contractor (Capital Work). This amount is pertaining to prior to FY 2017-18. Thus, complete details and reasons for showing this amount as liability and balance confirmation certificates received from concerning party/parties not made available to audit for verification. The department stated that after verification of the amount by HRM-III (Care Taker), the amount of Rs.6,90,000/- will be rectified in the next year	**15.9 RO, Indore** ***15.9.1Advance to Agencies/Contractor (Capital Work)* Rs.6.90 lakh (Schedule 28)** Advance to Agencies/Contractor (Capital work) Rs. 690000/- is reflecting in Balance Sheet 2020-21 resulted as lability. On verification, it is found that the amount Rs. 690000/- is prior to FY 2017-18 which could not be reconciled. On completion of reconciliation/ verification of said amount of Rs. 690000/- will be rectified..

balance sheet 2021-22.	
15.9.2 Liabilities Negative figures were shown in Books of Accounts for the Financial Year 2020-21 as detailed below, needs rectification. Liability Side 1. Schedule – 4, Interest Account-EPF Contribution Fund Balance as on 31st March 2021 ₹ – 30434769935.91 2. Schedule – 11, Interest Account – Staff Provident Fund Balance as on 31st March 2021 ₹ – 245370233.49 The department stated that due to change of format of Balance Sheet in the year 2020-21, the details of interest A/c of EPF contribution fund need to be shown on the liability side of the Balance Sheet. Therefore, the above amount was shown in the negative as opening balance of FY 2020-21 on the liability side of the balance sheet. The observation by Audit Party has been taken note for future compliance.	**15.9.2 Liabilities** In this regard it is submitted that in the common format, Interest Account of Employees' Provident Fund, which was shown in the Assets side of BS in 2019-20 in legacy format, has been changed to Liabilities side. This is the accumulated amount of interest credited to members during the past years. RO/Zos don't have any interest income as amount received from contribution is invested at Head Office level only, hence this is booked under Assets side in Legacy format but now in common format approved by CAG this head is under Liability side. Hence it is shown as negative in the Balance Sheet of ZO/RO, but it is positive in the consolidated Balance Sheet of EPFO
15.9.3 Current Liabilities and provisions (Schedule 15 of ₹ 23.27 crore) This does not include Rs.649594.78 being provision of salary of outsourced manpower for the period March 2021, as this amount is paid in April 2021 from 'staff paid from contingence' budget, so provision for the same should be done in FY 2020-21. Thus, this resulted in understatement of Expenditure (A/c No 2, EPF Administrative Fund) & understatement of 'Current Liabilities and Provisions' (Schedue-15) by ₹ 649593.78. The department stated that an office note in this regard has been issued to HRM-III that proper verification and due care should take while providing the required data for Balance Sheet. The observation of the Audit Party has been taken note for future compliance.	**15.9.3 Current Liabilities and provisions (Schedule 15 of ₹ 23.27 crore)** On verification, it is found that the amount Rs. 649593.78 which pertains to salary of outsourced manpower for the period March-2021, was not provided in prescribed format 'Details 01' Outstanding Expenses".. Due to this, the said amount resulted in understatement of "Current Liabilities ard Provisions" (Schedule-15). The observation by Audit Party has been taken note for future compliance
15.9.4 Other Receipts-Regional Contribution A/c no. 10 ₹ 82.77 lakhs This includes an amount of ₹ 8277242.04 pertains to undelivered refund (as per receipts and payments accounts of Account no. 10 at receipts side -4.	**15.9.4 Other Receipts-Regional Contribution A/c no. 10 ₹ 82.77 lakhs** The Accounts no. 10 is a pool account and in the common format approved by CAG, all the receipts and payments under the employees' pension schemes are

Undelivered refunds credited Rs.82.77 lakhs). Despite these amounts are repaid to members (i.e. PF members) after waving the issues (wrong bank account of IFSC code, Bank account type difference, amount limit) which was considered as Other Income (Schedule-35) in consolidated Income & Expenditure account for the Financial Year 2020-21. As the amount so received due to undelivered will be payable in future and falls under category of liability, but not do to so this resulted in overstatement of Income and understatement of liabilities by ₹ 82.77 lakhs. The department stated that the Balance Sheet for the year 2020-21 is designed and developed by the Head Office and all the data pertains to A/c no. 10 has been posted in R & P A/c No 10 format only. All Schedules are auto fed by software itself.	treated as Income and Expenditure of that year. There is no schedule for recording it on liability side. Hence there is no understatement of liability.
15.9.5 Other Receipts-Regional Contribution A/c. 21 ₹ 11.38 lakhs This includes an amount of ₹1138417.00 pertains to undelivered refund, (as per Receipt and Payment Account of Account no. 21 at receipts side -5. Undelivered refunds credited ₹. 11.38 lakhs) Despite these amounts are repaid to members (i.e. PF members) after waving the issues (wrong bank account of IFSC code, Bank account type difference, amount limit) which was considered as Other Income (Schedule-37) of Consolidated Income & Expenditure account for the Financial Year 2020-21. As the amount so received, due to undelivered will be payable in future and falls under category of liability, but not do to so this resulted in overstatement of Income and understatement of liabilities by ₹11.38 lakhs. The department stated that the Balance Sheet for the year 2020-21 is designed and developed by the Head Office and all the data pertains to A/c no. 21 has been posted in R & P A/c No 21 format only. All Schedules are auto fed by software itself.	**15.9.5 Other Receipts-Regional Contribution A/c. 21 ₹ 11.38 lakhs** The Accounts no. 21 is a pool account and in the common format approved by CAG, all the receipts and payments of A/c-21 are treated as Income and Expenditure of that year. There is no schedule for recording it on liability side. Hence there is no understatement of liability.
15.9.6 Receipt and Payment Account **1.** In Account No.2 amounting to ₹ 21,85,84,693/- shown nomenclature as subsidy in place of transferred. 2. ₹ 5130/- pertains to Travelling allowance not taken in respective head	**15.9.6 Receipt and Payment Account** This is the amount transferred from Account No. 4 maintained at Head office to the current Account no. 2 of Regional Office to maintain the NIL balance at the end of each day, hence the same is not subsidy received from outside.

of respective Receipt and Payment Account no.2. Similarly, ₹ 32,994/- pertains to Leave Encashment, wrongly considered as LTC Expenses in Receipt and Payment Account No.2 needs rectification.	
15.10 RO, Sagar, MP **15.10.1Balance Sheet** The amount paid during the year in respect of Inoperative Account by Regional Office, EPFO, Sagar is ₹171.41 lakh, however, the same has been shown as NIL in the Receipt & Payment Account No.1 by RO, Sagar. This resulted in overstatement of Schedule-2 "Inoperative Accounts by ₹171.41 lakh and understatement of Receipt & Payment Account by same. The department stated that the correction will be made in next financial year.	**15.10 RO, Sagar, MP** **15.10.1Balance Sheet** The In-operative amount of RO, Sagar is Rs.171.41 lakh which is shown in Receipt and Payment A/c 01 (Payment side column no. 4) in 2020-21. Necessary corrections will be carried out in next Balance Sheet of the Office.
15.10.2 The EPFO, Sagar, had liability of ₹ 645.32 lakh for Staff Provident Fund Account (Staff Provident Fund Account Schedule-13) ₹ 460.46 lakh and Staff Provident Fund Account (Schedule-11) ₹184.86 lakh. Against the above liabilities corresponding assets of ₹152.70 lakh have been shown in the accounts (Staff Provident Fund Account Schedule-26) ₹ 152.70 lakh, SPF amount in transit (Schedule -28) ₹ NIL, hence a difference of Liabilities and Assets of under head Staff Provident Fund by ₹ 492.62 (₹ 645.32 – ₹152.70) needs rectification. Further, we noticed that minus figure depicted under schedule -11 "Staff Provident Fund Interest Account ₹184.86 whereas same figure at Sl. No.9 of closing balance of Asset was shown in plus which does not show the true and fair picture of annual account.	**15.10.2** Liability as shown and corresponding assets as shown in this point is being reconciled from SPF register and in SPF accounts. Further regarding minus figure, earlier Annual Accounts of Zonal Offices/Regional Offices of EPFO were prepared in the Legacy Format. In the legacy format the SPF and EPF interest were in asset side. On shifting to the Common Format, the same are shown in Liability side due to which the closing balance has become negative. This has been followed in all offices.
15.10.3 Current Liabilities and Provisions (EPF) Schedule 5 ₹11.72 lakh The above includes un-reconciled excess/erroneous credits amount to ₹1172701/- pertains to irregular and over payment. Under current liabilities head "irregular payment and over payment was shown ₹ 1172701 (₹1165068 irregular payment and ₹ 7633/- overpayment). This amount was not included in Receipt and Payment Account of the year 2020-21. Therefore, it is clear that this amount pertains to previous year but not reconciled/adjusted till March 2021. Year/beneficiaries wise bifurcation of this amount was not available with	**15.10.3 Current Liabilities and Provisions (EPF) Schedule 5 ₹11.72 lakh** Necessary correspondence are being done on regular basis and it will be reconciled at the earliest.

EPFO Sagar, hence audit could not ensure from when this amount lying as irregular and overpayment in annual account. This was need to be reconciled and rectify in annual account accordingly.
The department stated that the correction will be made in next financial year.

15.11 Suspense Accounts

According to sub-para II (VII) under para 10.06 of the manual of Accounting proceed Part-I General of Employees Provident Fund Organizations, a statement showing the details of 10 balances shown under "Provident Fund Suspense" in both liabilities and Assets side should be enclosed to the balance sheet every year indicating the date of transaction, brief particulars of amounts. Vigorous drive should be launched to analyses the outstanding items under this head and clear them. It is emphasized that the balances under unclassified suspense on both Liabilities and Assets side should kept down to the minimum and prompt action taken to clear them.

The details of fund account kept in suspense Account are as below:-

Name of ZO/RO	Liabilities	Amount (in Rs.)	Assets	Amount (in ₹)
ZO, Coimbatore	Suspense account (Admn. Fund)	4,48,24,928.06	Suspense account (Admn. Fund)	44,43,074
ZO, EPFO, Bhubaneswar	Suspense accounts (unclassified) (EPF)	- 7,92,20,928.11 (Sch-5)	Suspense accounts (unclassified)(EPF)	15,82,57,091. 48 (Sch-19)
	Suspense accounts (Admin fund)	- 2,33,82,944.68 (Sch-15)	Suspense A/c(Admn Fund)	34,80,152.16 (Sch-28)
RO, Tirunelveli	Suspense Account (EPF)	45,14,317.90	Suspense Account (EPF)	5,41.985.60
	Suspense Account (Admn.Fund)	46,23,362.60	Suspense Account (Admn.Fund)	6,32,076
RO, Raipur	Suspense account	54,518,518.87	Suspense account-	42,237,406.37

15.11 Suspense Accounts

ZO, Coimbatore

The amount lying under the head of Suspense Account (Admn. Fund) pertains to multiple years prior to decentralisation of the erstwhile Region. However, action is being taken by the Regional Offices to identify the reason and reconcile the balance of suspense account (Admn. Fund) at the earliest.

RO, Tirunelveli: The balance lying under the Suspense Account (EPF) and Suspense Account (Admn. Fund) are being verified with available records and after identifying the reasons for the huge balance, the same will be reconciled in the Balance Sheet 2022-23.

RO, Madurai: Matter is being taken up with Bank authorities for necessary rectification. The same will be adjusted in the Balance Sheet 2022-23 after reconciliation.

ZO, Bhubaneswar

Letters have been issued to all the Regional Offices under this Zone to take necessary steps for clearance of balances lying under Suspense Accounts (Unclassified) under Asset & Liabilities of Balance Sheet and has regularly been followed up. It is to inform that approximately 20-30% balance has been reconciled during the year 2021-22 and reconciliation process is going on.

RO, Raipur

It is to inform that most of the amount under suspense account is prior to the financial year 2010-11 and there was manual system of depositing EPF and allied dues by the establishment. To reconcile the suspense account under erroneous credit the list of huge negative balance of establishment is being obtained from the EDP/Account section and according to the list AEO will be verifying the short amount and challan, if already deposited by the establishment. In this way the suspense account may be cleared.

			unclassified EPF	
	Suspense account-Admn. Fund	24,099,516.60	Suspense account-Admn. Fund	1,731,135.73
ZO, Bhubaneswar	Suspense accounts (unclassified) (EPF)	- 7,92,20,928.11 (Sch-5)	Suspense accounts (unclassified)(EPF)	15,82,57,091.48 (Sch-19)
	Suspense accounts (Admin fund)	- 2,33,82,944.68 (Sch-15)	Suspense Account (Admn Fund)	34,80,152.16 (Sch-28)

Zonal Office, Mumbai -II, Thane

The RO-wise consolidated statement prepared in respect of RO, Kandivli, RO, Vashi and RO Thane that there was a difference of ₹ 5407797 Between suspense account figure shown under suspense head in Balance Sheet (₹ 92510591.36) and that shown in consolidated account of all the three ROs (₹ 97918338.48).

An amount of Rs. 11.33 crore (EPF) (Schedule 19 (1) (4) (a) and ₹ 9.56 crore under Schedule 28 (C)(3)(a) - Suspense Account (Admn Fund) and were lying in the said accounts for many years unadjusted.

It was further observed from the RO-wise consolidated statement prepared in respect of RO, Kandivli, RO, Vashi and RO, Thane that there was a difference between the figures of suspense account shown in the Schedule attached to the Balance Sheet and those shown in the consolidated statement of all the three ROs, as detailed below:

Particulars	Amount shown in Schedule	As per statement of consolidation of ROs	Difference
Schedule 19	114293698.00	102792416.00	11501282.00
Schedule 28	95627763.00	95791968.00	1642015.00
Total	**209921461.00**	**198584384.00**	**13143297.00**

When the reason for differences was called for, no reply has been furnished by the Zonal Office.

RO, Madurai

A scrutiny of the Bank Reconciliation statement in respect of various accounts reveals that the following amounts (as per cash

Further, Rs.823633.93 under Erroneous debit in account 02 has been cleared out and it will be reflected in the balance sheet of next FY 2022-23. For the remaining amount under erroneous debit in respect of all the accounts SBI, Main Branch, Raipur is being asked to clarify, and the same will be updated accordingly

Zonal Office, Mumbai-II, Thane

RO Thane (North & South) Schedule 19:- the amount of ₹40,014,342.20 shown against Suspense account (EPF) in Statement of Consolidation is the Balance as per last Balance Sheet and the amount shown of ₹51,515,624.20 shown in Schedule 19 as Balance as on 31.03.2021 was arrived after due adjustment of erroneous debits during the year 2020-21 and amount cleared during the year 2020-21.

Schedule 28:- the amount of ₹21,28,000/- against Suspense account (EPF Adm.) in Statement of Consolidation is the Balance as per last Balance Sheet and the amount shown of ₹21,30,565/- shown in Schedule 28 as Balance as on 31.03.2021 was arrived after due adjustment of erroneous debits during the year and amount cleared during the year

RO Vashi, the amount of ₹62,778,074.15 shown against Suspense account (EPF) in Statement of Consolidation is the Balance as per last Balance Sheet and the amount in Schedule 19 as Balance as on 31.03.2021 was arrived after due adjustment of erroneous debits during the year 2020-21 and amount cleared during the year 2020-21

The amount of ₹93,670,012.54 shown against Suspense account (EPF) in Statement of Consolidation is the Balance as per last Balance Sheet and the amount of ₹93,503,242.54 in Schedule 28 as Balance as on 31.03.2021 was arrived after due adjustment of erroneous debits during the year 2020-21 and amount cleared during the year 2020-21

books) were pending to be reconciled from the year 1985 and has to be shown in the accounts as mentioned against each.

Sl.No.	Account	Amount (in ₹)	Classification
1.	A/c no.1	1,01,17,372.04	Unclassified debit in Liability side
2.	A/c no.2	-11,53,089.82	Unclassified credit in Asset side
3.	A/c no. 10 (From 2013)	15,92,671.00 34,84,793.00	Unclassified debit in Liability side
4.	A/c no.21	82,148.00	Unclassified debit in liability side
5.	A/c no.5	- 906.95	Unclassified debit in Asset side

However, it is seen that the EPFO, Madurai has not distinctively exhibited the same in the accounts.

The suspense balances needs reconciliation.

15.12 Exhibition of Minus Balance

Following minus balances were depicted in Receipt and Payment as detailed below:-

	Account No.	Opening Balance on 01-04-2020	Closing Balance on 31-03-2021
RO, Sagar	01	(-) 125899035.82	(-) 161916824.82
	02	(-) 6852194.10	(-) 5926071.10
	10	(-) 52534641.60	(-) 52141199.60
	21	(-) 3850789.85	(-) 4059171.85
	22	(-) 206952.28	(-) 206952.28
ZO, Faridabad	01	(-) 903696.82	(-) 116623753.82
	02	(-) 20605324.69	(-) 42772650.69
	10	(-) 6134972085	(-) 84453806.85
	21	(-) 86273.95	(-) 677459.95
RO, Faridabad	01	1213425.08	(-) 24372168.92
	02	(-) 13214003.69	(-) 17410801.69
	10	418300.15	(-) 20812004.85

15.12 Exhibition of Minus Balance

ZO/RO, Faridabad

Cheques issued on the last days of march especially 30 and 31st march remain unpaid and are cleared from the bank next day i.e. in the month of April. Hence these cheques create an unpaid balance every year which is shown as minus balance.

ZO, Coimbatore

There is no separate head to book the amount towards ECR Rejection cases in the Payment Side. As such, Regional Offices are showing the same amount as negative figure in the receipt side of respective accounts under head Contribution. Hence, there was a negative figure in the receipt side.

RO, Raipur

There is no separate head to book the amount towards ECR Rejection cases in the Payment Side. As such, Regional Offices are showing the same amount as negative figure in the receipt side of respective accounts under head Contribution. Hence, there was a negative figure in the receipt side.

	21	(-) 277742	(-) 237928.80
	22	(-) 262.06	(-) 262.06
ZO, Coimbatore	2	Receipt side - Administrative Charges	(-) 2,02,251
	10	Receipts side - Contributions deposited	(-) 6,10,961
	21	Receipts side - Contributions deposited	(-) 80,063
RO, Raipur	2	Receipt side	(-)223952
	10	Receipts side – Opening Balance	(-)74575796.39
	10	Receipts side - Contributions deposited	(-)9275108
	10	Payment side	(-)92104930.39

Reasons for exhibiting negative balance in the receipt side in respect of ZO, Coimbatore all the above accounts needs to be elucidated to Audit.

15.12.1 ZO, Coimbatore

The contribution deposited in account No. 1, 10 and 21 was netted between the figures of all Regional offices and disclosure of staff advances under its control as detailed below:-

Contribution Deposited in Account	RO, Coimbatore	RO, Salem	RO, Trichy	RO, Madurai	RO, Tirunelveli	RO, Nagercoil	Net Contribution
Account No. 1	(-) 112509922	130290656.5	440818	(-) 4951552	(-) 4511385	(-) 1199896	7558719.5
Account No. 10	760560	0	0	0	(-) 1371521	0	(-)610961

15.12.1 ZO, Coimbatore

There is no separate head to book the amount towards ECR Rejection cases in the Payment Side. As such, Regional Offices are showing the same amount as negative figure in the receipt side of respective accounts under head Contribution. Hence, there was a negative figure in the receipt side.

On scrutiny of negative balances under the head "Conveyance Advance" & "Pay Advance", it is found that these are accumulated advances pertaining to multiple years prior to decentralisation of the erstwhile Tamilnadu Region. It is observed that prior to decentralisation, the amount recovered from staff had not been physically transferred to the concerned offices resulting to present accumulated balance in the Balance Sheet 2020-21.

Account No.21	47279	0	0	0	(-) 127342	0	(-)80063
Conveyance Advance(under Recoverable Advances - Staff)	114566	(-)260440	(-) 397545	(-) 203852.20	(-) 924904.80	(-) 1,49,914	(-) 18,21,290
Conveyance Advance (details of recovery)	18705	4200	28062	(-)212867.20	35158	5578	(-) 121164.20

Reasons for exhibiting negative balances of all the above accounts needs to be elucidated to audit. Further, the balance as shown an advance granted to employees, its recovery should be reflected as a minus figure and the final amount is required to be exhibited as plus figure only. The reasons for reckoning negative figures as closing balance under this schedule - Conveyance Advance is objected in Audit.

Similarly, pay advances were exhibited as negative figure as follow:

Sl. No.	Type of Advance	Opening balance as on 01/04/2020	Amount paid during the financial year 2020-21	Total	Amount recovered during the financial year 2020-21	Closing Balance as on 31/03/2021
1	Pay Advance	(-)38,213.00	0	(-)38,213	2,21,329.00	(-)2,59,542.00

The action will be take into the matter after the due approval.

15.13 Fixed Assets

15.13.1 Overstatement of Depreciation - Building-Office- Fixed Assets (ZO, Coimbatore)

An amount of ₹19,19,07,264 has been exhibited as the value of Building-Office and the depreciation of ₹99,58,722 for the year 2019-20 was provided thereon. However, the depreciation rate provided under the Company's Act 2013 was 1.58% only.

Further verification of the Annual Accounts pertaining to the Regional Office, Salem revealed that during the year 2019-20 and 2020-21, RO-Salem

15.13 Fixed Assets

15.13.1 Overstatement of Depreciation - Building-Office- Fixed Assets (ZO, Coimbatore)

RO, Salem: The depreciation for new office building as pointed by the Audit, will be carried out in the current year Balance Sheet.

RO, Coimbatore: For the year 2019-20, 1.58% of depreciation for the Office Building of RO, Coimbatore has been calculated as Rs. 35551/- based on the net value of the building (Rs. 22,50,064/-) instead of gross value (Rs.

did not provide any depreciation on Building Office valued at ₹ 5,91,18,796. Zonal Office replied that the accounts of the ROs were consolidating based on Balance Sheet for the period 2019-20 and 2020-21.

Fixed asset statement may be recast and errors rectified in current year accounts.

24,90,997/-) which works out to Rs. 39358/-.

Hence, the depreciation provided for the year 2019-20 is less by Rs. 3807/- and the same amount has been added in the Balance Sheet 2021-22.

15.13.2 Incorrect exhibition of depreciation on Fixed Assets (RO, Madurai)

In 2018 EPFO adopted, depreciation on Straight Line Method at the rates specified under the companies Act. 2013.

Scrutiny of Schedule of Fixed Assets pertaining to the year 2019-20 and 2020-21 revealed that the following deprecation were made for the Fixed Assets held by the EPFO RO Madurai which was not in accordance with the EPFO Headquarters instructions issued during March 2018:

Sl. No	Nature of Assets	Rate of Depreciation to be provided	Value of the Assets at the end of 31/3/20	Value of the Assets at the end of 31/3/21	Depreciation provided during 2019-20	Depreciation provided during 2020-21	Rate of Depreciation provided during 2019-20	Rate of Depreciation provided during 2020- 21
1.	Buildings (other than the factory building) RCC Framed Structure	1.58	1,11,85,883	1,11,85,883	3,23,859	323859	2.89	2.89
2.	Furniture & Fixture	9.5	14,50,989	14,50,989	1,26,675	2,55,339	8.73	17.60

15.13.2 Incorrect exhibition of depreciation on Fixed Assets (RO, Madurai)

While preparing Fixed Assets statement, the head of the Fixed Assets Statement had been erroneously interchanged. However, these errors have been identified and rectified.

3.	Vehicles and Motor Car	15.83	8,888	8,888	800	720	9	8.10
4.	Office Equipments	19	8,94,098	10,63,971	1,23,299	1,55,795	13.80	14.64
5.	Computers/ peripherals	31.67	55,06,826	65,25,360	7,46,313	19,32,465	13.55	29.61
6.	Tubewells Water supply	31.67	5,18,651	5,18,651	92,767	61,838	17.88	11.92
7.	Electrical installations	9.50	26,72,837	26,72,837	8,06,182	10,60,474	30.16	39.68

15.13.3 Understatement of Depreciation ₹ 1,77,658/- (RO, Coimbatore)

On scrutiny of Annual Balance Sheet of the EPFO, Coimbatore, it was seen that Depreciation on Straight Line Method as prescribed in the Schedule II (Part C) of the Companies Act, 2013 is provided on the fixed assets.

The following are the rate of Depreciation for the different classes of Fixed Assets

(Amount in ₹)

S.No	Class of Asset	Useful Life (years)	Rate of Depreciation
1	Building	60	1.58
2	Temporary Building	3	31.67
3	Office Equipment	5	19
4	Furniture and Fixtures	10	9.5
5	Computer Peripheral	6	15.83
6	Software	6	15.83

It is given in the Notes to Schedule II Part C of the Indian Companies Act, 2013 that -

Where, during any financial year, any addition has been made to any asset,

15.13.3 Understatement of Depreciation ₹ 1,77,658/- (RO, Coimbatore)

The depreciation was arrived based on the rates of depreciation provided by HO. However, the rates provided by Audit as per Indian Companies Act, 2013 was verified and necessary rectification has been done in the Balance Sheet for 2021-22.

(b) The revenue expenditures booked under fixed assets as pointed out by Audit has been verified and rectified in the Balance Sheet 2021-22.

(c) As noted by the Audit, the residual value of the Asset after the useful life of an asset has been shown in the Balance Sheet 2021-22.

or where any asset has been sold, discarded, demolished or destroyed, the depreciation on such assets shall be calculated on a *pro rata* basis from the date of such addition or, as the case may be, up to the date on which such asset has been sold, discarded, demolished or destroyed'.

On further Scrutiny, it was noticed that for an Asset which is used for less than 6 months in a financial year half of the given Depreciation is provided in that year except for some cases where Half Depreciation was provided for even when the Asset was used for more than 6 months. The details of such cases are as follows:

(Amount in ₹)

Date of Purchase	Item	Amount paid	Depreciation provided	Depreciation to be provided	Difference
04.09.2019	Photocopier		8806	17612	8806
17.09.2019	Television	63000	5985	11970	5985
18.09.2019	CCTV Camera	183726	17454	34908	17454
23.09.2019	32 PCs	1657120	131161	262322	131161
27.09.2019	5 Printers	168730	13211	26423	13211
27.09.2019	UPS 600 KV	13300	1041	2082	1041
				Total	**1,77,658**

A. In addition to this it was also noticed that various Revenue Expenditure related to Computers like Printer ink, Cartridge, Toner was booked as Fixed Asset. This has resulted in Overstatement of fixed Asset and Understatement of Revenue Expenditure.

B. The straight line method prescribed in the Companies Act, 2013 gives the rate of Depreciation and the useful life of an Asset. After the useful life of an Asset some residual value is left which is approximately 5 per cent of the Purchase value. It is to be noted that at the end of the useful life of the asset it should be shown at the residual value and should not be depreciated further.

In reply the organization accepted to incorporate the modification in the accounts for the rear 2021-22.

15.13.4 Understatement of Revenue Expenditure and Overstatement of Fixed Asset- ₹43,976/- (RO Coimbatore)

Expenditure on purchase of Computer Software renewal for one year of ₹4,15,521/- was capitalized during the financial year 2020-21 and depreciation provided as below:

(Amount in ₹)

Date of Purchase	Particulars	Amount Capitalized	Depreciation Charged	Revenue expenditure to be booked in 2020-21	Prepaid Expenses as on 31.03.2021
03.08.2020	K7 Anti-Virus	9240	5109.92	3080	6160
29.10.2020	Office 365	6240		2600	3640
29.10.2020	Office 365	16800		7000	9800
18.01.2021	Office 365	11696	926.32	2436	9260
		43,976	**6,036.24**	**15,116**	**28,860**

This incorrect booking of a revenue expenditure as a capital expenditure has resulted in Overstatement of Gross Fixed Asset by ₹43,976, overstatement of Depreciation by ₹ 6,036.24 and understatement of Revenue Expenditure by ₹15,116 in the Income and Expenditure Account and Understatement of Current Assets by ₹28,860.

15.13.4 Understatement of Revenue Expenditure and Overstatement of Fixed Asset- ₹43,976/(RO Coimbatore)

As pointed out by the AG Audit, the expenditure on software with validity of one year will be booked under revenue expenditure instead of Intangible Assets. Necessary rectification as suggested by Audit has been made in the Balance sheet 2021-22.

15.13.5 Incorrect booking of Capital Expenditure as Other Fixed Asset- ₹ 7,66,584.00

On scrutiny of the records related to the fixed assets purchased during the financial year, it was seen that an addition of ₹ 7,66,584 was made to the "Other Fixed Assets". The details of the Other Fixed Assets is are as follows:

(Amount in ₹)

Date of Purchase	Particulars	Amount Capitalized	Depreciation Charged	Correct head of Asset	Depreciation to be charged

15.13.5 Incorrect booking of Capital Expenditure as Other Fixed Asset- ₹ 7,66,584.00

It has been rectified and incorporated in the Balance Sheet for the year 2021-2022.

31.07.2020	Temporary Shed 1st Instt	342000	79097	Building Temporary Structure	113988
01.10.2020	Sony TV	74300	0	Electrical Installations	3529
08.02.2020	Temporary Shed 2nd Instt	350284	33276	Building-Temporary Structure	58374
		7,66,584	**1,12,373**		**1,75,891**

It is also seen that 19 *per cent* Depreciation was provided on the Temporary Shed instead of 33.33 *per cent*. A Television purchased for the office is also shown as Other Fixed Asset in place of Electrical Installations. The Depreciation to be charged on the Television is 4.75 Per cent (Half of 9.5 per cent as the asset is put to use in second half of the financial year.)
This has resulted in understatement of Depreciation and overstatement of Fixed Assets by ₹63,518.

15.14 RO, Tirunelveli

15.14.1Understatement of Fixed Asset to the tune of ₹ 56,078/- and overstatement of depreciation - ₹ 64,787/-

An expenditure of ₹ 97,002/- was incurred towards procurement of Office Equipments. However, additions during the year 2019-20 was exhibited as ₹ 40,924/-. Depreciation on Office Equipments was incorrectly exhibited as ₹ 74,022/- instead of ₹ 9,215/- This had resulted in understatement of Fixed Asset to the tune of ₹ 56,078/- and overstatement of depreciation to the tune of ₹ 64,787/-.

15.14.2 Incorrect exhibition of depreciation on Plant Machinery and Equipment

Addition towards procurement of Plant Machinery and equipment during the year 2019-20 was ₹1,16,141/-. However, it was noticed the deprecation provided on Plant Machinery and Equipment was exhibited as Rs.0.59/- This had resulted in incorrect exhibition of depreciation.

15.14 RO, Tirunelveli

15.14.1Understatement of Fixed Asset to the tune of ₹ 56,078/- and overstatement of depreciation - ₹ 64,787/-

The exhibited amount of Rs.74,022/- as depreciation on office equipment instead of Rs.9215/- will be rectified in the Balance Sheet 2022-23.

15.14.2 Incorrect exhibition of depreciation on Plant Machinery and Equipment

The depreciation has been calculated based on the rates provided in Companies Act which are followed in EPFO.

15.14.3 Incorrect exhibition of depreciation on Buildings- office Depreciation provided on building for the years 2019-20 and 2020-21 were ₹ 60.69 lakh and ₹ 17.25 lakh respectively for the Gross Assets on Straight Line Method. When this was brought to notice, it was replied that in 19-20 depreciation was inadvertently calculated as ₹ 60.69 lakh instead of ₹ 17.45 lakh. This had resulted in overstatement of Assets and understatement of Capital Fund by ₹ 43.44 lakh.	**15.14.3 Incorrect exhibition of depreciation on Buildings- office** The depreciation column gets automatically updated in the excel format as the assets are fed and needs no separate input. The depreciation column for 2019-20 in respect of Buildings was inadvertently calculated as Rs.60.69 lakh instead of Rs.17.45 lakh. Verification of records is being done to furnish the correct amount of depreciation in the forthcoming years.
15.15 RO, Ludhiana Depreciation on Fixed .Assets and other assets must be charged as per rates prescribed under Schedule II of the Companies Act 2013, Test check of Annual Accounts for the year 2020-21, it was noticed that: (i) While calculating depreciation on furniture fixture, addition of ₹ 69655was taken twice, whereas consolidated figure is correct. It resulted into overstatement of depreciation by ₹ 3309.77 @ 9.5%/2 i.e. for half year and corresponding understatement of Furniture & Fixture a/c in the accounts (ii) As per Schedule II of the Companies Act-2013, item no 1 (d), Tube wells were to be depreciated by 19%. But the same was not depreciated on consolidated amount was ₹38010/- of Tube well. Hus resulted into overstatement of Tubewell a/c and understatement of depreciation a/c by ₹ 72213.90 (iii) As per section 32 of Income tax act, Library books were to be depreciated 40%, but the same was not depreciated. Consolidated amount of books was ₹ 161585/- This resulted into overstatement of Library a/c understatement of depreciation A/c by ₹ 64634 -.	**15.15 RO, Ludhiana** In this regard, it is submitted that fixed Assets Proforma for the FY 2021-22 has been prepared by taking into account of all three observations raised by AG Audit during the FY 2020-21.
15.16 RO, Raipur **15.16.1** During scrutiny of 'details of fixed assets for 2020-21' as per fixed assets register provided by EPFO RO Raipur following points of mismatch has been observed w.r.t. Details of fixed assets provided in Balance Sheet: 1. Column for 'Cost/valuation at the beginning of the year' in the Gross Block in 'details of fixed assets for 2020-21' as per fixed assets register does	**15.16 RO, Raipur** The observation of audit is noted and now in the Balance Sheet for the year 2021-22 fixed assets register is tallied with the balance sheet

not match with Column for 'Cost/valuation at the beginning of the year' in the Gross Block in 'details of fixed assets for 2020-21' as per balance sheet. 2. Column for 'Cost/valuation at the end of the year' in the Gross Block in 'details of fixed assets for 2020-21' as per fixed assets register does not match with Column for 'Cost/valuation at the end of the year' in the Gross Block in 'details of fixed assets for 2020-21' as per balance sheet. 3. Column for 'Accumulated depreciation at the beginning of the year' in the depreciation Block in 'details of fixed assets for 2020-21' as per fixed assets register does not match with Column for 'Accumulated depreciation at the beginning of the year' in the Depreciation Block in 'details of fixed assets for 2020-21 ' as per balance sheet. 4. Column for 'Accumulated depreciation at the yearend' in the depreciation Block in 'details of fixed assets for 2020-21' as per fixed assets register does not match with Column for 'Accumulated depreciation at the year end' in the Depreciation Block in 'details of fixed assets for 2020-21 ' as per balance sheet. Department replied as per instruction received from the EPFO Zonal Office, Bhopal, value of column for Cost/Valuation at the beginning of the year for 2020-21 is carried from Cost/Valuation at the end of the year for 2019-20 and value of column accumulated depreciation at the beginning of the year for 2020-21 is carried from accumulated depreciation at the year end of 2019-20. Due to the above modification details of fixed assets of balance sheet is mismatched with fixed assets register.	
15.17 ZO, Bhubaneswar **15.17.1 Incorrect charging of depreciation** As per letter No. BSC 1 (1)2020-21 dated 26-3-2021 read with letter No. BSC1 (1)2017-18 dated 28-3-2018 and BSC 12 (3) 2014-15 dated 24-6 -2016 expenditure on all items for more than ₹5000.00 which is used for providing services for more than one year will be considered as asset and depreciation on the same will be treated as expenditure for the year. On depreciation is provided on straight line method at the rates specified under the p 2013(as amended). Full rate of depreciation is provided on fixed assets, which have	**15.17 ZO, Bhubaneswar** **15.17.1 Incorrect charging of depreciation** This has been reconciled and the difference amount has been adjusted in the Annual Accounts 2021-22.

been us more than 180 days and at half rate, if used up to 180 days during the year. In the consolidated annual accounts depreciation amounting to Rs. 36,93,206.00 has been charged(Sch.24 fixed assets).The same was worked out on the total of opening balance of net block) amount and amount of addition during 2020-21 at the full rates of depreciation specified in the said letter. The date of purchase of the fixed assets and their use during 2020-21 was not taken to consideration while calculating the depreciation. As all the fixed assets purchased have not been put to use for more than 180 days charging of depreciation at the full rates has resulted in excess depreciation. The excess depreciation could not be worked out in audit due to want of details like date of purchase/ date of installation of the assets, number of days the assets put to use (despite requisition the required information has not been furnished). The amount of depreciation charged for the year 2020-21 is also not correct in view of the following remarks:

(Amount in ₹)

Asset	OB	Addition	Depreciation chargeable			Depreciation	Difference	Remarks
			On OB	On addition	Total			
Building -off	34618367.45		546970		546970	109702.23	437268.23	Excess due to adoption of depreciation rate of 3.17% instead of 1.58%
Building-Res	31426219	—	496534.26	-	496534.26	996211.14	499676.88	-do-
Furniture	1113677	36480 00	105799.31	34656	140455.31	105799.31	(-)34656	Less due to noncharging depreciation on addition
Off. equipment	421094	155634	80007.86	29570.46	109578.32	80007.86	(+) 29570.46	-do-

Computer	4399578	3004066	1393346.35	951387.70	2344734.05	1393346.35	(-) 951387.70	-do- Server & Networks (depreciation rate 15.83% and end user devices such as desktop, laptop etc. @ 31.67%) have not been shown separately.
Electrical installation &Equipments	216157	144915	20534.91	13766.92	34301.83	20439.91	(-) 34301.83	Less due to non-charging depreciation on addition
Library books	0	50175	NA	NA	NA	50175	NA	Depreciation rate not available

The depreciation should be worked out as per aforesaid letter of EPFO headquarters and necessary rectification made in the accounts.

Further (i) in Annex-I to classified summary addition of ₹ 2,12,59,000.00 has been shown under the head building/office though the work is in progress. Due to addition of the above amount the closing balance is overstated by ₹ 2,12,59,000.00 (ii) The head Work in progress has not been shown the Annexure.

15.18 RO/ZO, Bengaluru Zone

15.18.1 Assets- Sch-24A Capital Works in Progress ₹16,54,02,080

As per guidance note on accounting for the fixed assets for government entities the expenditure on fixed assets/projects that are in process of construction or completion and are not ready for intended use on reporting date, for example, construction of a building or hydroelectric power project, should be recorded under CWIP in the Fixed Asset Registers in the given column of the relevant class of fixed assets. On completion or commissioning of the fixed asset/project the total expenditure of that asset/ project should cease to be depicted in CWIP column. In cases where parts of the CWIP project are independently ready for intended use, the related/proportionate cost of such project should be removed from CWIP.

15.18 RO/ZO, Bengaluru Zone

15.18.1Assets- Sch-24A Capital Works in Progress ₹16,54,02,080

As the final expenditure statement and Utilization Certificate was yet to be received from CPWD, the amount was shown under the head Capital Work in Progress. However, as the work is actually completed and taken over from CPWD, the said amount has been capitalized during the year 2021-22 and reflected in the balance sheet for the year 2021-22. The proportionate depreciation for the year 2020-21 has also been reflected in the balance sheet for 2021-22.

On the check of accounts for the year 2020-21, it is seen from Schedule 24A, that an amount of ₹16,54,02,080 is shown under CWIP being the cost of construction of EPFO Zonal office Annexe Building executed by CPWD through deposit works. In this regard, it is seen from the CPWD schedule of expenditure that as on 31st March, 2021 and amount of ₹ 15,92,44,087 has been incurred.

Further, it is also noticed that CPWD vide its letter dated 20/02/2019 has handed over building inventory and electrical inventory to RPFO for taking over the building.

As seen from the records, the EPFO office occupied the Annex building during the year 2020 and the same was officially inaugurated on 04/03/2021 virtually, though the building was occupied much before inauguration.

However, this amount of ₹15,92,44,087 has not been accounted under Buildings under Fixed Assets by reducing the CWIP to that extent. This has resulted in understatement of fixed assets and overstatement of CWIP by ₹1592.44 lakh along with understatement of proportionate depreciation.

15.18.2 Consolidated B/S-Sch-24-Fixed Assets- ₹18,96,05,247 A/c no.2

As per the Consolidated Depreciation statement of the accounts of zone office, for the year 2020-21. Cost of assets under Building Office. Building Residential and vehicles & motor cars is shown at ₹1981791.86, ₹35764344 and ₹237106 respectively. However, depreciation for the above-mentioned assets have not been provided in the consolidated accounts for the year 2020-21 as detailed below:

(Amount in ₹)

Sl. No.	Particular	Cost of Asset	Rate of depreciation	Depreciation no provided
1	Building Office	2599743	1.58%	41075
2	Building residential	137100352	1.58%	2166185
3	Vehicles & motor cars	689967	11.88%	81968
			Total	**22,89,2285**

15.18.2 Consolidated B/S-Sch-24-Fixed Assets- ₹18,96,05,247 A/c no.2

The audit observation was referred to RO, Bengaluru (Central) and necessary entries has been passed for depreciation for the year 2020-21 and the same is included/reflected in the Balance Sheet of 2021-22.

This has resulted in understatement of depreciation by ₹22,89,228.00 and overstatement of value of fixed assets to the same extent.	
15.19 ZO, Mumbai-II, Thane **15.19.1 Fixed Assets (Schedule 24) -₹ 20.36 crore** Net Block of Fixed Assets exhibited under Schedule 24 was ₹ 20,36,12,524.42 whereas detailed consolidated statement of Fixed Assets received RO-wise indicates the same as ₹ 19,87,64,039.42 showing a difference of ₹ 48,48,485. In reply the RPFC-1 stated that data reflected in Balance Sheet in respect of fixed assets tallies with the individual total of regional offices which worked out at ₹ 20,36,12,524.42. Reply is not tenable as the net block shown in the Balance Sheet was not matched with the Consolidated Statement of Fixed Assets in respect of three ROs. Further, there was mis-match between the figures shown in the Depreciation Sheet and Details of Fixed Assets pertaining to RO, Thane.	**15.19 ZO, Mumbai-II, Thane** **15.19.1 Fixed Assets (Schedule 24) -₹ 20.36 crore** In r/o RO Thane (North & South), the O.B. of Fixed Assets is ₹85,845,964.42 and the additions thereon during the year is ₹5,380,742/- and the Depreciation calculated for the year is ₹10,308,979/- matches with the Details of Fixed Assets and Schedule 24 of the RO Balance Sheet for the year ending 31.03.2021 In r/o RO Vashi, the O.B. of Fixed Assets is ₹55,300,675/- and the additions thereon during the year is ₹3,348,900/- and the Depreciation calculated for the year is ₹3,598,095/- matches with the Details of Fixed Assets and Schedule 24 of the RO Balance Sheet for the year ending 31.03.2021 There is no difference of amounts in Fixed Assets in Balance Sheet for the year 2020-21 of ROs.
15.19.2 Work in Progress (Schedule 24 (A)): ₹ 1.56 crore. Work in Progress (WIP) was shown at ₹ 1.56 crore in the Balance Sheet but in the RO-wise consolidated statement of the same reflected it as ₹ 50.11 lakh only. This difference may be reconciled duly indicating the list of works in progress belonging to individual ROs. Further, the amount of ₹ 1.56 crore for Work in Progress was not depicted in the Schedule of Fixed Assets as per details annexed to the Schedule 24 A. No reply has been furnished by Zonal Office.	**15.19.2 Work in Progress (Schedule 24 (A)): ₹ 1.56 crore** In r/o RO Thane (North & South), the Work in Progress (WIP) is Zero as per RO Balance Sheet for the year ending 31.03.2021 In r/o RO Vashi, the Work in Progress (WIP) is Zero as per RO Balance Sheet for the year ending 31.03.2021 In r/o RO Kandivali (West & East), Work in Progress has been shown as ₹1.56 crores which is correct as per the Balance Sheet for the year 2020-21. The said amount is towards CPWD work relating to newly bifurcated office, RO Kandivali East and other CPWD work of RO, Kandivali West.

15.20 RO, Madurai

15.20.1 Incorrect exhibition of Fixed Assets - Computer peripherals

An expenditure of ₹ 14.14 lakh was incurred towards purchase of Computer per peripherals & application software license during the year 2020-21 as detailed below:

Sl. No	Bill No.	Date	Description of the Item	Amount (in ₹)
1.	24	06.08.20	Purchase of 20 no's Desk Top	904880
2.	316	16.08.,20	Purchase of Pen drives	33950
3.	79	24.11.20	Purchase of Web Camera	23984
4.	32	11.12.20	Logitech H1 10 Wired Headset -3.5 mm Dual Audio	8400
5.	53	17.12.20	HP Laser jet printer	14358
6.	13	04.01.21	HP Laser jet printer	14616
7.	103	31.03.21	Laptop, Speaker etc	84680
8.	96	30.06.20	Purchase of 10 Nos. of MS Office 2019 stand and license (Office Std 2019)	3,29,000
Total				**14,13,868**

However, only ₹10,18,534.00 was exhibited as additions towards Computers/Peripherals during the year 2020-21.

Similar check may be made for the year 2019-20 also.

15.20.2 Incorrect exhibition of Fixed Assets - Furniture & Fixtures

Scrutiny of vouchers and Budget Control Register for the year 2020-21 revealed that an expenditure of Rs.29,965(vide bill no. 209 dated 29.06.20) was incurred towards purchase of Furniture and Fixtures during the year 2020-21. However, it was noticed that the same was not exhibited in the Schedule of Fixed Assets.

Similar check may be made for the year 2019-20 also.

15.20.3 Incorrect exhibition of Fixed Assets

Scrutiny of vouchers and Budget Control Register for the year 2020-21

15.20 RO, Madurai

15.20.1 Incorrect exhibition of Fixed Assets - Computer peripherals

While preparing Fixed Assets statement, the head of the Fixed Assets Statement had been erroneously interchanged. However, these errors have been identified and rectified.

15.20.2 Incorrect exhibition of Fixed Assets - Furniture & Fixtures

While preparing Fixed Assets statement, the head of the Fixed Assets Statement had been erroneously interchanged. However, these errors have been identified and rectified

15.20.3 Incorrect exhibition of Fixed Assets

While preparing Fixed Assets statement, the head of the Fixed Assets

revealed that an expenditure of ₹ 1,04,277 was incurred towards purchase of Office Equipment during the year 2020-21 as detailed below:-

Sl. No	Bill No.	Date	Description of the Item	Amount (in ₹)
1.	6	03.11.20	Purchase of Beetel phones 50 nos.	6200
2.	78	27.11.20	Purchase of 1.5 KVA inverter	13800
3.	77	27.11.20	Purchase of Exide Battery	13400
4.	54	17.12.20	Purchase of 1.5 KVA inverter	12800
5.	18	04.12.20	Purchase of Exide Battery	13750
6.	73	28.12.20	Fire Extinguishers	22243
7.	83	30.12.20	Token Dispenser Machine	13924
8.	23	09.03.21	Purchase of Exide Batteries	8160
Total				**1,04,277**

However, it was noticed that a sum of ₹ 1,69,873/- was exhibited as additions towards Office Equipment during the year 2020-21.
Similar check may be made for the year 2019-20 also.

Statement had been erroneously interchanged. However, these errors have been identified and rectified.

15.20.4 Understatement of Capital Assets and Overstatement of WIP ₹ 1.85 crore

The work of up gradation of staff quarters amounting ₹1.85 crore was completed and handed over to EPFO RO, Tirunelveli in 2020-21 by CPWD, Madurai Central Division (MCD) Madurai. However the same was not capitalized but booked under WIP. This had resulted in understatement of Fixed Assets building and relevant depreciation and overstatement of WIP by Rs. 1.85 crore.

15.20.4 Understatement of Capital Assets and Overstatement of WIP ₹ 1.85 crore

An amount of Rs.1.85 crore was not capitalized during the year 2020-21 since renovation work is yet to be completed in 3 Blocks consisting of 9 Units of staff quarters at RO, Madurai.

15.21 RO, Faridabad,

15.21.1 Fixed Assets

Depreciation on fixed assets like land/building/residential colony/furniture and fixture and fixture other equipment/computer peripherals/electrical installation is to be calculated separately as per rate of Income Tax Act, 1961 or company Act 2013. As per balance sheet prepared by the Regional Provident Fund Commissioner, Faridabad depreciation was not provided as per

15.21 RO, Faridabad,

15.21.1 Fixed Assets

In this regard it is submitted that the depreciation on fixed assets for the year 2020-21 in respect of RO, Faridabad has been calculated as per the depreciation rates specified in company act 2013. The additions for the year 2020-21 were rightly incorporated in the balance sheet.

rate of Income Tax Act, 1961 or Company Act 2013, as applicable from time to time which resulted in to incorrect valuation of assets. Additions during the year were not incorporated in the balance due to which the book value of assets procured could not be certified.	
15.22 General **15.22.1 ZO, Coimbatore** The EPFO organization is coming under the Ministry of Labour and Employment, GOI and as such, the accounts are required to be prepared under the Common Format viz. Uniform Format of Accounts prescribed by the Government of India in consultation with the C&AG of India. However, the Annual Accounts relating to the period 2019-20 and 2020-21 furnished to Audit were not prepared under the prescribed Format.	**15.22 General** **15.22.1 ZO, Coimbatore** Uniform format is being followed since 2020-21 as prescribed by GOI and CAG.
15.22.2 In ZO, Coimbatore, the Annual Accounts were prepared in excel sheet based on the Annual account of the Regional offices under its jurisdiction. No Notes to accounts and Significant Accounting Policies were prepared and attached to Annual Accounts as prescribed in Uniform Format of Accounts.	**15.22.2** Uniform format is being followed since 2020-21 as prescribed by GOI and CAG. However, Notes to accounts and Significant Accounting Policies were prepared and attached to Consolidated Annual Accounts of EPFO.
15.22.3 In ZO Coimbatore, no provisions were made in the balance sheet towards retirement benefits of the staff under liability side.	**15.22.3** Provisions are being done at the level of EPFO Head Office.
15.22.4 In ZO, Coimbatore, ZO, Bhuvneshwar and RO, Ludhiana, the previous years' figures required to be included in the Annual Accounts were also not shown under the respective columns.	**15.22.4** The observation has been taken into consideration and the previous years' figures are duly shown under respective columns in the Balance Sheet 2021-22.
15.22.5 In RO, Ludhiana, Ledgers in respect of Creditors, Debtors, Staff Loan and Advances have not been maintained. There was minus balance in Cash Book due to cheques issued in the month of March 2021 but not realised.	**15.22.5** It is submitted that the ledgers in respect of staff loan advances are being maintained on routine basis. However there are no debtors and creditors in respect of RO.Ludhiana. Minus balances in cash book of EPF accounts no.01, 02, 10& 21 were due to cheques issued in the month of March every year but presented after the 31st March of every year. It is also submitted that above EPF accounts are Zero Balance accounts .Hence, the amount of cheques issued on 31st March reflects Negative Balance every year.

15.22.6 In ZO, Bhubaneswar as per instructions issued by EPFO headquarters for preparation of consolidated Annual Accounts, earlier observations made by AG on the Balance sheet should be rectified in the current year accounts. Rectification of observations made in respect of Balance Sheet of ROs and consequent rectification in the consolidated Balance Sheet was not done. i) Amount of Security Deposit made towards supply of electricity (Cesu, Southco, Nesco, ' Wesco), LPG connection, telephone/internet (BSNL), lease rent etc. were not shown under schedule - 28. ii) Prepaid expenditure (Sch-28 S1.-6) not shown though AMC for computers, servers, electrical equipment and other office equipment were made (Sub-Schedule, I& E). iii) Interest on investments were not shown in EPF Contribution Fund-Investment (Sch-18) and Staff provident Fund -Investment (Sch-26) In reply the observation was noted for future guidance and it was stated that all regional offices under the zone have been directed to reconcile/ rectify the deficiencies and not to repeat the same in the Balance Sheet of FY 2021-22. The same would be rectified in the next year Balance Sheet.	**15.22.6** Required rectifications have been made in the Balance Sheet for the FY 2021-22. i) Regional Offices, no security deposit was made during the year 2020-21 ii) Since the column under the head "Prepaid Expenditure" is protected and is not required to be filled up by Regional Offices/Zonal Offices, the same cannot be reflected during the preparation of Balance Sheet. iii) Interests on investments are maintained at Head Office level
15.22.7 There were negative balances were noticed in RO, Gwalior, and ROs Yelahanka and Bangalore I & II (in account no.2). Reconciliation of balances had not been carried out.	**15.22.7** The observation has been noted for future compliance.
15.22.8 **(i) RO, Indore** deducted TDS from claim settlement amounting to ₹ 16,49,07,565 out of which only ₹ 1,51,70,848 paid and remaining amount of ₹ 14,97,36,717 was shown as liability. Further on being pointed out the RO submitted the reply which is not according to audit query and required records were also no produced before audit. However, assured to rectify during FY 2021-22.	**15.22.8** **(i) RO, Indore** It is to clarify that in Balance Sheet for the year 2020-21 in the Receipt & Payment A/c No. 01. under TDS deducted on contribution amount Rs.. 164.907565/- was shown wrongly. Actually in this amount one cancelled cheque amount Rs.. 149610631/- was wrongly added due to the incorrect reconciliation format. The correct amount of TDS deduction is Rs. 1.64907565 — Rs. 149610631 = Rs. 15296930- (The required records have already been produced before Audit). Out of this the amount Rs. 15170848/- was already paid by the end of FY 2020-21 The remaining amount of Rs. 126086/- was paid in subsequent month of FY 2021-22.

(ii) Unpaid liability pertains to GIS benefit from LIC ₹150294/-, GST Rs. 12217/- and PM Care Fund ₹ 264479/- totalling Rs.426990/- incorrectly shown as Suspense Account (Admn. Fund) in Schedule 15 and 5Aa)	**(ii)** GIS benefit from LIC Rs.. 150294- received in the month of March 2021 but paid in the month May 2021. The GST amount for Rs. 12217/- returned back in RO bank account on 30th March 2021 which has been repaid in the month of February 2022, therefore these are shown in Suspense account. This amount is the deduction of one day salary was made from the salary of 137 employees under PM Cares Fund amounting to Rs. 264479/-, but payment of aggregating the contribution 'figures conveyed by field formations and other constituent offices was made by Head Office, hence the same was shown under suspense account by all field offices of EPFO.
(iii) Journal ledger, Trial Balance etc. were not prepared. Double entry system for recording of transactions was not being followed. Accounts were not prepared on accrual basis.	**(iii)** EPFO follows all the basic principles of accounting and significant accounting policies consented by CAG and approved by Government of India
(iv) Cash books of all accounts were not maintained in proper format, therefore Closing and Opening Balances of cash books mentioned in Bank Reconciliation Certificates could not be verified.	**(iv)** As per Audit observation, Cash Books of all Accounts i.e. A/c No. 1, 10, 2 & 21 is being maintained from FY 2021-22. As A/c 22 is an inoperative account, no transactions are received in RO Bank account.
(v) Regional Office, EPFO Indore have not drawn its accounts in the uniform format of accounts as prescribed by the Controller General of Accounts(Ministry of Finance)Government of India.	**(v)** In all offices of EPFO, the Balance Sheets are prepared in the common format approved by C&AG.
(vi) Proof of ownership of land held by Regional Office, EPFO Indore not available to Audit.	**(vi)** The Building/premises of RO, Indore is on long term lease, which is taken from Indore Development Authority.
(vii) Balance confirmation certificate of debtors not made available to audit.	**(vii)** The same was not available and the reasons thereof were intimated to Audit Party during their Audit Period.
15.22.9 RO, Raipur (Chhattisgarh)	**15.22.9 RO, Raipur (Chhattisgarh)**
It is mentioned in point no. 6 of Annexure of EPFO HQ letter No: BSC-I(I)2020-21/Balance Sheet/Main file , dated 26th March 2021, that "It may be ensured that the figures shown as closing balance in inoperative account should match with the closing balance of inoperative accounts shown in MIS dashboard". When requisition of information regarding balances/figures in dashboard 2.0 (MIS) for inoperative accounts has been done to ascertain and reconcile the facts as per above instruction mentioned in point no. 6, it has	Closing Balance of inoperative account is as per the MIS 2.0 dashboard maintained at IS division in New Delhi. This balance is not available at the MIS dashboard at Regional office level.

been informed by EPFO Raipur that details are not found. As a result, reconciliation of closing balance in balance sheet for inoperative account cannot be done with dashboard 2.0 (MIS). The Department stated that the details are not found in MIS 2.0 dashboard.	
15.22.10 ZO, Bhuvneshwar On checking of Balance Sheet for the year 2020-21 it was revealed that opening balance of irregular payments (Sub. Sch. 5 (2b)/l9 (4(b)) was ₹ 14,63,988.00 as on 01.04.2020 and the closing balance was ₹14,63,988.00 as on 31.03.2021. Similarly, there was over payment of ₹ 1,58,007.00 pending for recovery as on 01.04.2020. During the year ₹ 42,571.00 was overpayment was made and ₹ 42,571.00 was recovered leaving a balance of ₹1,58,007.00 as on 31 03 2021. Thus, it is implied that no monitoring effort was made to regularize the irregular payment and recover the overpayments. In reply it was stated that the information sought for had been communicated to the concerned ROs and would be intimated to audit after receipt of the same.	**15.22.10 ZO, Bhuvneshwar** **Irregular Payment:** - As regards to irregular payment of Rs. 11,37,748/- of Regional Office, Rourkela, departmental actions have been initiated against the responsible Officials. Smt. Kalyani Subudhi and Sri Parsuram Senapati have already been dismissed from their services. **Over Payment: -** RO BBSR: - Out of Rs. 36193/- a sum of Rs. 9226/- is to be recovered from the following Officials. Sri Hemant Kumar Sarangi, SS, (retired) Sri Mandardhar Behera, SS, (retired) All the other Officials have already expired hence the rest amount could not be recovered. **RO BAM**: - Rs.11412 could not be recovered as all the concerned employees are already retired/expired. **RO RKL**: - Rs.11,04,402/- could not be recovered as all the concerned employees are already retired/expired. The matter will be taken up to the competent authority to write off these pending balances.

वर्ष 2020-2021 के समेकित वार्षिक लेखे
लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मुख्यालय

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस

नई दिल्ली-110066

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
1.	समेकित तुलन पत्र	120-121
2.	तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां	122-132
3.	समेकित आय एवं व्यय खाता	134-136
4.	आय एवं व्यय खाते के रूप में अनुसूचियां	137-139
5.	अचल संपत्तियों और निवेश अनुसूचियों का विवरण	140-142
6.	रसीद एवं भुगतान खाता, क.पें.यो., 1995 (अंशदान खाता)	143
7.	प्राप्ति और भुगतान खाते, क.नि.स.बी., 1976 (अंशदान खाता)	144
8.	प्राप्ति और भुगतान खाते, क.नि.स.बी., 1976 (प्रशासन खाता)	145
9.	लेखों के भाग के रूप में अनुसूची	146-174
10.	लेखों में शामिल अनुसूचियां	175-193
11.	लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र	194-198
12.	प्रबंधन पत्र	199-275

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2021 तक समेकित तुलनपत्र			
			राशि - रूपये
	अनुसूची	चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
पूंजी निधि एवं देयताएं			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. अंशदान निधि- सदस्यों के खाते			
सदस्यों के सक्रिय खाते	1	85,74,31,64,10,873.64	75,27,15,84,00,486.83
सदस्यों के निष्क्रिय खाते	2	39,30,85,48,158.00	28,27,29,46,166.68
आरक्षित एवं अधिशेष			
विशेष आरक्षित निधि	3	4,40,50,54,908.05	4,05,97,23,375.17
ब्याज खाता- क.भ.नि. अंशदान निधि	4	2,58,52,57,02,982.65	2,45,44,68,93,649.74
निवेश अस्थिरता खाता		0.00	2,70,07,98,358.13
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	5	8,33,72,44,20,236.39	7,83,67,54,64,390.49
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		97,10,28,01,37,158.73	85,91,31,42,26,427.03
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पे.यो. अंशदान निधि	6	59,95,19,34,57,324.13	52,78,64,75,12,008.07
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	7	28,00,46,32,964.55	29,81,63,57,301.84
उप जोड़ - पेंशन निधि		60,23,19,80,90,288.68	53,08,46,38,69,309.91
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि	8	3,45,46,28,24,683.54	3,07,65,37,72,282.81
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	9	19,05,61,543.45	16,35,72,129.13
उप जोड़ - क.नि.स.बी. अंशदान निधि		3,45,65,33,86,226.99	3,07,81,73,44,411.94
कर्मचारी प्रशासन निधि (कर्मनि योजना - 1952)			
क.भ.नि. -प्रशासन निधि	10	2,79,54,02,32,685.27	2,61,23,59,77,065.22
आरक्षित एवं अधिशेष			
स्टाफ भविष्य निधि - ब्याज खाता	11	3,84,40,92,763.71	3,13,61,66,600.30
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि			
भवन निर्माण निधि	12	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
स्टाफ भविष्य निधि लेखा	13	16,59,32,79,882.11	15,79,73,87,988.55
स्टाफ पेंशन सह: उपदान लेखा	14	1,26,49,25,29,263.29	1,03,34,63,97,235.84
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	15	3,32,09,91,633.76	3,29,12,81,818.47
उप जोड़- क.भ.नि. प्रशासन निधि		4,38,66,36,68,125.18	3,95,67,97,52,605.42
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि	16	35,96,92,06,703.68	33,74,80,24,098.46
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	17	59,02,98,455.07	59,08,20,781.62
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		36,55,95,05,158.75	34,33,88,44,880.08
कुल जोड़		1,65,54,35,47,86,958.30	1,46,37,61,40,37,634.40

परिसम्पत्तियां			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. अंशदान निधि - निवेश	18	95,19,01,33,86,416.40	83,99,53,98,46,346.70
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	19	1,91,26,67,50,742.33	1,91,77,43,80,080.33
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		97,10,28,01,37,158.73	85,91,31,42,26,427.03
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पै.यो. अंशदान निधि - निवेश	20	58,15,42,72,56,196.19	50,90,00,95,03,745.40
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	21	2,07,77,08,34,092.49	2,18,45,43,65,564.51
उप जोड़ - पेंशन निधि		60,23,19,80,90,288.68	53,08,46,38,69,309.91
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.अंशदान निधि - निवेश	22	3,41,23,66,99,939.05	3,02,75,31,30,718.22
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	23	4,41,66,86,287.94	5,06,42,13,693.72
उप जोड़ - क.नि.स.बी.अंशदान निधि		3,45,65,33,86,226.99	3,07,81,73,44,411.94
कर्मचारी प्रशासन निधि (कमनि योजना, 1952)			
अचल परिसंपत्तियां	24	4,80,66,74,422.79	4,67,84,73,223.47
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	24A	8,76,26,48,856.90	8,66,81,97,981.90
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश	25	2,71,27,12,39,918.52	2,53,85,02,67,395.25
स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	26	20,06,89,27,030.80	18,52,81,02,491.98
पेंशन - सह - ग्रेच्युटी निधि- निवेश	27	1,24,59,71,85,322.95	1,02,27,86,09,221.92
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	28	9,15,69,92,573.23	7,67,61,02,290.90
उप जोड़ - क.भ.नि. प्रशासन निधि		4,38,66,36,68,125.19	3,95,67,97,52,605.42
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि - निवेश	29	35,05,67,39,537.16	32,73,42,61,738.28
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	30	1,50,27,65,621.58	1,60,45,83,141.80
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		36,55,95,05,158.74	34,33,88,44,880.08
कुल जोड़		1,65,54,35,47,86,958.30	1,46,37,61,40,37,634.40

ह०
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०
(मुखमीत सिंह भाटिया)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		
अनुसूची संख्या 1			
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के सक्रिय खाते			
	प्रारंभिक शेष	75,27,15,84,00,486.83	64,40,20,64,19,430.79
जोड़े :			
1.	प्राप्त अंशदान (ऋण/प्रत्याहरण की वापसी और अंतरित प्रतिभूतियां)	12,42,53,35,35,631.96	12,35,97,59,36,339.05
2.	प्रतिभूतियों के अंतरण से प्राप्त अंशदान (मुख्यालय कान्ट्रा.)	20,44,03,89,203.96	1,53,56,84,341.02
3	सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	6,28,27,10,79,080.00	5,18,73,06,20,015.00
4	वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	0.00	-5,29,19,79,90,114.45
5	अन्य प्राप्तियां	20,60,98,82,348.57	47,75,42,53,001.16
6	पिछली जमाएं (बैंक अंतरण) (खाता संख्या 1)	98,68,42,13,905.37	29,20,05,80,346.85
	जोड़	20,10,53,91,00,169.86	13,03,99,90,83,928.63
घटाएं			
1.	छोड़कर जाने वाले सदस्यों को अंतिम निपटान पर		
	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	3,65,22,59,52,102.93	3,36,93,75,44,397.78
2.	सदस्यों के जीवन बीमा पॉलिसी पर अदा किया गया प्रीमियम	19,37,21,933.00	15,77,71,590.00
3.	सदस्यों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याहरण/ऋण	5,27,90,01,52,623.00	3,23,68,97,66,654.00
4.	वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	29,59,11,41,318.32	-4,76,07,04,32,909.77
5.	प्रतिभूतियों की विविध भुगतान राशि छूट प्राप्त स्थापनाओं में वापस अंतरित	40,47,01,21,805.80	32,33,24,53,140.58
	जोड़	9,63,38,10,89,783.05	2,17,04,71,02,872.59
	31 मार्च को शेष	85,74,31,64,10,873.64	75,27,15,84,00,486.83
अनुसूची संख्या 2			
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के निष्क्रिय खाते			
	प्रारंभिक शेष	28,27,29,46,166.68	16,38,36,65,325.00
जोड़े :			
1.	वर्ष के दौरान सक्रिय खाते से अंतरित राशि	29,59,11,41,318.32	-4,76,07,04,32,909.77
2	सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	0.00	0.00
	जोड़	57,86,40,87,485.00	-4,59,68,67,67,584.77
घटाएं :			
1	वर्ष के दौरान सक्रिय सदस्यों के खाते में अंतरित राशि		-5,29,19,79,90,114.45
2	निपटान पर सदस्यों पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	18,55,55,39,327.00	41,23,82,76,363.00
	जोड़	18,55,55,39,327.00	-4,87,95,97,13,751.45
	31 मार्च को शेष	39,30,85,48,158.00	28,27,29,46,166.68
अनुसूची संख्या -3			
विशेष आरक्षित निधि :			
	पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	4,05,97,23,375.17	3,74,18,90,992.53
जोड़े :			
1.	नियोक्ताओं से वसूल की गई राशि	0.00	0.00
2.	एस.आर.एफ. खाते पर ब्याज	34,50,76,486.89	31,80,60,734.37
	जोड़	4,40,47,99,862.05	4,05,99,51,726.90
घटाएं :			
1.	विशेष आरक्षित निधि से भुगतान की गई राशि	0.00	67,198.73
2.	मृत्यु राहत कोष में अंतरित राशि	-2,55,046.00	1,61,153.00
	जोड़	-2,55,046.00	2,28,351.73
	31 मार्च को शेष	4,40,50,54,908.05	4,05,97,23,375.17

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
अनुसूची संख्या - 4			
ब्याज खाता-क.भ.नि. अंशदान निधि			
	प्रारंभिक शेष	2,45,44,68,93,649.74	2,65,90,15,63,838.12
जोड़े :			
1.	क.भ.नि. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अयोचित व्यय से अधिक आय	13,07,88,09,332.91	-20,45,46,70,188.38
	31 मार्च को शेष	2,58,52,57,02,982.65	2,45,44,68,93,649.74
अनुसूची संख्या - 5 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
I - वर्तमान देयताएं			
1	टीडीएस देय -दावा निपटान पर कटौती	42,71,33,722.00	23,12,91,212.00
2	विविध क्रेडिट :		
	अ. क्षेत्रीय :		
क	उचंत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	65,93,66,159.87	70,91,86,903.85
ख	अनियमित भुगतान	8,35,20,026.46	7,68,56,270.46
ग	अधिक भुगतान	2,95,54,575.25	3,09,86,405.25
	ब. केन्द्रीय :		
क	खाता संख्या 1 में जमा राशि (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) परंतु खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में नामे नहीं हुई	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
ख	खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में अतिरिक्त जमा	1,42,07,18,511.19	1,50,07,89,794.56
ग	क.भ.नि. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
घ	अशक्तता योजना के लिए सरकार से अग्रिम	44,06,975.00	44,06,975.00
ङ.	2019-2020 के दौरान पीएमआरपीवाई लाभों की वसूली [खाता सं. 01]	10,31,42,857.00	9,21,74,387.00
3	रोकड़ बही में शेष :		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	13,58,37,22,321.90	30,64,67,82,313.05
	खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	0.00	0.00
4	क.पै.यो.निवेश लेखा-टीआरईपी ऋण-देय	0.00	4,49,96,55,961.60
5	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	16,43,28,78,487.67	37,91,34,43,561.77
II - प्रावधान			
क	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान	6,99,80,06,00,000.00	6,10,54,31,00,000.00
ख	पिछले वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान	1,17,49,09,41,748.72	1,35,21,89,20,828.72
	जोड़	8,17,29,15,41,748.72	7,45,76,20,20,828.72
	31 मार्च को शेष	8,33,72,44,20,236.39	7,83,67,54,64,390.49
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
अनुसूची संख्या 6			
क.पै.यो. अंशदान निधि			
	प्रारंभिक शेष	52,78,64,75,12,008.07	45,43,58,17,10,682.08
जोड़े :	क.पै.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अयोचित व्यय से अधिक आय	7,16,54,59,45,316.06	7,35,06,58,01,325.99
	31 मार्च को शेष	59,95,19,34,57,324.13	52,78,64,75,12,008.07
अनुसूची संख्या 7 - (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
	विविध क्रेडिट :		
1.	खाता संख्या 10 (क.पै.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	21,87,14,182.68	77,01,88,763.19
2.	खाता संख्या 11 (क.पै.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	1,42,90,43,138.84	1,42,90,43,138.84
ख	पीएमआरपीवाई खातों में देय पीएमआरपीवाई लाभों की वसूली	46,96,99,830.00	42,97,73,366.00
3.	क.पै.यो.निवेश लेखा-टीआरईपी ऋण-देय	0.00	99,99,17,814.97
	रोकड़ बही में शेष		
4.	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 10 (क.पै.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	1,66,49,45,254.55	4,61,63,307.84
	खाता संख्या 11 (क.पै.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	15,39,22,19,061.48	8,82,00,25,228.00
5	क.भ. निधि (पीएमआरपीवाई) में देय राशि	8,83,00,11,497.00	17,32,12,45,683.00
6.	अन्य (पीएमआरपीवाई की अतिरिक्त जमा)		0.00
	31 मार्च को शेष	28,00,46,32,964.55	29,81,63,57,301.84

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976		
अनुसूची संख्या 8			
	क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि		
	प्रारंभिक शेष	3,07,65,37,72,282.81	2,72,18,02,34,626.98
जोड़े :	क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अयेषित व्यय से अधिक आय	37,80,90,52,400.73	35,47,35,37,655.83
	31 मार्च को शेष	3,45,46,28,24,683.54	3,07,65,37,72,282.81
अनुसूची संख्या 9- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट :			
1.	खाता संख्या 21 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता क्षेत्रीय)	3,37,22,813.37	6,57,84,455.37
2.	खाता संख्या 25 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता केंद्रीय)	9,64,43,612.21	9,64,43,612.21
3.	भारतीय रिजर्व बैंक खाते में अतिरिक्त जमा	13,44,061.55	13,44,061.55
4	क.नि.स.बी.यो. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा		0.00
5	क.नि.स.बी.यो. प्रशासनिक खाते में देय राशि	0.00	0.00
6	रोकड़ बही में शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 21 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
	खाता संख्या 25 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	5,90,51,056.32	0.00
	निवेश खाते में शेष राशि (एससीबी)	0.00	0.00
7	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	19,05,61,543.45	16,35,72,129.13
	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952- प्रशासन निधि		
	अनुसूची संख्या 10		
	क.भ.नि.- प्रशासन निधि		
	प्रारंभिक शेष	2,61,23,59,77,065.22	2,41,15,15,82,327.64
जोड़ें:			
1.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	93,30,915.79	6,28,86,050.37
2.	क.भ.नि. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से वर्ष के दौरान अतंरित व्यय से अधिक आय	18,29,52,83,532.60	20,03,82,98,818.59
3.	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	2,79,54,05,91,513.61	2,61,25,27,67,196.60
घटाएं			
1.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	3,58,828.34	1,67,90,131.38
2.	कअनि प्रशासन निधि के व्यय एवं आय खाते से वर्ष के दौरान अंतरित किया गया आय से अधिक व्यय	0.00	0.00
3.	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	3,58,828.34	1,67,90,131.38
	31 मार्च को शेष	2,79,54,02,32,685.27	2,61,23,59,77,065.22

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
	अनुसूची संख्या 11		
	स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता		
	प्रारंभिक शेष	3,13,61,66,600.30	2,74,41,16,520.00
जमा			
1	प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	1,13,63,85,680.96	90,79,17,568.08
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	36,50,60,790.22	37,36,27,999.99
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	10,00,500.00	8,73,000.00
4	बचत खाता पर ब्याज	29,572.00	18,632.00
5	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
	जोड़	4,63,86,43,143.48	4,02,65,53,720.07
घटाएं			
1	सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	79,23,83,447.00	88,58,17,695.00
2	निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	21,66,932.77	45,69,424.77
3	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
	जोड़	79,45,50,379.77	89,03,87,119.77
	31 मार्च को शेष	3,84,40,92,763.71	3,13,61,66,600.30
अनुसूची संख्या. 12			
भवन निर्माण निधि:			
	प्रारंभिक शेष	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
जोड़ें:			
1.	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
2	निधि में जमा किया गया ब्याज	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
अनुसूची संख्या.13			
क	स्टाफ भविष्य निधि:		
	प्रारंभिक शेष	11,11,40,33,056.87	11,01,63,00,130.08
जोड़ें:			
1.	अंशदान (प्रत्याहरण की वापसी सहित)	2,19,99,87,682.35	3,08,36,43,670.00
2.	सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज	79,23,83,447.00	88,58,17,695.00
3.	अन्य प्राप्तियां	25,37,87,579.00	0.00
	जोड़	14,36,01,91,765.22	14,98,57,61,495.08
घटाएं:			
1.	वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा की गई राशि	2,46,32,24,562.00	2,48,09,85,610.99
2.	सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	0.00	0.00
3.	वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	23,60,97,312.00	28,42,30,596.00
4.	अन्य अदायगियां (अन्य क्षेत्रों को अंतरण)	19,82,06,893.00	1,10,65,12,231.22
	जोड़	2,89,75,28,767.00	3,87,17,28,438.21
	31 मार्च को शेष	11,46,26,62,998.22	11,11,40,33,056.87
ख.	अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता :		
	प्रारंभिक शेष	55,61,68,183.94	23,86,48,189.72
जोड़ें:	क्षेत्रों को अंतरित की गई राशि	19,82,06,893.00	1,10,65,12,231.22
	जोड़	75,43,75,076.94	1,34,51,60,420.94
घटाएं:	अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि	25,37,87,579.00	78,89,92,237.00
	31 मार्च को शेष	50,05,87,497.94	55,61,68,183.94
ग.	एसपीएफ खाता से कर्मचारी प्रशा खाता में देय राशि	4,63,00,29,385.95	4,12,71,86,747.74
	जोड़ (क+ख+ग)	16,59,32,79,882.11	15,79,73,87,988.55

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
अनुसूची संख्या. 14			
स्टाफ पेंशन सह-ग्रेच्युटी निधि			
	प्रारंभिक शेष	1,03,34,63,97,235.84	84,96,93,46,174.62
जोड़ें:			
1.	खाता सं.4 से अंतरित राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - केंद्रीय)	14,19,88,25,000.00	13,16,00,82,000.00
2.	बचत खाता पर वसूल किया गया ब्याज	10,77,749.00	16,16,468.00
3.	वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज	7,06,26,82,128.94	4,31,90,85,779.16
4	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	1,89,86,28,597.96	91,47,65,340.44
5	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	48,74,800.00	27,93,600.00
6	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
7	क्षेत्रों द्वारा खाता सं.2 (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - क्षेत्रीय) से दी गई राशि	5,24,55,05,359.26	5,44,56,50,920.18
	जोड़	1,31,75,79,90,871.00	1,08,81,33,40,282.40
घटाएं:			
1.	क्षेत्रों द्वारा किए गए भुगतान	5,24,55,05,359.26	5,44,56,50,920.18
2.	वर्ष के दौरान निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	1,99,56,248.45	2,12,92,126.38
3	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
	जोड़	5,26,54,61,607.71	5,46,69,43,046.56
	31 मार्च को शेष	1,26,49,25,29,263.29	1,03,34,63,97,235.84
अनुसूची संख्या. 15 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान			
I -वर्तमान दायित्व			
1	नई पेंशन योजना का देय अंशदान	1,72,90,196.01	2,11,26,568.01
2	देय एन.पी.एस. पर बोर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान	0.00	0.00
3	रिफंडेबल प्रतिभूति जमा	1,92,68,475.09	1,98,73,330.09
4	ग्रुप बीमा योजना (नया)	51,65,198.82	47,13,159.43
5	विविध जमा:		
	क. क्षेत्रीय:		
क	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	29,66,03,131.21	29,06,48,036.78
	ख. केंद्रीय:		
क	खाता सं.8 में (स्टाफ भविष्य निधि खाता) अतिरिक्त जमा	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
ख	खाता सं.9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी खाता) में अतिरिक्त जमा	8,29,780.00	8,29,780.00
ग	क.भ.नि. अंशदान खाता के लिए देय राशि	0.00	0.00
6	रोकड़ बही शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	31,00,95,034.36	29,09,03,200.18
	क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	0.00	0.00
	खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	0.00	0.00
	खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी खाता)	0.00	0.00
	मुख्यालय	93,12,300.44	45,22,955.44
	पीडीनास	8,00,452.00	1,17,33,643.16
	क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	0.00	0.00
7	खाता सं. 24 से प्राप्त कुल अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के समानुपातिक (1%) (क.नि.स.बी. प्रशानिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	1,44,85,42,492.59	1,55,04,15,062.11
8	अन्य (पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि निवेश खाते में अतिरिक्त जमा)	0.00	0.00
	जोड़	2,14,00,92,555.40	2,22,69,51,230.08

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
II -प्रावधान			
क	खाता सं. 9 (स्टाफ पैंशन-सह-ग्रेच्युटी खाता) को अंतरणीय राशि के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ख	देय किराया, दर एवं करों के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ग	अन्य देय व्यय	1,18,08,99,078.36	1,06,43,30,588.39
	जोड़	1,18,08,99,078.36	1,06,43,30,588.39
	31 मार्च को शेष	3,32,09,91,633.76	3,29,12,81,818.47
	क.नि.स.बी.योजना, 1976 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 16			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि			
	प्रारंभिक शेष	33,74,80,24,098.46	31,32,62,67,220.65
जोड़ें:			
1.	क.नि.स.बी. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से अग्रेषित व्यय से आय की राशि	2,22,11,82,605.21	2,42,17,56,877.81
	31 मार्च को शेष	35,96,92,06,703.68	33,74,80,24,098.46
अनुसूची संख्या.17- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
क.	विविध जमा:		
1	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय) में अतिरिक्त जमा	1,35,70,155.53	1,35,81,289.23
2	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय) में अतिरिक्त जमा	4,83,77,675.89	4,83,77,675.89
ख.	खाता सं. 4 (क.म.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) को अंतरणीय कुल प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%)	0.00	0.00
ग.	रोकड़ बही शेष: (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय)	6,11,319.47	6,67,810.67
	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	52,77,39,304.18	52,81,94,005.83
घ.	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	59,02,98,455.07	59,08,20,781.62
	परिसंपत्ति अनुसूची		
	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		
अनुसूची संख्या. 18			
कर्मचारी भविष्य निधि- निवेश		95,19,01,33,86,416.40	83,99,53,98,46,346.70

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
अनुसूची संख्या. 19 (चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम)			
I - चालू परिसंपत्तियां			
1	मार्गस्थ राशि :		
	खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	4,38,59,55,590.43	1,84,16,44,729.43
2	रोकड़ बही शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक		
	खाता सं. 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता - क्षेत्रीय)	0.00	0.00
	खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	8,41,25,76,149.49	9,93,00,47,207.49
	भारतीय रिजर्व बैंक :		
	क.भ.नि. निवेश खाता	4,22,32,45,189.20	4,58,06,998.92
3	प्राप्य क.भ.नि. निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	1,60,70,60,45,168.20	1,57,39,65,12,762.64
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	2,97,26,24,515.09	1,61,85,80,966.12
	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	14,34,18,239.00	7,85,07,933.00
4	विविध नामें:		
क	उचंत खाता (अवर्गीकृत)		
	उचंत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	1,27,68,85,111.74	1,12,33,54,668.95
ख	अनियमित भुगतान	8,35,20,026.46	7,68,56,270.46
ग	अधिक भुगतान	2,95,54,575.25	3,09,86,405.25
घ	खाता सं. 5, 8 एवं 9 में त्रुटिपूर्ण नामे :		
i	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 5 से खाता सं.1 तथा इसके विपरीत अंतरण		
	के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	44,70,07,726.70	40,76,30,186.70
ii	बैंक द्वारा खाता सं.5 में किया गया अधिक नामे	10,64,11,676.86	53,20,05,098.18
iii	खाता 5 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.1 में		
	जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	3,67,26,624.29	13,65,82,585.29
5	क.भ.नि. प्रशासन खाते से प्राप्य राशि	0.00	0.00
6	क.पें.यो.फंड से प्राप्य राशि (पीएमआरपीवाई)	4,68,68,73,757.00	12,16,50,28,129.00
7	सरकार से प्राप्य राशि। (पीएमआरपीवाई)	3,06,12,07,405.00	3,06,12,07,405.00
8	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	1,90,57,20,51,754.71	1,88,44,47,51,346.43
II -ऋण एवं अग्रिम			
	विशेष रिजर्व निधि (वसूलनीय) :		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	3,32,96,28,733.90	3,32,96,89,258.90
जोड़ें:	वर्ष के दौरान सदस्यों को भुगतान की गई राशि	-2,32,632.62	0.00
घटाएं:	नियोक्ताओं से प्राप्त की गई राशि	2,63,46,97,113.66	60,525.00
	जोड़	69,46,98,987.62	3,32,96,28,733.90
	31 मार्च को शेष	1,91,26,67,50,742.33	1,91,77,43,80,080.33
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
अनुसूची संख्या. 20			
कर्मचारी	पेंशन योजना- निवेश	58,15,42,72,56,196.19	50,90,00,95,03,745.40

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
अनुसूची संख्या. 21 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
क	रोकड़ बही शेष:		
1.	खाता सं. 10 (क.पै.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	0.00	0.00
2.	खाता सं. 11 (क.पै.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	0.00	0.00
3.	निवेश खाते में शेष (एससीबी)	16,56,55,465.01	1,56,05,531.27
ख	विविध नामें:		
1.	खाता सं. 10 (क.पै.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	1,47,91,48,583.05	1,36,42,02,107.38
2.	खाता सं. 11 (क.पै.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	-16,31,54,447.20	82,60,26,138.80
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 10 से खाता सं.11 तथा		
	इसके विपरीत अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि	20,17,63,057.60	20,17,63,057.60
4.	खाता 11 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.10 में जमा नहीं की गई राशि		
	तथा इसके विपरीत	24,28,21,866.20	24,28,21,866.20
ग	प्रेषण में मार्गस्थ राशि	1,70,76,51,568.68	63,01,03,795.68
घ	प्राप्य क.पै.यो. निवेश निधि पर ब्याज		
1	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	75,52,85,12,493.76	74,45,26,24,240.88
2	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	1,03,50,86,251.50	67,26,02,033.66
3	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	9,20,66,964.00	8,19,79,854.00
4	भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्य ब्याज	20,11,40,00,000.00	23,90,44,00,000.00
5	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्य ब्याज	4,84,52,86,606.89	3,87,49,09,759.00
ङ	केंद्र सरकार से प्राप्य पेंशन अंशदान	1,02,52,19,95,683.00	1,12,18,73,27,180.04
च	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	2,07,77,08,34,092.49	2,18,45,43,65,564.51
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
अनुसूची संख्या. 22			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि- निवेश		3,41,23,66,99,939.05	3,02,75,31,30,718.22
अनुसूची संख्या. 23 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
क	रोकड़ बही शेष:		
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	8,60,14,246.60	12,82,99,553.10
2.	खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	0.00	4,91,01,322.13
3	निवेश खाते में शेष राशि (एससीबी)	58,72,934.62	4,48,197.70
ख	प्रेषण में मार्गस्थ राशि :		
1.	खाता सं. 21 से 25	9,74,96,579.96	9,74,96,579.96
2.	बैंक से खाता सं. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
ग	विविध नामें:		
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	11,32,21,412.28	11,23,83,157.94
2.	खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	1,65,96,337.50	1,65,96,337.50
3	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 21 से खाता सं.25 तथा		
	इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	1,35,47,809.14	1,35,47,809.14
घ	प्राप्य क.नि.स.बी. निवेश निधि पर ब्याज		
1	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	4,02,75,21,049.69	3,90,20,43,484.48
2	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	3,37,22,000.00	79,18,635.62
3	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	2,21,61,694.00	76,46,392.00
4	भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्य ब्याज	0.00	72,82,00,000.00
ङ	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	4,41,66,86,287.94	5,06,42,13,693.72

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 24			
अचल संपत्तियां		4,80,66,74,422.79	4,67,84,73,223.47
अनुसूची संख्या. 25			
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश			
	विशेष जमा खाता	2,69,17,12,39,918.52	2,51,32,19,67,395.25
	एफ.डी.आर.	2,10,00,00,000.00	2,52,83,00,000.00
	31 मार्च को शेष	2,71,27,12,39,918.52	2,53,85,02,67,395.25
अनुसूची संख्या. 26			
क.भ.नि. स्टाफ भविष्य निधि - निवेश		20,06,89,27,030.80	18,52,81,02,491.98
अनुसूची संख्या. 27			
क.भ.नि. स्टाफ पैंशन सह-ग्रेच्युटी निधि - निवेश		1,24,59,71,85,322.95	1,02,27,86,09,221.92
अनुसूची संख्या. 28 -चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
1	मार्गस्थ राशि :		
क	क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	5,18,03,113.18	5,18,03,113.18
ख	खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	1,22,68,499.25	1,22,68,499.25
	जोड़	6,40,71,612.43	6,40,71,612.43
2	रोकड़ बही शेष		
(क)	भारतीय स्टेट बैंक :		
क	क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
ख	क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	28,61,47,095.82	38,08,07,184.71
ग	खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	2,15,74,203.02	5,01,65,030.51
घ	खाता सं. 9 (स्टाफ पैंशन-सह-ग्रेच्युटी खाता)	2,755.70	15,03,29,863.97
ङ	मुख्यालय	0.00	0.00
च	पीडीनास	0.00	0.00
छ	क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	39,08,61,098.57	37,18,52,771.57
	जोड़	69,85,85,153.11	95,31,54,850.76
(ख)	भारतीय रिजर्व बैंक :		
क	स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाता	5,62,862.41	5,24,723.00
ख	स्टाफ पैंशन सह-ग्रेच्युटी निवेश खाता	41,80,715.44	1,96,104.00
	जोड़	47,43,577.85	7,20,827.00
(ग)	अवदाय लेखा	47,326.90	45,494.90
3	विविध नामें:		
	उचंत खाता (अवर्गीकृत)		
क	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	22,55,55,748.15	22,32,55,966.06
4	खाता नं. 8 एवं 9 को त्रुटिपूर्ण नामे:		
क	खाता 2 से खाता सं.8 तथा इसके विपरीत अंतरण के मामले में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक राशि दर्ज	2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
ख	अंशदान खाता सं.8 (स्टाफ भ.नि. खाता) में किए गए त्रुटिपूर्ण नामे	1,78,339.00	1,78,339.00
ग	अंशदान खाता सं. 9 (स्टाफ पैंशन सह-ग्रेच्युटी खाता) में किए गए त्रुटिपूर्ण नामे	0.00	0.00
	जोड़	24,61,72,882.12	2,06,17,133.97

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
5	वसुलनीय अग्रिम (स्टाफ)		
क	वाहन अग्रिम	23,72,427.65	23,82,451.15
ख	गृह निर्माण अग्रिम	25,43,32,187.44	21,64,38,892.61
ग	पंखा अग्रिम	73,520.80	73,520.80
घ	गरम कपड़ा अग्रिम	1,234.75	1,234.75
ङ	त्योहार अग्रिम	74,48,406.82	12,03,908.54
च	प्राकृतिक विपदा अग्रिम	1,24,600.45	1,24,600.45
छ	वेतन का अग्रिम	-4,44,670.88	-8,36,346.00
ज	डी.ए./ टी.ए. अग्रिम	1,64,23,302.94	1,65,10,512.54
झ	अनाज अग्रिम	0.00	0.00
ञ	स्टाफ सहकारी कैन्टीन/स्टोर हेतु अग्रिम	1,92,944.00	1,92,944.00
ट	कंप्यूटर अग्रिम	2,74,97,806.57	2,71,13,933.55
ठ	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	0.00	0.00
ड	विविध भुगतान	51,03,468.02	53,84,173.92
	जोड़	31,31,25,228.56	26,85,89,826.31
6	पूर्व भुगतान (प्रीपेड) व्यय	0	0.00
7	प्राप्य क.म.नि. प्रशासन निधि निवेश पर ब्याज		
	विशेष जमा खाता पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
	विशेष जमा खाता पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
	एफ.डी.आर. पर उपार्जित ब्याज	8,78,10,484.00	6,76,960.00
8	प्राप्य स्टाफ भविष्य निधि निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	36,50,60,790.22	37,36,27,999.99
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	10,00,500.00	8,73,000.00
9	प्राप्य पेंशन सह-ग्रेच्युटी निधि में निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	1,89,86,28,597.96	91,47,65,340.44
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	48,74,800.00	27,93,600.00
10	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) से प्राप्य जोड़ प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%)	0.00	0.00
11	सुरक्षा जमा (पार्टियों को अग्रिम)	3,29,32,829.20	3,10,59,535.20
12	अन्य (रिफंडेबल टीडीएस)		0.00
13	एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी कार्य)	77,99,02,149.42	67,50,16,366.42
14	स्टाफ को भुगतान किए गए अग्रिमों पर वसूली योग्य उपार्जित ब्याज	3,00,07,255.51	1,96,47,029.68
15	एसपीएफ खाते से प्राप्य राशि	4,63,00,29,385.95	4,12,71,86,747.74
	31 मार्च को शेष	9,15,69,92,573.23	7,67,61,02,290.90

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 -प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 29			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि-निवेश			
	विशेष जमा खाते	35,05,67,39,537.16	32,73,42,61,738.28
अनुसूची संख्या-30 -वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
क	रोकड़ बही शेष :		
1.	लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
2.	लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	0.00	0.00
ख	मार्गस्थ प्रेषण :		
1.	लेखा संख्या 22 से 24	1,54,34,043.77	1,54,34,043.77
ग	विविध नामे :		
1.	लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	1,03,41,205.86	1,02,86,156.56
2.	लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	1,18,39,758.32	1,18,39,758.32
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखा संख्या 22 से 24 तथा विलोमत: में अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
घ	क.नि.स.बी. प्रशासन निधि निवेश पर प्राप्ति योग्य ब्याज		
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	0.00	0.00
ङ	क.नि.स.बी. अंशदान लेखे से प्राप्ति योग्य राशि	0.00	0.00
च	जोड़ प्रशासनिक लागत का समानुपातिक अतिरिक्त अंतरण (1% भाग) लेखा संख्या-4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	1,44,85,42,492.59	1,55,04,15,062.11
छ	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	1,50,27,65,621.58	1,60,45,83,141.80

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
			राशि (रुपए)
	अनुसूची	चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
आय			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	31	7,40,77,31,46,266.00	5,86,05,76,44,107.75
वर्ष के दौरान अन्य आय	32	5,05,88,69,424.97	8,30,26,62,498.26
कुल आय- क.भ.नि. अंशदान निधि (क)		7,45,83,20,15,690.97	5,94,36,03,06,606.01
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.नि. - अंशदान निधि			
पेंशन अंशदान से आय	33	5,05,62,01,04,276.87	5,19,53,13,29,622.40
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	34	4,14,72,14,33,372.44	3,90,42,05,42,214.08
अन्य आय	35	2,74,03,67,145.58	9,01,89,56,067.11
कुल आय- पेंशन निधि (ख)		9,23,08,19,04,794.89	9,18,97,08,27,903.59
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
नियोक्ताओं के अंशदान से आय		21,85,15,80,328.12	22,39,88,24,014.77
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	36	24,35,54,79,395.81	21,46,53,24,147.90
अन्य आय	37	18,86,10,800.08	37,64,93,978.99
कुल आय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि(ग)		46,39,56,70,524.01	44,24,06,42,141.66
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि - प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान,शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज से आय	38	37,97,36,08,448.62	38,34,36,24,982.94
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	39	17,96,10,84,389.47	18,61,04,82,794.72
लेखा संख्या-24 से प्राप्ति (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा केन्द्रीय) वर्तमान वर्ष के लिए क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक खर्च (प्राप्ति योग्य) एवं पिछले वर्षों के बकाया की प्राप्ति का समानुपातिक अंश (1%)		38,11,72,569.52	37,60,93,814.34
अन्य आय-विविध प्राप्तियां		9,66,75,076.75	31,74,78,660.63
कुल आय-क.भ.नि.प्रशासन निधि(घ)		56,41,25,40,484.36	57,64,76,80,252.63
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान,शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज से आय	40	27,99,22,817.13	39,59,16,814.07
वर्ष के दौरान ब्याज से आय	41	2,32,24,79,456.60	2,40,19,53,518.58
अन्य आय-लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय) से प्राप्तियां			3.00
अन्य आय -लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा -केन्द्रीय) से प्राप्तियां		-	-
कुल आय-क.नि.स.बी.प्रशासन निधि (ङ)		2,60,24,02,273.73	2,79,78,70,335.65

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
			राशि रुपये में
व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
सदस्यों को ब्याज भुगतान	42	6,99,80,06,00,000.00	6,10,54,31,00,000.00
प्रतिभूतियों की खरीद हेतु विक्रेताओं को ब्याज भुगतान		2,80,67,09,203.18	2,92,04,42,089.25
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान / पिछले वर्ष का समायोजन		28,90,79,32,463.90	-
विशेष आरक्षित निधि पर उपार्जित ब्याज		34,50,76,486.89	31,80,60,734.37
ओवरड्राफ्ट हेतु बैंकों को ब्याज भुगतान		89,28,88,204.09	1,03,33,73,970.78
विविध - जमाओं पर ब्याज की छूट प्राप्त न्यासों को वापसी		-	-
कुल व्यय-क.भ.नि. अंशदान निधि (क-1)		7,32,75,32,06,358.06	6,14,81,49,76,794.40
I -व्यय (क-1) से अधिक आय (क) तुलनपत्र में अग्रेषित		13,07,88,09,332.91	(20,45,46,70,188.38)
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.यो. - अंशदान निधि			
जाने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि	43	2,04,16,99,66,154.69	1,81,17,51,01,449.52
पेंशन के संवितरण हेतु बैंकों को कमीशन		1,04,48,22,610.70	98,03,32,208.30
निवेशों(प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपार्जित ब्याज का भुगतान		1,27,49,09,950.15	1,73,20,05,069.78
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान		-	-
अन्य भुगतान			
लेखा सं-10 (क.पें.यो अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय)		4,62,60,763.29	1,75,77,850.00
लेखा सं-11 (क.पें.यो अंशदान लेखा सं- केंद्रीय)			10,000.00
कुल व्यय- पेंशन निधि (ख-1)		2,06,53,59,59,478.83	1,83,90,50,26,577.60
II -व्यय (ख-1) से अधिक आय (ख) तुलनपत्र में अग्रेषित		7,16,54,59,45,316.06	7,35,06,58,01,325.99
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.अंशदान निधि			
बीमा लाभ भुगतान		8,54,91,37,998.84	8,70,93,00,077.24
निवेशों (प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपार्जित ब्याज का भुगतान		3,68,90,416.44	5,72,75,832.96
ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान		-	-
अन्य भुगतान			
लेखा सं-21 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय)		5,89,708.00	5,28,339.63
लेखा सं-25 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- केंद्रीय)		-	236.00
कुल व्यय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि (ग-1)		8,58,66,18,123.28	8,76,71,04,485.83
III-व्यय (ग-1) से अधिक आय (ग) तुलनपत्र में अग्रेषित		37,80,90,52,400.73	35,47,35,37,655.83

(राशि रूपये में)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
क.भ.नि. - प्रशासन निधि - (क.भ.नि.सं. का 100% व्यय)			
क-स्थापना व्यय			
अधिकारियों एवं स्टाफ का वेतन तथा बोनस		10,94,44,18,529.00	11,07,48,95,631.50
भत्ते तथा मानदेय		2,79,17,62,606.00	2,84,19,85,564.00
अनुदान - कल्याण निधि आदि		8,97,98,425.00	7,68,68,939.79
स्टाफ पेंशन सह ग्रैच्यूटि निधि में अंशदान		19,83,51,05,359.26	18,60,57,32,920.18
स्टाफ भ.नि., ई.डी.एल.आई. लाभ		37,70,154.00	16,37,030.00
एन.पी.एस. के लिए बोर्ड का हिस्सा		44,83,22,272.22	41,56,72,684.08
एन.पी.एस. अंशदान पर ब्याज		95,379.00	3,22,860.00
एन.पी.एस. के लिए सेवा प्रभार		10,83,416.36	17,31,529.39
टीए एवं एल.टी.सी		9,56,89,888.00	6,57,80,336.00
जोड़ क		34,21,00,46,028.84	33,08,46,27,494.94
ख-अन्य प्रशासनिक व्यय			
विद्युत पर खर्च		23,47,28,533.00	26,56,33,608.43
डाक पर खर्च		3,59,10,923.10	6,48,43,548.10
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		9,63,85,145.34	11,60,17,312.78
किराया, दर तथा कर		28,31,14,136.00	30,52,76,683.00
वाहन चालन एवं रखरखाव पर खर्च		1,02,57,828.00	97,97,393.00
दूरभाष, इंटरनेट तथा संचार प्रभार		5,90,85,989.32	5,61,68,222.70
बीमा खर्च			
जल प्रभार		59,59,347.00	98,12,373.00
आकस्मिकताओं से स्टाफ को भुगतान		1,12,14,78,172.63	1,10,75,91,744.95
लेखापरीक्षा शुल्क		35,38,841.00	35,39,747.00
विधि प्रभार		10,29,38,167.86	8,99,11,404.00
परामर्श व्यय		3,25,44,183.00	33,39,58,840.00
वाहन किराया		8,03,13,782.00	7,00,44,933.45
विज्ञापन एवं प्रचार		1,43,51,006.00	-48,32,327.00
ए.एम.सी - कम्प्यूटर, सर्वर, बिजली उपकरण तथा अन्य कार्यालय उपकरण		37,68,77,708.00	49,99,44,616.40
यात्रा खर्च		9,79,62,854.00	19,00,52,249.00
अन्य प्रभार (आवर्ती/अनावर्ती)		15,65,23,341.93	18,18,91,667.55
बैंक कमिशन एवं टी.टी. प्रभार		69,74,93,373.17	72,82,02,150.14
कार्यालय भवन / स्टाफ क्वार्टर्स का रखरखाव		22,36,02,751.00	23,37,69,904.00
अचल संपत्ति का निवल ह्रास		27,35,08,988.56	26,31,27,787.60
परिसंपत्तियों के परिसमापन पर हानि/लाभ		6,35,852.00	2,081.00
भवन निर्माण निधि के लिए प्रावधान		0.00	0.00
जोड़ ख		3,90,72,10,922.91	4,52,47,53,939.10
कुल व्यय - क.भ.नि. प्रशासन निधि (घ-1)		38,11,72,56,951.75	37,60,93,81,434.04
IV-व्यय (घ-1) से अधिक आय (घ) तुलनपत्र में अग्रेषित		18,29,52,83,532.60	20,03,82,98,818.59
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.प्रशासन निधि			
क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक व्यय में समानुपातिक अंश (1 प्रतिशत)		38,11,72,569.52	37,60,93,814.34
अन्य भुगतान:			
लेखा सं-22		47,099.00	19,643.50
लेखा सं-24		-	-
कुल व्यय क.नि.स.बी. प्रशासन निधि (ड-1)		38,12,19,668.52	37,61,13,457.84
v- व्यय (ड-1) से अधिक आय (ड) तुलनपत्र में अग्रेषित		2,22,11,82,605.21	2,42,17,56,877.81
क.भ.नि.संगठन की जोड़ आय (I + II + III + IV + V)		7,87,95,02,73,187.51	7,72,54,47,24,489.84

ह०
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०
(मुखमीत सिंह भाटिया)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
	क.भ.नि.अंशदान निधि		
अनुसूची संख्या. 31			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	5,01,94,03,06,980.50	4,26,96,39,14,677.80
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	1,60,70,60,45,168.20	1,57,39,65,12,762.64
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	2,97,26,24,515.09	1,61,85,80,966.12
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	72,31,04,14,115.30	0.00
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	14,34,18,239.00	7,85,07,933.00
6	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	-4,61,110.22	1,27,768.19
7	क.भ.नि. न्यासों से प्राप्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	0.00	0.00
8	ऋणों पर अंशदाताओं/सदस्यों से प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
9	पूर्व वर्षों के लिए ब्याज हेतु अतिरिक्त उपबंध- वापस लिखा गया	2,70,07,98,358.13	0.00
	जोड़	**7,40,77,31,46,266.00**	**5,86,05,76,44,107.75**
अनुसूची संख्या. 32			
वर्ष के दौरान अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी	3,56,35,03,268.05	5,18,24,63,755.35
2	वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू ब्याज	1,49,53,62,878.57	3,12,02,01,205.91
3	अन्य प्राप्तियां (केंद्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज)	3,278.35	-2,463.00
	जोड़	**5,05,88,69,424.97**	**8,30,26,62,498.26**
	क.पे.यो. अंशदान निधि		
अनुसूची संख्या. 33			
पेंशन अंशदान से प्राप्त आय			
1	नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन अंशदान	4,40,09,53,35,773.91	4,44,48,54,56,768.36
2	केन्द्र सरकार से प्राप्त पेंशन अंशदान	75,19,01,00,000.00	50,96,67,00,000.00
3	केन्द्र सरकार से प्राप्ति योग्य पेंशन अंशदान	-9,66,53,31,497.04	24,07,91,72,854.04
	जोड़	**5,05,62,01,04,276.87**	**5,19,53,13,29,622.40**
अनुसूची संख्या. 34			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,17,87,32,50,784.90	1,78,84,74,83,181.86
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	75,52,85,12,493.76	74,45,26,24,240.88
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	1,03,50,86,251.50	67,26,02,033.66
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	9,20,66,964.00	8,19,79,854.00
6	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	99,10,78,23,597.00	1,11,62,85,62,078.98
7	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	20,11,40,00,000.00	23,90,44,00,000.00
8	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
9	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्ति योग्य ब्याज	97,03,76,847.89	83,23,15,034.90
10	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	3,16,433.39	5,75,789.80
	जोड़	**4,14,72,14,33,372.44**	**3,90,42,05,42,214.08**
अनुसूची संख्या. 35			
वर्ष के दौरान अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी	1,14,77,22,262.26	2,81,05,25,061.86
2	वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू ब्याज	68,73,94,772.00	4,65,59,59,325.30
3	अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-10	90,52,50,111.32	1,55,24,71,679.95
4	अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-11	0.00	0.00
	जोड़	**2,74,03,67,145.58**	**9,01,89,56,067.11**

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं			
		चालू वर्ष (2020-21)	पिछला वर्ष (2019-20)
	क.नि.स.बी. अंशदान निधि		
अनुसूची संख्या. 36			
वर्ष के दौरान ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	11,55,88,15,484.30	8,75,53,59,664.85
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	4,02,75,21,049.69	3,90,20,43,484.48
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	3,37,22,000.00	79,18,635.62
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	2,21,61,694.00	76,46,392.00
6	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	8,71,38,00,000.00	8,06,41,53,265.62
7	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	0.00	72,82,00,000.00
8	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	-5,40,832.18	2,705.33
	जोड़	**24,35,54,79,395.81**	**21,46,53,24,147.90**
अनुसूची संख्या. 37			
वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	6,37,80,481.48	16,63,24,928.52
2	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	3,70,01,490.60	8,96,19,899.47
3	लेखा संख्या 21 मे अन्य प्राप्तियां	8,78,28,828.00	12,05,49,151.00
4	लेखा संख्या 25 मे अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00
	जोड़	**18,86,10,800.08**	**37,64,93,978.99**
	क.भ.नि. - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या 38			
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभार, शास्तिक नुकसानी एंव 7क्यू ब्याज से हुई आय			
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार	35,52,32,75,012.09	35,48,42,49,159.69
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. निरीक्षण प्रभार	2,20,30,48,430.27	2,27,58,93,069.79
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	15,66,79,613.10	37,29,08,444.15
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	9,06,05,393.16	21,05,74,309.31
	जोड़	**37,97,36,08,448.62**	**38,34,36,24,982.94**
अनुसूची संख्या. 39			
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	17,87,29,87,361.07	18,60,98,05,834.72
2	अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नही	0.00	0.00
3	देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नही	0.00	0.00
4	सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	8,78,10,484.00	6,76,960.00
5	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,86,544.40	0.00
	जोड़	17,96,10,84,389.47	18,61,04,82,794.72
घटाएं:	भवन निर्माण निधि पर क्रेडिट किया गया ब्याज	0.00	0.00
	जोड़	**17,96,10,84,389.47**	**18,61,04,82,794.72**
	क.नि.स.बी.यो.प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या.40			
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभारों, शास्तिक नुकसानी एंव 7क्यू ब्याज से हुई आय			
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.प्रशासन प्रभार	20,75,51,660.83	31,19,69,465.93
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.निरीक्षण प्रभार	5,06,56,029.00	5,21,64,263.30
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	1,44,47,398.30	2,00,80,495.28
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	72,67,729.00	1,17,02,589.56
5	विविध रसीद (विवरण दें)	0.00	
	जोड़	**27,99,22,817.13**	**39,59,16,814.07**

अनुसूची संख्या.41			
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,32,24,77,798.88	2,40,19,47,436.80
2	अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नही	0.00	0.00
3	देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नही	0.00	0.00
4	बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,657.72	6,081.78
	जोड़	**2,32,24,79,456.60**	**2,40,19,53,518.58**
	अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं		
		चालू वर्ष (2020-21)	**पिछला वर्ष (2019-20)**
	क.भ.नि.अंशदान निधि		
अनुसूची संख्या.42			
सदस्यों को ब्याज का भुगतान			
1	वर्ष के दौरान सदस्यों के भविष्य निधि खातों पर क्रेडिट ब्याज (निष्क्रिय खातों सहित)	0.00	0.00
2	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	6,99,80,06,00,000.00	6,10,54,31,00,000.00
3	पूर्व के वर्षो के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	0.00	0.00
	जोड़	**6,99,80,06,00,000.00**	**6,10,54,31,00,000.00**
	क.पे.यो. अंशदान निधि		
अनुसूची सं- 43			
सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि			
1	प्रत्याहरण/सेवानिवृति लाभ	83,49,22,88,137.90	67,96,61,93,855.01
2	जीवन बीमा लाभ	0.00	0.00
3	पेंशन भुगतान	1,20,67,76,78,016.79	1,13,20,89,07,594.51
	जोड़	**2,04,16,99,66,154.69**	**1,81,17,51,01,449.52**

अनुसूची संख्या 24

अंचल परिसंपत्तियां 2020-21

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

सभी आंचलिक कार्यालय/फील्ड कार्यालय:

(समग्र क्षेत्र यानि कि क्षे. का. के अधिकार क्षेत्र के तहत आनेवाले उप क्षेत्रीय कार्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय)

राशि (रु. में)

क्र.सं	अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
		वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (ए)	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	चालू वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास (बी)	चालू वर्ष के अंत में (ए-बी)	पिछले वर्ष के अंत में
1	भूमि										
a	फ्री होल्ड भूमि	66,42,88,460.63	6,28,92,241.00	-	72,71,80,701.63	41,64,297.00	-	-	41,64,297.00	72,29,96,404.63	66,01,04,163.63
b	लीज होल्ड भूमि	22,90,10,449.50	-	-	22,90,10,449.50	3,82,75,868.71	19,43,890.88	-	4,02,19,759.59	18,87,90,689.91	19,07,34,580.79
2	भवन	-	-	-		-	-	-			-
a	भवन-कार्यालय	2,27,14,22,628.37	4,45,81,123.00	-	2,31,60,03,751.37	38,84,55,956.19	4,01,80,069.30	-	42,66,36,025.49	1,88,93,67,725.88	1,88,49,66,672.18
b	लीज होल्ड भवन-कार्यालय	77,10,34,104.47	-	-	77,10,34,104.47	20,14,26,723.45	1,08,81,952.32	-	21,23,08,675.77	55,87,25,428.70	56,96,07,381.02
c	भवन-आवासीय	85,78,32,394.99	1,73,91,303.00	-	87,52,23,697.99	24,12,17,218.50	77,54,888.71	-	24,89,72,108.21	62,62,51,589.78	61,66,15,175.49
d	लीज होल्ड भवन- आवासीय	20,31,20,347.00	-	-	20,31,20,347.00	8,01,04,381.00	27,80,237.00	-	8,28,84,618.00	12,02,35,729.00	12,30,15,966.00
3	संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	98,38,953.00	49,156.00	-	98,88,109.00	37,47,258.87	9,79,916.35	-	47,27,175.22	51,60,933.78	60,91,694.13
4	वाहन एवं मोटर कार	1,80,11,110.36	13,94,960.00	-	1,94,06,070.36	84,47,378.95	15,70,342.95	-	1,00,17,721.90	93,88,348.46	95,63,731.41
5	फर्नीचर एवं फिक्सचर	24,13,76,463.83	4,67,89,647.38	-	28,81,66,111.21	5,85,67,228.13	2,33,40,297.36	-	7,99,07,525.48	20,82,58,585.73	18,48,09,235.71
6	कार्यालय उपकरण	9,10,28,865.09	2,27,08,410.00	-	11,37,37,275.09	3,31,48,227.62	1,58,69,344.15	-	4,90,15,571.77	6,47,21,703.33	5,78,82,637.47
7	कंप्यूटर/पेरिफेरल	86,83,01,914.03	18,49,07,449.00	16,03,792.00	1,05,16,05,571.03	56,09,29,687.67	16,15,83,542.84	4,25,000.00	72,20,88,230.51	32,95,17,340.52	30,73,72,226.36
8	इलैक्ट्रीकल इंस्टॉलेशन	4,35,82,998.93	1,35,15,538.00	-	5,70,98,536.93	1,19,19,972.07	33,83,358.67	-	1,53,03,330.73	4,17,95,206.20	3,16,63,026.87
9	पुस्तकालय की पुस्तकें	35,97,268.78	8,10,729.00	-	44,07,997.78	1,62,837.63	83,172.62	-	2,46,010.25	41,61,987.53	34,34,431.15
10	ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति	19,76,412.00	88,160.00	-	20,64,572.00	10,06,921.65	3,05,516.02	-	13,12,437.67	7,52,134.33	9,69,490.35
11	अन्य अचल परिसंपत्तियां	2,09,51,269.58	55,47,446.00	-	2,64,98,715.58	26,74,531.51	17,54,199.70	-	44,28,731.21	2,20,69,984.37	1,82,76,738.07
	कुल	6,29,53,53,640.56	40,06,76,162.38	16,03,792.00	6,69,44,26,010.94	1,63,02,46,489.94	27,24,10,728.85	4,25,000.00	1,90,22,32,218.79	4,79,21,93,792.15	4,66,51,07,150.62

क्र.सं	अचल परिसंपत्तियां (अमूर्त)	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
		वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (ए)	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास	चालू वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास (बी)	चालू वर्ष के अंत में (ए-बी)	पिछले वर्ष के अंत में
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,55,00,877.00	22,12,817.50	-	1,77,13,694.50	21,34,804.15	10,98,259.71	-	32,33,063.86	1,44,80,630.64	1,33,66,072.85
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	कुल	1,55,00,877.00	22,12,817.50	-	1,77,13,694.50	21,34,804.15	10,98,259.71	-	32,33,063.86	1,44,80,630.64	1,33,66,072.85
	कुल योग	6,31,08,54,517.56	40,28,88,979.88	16,03,792.00	6,71,21,39,705.44	1,63,23,81,294.09	27,35,08,988.56	4,25,000.00	1,90,54,65,282.65	4,80,66,74,422.79	4,67,84,73,223.47

नोट:- 01-04-2017 से पूर्व यदि अमूर्त परिसंपत्तियां कोई हैं तो वो मूर्त परिसंपत्तियों में शामिल हैं।

राशि रु. में

अनुसूची सं. 18

कर्मचारी भविष्य निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	छूट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान चुकाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य/ समायोजन राशि	चालू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित/ लागत मूल्य					परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	13,56,06,34,87,700.00	13,48,33,55,69,091.56	1,65,84,46,58,170.00	74,47,44,900.00	5,80,74,60,000.00	-66,20,28,349.56	15,09,57,95,40,511.12	15,04,09,08,52,600.00
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	16,72,98,63,14,329.19	16,68,33,56,77,729.78	3,39,93,22,41,603.05	-	1,33,25,57,90,000.00	7,90,93,033.53	18,11,80,04,40,757.73	17,53,39,44,02,944.24
3	निजी प्रतिभूतियां	4,93,12,29,29,000.00	4,93,18,73,87,276.02	-	-	33,96,80,10,000.00	1,13,69,619.00	5,22,34,06,03,198.60	5,85,42,32,16,988.00
4	सीसीआईएल मार्जिन धन राशि			4,00,00,000.00				4,00,00,000.00	
5	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	34,44,92,51,96,800.00	34,54,36,48,88,419.40	7,33,93,97,21,049.00	29,41,00,000.00	72,22,15,86,100.00	1,49,08,42,167.94	41,14,88,62,81,200.46	41,06,76,67,60,700.00
6	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	1,64,15,17,73,817.00	1,65,10,14,03,582.08	-	20,00,000.00	22,15,18,468.00	14,24,91,058.94	1,64,73,93,94,065.14	1,63,93,22,55,359.00
7	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	5,31,44,56,11,065.74	5,31,44,56,11,065.74	-	23,83,15,114.88	-	-	5,31,68,39,26,180.62	5,31,68,39,26,180.62
8	लोक लेखा	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ई.टी.एफ	7,06,49,93,09,182.11	7,06,49,93,09,182.11	2,10,57,80,94,207.85	-	1,49,09,54,32,076.31	-	7,67,98,19,71,313.65	7,67,98,19,71,313.65
10	एस.एम.एफ	-	-	1,73,27,85,90,135.00	-	1,73,27,85,90,135.00	-	-	-
11	एफ.डी.आर	32,27,00,00,000.00	32,27,00,00,000.00	76,80,00,00,000.00		32,27,00,00,000.00		76,80,00,00,000.00	76,80,00,00,000.00
12	समायोजन के अंतर्गत राशि				19,16,12,29,189.08			19,16,12,29,189.08	
	जोड़	**84,01,46,46,21,894.04**	**83,99,53,98,46,346.70**	**17,00,21,33,05,164.90**	**20,44,03,89,203.96**	**6,00,11,83,86,769.31**	**1,06,17,67,529.85**	**95,19,01,33,86,416.40**	**94,90,07,31,86,085.51**

अनुसूची सं. 20

कर्मचारी पेंशन निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान चुकाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चालू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित/लागत मूल्य					परिशोधित/ लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	6,97,58,46,60,700.00	6,95,33,23,29,813.97	86,87,32,14,060.00	-	8,33,42,60,000.00	-3,00,02,327.04	7,73,90,12,86,201.01	7,69,84,68,10,700.00
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	7,47,09,57,22,874.97	7,46,07,70,65,090.36	1,54,93,91,56,705.54	-	73,72,97,35,000.00	2,15,97,706.03	8,04,52,13,14,204.52	7,82,82,91,04,581.51
3	निजी प्रतिभूतियां	2,17,33,40,04,000.00	2,17,35,55,52,304.20	-	-	16,59,30,00,000.00	77,26,741.41	2,23,49,84,00,448.14	2,46,21,70,04,000.00
4	सीसीआईएल मार्जिन धन राशि			1,00,00,000.00				1,00,00,000.00	
5	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	15,61,71,72,15,200.00	15,65,78,86,14,275.15	3,25,18,53,42,949.00	-	28,91,29,28,900.00	62,70,84,603.16	18,61,43,39,43,720.99	16,57,57,23,46,300.00
6	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	71,61,90,00,000.00	71,85,42,87,403.39	-	-	-	3,57,31,800.92	71,81,85,55,602.47	71,61,90,00,000.00
7	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64	-	-	-	-	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64
8	लोक लेखा	14,47,82,28,12,415.86	14,47,82,28,12,415.86	2,00,12,37,00,000.00	-	-	16,83,53,76,403.00	16,31,11,11,36,012.86	16,31,11,11,36,012.86
9	ई.टी.एफ	3,20,52,36,14,419.83	3,20,52,36,14,419.83	1,01,13,37,77,563.73	-	-	-	4,21,65,73,91,983.56	4,21,65,73,91,983.56
10	एस.एम.एफ	-	-	86,06,26,96,471.00	-	86,06,26,96,471.00	-	-	-
11	एफ.डी.आर	11,25,00,00,000.00	11,25,00,00,000.00	13,47,00,00,000.00		11,25,00,00,000.00		13,47,00,00,000.00	13,47,00,00,000.00
	जोड़	**50,88,95,22,57,633.30**	**50,90,00,95,03,745.40**	**9,67,79,78,87,749.27**	**-**	**2,24,88,26,20,371.00**	**17,49,75,14,927.48**	**58,15,42,72,56,196.18**	**58,08,32,78,21,600.57**

अनुसूची सं. 22

कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना-निवेश

क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान चुकाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चालू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित /लागत मूल्य					परिशोधित /लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	34,09,14,17,000.00	33,86,39,30,584.70	2,61,12,15,000.00	-	32,78,25,000.00	-1,76,71,270.65	36,16,49,91,855.35	36,16,35,92,000.00
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	41,06,55,51,000.00	41,05,85,49,727.93	7,78,74,29,214.37	-	2,97,85,00,000.00	8,15,319.49	44,90,24,05,739.24	43,94,64,80,214.38
3	निजी प्रतिभूतियां	11,24,16,51,000.00	11,24,86,51,991.12	-	-	1,27,80,00,000.00	11,37,693.99	10,93,37,72,180.71	11,89,16,51,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	83,43,23,91,000.00	83,65,32,56,717.38	19,61,88,30,000.00	-	1,36,30,38,000.00	3,50,39,048.92	1,01,87,40,09,668.46	1,01,65,30,73,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	3,62,70,00,000.00	3,66,14,22,235.90	-	-	-	53,99,260.98	3,65,60,22,974.92	3,62,70,00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05	-	-	-	-	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05
7	लोक लेखा	1,11,15,20,30,388.14	1,11,15,20,30,388.14	9,44,20,00,000.00				1,20,59,40,30,388.14	1,20,59,40,30,388.14
8	ई.टी.एफ	17,25,02,25,382.00	17,25,02,25,382.00	5,30,59,00,447.52	-	-	-	22,55,61,25,829.52	22,55,61,25,829.22
9	एस.एम.एफ	99,72,615.00	99,72,615.00	4,81,55,57,734.00	-	4,82,52,80,122.34	-	2,50,226.66	2,50,226.66
10	एफ.डी.आर	83,01,14,767.00	83,01,14,767.00	2,84,21,56,231.00		3,14,21,56,231.00		53,01,14,767.00	53,01,14,767.00
	जोड़	**3,02,72,53,29,461.19**	**3,02,75,31,30,718.23**	**52,42,30,88,626.89**	**-**	**13,91,47,99,353.34**	**2,47,20,052.73**	**3,41,23,66,99,939.05**	**3,40,98,72,93,734.45**

अनुसूची सं.26

क.भ.नि.स्टाफ भविष्य निधि-निवेश

क्र.सं	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान चुकाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चालू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित /लागत मूल्य				परिशोधित /लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	4,37,25,26,000.00	4,35,08,85,848.00	16,97,93,500.00	4,02,00,000.00	-27,97,551.40	4,48,32,76,899.40	4,50,23,26,000.00
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू	3,96,08,21,000.00	3,95,77,22,670.85	58,30,89,277.73	46,10,50,000.00	-36,595.03	3,96,27,55,861.01	3,84,88,60,277.72
3	निजी प्रतिभूतियां	1,03,10,35,000.00	1,03,10,05,076.19	-	11,30,00,000.00	19,079.37	1,03,50,28,679.42	1,15,20,35,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	7,20,53,00,000.00	7,22,31,70,957.72	1,35,34,15,000.00	15,96,50,000.00	31,64,567.94	8,41,37,71,389.78	8,39,56,50,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	24,60,00,000.00	24,86,45,961.50	-	-	4,11,011.17	24,82,34,950.33	24,60,00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	-	-	-	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92
7	लोक लेखा	-	-	-	-	-	-	-
8	ई.टी.एफ	88,10,19,421.80	88,10,19,421.80	21,15,19,294.15	-	-	1,09,25,38,715.95	1,09,25,38,715.95
9	एल.एज.एफ	23,32,021.00	23,32,021.00	22,82,51,278.00	23,05,83,299.00	-	-	-
	जोड़	**18,53,23,53,977.72**	**18,52,81,02,491.97**	**2,54,60,68,349.88**	**1,00,44,83,299.00**	**7,60,512.05**	**20,06,89,27,030.80**	**20,07,07,30,528.59**

अनुसूची सं.27

क.भ.नि.स्टाफ पेंशन सह ग्रैच्युटि निधि-निवेश

क्र.सं	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान चुकाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चालू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित /लागत मूल्य				परिशोधित/ लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी	12,23,17,76,200.00	12,17,69,53,699.72	1,37,85,25,330.00	7,44,15,000.00	-45,98,708.24	13,48,56,62,737.96	13,47,66,01,200.00
2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू	22,07,97,28,000.00	22,05,59,81,756.23	5,36,81,31,210.31	88,59,00,000.00	-34,42,548.76	26,40,76,46,978.80	26,29,39,59,210.30
3	निजी प्रतिभूतियां	5,36,06,50,000.00	5,36,55,13,467.33	-	19,60,00,000.00	5,42,079.03	5,30,29,79,924.80	5,43,26,50,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	47,71,31,80,000.00	47,91,07,75,156.51	13,74,57,75,000.00	46,73,60,000.00	2,90,71,682.25	61,16,01,18,474.26	60,97,16,10,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी	74,30,00,000.00	74,83,38,458.55	-	-	8,33,357.56	74,75,05,100.99	74,30,00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87	-	-	-	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87
7	लोक लेखा	-	-	-	-	-	-	-
8	ई.टी.एफ	13,09,68,92,436.20	13,09,68,92,436.20	3,47,91,13,807.33	-	-	16,57,60,06,243.53	16,57,60,06,243.67
9	एल.एम.एफ	62,26,920.51	62,26,920.51	3,09,06,54,414.00	3,09,75,42,798.77	-	(6,61,464.26)	1,38,535.74
	जोड़	**1,02,14,93,80,883.58**	**1,02,27,86,09,221.91**	**27,06,21,99,761.64**	**4,72,12,17,798.77**	**2,24,05,861.84**	**1,24,59,71,85,322.95**	**1,24,41,18,92,516.58**

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995							
वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्ति तथा अदायगी लेखा							
(अंशदान लेखा)							
पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं	अदायगियां	राशि
रूपये पैसे.			रूपये पैसे.	रूपये पैसे			रूपये पैसे.
43,68,16,31,84,826.70	1.	01-04-2020 को आदि शेष	50,60,51,08,23,590.95		1.	सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को दी गयी राशि:	
4,44,48,54,56,768.36	2.	(i) नियोक्ताओं का अंशदान	4,40,09,53,35,773.91			(क) कर्मचारियों के भाग की ब्याज	
50,96,67,00,000.00		(ii) 2020-2021 * के दौरान सरकार का अंशदान (बकाया सहित)	75,19,01,00,000.00	0.00		सहित राशि	0.00
	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में		67,96,61,93,855.01		(ख) प्रत्याहरण/सेवानिवृति लाभ	83,49,22,88,137.90
1,27,13,42,00,000.00		शेष पर ब्याज	1,39,84,76,00,000.00	0.00		(ग) जीवन बीमा लाभ	0.00
5,75,789.80	4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	3,16,433.39	1,13,20,89,07,594.51		(घ) पेंशन	1,20,67,76,78,016.79
2,48,15,90,41,231.74	5.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	2,93,08,04,56,913.44		2.	पेंशन के संवितरण के लिए कमीशन	
3,94,65,23,260.00	6.	शास्तिक नुकसानी	1,83,51,17,034.26	98,03,32,208.30		के रूप में भुगतान की गई राशि	1,04,48,22,610.70
	7.	अन्य प्राप्तियां :			3.	पेंशन निधि में दी गई राशि	
1,55,24,71,679.95		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	90,52,50,111.32	0.00		प्रशासकीय व्यय	0.00
0.00		ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. . 11	0.00		4.	छूट देने पर अंतरित की गई	
				0.00		प्रतिभूतियों की राशि	0.00
					5.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के	
				1,73,20,05,069.78		रूप में अदा की गई राशि	1,27,49,09,950.15
					6.	अन्य भुगतान :	
				98,91,238.00		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	4,62,60,763.29
				0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. . 11	0.00
				50,60,51,08,23,590.95	7.	31-03-2021 को अंत शेष	58,04,92,90,40,378.44
52,44,40,81,53,556.55		**जोड़**	**60,11,46,49,99,857.27**	**52,44,40,81,53,556.55**		**जोड़**	**60,11,46,49,99,857.27**

****इसमें न्यूनतम पेंशन 1,000.00 रु की प्रतिपूर्ति हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त रू. 14,91,40,00,000.00 की राशि शामिल है।**

ह०

(हेमंत जैन)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०

(मुखमीत एस. भाटिया)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976							
वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्तियां तथा अदायगियां							
(अंशदान लेखा)							
पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं.	अदायगियां	राशि
रूपये पैसे			रूपये पैसे	रूपये पैसे.			रूपये पैसे.
2,67,81,72,10,029.40	1.	01-04-2020 को आदि शेष	3,03,77,76,18,280.76	8,70,93,00,077.24	1.	बीमा लाभ	**8,54,91,37,998.84**
22,39,88,24,014.77	2.	नियोक्ताओं का अंशदान	21,85,15,80,328.12		2.	छूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को	
8,71,28,00,000.00	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में निवेश पर ब्याज	9,44,20,00,000.00	0.00		वापस की गई राशि	0.00
13,23,93,99,632.10	4.	प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	15,47,64,23,996.40		3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के	
2,705.33	5.	चालू बैंक खातों पर ब्याज	425.95	5,72,75,832.96		रूप में अदा की गई राशि	3,68,90,416.44
25,59,44,827.99	6.	शास्तिक नुकसानी एवं धारा 7 क्यू के अंतर्गत ब्याज	10,07,81,972.08		4.	अन्य अदायगियां	
	7.	अन्य प्राप्तियां :		5,28,339.63		लेखा संख्या 21	11,30,966.13
12,05,41,321.00		लेखा संख्या 21	8,78,28,828.00			लेखा संख्या 25	
0.00		लेखा संख्या 25	0.00	3,03,77,76,18,280.76	5.	31-03-2021 को अंत शेष	3,42,14,90,74,449.90
3,12,54,47,22,530.59		**जोड**	**3,50,73,62,33,831.31**	**3,12,54,47,22,530.59**		**जोड**	**3,50,73,62,33,831.31**

ह०

(हेमंत जैन)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०

(मुखमीत एस. भाटिया)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976							
वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्तियां तथा अदायगियां							
(प्रशासनिक लेखा)							
पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	पिछला वर्ष	क्र.सं..	अदायगियां	राशि
रूपये पैसे			रूपये पैसे	रूपये पैसे			रूपये पैसे
31,32,62,67,220.66	1.	01-04-2020 को आदि शेष	33,74,77,81,432.87	37,60,93,814.34	1	कमनिसं पर 1% अनुपातिक व्यय	38,11,72,569.52
31,19,68,978.93	2.	नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	20,75,51,660.83		2	अन्य प्राप्तियां:	
5,21,64,263.30	3	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	5,06,56,029.00	19,643.50		लेखा संख्या 22	47,099.00
3,15,40,906.24	4	शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज	2,17,15,127.30	0.00		लेखा संख्या 24	0.00
2,40,19,47,436.80	5	निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,32,24,77,798.88	33,74,77,81,432.87	3	31-03-2021 को अंतशेष	35,96,89,64,038.08
2,828.52	6	बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,657.72				
	7.	अन्य प्राप्तियां:					
3.00		लेखा संख्या 22	0.00				
3,253.26		लेखा संख्या 24	0.00				
34,12,38,94,890.71		**जोड़**	**36,35,01,83,706.60**	**34,12,38,94,890.71**		**जोड़**	**36,35,01,83,706.60**

ह०

(हेमंत जैन)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०

(मुखमीत एस. भाटिया)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अनुसूची जो 2020-21 की अवधि के लिए खातों का भाग होगी

अनूसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन पद्धति

भारत सरकार द्वारा लागू अनिवार्य लेखा मानकों तथा निर्धारित लेखों के सामान्य प्रारूप की संबंधित प्रस्तुतिकरण आवश्यकताओं के अनुरूप परपरागत लागत पद्धति के अंतर्गत एक्रअल आधार पर, अगर कुछ और न कहा गया हो, वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है।

2. **निवेश**

(क) भारत सरकार को ईटीएफ निवेश की लेखांकन नीति का प्रस्ताव दिया गया है तथा यह क.भ.नि.एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत योजनाओं में प्रस्तावित संशोधन की अधिसूचना के बाद लागू होगा। वर्तमान में, ईटीएफ निवेश 'लागत मूल्य' पर दिखाया जा रहा है। ।

(ख) केंद्रीय बोर्ड द्वारा 27.01.2007 को आयोजित अपनी 178 वीं बैठक में अनुमोदित निवेश के लिए संशोधित लेखांकन नीति के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को परिशोधन मूल्य पर आंका गया है।

3. अचल परिसंपत्तियां :

3.1 वर्ष 2015-16 तक भूमि एवं भवन एक साथ दर्शाए जाते थे, हालांकि 2015-2016 से नए फार्मेट में भूमि को अलग दिखाया गया। भूमि को लीज़होल्ड भूमि एवं फ्री होल्ड भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 सभी मदों पर 5,000/- रू. से अधिक व्यय तथा जो एक वर्ष से अधिक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, को पूंजीगत व्यय के रूप में देखा जाता है तथा ऐसी परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास को वर्ष के दौरान किया गया खर्च माना जाएगा।

3.3 अचल परिसंपत्तियों को परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है ।

3.4 भूमि तथा भवन के अतिरिक्त सभी अचल परिसंपत्तियां जिनका 01.04.2015 (लेखांकन के रोकड़ आधार से एक्रुअल आधार पर स्विच करने की तिथि) से पहले अधिग्रहण किया गया, का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति मद के सांकेतिक मूल्य पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण :

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, केवल भूमि एवं भवन को अचल परिसंपत्ति माना जाता था, किंतु नई प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी मदों को अचल परिसंपत्ति के रूप में लिया जाता है तथा तदनुसार मूल्यह्रास लगाया जाता है। 01.04.2015 से पहले, खरीदी गई तथा संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में बुक की गई सभी परिसंपत्तियों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति परिसंपत्ति पर किया गया और प्रारंभिक परिसंपत्ति के रूप में लेखांकन किया गया। यह, भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गठित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी), जो संघ और राज्य सरकार के संगठनों में एक्रुअल आधारित लेखांकन की ओर अंतरण पर कार्य कर रहा है, द्वारा जारी भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई.जी.एफ.आर.एस.) के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

4. **मूल्यह्रास**

4.1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी कटौती प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधित) में निर्दिष्ट दरों से किया गया है।

4.2 वर्ष के दौरान, जिसे 180 दिन अथवा अधिक के लिए उपयोग की गई अंचल परिसंपत्तियों पर पूरी दर से और 180 दिन से कम के लिए उपयोग की गई आधी दर से अंचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास किया गया।

4.3 लीज़ होल्ड भवनों जैसे जिन भवनों का सरकारी एजेंसियों से अधिग्रहण किया गया या लीज़ के निर्धारित वर्षों के लिए किए गए एकमुश्त भुगतान, पर लीज़ अवधि के संदर्भ में सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यह्रास किया गया।

4.4 लीज़ होल्ड भूमि पर अदा की गई एकमुश्त लीज़ राशि का लीज़ अवधि के दौरान प्रतिवर्ष आनुपातिक रूप से परिशोधन किया जाता है।

4.5 फ्री होल्ड भवन पर पहले अधिग्रहण की तिथि से 01.04.2015 तक मूल्यह्रास लगाया गया। उसके बाद मूल्यह्रास चार्ट (मानचित्र) के अनुसार मूल्यह्रास की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

(संदर्भ-लेखा मानक-6 एवं 10)

स्पष्टीकरण: मूल्यह्रास की गणना करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" के अनुसार मूल्यह्रास दर चार्ट का अनुसरण किया जा रहा है।

5. सरकारी अनुदान /सब्सिडी

कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए देय सरकारी अनुदान अंशदान का एक्रुअल आधार पर लेखांकन किया जाता है।

6. कर्मचारी देय:

6.1 मार्च माह के लिए कर्मचारियों को देय वेतन को, भुगतान की वास्तविक तिथि पर ध्यान दिए बगैर एक्रुअल आधार पर उसी वित्तीय वर्ष का व्यय माना जाए।

6.2 कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज को ब्याज की वसूली अवधि पर ध्यान दिए बगैर वसूली की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

7. लीज़

7.1 लीज़ शर्तों के संदर्भ में लीज का व्यय किया जाता है।

7.2 किराए के भवनों के लिए वर्ष के अंत में देय किराए का एक्रुअल आधार पर लेखांकन किया जाएगा तथा इस संबंध में व्यवस्था की जाएगी।

8. ब्याज से आय

8.1 वर्ष से संबंधित निवेश पर ब्याज से आय को उस वर्ष की आय माना जाएगा।

8.2 चूंकि वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसे "ब्याज संचित परंतु अप्राप्त" लेखा शीर्ष के अंतर्गत आनुपातिक रूप में दर्शाया जाएगा।

8.3 निवेश पर उपार्जित एवं देय पर अप्राप्त ब्याज का 2015-16 से एक्रुअल आधार पर लेखांकन किया जाएगा ।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 क.भ.नि.सं. पेंशन-सह-ग्रेच्युटि के लिए पृथक निधि का रखरखाव करता है। क.भ.नि.सं. की इस मद से संबंधित मदों का बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में लेखांकन किया जाता है। बीमांकक मूल्यांकन के चलते निधि में जोड़ अथवा घटाव का क.भ.नि.सं. की आय अथवा व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखांकन किया जाता है। लेखांकन मानक-15 के उपबंधो के अनुसार, कर्मचारियों के लाभों का बीमांकक मूल्यांकन एवं उपबंधों के अनुसार लेखांकन किया जाना

चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभ लागत का उसी अवधि के लिए लेखांकन किया जाना चाहिए जिसमें सेवा की गई है।

9.2 वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष का राजस्व व्यय माना जाना चाहिए।

10. राजस्व मान्यता

नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से किसी वसूली के मामले में, राजस्व को रोकड़ आधार पर लिया जाता है। क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण, धारा 14बी के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत लगाए गए ब्याज से संबंधित अन्य प्रकटीकरण, लेखों में नोट पर किया गया है।

11. भवन निर्माण के लिए ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम

निर्माण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम को चालू परिसंपत्ति माना जाएगा और शुरूआत में "ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम" के रूप में दर्शाया जाएगा। वर्ष के अंत में नपाई के आधार पर, किए गए परंतु अंतिम रूप से पूरे नहीं किए गए काम के अनुसार राशि को "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा।

अनुसूची 45 : आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट :

1. **आकस्मिक देयताएं**

क्र.सं.	आकस्मिक देयताएं	चालू वर्ष (रू)	पिछले वर्ष (रू)
1	वे वस्तुएं जिन्हें ऋण नहीं माना गया, के संबंध में किए गए दावे		
(क)	वस्तु एवं सेवा कर (पूर्व में सेवा कर)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

31-03-2021 को माल और सेवा कर (पूर्व में सेवा कर) के मामलों की स्थिति:

क्र.सं.	अवधि	सेवा कर की मांग एवं प्रकृति	स्थिति
1	2010-11	2,16,32,19,135.00	ओ-आई-ओ दिनांक 21.08.2012 से असंतुष्ट होने के कारण माननीय सीईएसटीएटी, पंचकुला के समक्ष अपील दायर की गई
2	2009-10	1,74,75,41,733.00	ओ-आई-ओ दिनांक 26.11.2015 से असंतुष्ट होने के कारण माननीय सीईएसटीएटी, दिल्ली के समक्ष अपील दायर की गई तथा अपील पर 02.05.2019 को सुनवाई हुई और आदेश को सुरक्षित रखा गया जिसके शीघ्र घोषित किए जाने की संभावना है
3	2011-12	2,73,05,33,957.00	
4	2012-13	3,41,89,46,448.00	
5	2013-14	3,02,01,34,524.00	
		13,08,03,75,797.00	

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में पूंजी खाते पर कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराए गए अनुबंधों का अनुमानित मूल्य 32,686.85 लाख रूपये है। पिछले वर्ष के अंत में यह 31,076.14 लाख रूपये था ।

लेखों पर नोट

I.सामान्य लेखा प्रारूप अपनाना

लेखे भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार के जीएसआर संख्या 284(ई), जीएसआर संख्या 285(ई) और जीएसआर संख्या 286(ई) दिनांक 04.04.2019 के तहत अधिसूचित सामान्य लेखा प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

II.पूर्व अवधि हेतु आय एवं व्यय

आय और व्यय लेखों में पूर्व अवधि की 50.41 करोड़ रूपए की आय और 63.66 करोड़ रूपये का व्यय शामिल है।

III. सांविधिक देयों की वसूली

1. 31 मार्च, 2021 तक कभनि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कुल निर्धारित सांविधिक देय एवं धारा 7ए के अंतर्गत वसूली हेतु देय, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की राशि को नीचे तालिका में दिखाया गया है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	31.03.2021 तक 7ए के अंतर्गत निर्धारित बकाया राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रू लाख में)		31.03.2020 तक 7ए के अंतर्गत कुल बकाया राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रू लाख में)	
		बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज	बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज
1.	कर्मचारी भविष्य निधि	391,830.46	205,763.79	345,414.21	216,675.47
2.	क.भ.नि. प्रशा. निधि	32,256.19	14,730.74	26,692.94	15,416.44
3.	कर्मचारी पेंशन निधि	208,200.53	104,704.26	181,900.83	107,154.93
4.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि	17,301.23	7,953.69	16,668.11	9239.55

5.	ई.डी.एल.आई. प्रशा. निधि	681.12	308.20	474.28	383.67
कुल		**650,269.53**	**333,460.68**	**571150.37**	**348870.05**

(स्रोत एमआईएस)

2. 7ए के अंतर्गत प्राप्य श्रेणी राशि, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज तथा नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से वसूली, सभी के संबंध में राजस्व नकद आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।
3. वसूली की अनिश्चितता के कारण तथा कार्यवाही पूर्ण होने से पहले वसूली की सटीक राशि का पता न चल पाने के कारण, राजस्व की पहचान के संबंध में लेखांकन मानक-9 के उपबंधों के अनुसार राजस्व पहचान को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, वास्तविक अंशदान राशि की प्राप्ति होने पर इसे क.भ.नि. सदस्य खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए न कि देय के आधार पर ।

IV. कर्मचारी पेंशन निधि:

31.03.2016 और 31.03.2017 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि की अंतिम बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है एवं सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। 31.03.2017 को मुल्यांकन परिणाम इस प्रकार हैं:

मुल्यांकन परिणाम:

कुल देयता वर्गीकरण	**रूपए करोड़ में**
(क) सभी लाभों का वर्तमान मूल्य	7,37,700.57
(ख) अंशदान का वर्तमान मूल्य	4,03,756.28
सभी लाभों का कुल वर्तमान मूल्य (ग)=(क)-(ख)	3,33,944.29
31-03-2017 को राशि संग्रह (घ)	3,18,412.38
कुल देयता (ग)-(घ) (बीमांकक कमी)	15,531.91

31-03-2018 और 31-03-2019 को कर्मचारी पेंशन निधि बीमांकन मूल्यांकन को बीमांकक द्वारा पूरा किया गया है और मसौदा रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

31.03.2020 एवं 31.03.2021 तक कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन हेतु बीमांकक की नियुक्ति हेतु आरएफपी, सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा प्रक्रियाधीन है ।

V. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना:

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि का बीमांकक मूल्यांकन अंतिम बार वर्ष 31.03.2019 के लिए किया गया तथा मूल्यांकन परिणाम निम्नानुसार है:

	राशि (रूपए करोड़ में)
निवल देयता (क)	10,779.34
निधि घटायें (ख)	27,234.66
निधि के पश्चात अधिशेष (ख) – (क)	16,455.32

क.नि.स.बी. योजना, 1976 के तहत देय लाभों को बढ़ाने के लिए के.न्या.बो., क.भ.नि. द्वारा कई संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैराग्राफ 22(3) के तहत देय अधिकतम बीमा लाभ को बढ़ाकर रु. 7 लाख कर दिया गया ।
2. 15.02.2020 से क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैरा 22(3) के तहत देय रुपये 2.50 लाख के न्यूनतम आश्वासन लाभ का विस्तार।
3. मृतक सदस्य, जो उस माह से पहले लगातार 12 महीने की अवधि के लिए निधि का सदस्य रहा है जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी के संबंध में लाभार्थियों को, क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैराग्राफ 22(3) के तहत देय लाभ का विस्तार ।

उपर्युक्त संशोधनों को उनकी अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित किया गया है और उसके बाद क.नि.स.बी. निधि की वित्तीय स्थिति के अनुसार समीक्षा की जाएगी। उपर्युक्त संशोधन सरकार के विचाराधीन है ।

उपर्युक्त प्रस्तावित योजना संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, क.नि.स.बी. निधि की वित्तीय स्थिति (31.03.2019 को) निम्नानुसार होगी:

	राशि (रूपए करोड़ में)
निवल देयता (क)	27099.38
निधि घटायें (ख)	27234.66
निधि के पश्चात अधिशेष (ख) – (क)	135.28

VI. सदस्य खाते:

(क) **निष्क्रिय खाते:** कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72 (6) के अंतर्गत निष्क्रिय खातों की परिभाषा में दिनांक 11-11-2016 को संशोधन किया गया। वर्ष 2017-18 के समेकित वार्षिक लेखों में निष्क्रिय खातों के रूप में परिभाषित एवं रिपोर्ट की गई राशि 11-11-2016 से पहले की परिभाषा पर आधारित है। अब निष्क्रिय खातों के अंतशेष वितीय वर्ष के अंत में सिस्टम द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर दर्शाए जा रहे हैं। दिनांक 31-03-2021तक 'निष्क्रिय खातों' में 3,930.85करोड़ रूपये की राशि है और ऐसे खातों की संख्या 11,72,923 है।

(ख) <u>अनियमित भुगतान और अधिक भुगतान</u>

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर दिनांक 31.3.2021 को, क्रमश: रू 8.35करोड़ और रू. 2.96करोड़ "अनियमित भुगतान" और "अधिक भुगतान" शीर्ष में अंतशेष थे। अधिक भुगतान या अनियमित भुगतान की जानकारी होने पर नुकसान की भरपाई उस नुकसान के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से की जाती है। इन भुगतानों को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है तथा विधिवत गठित अधिक भुगतान समिति द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाती है। फील्ड कार्यालयों द्वारा ऐसे मामलों में संलिप्त संगठन के कर्मचारियों एवं बाह्य व्यक्तियों पर सिविल/अपराधिक मुकदमें दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखा दलों को उचित निदेश दिए गए हैं कि फील्ड कार्यालयों के ऑडिट के दौरान अधिक भुगतान एवं अनियमित भुगतान के मामलों की जांच करें।

VII. निवेश

(क) वसूली हेतु लंबित निवेश

अभी भी वसूली के लिए मूल राशि एवं इस पर ब्याज को दर्शाते हुए निवेश का विवरण एवं क.भ.नि.स द्वारा की गई कार्रवाई परिशिष्ट –'क' पर संलग्न है

(ख) <u>टी.डी.एस. का रिफंड</u>

वर्ष 1997-1998 से 2005-2006 के दौरान टी.डी.एस. के रूप में 8.37 करोड़ की राशि की गलती से कटौती की गई और आयकर विभाग में जमा कराई गई। काटी गई राशि को ब्याज सहित वापस करने हेतु मामले को यू-ओ नोट दिनांक 20.06.2018 द्वारा सचिव श्रम

एवं रोजगार मंत्रालय के साथ उठाया गया है, जिसमें यह प्रस्तावित है कि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार के स्तर पर रू 8,36,98,105.70 की राशि ब्याज सहित शीघ्रतम लौटाने के लिए माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार के साथ आयकर प्रधिकरण को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु मामले को उठाया जाए। अवर सचिव भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने पत्र दिनांक 16.07.2018 द्वारा अनुरोध किया है कि टैक्स कटौती का विवरण, काटे गए टैक्स, तिथिवार एवं टैक्सवार प्रमाणपत्र संख्या एवं प्रत्येक प्रमाणपत्र की तिथि सहित सूचना उपलब्ध कराई जाए।

(ग) <u>निवेश के आंकड़ों के बीच अंतर</u>

2020-21 के दौरान छूट को रद्द करने पर छूट प्राप्त भ.नि.न्यासों द्वारा के.न्या.बो. को अंतरित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रतिभूतियों के आंकड़ों और निवेश प्रभाग द्वारा दिखाए गए स्वीकृत प्रतिभूतियों के आंकड़ों में रुपये 1916.12 करोड़ का अंतर देखा गया है । पिछले वर्षों के वार्षिक खातों में भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया है।

घ) 31-03-2021 तक ई.टी.एफ. में निवेशित राशि का बाज़ार मूल्य रू. 1,60,017.14 करोड़ रुपए था।

VIII. उचंत खाते:

उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	**709,186,903.85**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	3,66,86,81,784.36
कुल	**4,37,91,02,464.21**
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	3,71,85,02,528.34
अंत: शेष	**65,93,66,159.87**

उचंत खाता (प्राशासनिक निधि), अनुसूची संख्या 15 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	**290,648,036.77**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	2,32,95,60,180.44

कुल	**2,62,02,08,217.22**
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	2,32,36,05,086.01
अंत: शेष	**29,66,03,131.21**

उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 19 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम)	
प्रारंभिक शेष	**1,123,354,668.95**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	41,22,82,358.85
कुल	**1,53,56,37,027.80**
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	25,87,51,916.06
अंत: शेष	**1,27,68,85,111.74**

उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 28 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	
प्रारंभिक शेष	**223,255,966.06**
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	17,74,77,077.04
कुल	**40,07,33,043.10**
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	17,51,77,294.95
अंत: शेष	**22,55,55,748.15**

IX (i) पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई:

निजी क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन के लिए पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई सरकार की प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएं हैं। ये योजनाएं अक्तूबर, 2016 के दौरान शुरू की गई तथा सरकार इस उद्देश्य के लिए इंडियन बैंक के माध्यम से क.भ.नि.सं. के बैंक खाते के द्वारा सहायता-अनुदान उपलब्ध कराती है।

पी.एम.आर.पी.वाई योजना नए भविष्य निधि सदस्यों के संबंध में पेंशन अंशदान से जुड़ी नियोक्ता की जिम्मेदारी को कम करती है। क.भ.नि.सं. उपर्युक्त बैंक खाते से काटी गई राशि की सीधे प्रतिपूर्ति कर देता है।

भारत सरकार दिनांक 01.04.2018 से क.भ.नि.सं. के माध्यम से नए कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष की अवधि और मौजूदा लाभार्थियों के लिए उनकी तीन वर्ष की शेष अवधि के लिए, समय-समय पर स्वीकार्य, नियोक्ताओं के पूरे अंशदान (क.भ.नि. और क.पें.यो. दोनों) का भुगतान करेगी। स्थापना के माध्यम से लाभार्थियों को पंजीकृत करने की आवधिक तिथि 31 मार्च, 2019 है। (पीएमपीआरपीवाई में सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या डीजीई-यू-13015/01/2016 एमपी (जी) दिनांक 12.04.2018 के माध्यंम से संशोधन किया गया था।) कपड़ा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई पीएमपीआरपीवाई योजना को बंद कर दिया गया है और खाते में पड़ी शेष राशि पीएमआरपीवाई योजना खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के लिए अनुरक्षित बैंक बचत खातों पर अर्जित ब्याज, भारत सरकार को वापस लौटा दिया गया है, जब कि दोनों योजनाओं के अप्रयुक्त, सहायता अनुदान राशि पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के लिए अलग से इंडियन बैंक में इस प्रयोजन के लिए खोले गए खातों में पड़ी हैं । उपर्युक्त खातों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**पीएमआरपीवाई के विवरण**		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2020)		**353,825,133.00**
	जोड़ें		
2	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि 2.1 भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि 2.2पीएमजीकेवाई हेतु भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि 2.3पीएमपीआरपीवाई योजना के अप्रयुक्त निधि लेखे से पीएमआरपीवाई खाते में अंतरित की गई राशि	12,55,15,00,000.00 18,50,00,00,000.00 18,38,04,746.00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	2,57,98,498.00	**31,61,49,28,377.00**
	घटाएं		
4	नियोक्ताओं को सब्सिडी पीएमजीकेवाई लेखे में अंतरित राशि	18,50,00,00,000.00	
5	पीएमआरपीवाई खाते से इंडियन बैंक संग्रहण खाता से डेबिट किये गए अग्रिम लाभ, द्विभाजन लेखा संख्या.5 (पीएमपीआरपीवाई) लेखा संख्या.11 (पीएमआरपीवाई)	3,38,36,62,273.00 8,59,46,76,539.00	

6	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2019-20 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज	5,14,22,189.00	**30,52,97,61,001.00**
		अंतशेष	**1,08,51,67,376.00**

क्र.सं.	**पीएमपीआरपीवाई के विवरण**		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2020)		**187,186,012.00**
	जोड़ें		
2	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि	0.00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	4,727,832.00	**4,727,832.00**
	घटाएं		
4	नियोक्ताओं को सब्सिडी	0.00	
5	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2019-20 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज	77,29,403.00	
6	पीएमआरपीवाई लेखे में अंतरित की गई निधि	18,38,04,746.00	**19,15,34,149.00**
		अंतशेष	**3,79,695.00**

IX (ii)- पीएमजीकेवाई:

भारत सरकार ने 26.03.2020 को पीएमजीकेवाई के तहत गरीबों को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। उक्त पैकेज के हिस्से के रूप में, शुरू में केंद्र सरकार द्वारा अगले तीन महीनों अर्थात मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020 के लिए कभनि खातों में मासिक वेतन का 24% (कभनि अधिनियम के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं का हिस्सा) के भुगतान का प्रस्ताव है। इस योजना को जून 2020 से तीन महीनों के लिए अर्थात अगस्त 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया था।

क्र.सं.	पीएमजीकेवाई का विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2020)		**0.00**
	जोड़ें		
2	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि 2.1 पीएमआरपीवाई लेखे से अंतरित की गई निधि 2.2 टीएसए लेखे से प्राप्त निधि	18,50,00,00,000.00 7,17,83,40,832.00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	6,64,44,927.00	
4.	त्रुटीपूर्वक प्राप्त क्रेडिट	36,60,765.00	**25,74,84,46,524.00**
	घटाएं		
5	नियोक्ताओं को सब्सिडी 5.1 पीएमआरपीवाई खाते से इंडियन बैंक संग्रहण खाता से डेबिट किये गए अग्रिम लाभ लेखा संख्या.5 (पीएमपीआरपीवाई) लेखा संख्या.11 (पीएमआरपीवाई) 5.2 लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा	17,04,35,55,544.00 8,52,34,46,506.00 11,13,38,782.00	
6	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2018-19 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज	0.00	**25,67,83,40,832.00**
		अंतशेष	**7,01,05,692.00**

IX (iii) – एबीआरवाई:

नए रोजगार के सृजन, रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एबीआरवाई को कभनिसं के माध्यम से **1** अक्टूबर, **2020** को आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार दो साल की अवधि के लिए विभिन्न शर्तों के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान को क्रेडिट करेगा।

क्र.सं.	एबीआरवाई के विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2020)		**0.00**
	जोड़ें		
2	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि टीएसए लेखे से प्राप्त निधि	4,05,00,00,000.00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	3,21,781.00	
4.	त्रुटीपूर्वक प्राप्त क्रेडिट	0.00	**4,05,03,21,781.00**
	घटाएं		
5	इंडियन बैंक के संग्रहण खाते हेतु पी एम आर पी वाई लेखे से डेबिट अग्रिम लाभ।	0.00	
		अंतशेष	**4,05,03,21,781.00**

X- केंद्रीकृत बैंक संग्रह खाते:

दिसंबर, 2016 के दौरान, क.भ.नि.सं. ने विविध बैंकों में, एक बैंक खाते में सांविधिक अंशदान के केंद्रीकृत प्राप्ति को अपनाया है जबकि पहले सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के विकेंद्रीकृत पांच एकत्रीकरण खातों में प्राप्ति की जाती थी। निधि की केंद्रीकृत प्राप्ति इस प्रकार की जाती है:

i. डुप्लीकेट टी.आर.आर.एन. में त्रुटिपूर्ण जमा देयता है, जिसे भविष्य में रिफंड किया जाएगा। लेखा सुविधा के लिए इसे भविष्य निधि योजना खाते में दिखाया जाता है।

ii. जमा की गई असमेकित राशि को भविष्य निधि योजना खाते में देयता के रूप में देखा जा सकता है। राशि के समेकन के बाद इसे अंशदान के रूप में संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

iii. लेन-देन की जांच के लिए बैंक द्वारा किए गए जमा को आय एवं व्यय लेखे में विविध आय के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार, बैंक प्रभार को भविष्य निधि योजना के आय एवं व्यय लेखे में दर्शाया जाता है।

iv. एकल एकत्रिकरण लेखों के अंत शेष को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बैंक शेष के रूप में दिखाया जाता है (अन्य योजनाएं एवं प्रशासनिक लेखों के लेन-देन का समायोजन करने के पश्चात्)।

XI. अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 24)

(क) अन्य अचल संपत्तियों में थर्मामीटर गन, पल्स ऑक्सीमीटर, टेबल ग्लास, सैनिटाइजर मशीन, कार्यालय की जमीन की बाउंड्री वॉल, अस्थायी शेड, सोनी टीवी, एसी और स्टेबलाइजर आदि जैसी संपत्तियां शामिल हैं।

(ख) जमीन जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से पंजीकृत नहीं है निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	अंचल/कार्यालय का नाम	भूमि का विवरण
1	हैदराबाद	आलविन कालोनी, कुकटपल्ली पर एसवाई सं. 276/2, जीओ एमएस सं. 166 दिनांक 17.06.2016
2	मुख्यालय	क.भ.नि.सं. मुख्यालय, 14 भीकाजी कामा प्लेस, हुडको विशाला भवन में निर्मित कार्यालय स्थान हुडको से लीज़ के आधार पर लिया गया था, परन्तु आज तक लीज़ डीड क.भ.नि.सं. के नाम पर पंजीकृत नहीं हुई है। 31.03.2021 को इस भवन का बुक मूल्यह्रास के पश्चात् रू. 20,29,55,497.00 मात्र है।

XII. स्टॉफ पेंशन-सह- ग्रेच्युटी निधि:

कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1962 के साथ पठित क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5-डी में दिए गए उपबंध के अनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के अधिकारी एवं कर्मचारी केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के समान पेंशन-सह-ग्रैच्युरटि लाभों के पात्र हैं । सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 यथोचित परिवर्तनों सहित क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. को उनके कर्मचारियों के प्रति पेंशन और ग्रेच्यूटी भुगतान के दायित्वों का पर्याप्त रूप से निर्वाह करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 1965 से कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि का सृजन किया गया था। निधि का पोषण स्थापनाओं पर लगाए गए अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार से होता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक

23.02.2006 को हुई अपनी 174वीं बैठक में अंशदान को मासिक अंतरण द्वारा दिनांक 23.02.2006 से पहले अंतरित कुल परिलब्धियों के 12.4% से बढ़ाकर कुल परिलब्धियों का 21% करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. ने उपर्युक्त बैठक में पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि की बीमांकक द्वारा द्विवार्षिक आधार पर मूल्यांकन करने की भी सिफारिश की ।

बीमांकक ने वर्ष 2019-20 हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुल अनुमानित लाभ भार (पी.बी.ओ.) नीचे सारणीबद्ध है:

(रूपये करोड़ों में)

(i)	पेंशन	11406.84
(ii)	एन.पी.एस. (मृत्यु के मामलों में परिवार पेंशन)	558.34
(iii)	ग्रेच्युटी	1058.37
(iii)	कुल देयताएं (i)+(ii)+(iii)	13023.55
(iv)	दिनांक 31.03.2021 को उपलब्ध शेष	12460.14
(v)	घाटा (iii) – (iv)	563.41

बीमांकक की रिपोर्ट का अनुमोदन, केंद्रीय न्यांसी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा दिनांक 05.03.2020 को आयोजित 226वीं बैठक में किया गया ।

XIII- किसी भी शीर्ष को जोड़ना/हटाना

नीतिगत निर्णय या सांविधिक अपेक्षा के कारण कोई अनिवार्यता होने की स्थिति में, यदि नए लेखा शीर्ष को जोड़ने/हटाने की आवश्यकता होती है तो उसे सक्षम प्राधिकारी जो वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, कभनिसं होंगे, के प्राधिकार से किया जाएगा।

ह०
(हेमंत जैन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०
(मुखमीत सिंह भाटिया)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा करने के संबंध में ब्याज एवं परिपक्वता की बकाया चूक की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण– 31 मार्च, 2021

क्र.सं.	स्थापना का नाम	चूक में (प्रतिभूति का अंकित मूल्य) मूल	ब्याज देय, परंतु प्राप्त नहीं	वर्तमान स्थिति
1.	मैसर्स उत्तर प्रदेश वित्तिय निगम (1 अप्रैल, 2004 से)	शून्य	45,38,17,159.95	यूपीएफसी के माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश (लखनऊ बैंच) के मूल राशि के भुगतान हेतु अंतरिम आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 1760 द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका फाइल की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच, इलाहाबाद में आदेश दिनांक 27.07.2018 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पक्ष में निर्णय दिया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (डब्ल्यू पी संख्या 1760) में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच के आदेश में दिए निदेश का पालन करते हुए, यूपीएफसी ने 27.08.2018 को रूपये 25 करोड़ की मूल राशि का भुगतान कर दिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संरक्षक ने ईमेल दिनांक 07.09.2018 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने ईमेल दिनांक 10.09.2018 द्वारा पुष्टि की है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने यूपीएफसी सिक्योरिटीज़ से संबंधित 25 करोड़ रूपये प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त यूपीएफसी ने 05.12.2018 को रूपये 27,60,00,00,000/- केवल ब्याज के दावे के लिए प्राप्त किए हैं। इस संबंध में, प्रधान सचिव, अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश राज्य, सिविल सचिवालय, लखनऊ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.05.2019 द्वारा शेष अतिरिक्त देय ब्याज राशि के शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। **टिप्पणी- 27.08.2018 को यूपीएसएफसी से रूपये 25,00,00,000/- मूल राशि के रूप में प्राप्त हुए है।** **टिप्पणी – 05.12.2018. को यूपीएसएफसी से रूपये 27,60,00,000/- ब्याज राशि**

				के रूप में प्राप्त हुए हैं।
2.	मैसर्स रिचर्ड एण्ड क्रूडास (आरसीएल) (मार्च, 2002 से)	शून्य	4,07,74,162.39	क.भ.नि.सं. ने देयों की वसूली हेतु रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता ने क.भ.नि.स. से निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। क.भ.नि.सं. ने एस सी बी को दिनांक 25.07.2014 को पत्र द्वारा अधिवक्ता से उन कागजातों को एकत्र करने के लिए कहा जिसमें यह दिखाया गया है कि क.भ.नि.सं. ने सपूर्ण देयों की वसूली हेतु रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड (आरसीएल) के संबंध में वर्ष 1992 के बीआईएफआर मामला संख्या 509 में अपना दावा फाइल किया है। मामले को हल करने के लिए हमारे पत्र दिनांक 19.09.2016 तथा दिनांक 17.03.2017 द्वारा विलंबित देयों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया गया है। पत्र दिनांक 22.05.2017 तथा दिनांक 09.11.2017 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आर एंड सी एल) के साथ और संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 31.05.2018 द्वारा बकाया ब्याज के भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को उठाया गया है। इसके अलावा दिनांक 05.04.2019 को संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को बकाया देय ब्याज राशि के भुगतान के अनुरोध सहित एक अनुस्मारक पत्र भेजा गया है जिसकी एक प्रति एस सी बी, सरंक्षक को आवश्यक कार्रवाई हेतु पृष्ठांकित की गई है।
3.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिडेट (एचएमटी) बीआईएफ आर मामला (1996 से)	शून्य	3,29,54,230.53	सिटी सिविल न्यायालय, बैंगलौर में वसूली मुकद्दमे दायर किए गए हैं। एच एम टी ने एस आई सी ए की धारा 22 के अंतर्गत आगे की कार्रवाही पर स्टे हेतु एक आवेदन फाइल किया है। मामला अभी भी लंबित है। अधिवक्ता को बीआईएफ आर पर राय प्रस्तुत करने तथा स्टे ऑर्डर को चुनौती देने और स्थिति रिपोर्ट से अवगत करवाने के लिए दिनांक 09.05.2013, 16.08.2014, 27.03.2015 तथा 05.05.2016 को पत्र जारी किया गया है। पत्र दिनांक 29.05.2018 तथा 02.05.2019 द्वारा मामले की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलौर को भी अनुस्मारक जारी किया गया है।

4.	मैसर्स पीएसआईडीसी (2013 से* - वर्ष 2004 से देरी से परिपक्वता और ब्याज भुगतान पर अर्जित ब्याज लंबित हैं)	2,26,00,000.00	1,10,77,776.69	अध्यक्ष, पी एस आई डी सी को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12.12.2014 द्वारा चूक राशि की वसूली हेतु कहा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को लंबित देय भुगतानों को के.न्या.बो, क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए दिनांक 19.04.2016 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को 16.08.2016 को अनुस्मारक भी भेजा गया है। चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी लंबित देय भुगतानों के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एस आई डी सी द्वारा जारी बांड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने के लिए गवर्नर, आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 15.03.2017,13.07.2017 तथा 05.02.2018 को तथा 21.05.2019 द्वारा अनुस्मारक जारी किया गया है और मुख्य सचिव, वित्त, पंजाब सरकार को 05.02.2018 तथा 21.05.2019 को अनुस्मारक जारी किया गया है। दिनांक 18.03.2020 को प्रबंधन निदेशक, पीएसआईडीसी को एक अर्ध शासकीय पत्र भी जारी किया गया है। रू. 10 लाख 11.03.2020 को प्राप्त हुए ।
5.	मैसर्स पंजाब फांइनेंशल कार्पोरेशंन (2014 से)	51,20,000.00	8,74,144.14	अध्यक्ष, पी एफ सी को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12.12.2014 द्वारा चूक की राशि की वसूली हेतु कहा गया है। इसके अलावा सभी लंबित देय भुगतानों को के.न्या.बो. क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 19.04.2016 को एक अर्ध शासकीय पत्र जारी किया गया है। मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 16.08.2016 को पुनः अनुस्मारक भी जारी किया गया है। चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी लंबित देय भुगतानों

				के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एफ सी द्वारा जारी बांड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने के लिए गवर्नर, आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को दिनांक 27-04-2017, 19-9-2017,13-2-2018 तथा 4-12-2018, 08.05.2019 और मैसर्स पी एफ सी को 27.04.2017,19.09.2017,
				16.02.2018, पृष्ठांकन पत्र 08.05.2019 जारी किया गया है। पी.एफ.सी. के चंडीगढ़ कार्यालय में दिनांक 27.05.2019 को एक बैठक हुई थी जिसमें एस.सी.बी., संरक्षक के प्रतिनिधि तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्मिक उपस्थित हुए थे, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दावे को मजबूती से रखा गया। यह निर्णय लिया गया कि पी.एफ.सी. एक सचिव स्तर की बैठक सुनिश्चित करेगा और सभी बॉड धारियों को इस संबंध में सूचित करेगा। पी.एफ.सी. के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

6.	मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फांइनेशियल सर्विस	2,24,73,00,000.00	1,28,02,79,238.92	सरकार ने अक्टूबर 2018 में नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241(2) के तहत आईएल एंड एफएस बोर्ड का अधिक्रमण कर दिया। यह खंड सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए कंपनी के बोर्ड को और कुप्रबंधन से बचाने के लिए उसका अधिक्रमण करने में सक्षम बनाता है। 8 फरवरी, 2019 को कभनिसं सहित सभी डिबेंचर धारकों की ओर से डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा एनसीएलएटी के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। माननीय एनसीएलएटी ने दिनांक 12.03.2020 के आदेश के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कॉर्पोरेट देनदार के वितरण योजना सहित समाधान तंत्र को स्वीकार करने के साथ-साथ धारा 53 आईबीसी की योजना के अनुसार संकल्प को बनाए जाने के कुछ लेनदारों के तर्क को भी खारिज कर दिया। आदेश दिनांक 12.03.2020 को हिंदुस्तान जिंक कर्मचारी अंशदायी कोष ट्रस्ट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस एल पी डायरी नं 41253/2019 और एस एल पी डायरी नं 13094/2020 में चुनौती दी गई है। उसी के परिणामस्वरूप एनसीएलएटी ने आदेश दिनांक 28.09.2020 के साक्ष्य के रूप में अंतःक्रियात्मक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। अब, मामला कानूनी विभाग को सौंपा गया है कि वह कभनिसं के हितों की रक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक इम्प्लीडमेंट आवेदन दायर करे, जो प्रक्रियाधीन है।
7.	मैसर्स डीएचएफएल	6,00,30,00,000.00	1,60,39,02,857.86	मैसर्स दीवान हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) की अद्यतन स्थिति को 26.07.2019 को हुई एफआईएसी की 150वीं बैठक में रखा गया। एफआईएसी ने मामले पर विचार विमर्श किया। यह निर्णय लिया गया कि डीएचएफएल के मामले में, समयपूर्व छुड़ाई गई देय राशि को जमा करना सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं, तथापि डीएचएफएल के

				वायदे के अनुसार देय तिथि तक इसे जमा नहीं कराया गया। इसके अलावा, मैसर्स कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (सीटीएल), डिबेंचर ट्रस्टी (डीटी) ने भी मैसर्स डीएचएफएल को एक कानूनी नोटिस भेजा था। आरबीआई ने एक प्रशासक नियुक्त किया है और आईबीसी के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। क.भ.नि.सं के पोर्टफोलियो में मेसर्स डीएचएफएल द्वारा फरवरी 2019 में जारी किए गए कुल 1361.74 करोड़ रुपये के बॉन्ड में से, 800 करोड़ रुपये के बॉन्ड में समय पूर्व रिडेम्पशन का विकल्प था। माह फरवरी 2019 में डीएचएफएल रेटिंग को एए- में डाउनग्रेड करने पर, एफआईएसी और अध्यक्ष कें.न्या.बो की मंजूरी के बाद, क.भ.नि.सं द्वारा समय पूर्व रिडेम्पशन के विकल्प का प्रयोग किया गया था और 16 मई 2019 के पत्र के माध्यम से पोर्टफोलियो प्रबंधकों को सूचित किया गया था। मेसर्स डीएचएफएल ने अपने पत्र दिनांक 24 जून, 2019 के माध्यम से क.भ.नि.सं द्वारा धारित 800 करोड़ रुपये के बांड्स में से समयपूर्व रिडेम्पशन विकल्प के रूप में 200 करोड़ के आंशिक प्रेषण के बारे में सूचित किया और वचन दिया था कि शेष 600 करोड़ रुपये के बॉन्ड के लिए 200 करोड़ रूपए देय ब्याज सहित क.भ.नि.सं को क्रमशः जुलाई, अगस्त और सितंबर '19 के दौरान दिए जायेंगे। तथापि, शेष राशि मैसर्स डीएचएफएल द्वारा क.भ.नि.सं को प्रेषित नहीं की गई है। आरबीआई ने दिनांक 20/11/2019 के आदेश के द्वारा डीएचएफएल के निदेशक मंडल को हटा दिया है और श्री आर. सुब्रमण्यकुमार को प्रशासक नियुक्त किया है। एनसीएलटी, मुंबई द्वारा दिनांक 03/12/2019 के आदेश के तहत आवेदन स्वीकार किया गया है और दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 14 के तहत परिभाषित "स्थगन" का आदेश दिया गया है।

				आईबीसी की कार्यवाही चल रही है और कभनिसं ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों को कभनिसं की ओर से लेनदारों की समिति की बैठकों में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया है, जिनकी आवधिक बैठकें हो रही हैं। इसके अलावा, एनसीएलटी ने 07 जून 2021 के आदेश द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के संबंध में समाधान योजना को मंजूरी दी है। पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सीओसी अनुमोदित संकल्प योजना को 18 फरवरी, 2021 को आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 13 मई, 2021 को पीरामल की संकल्प योजना को मंजूरी दी। एनसीएलटी ने 7 जून 2021 को संकल्प योजना को मंजूरी दी है।
8.	मैसर्स रिलायंस कैपिटल	शुन्य	2,92,63,83,561.65	क.भ.नि.सं. बॉण्ड्स की शीघ्र परिक्वता तथा ब्याज हेतु निधि को चिन्हित करने हेतु उपयुक्त उपबंध करने के लिए रिलायंस कैपिटल को पत्र दिनांक 03.06.2019 भेजा गया था। "मैसर्स रिलायंस कैपिटल द्वारा रिलायंस कैपिटल एएमसी में शेयरों से वंचित करने" पर एक कार्यसूची मद 26.07.2019 को एफआईएसी की 150वीं बैठक में प्रस्तुत की गई। एफआईएसी ने मामले पर विचार-विमर्श किया और मामले को सेबी तथा कार्पोरेट मामले के मंत्रालय के साथ उठाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। मैसर्स रिलायंस कैपिटल को रिलायंस कैपिटल एनसीडी में क.भ.नि.सं. द्वारा किए गए रू. 2500 करोड़ के संपूर्ण निवेश को समयपूर्व छुड़ाने के लिए निदेश देने का निर्णय लिया गया।

				एफआईएसी के द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार, मैसर्स रिलांयस कैपिटल द्वारा रिलांयस कैपिटल एएमसी में शेयरों से वंचित करने पर मामले को सेबी तथा कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ उठाने के लिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड एवं पीएमएस एग्रीमेंट के उल्लंघन के संबंध में पत्र दिनांक 25.09.2019 भेजा गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि मैसर्स रिलांयस एनएएमएल में मैसर्स रिलांयस कैपिटल लि. में शेयरों की बिक्री के लिए आवश्यक नियामक स्वीकृति इन कंपनियों की ओर उनके कर्तव्यों के अनुपालन के पश्चात् ही दी जाए जिससे कि क.भ.नि.सं. के हितों को भली-भांति सुरक्षित रखा जा सके । डीटी द्वारा कंपनी के विरूद्ध 30 नवंबर, 2019 को ऋण वसूली अधिकरण में मूल आवेदन फाइल किया गया है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के मामले में निर्णय लेने हेतु एक ठोस दृष्टिकोण रखने के लिए डिबेंचर धारकों की संचालन समिति में शामिल होने के संबंध में डीटी से दिनांक 13.03.2020 को एक ई-मेल प्राप्त हुआ है और तदनुसार डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा यथासूचित संचालन समिति का गठन किया गया है । विभिन्न निवेशकों द्वारा कई मुकदमे दायर किए गए हैं और बाद में अदालतों द्वारा उन पर रोक लगाई है। लेखा बही में सबसे बड़ी संपत्ति, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को क्रेडिट सुइस के पास गिरवी रखी गई है, जिसका बंधक आईडीबीआई ट्रस्टी द्वारा किया गया है। क्रेडिट सुइस को सूचना प्रदान करने के लिए आरसीएपी को निर्देश देने के सैट के आदेश को आरसीएपी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस मामले में विनियामक हस्तक्षेप के अभाव में, काफी हद तक इन मुकदमों/अदालत के मामलों के परिणाम पर समाधान निर्भर करेगा।

				समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डीटी द्वारा एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण समिति का प्रस्ताव किया गया है, तथापि डीटी से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। चूंकि एएमसी सदस्यों के पास (i) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना; और/या (ii) आरसीएल एवं संपत्ति मुद्रीकरण प्रक्रिया से संबंधित अन्य गोपनीय जानकारी की पहुंच होगी, अतः एएमसी में भाग लेने वाले सदस्य गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) निश्चित रूप से करें । इसके अलावा, बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर वाणिज्यिक मुकदमे में, डिबेंचर धारकों की ओर से विस्तारा ने न्यायालय को अवगत कराया कि आरकैप, 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के सुरक्षित डिबेंचर के संबंध में डिफ़ॉल्ट है, जो कुल मिलाकर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (आरजीआईसी) में रखे शेयरों सहित आरकैप की संपत्ति के प्रभार द्वारा सुरक्षित हैं। दोनों पक्षों की सभी तर्क सुनने के पश्चात, न्यायालय ने संकेत दिया कि वह अदालत की देखरेख में तीसरे पक्ष के प्रक्रिया प्रबंधक के माध्यम से बकाया राशि की वसूली के लिए संपत्ति का मुद्रीकरण करने हेतु तटस्थता बनाए रखने के क्रम में आरजीआईसी शेयरों की बिक्री की अनुमति देने के लिए इच्छुक है। क.भ.नि.सं. ने मामले में शामिल कानूनी जटिलताओं को उजागर किया है और एमसीए, आरबीआई, सेबी एवं एमओएफ को आईबीसी कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित कार्रवाई करने और क.भ.नि.सं. और उसके अंशदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक अन्य कार्यों के लिए अनुस्मारक जारी किए हैं। क.भ.नि.सं. ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से भी अनुरोध किया है कि उपरोक्त एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई और यह भी मार्गदर्शन करने के लिए कि क्या

				आरसीएपी और या डीटी के विरुद्ध आपराधिक शिकायत की जा सकती है।
9.	एनआईएनएल	2,50,000.00	13,169.86	मेसर्स एससीबी ने ई-मेल दिनांक 20.02.2021 द्वारा 10.45 पीसी नीलाचल इस्पात निगम एनसीडी रेड 19 फरवरी 21 एफवी आईएनआर 1000000 रु. 263,169.83 की गैर प्राप्ति के संबंध में सूचित किया । मेसर्स एससीबी ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के लिए दिनांक 23.02.2021 को एक पत्र लिखा है। इसके अतिरिक्त, इंडियन बैंक ने उक्त मुद्दे के डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, पत्र दिनांक 22.02.2021 के माध्यम से मैसर्स एनआईएनएल से अनुरोध किया कि उक्त मुद्दे के कॉर्पोरेट गारंटर मेसर्स एमएमटीसी को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए बकाया राशि को तुरंत चुकाया जाए। इस संबंध में मेसर्स एनआईएनएल 24.03.2021 और मेसर्स एमएमटीसी लिमिटेड से पत्र दिनांक 24.03.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए और समय मांगा है। परिणामस्वरूप, मेसर्स एमएमटीसी को संबोधित पत्र दिनांक 26.03.2021 के माध्यम से, इंडियन बैंक ने मैसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए एनआईएनएल बांड 2021 आईएसआईएन आईएनई 514एफ 07075 के संबंध में इंडियन बैंक की मुख्य शाखा, नई दिल्ली के पक्ष में मेसर्स एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा जारी कॉर्पोरेट गारंटी को इनवोक किया है। ।

				नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल 2021 बांड, आईएसआईएन-आईएनई514एफ07075) के बांडधारकों की पहली बैठक जो 30.04.2021 को आयोजित होने वाली है, की सूचना के संबंध में एससीबी से दिनांक 12.04.2021 को एक ईमेल प्राप्त हुआ है। उक्त बैठक में बांडधारकों से इंडियन बैंक (डिबेंचर ट्रस्टी) के पक्ष में सुरक्षा हित के प्रस्तावित प्रवर्तन पर असहमति या सहमति मांगी गई है। क.भ.नि.सं. ने एससीबी, कस्टोडियन के माध्यम से डिबेंचर ट्रस्टी को डिफ़ॉल्ट राशि की वसूली के लिए सुरक्षा/कानूनी कार्यवाही को लागू करने के लिए अपनी सहमति भेज दी है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट - टिप्पणियां	संगठन की अभ्युक्तियां
हमने 31 मार्च, 2021 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के संलग्न तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (6) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (दायित्व, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियों में मुख्यालय, 22 आंचलिक कार्यालय ,136 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.) तथा पीडीनास शामिल हैं। इनमें से, मुख्यालय, 06 आंचलिक कार्यालय, 13 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों की लेखापरीक्षा की गई तथा उन पर की गई टिप्पणियों पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए विचार किया गया । ये वित्तीय विवरणियां क.भ.नि.सं. के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणियों पर अपने लेखा परीक्षा के आधार पर, अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।	**1.** तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रक्रियाओं के साथ समानुरूपता, लेखा मानक और प्रकटीकरण के मानदंड आदि से संबंधित लेखा निरूपण पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पपणियां निहित हैं । विधि अनुपालन, नियम व विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता एवं कार्यपालन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हों, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।	**2.** तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।

3. भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा इस प्रकार योजना बनाकर की जाए जिससे कि वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण न होने के संबंध में उचित आश्वासन मिल सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरिणयों में परीक्षण आधार पर प्रकटित राशियों को समर्थित करने वाले प्रमाणों को परखना शामिल है। वित्तीय विवरणियों के कुल प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अलावा, प्रबंधकों द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों तथा लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत का यथोचित आधार बनेगी।	**3.** तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।
4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :- (i) रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के अनुसार हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जोकि हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक था; (ii) समेकित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार तैयार किया गया है। (iii) हमारे विचार में, क.भ.नि.सं. की लेखा बहियों एवं अन्य संगत अभिलेखों की जांच के बाद यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	**4.** तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।

द्वारा क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (5) के अनुसार इनका रख-रखाव किया जा रहा है। iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:	
ए बैलेंस शीट **ए.1 पूंजी निधि और देयताएं** **भवन निर्माण निधि (अनुसूची-12)** देयताओं में अनुसूची -12 ₹887.25 करोड़ के भवन निर्माण निधि को दर्शाती है। ईपीएफओ ने कहा कि यह कोष कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों आदि के निर्माण के लिए प्रावधान करने के लिए बनाया गया था और 2013-14 तक ₹887.25 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। तत्पश्चात, कोई प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि निर्माण कार्य पर व्यय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्रदान किए गए पूंजीगत बजट से पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि इस निधि का अब निर्माण कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसे लेखों में वापस लिखा जा सकता है। ईपीएफओ ने टिप्पणी को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि उचित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद शेष राशि को आय और व्यय लेखे में स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। **वर्ष 2020-21 के लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि ईपीएफओ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।**	**ए बैलेंस शीट** **ए.1 पूंजी निधि और देयताएं** **भवन निर्माण निधि (अनुसूची-**12) इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और फाइल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रक्रिया में है ।

ए.2 परिसंपत्ति

ए.2.1 निवेश के मूल्य में अंतर का समाधान

वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफओ की लेखा परीक्षा के दौरान, ₹1916.12 करोड़ की राशि को 'समाधान के तहत राशि' शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है। सहायक दस्तावेजों के साथ, समाधान प्रविष्टियों के साथ निवेश में समाधान शीर्ष के तहत दर्ज किए गए विवरणों के साथ आंकड़ों का विवरण/श्रेणियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। ईपीएफओ ने जवाब दिया कि समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतभेदों के विवरण में सुधार किया जाएगा। इसे देखते हुए, लेखापरीक्षा समाधान के तहत दर्शाई गई राशि की सटीकता और पारदर्शिता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

ए.2 परिसंपत्ति

ए.2.1 निवेश के मूल्य में अंतर का समाधान

इस संबंध में समाधान के तहत राशि की पहचान की गई है और इसे वार्षिक लेखा 2021-22 में संशोधित किया गया है।

ए.2.2 लोक लेखों में निवेश (अनुसूची 20, 22)

लोक लेखों में निवेश से संबंधित निम्नलिखित शेष ईपीएफओ के निवेश की अनुसूची में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रदर्शित हो रहे हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

अनुसूची 20

कर्मचारी पेंशन निधि -निवेश

क्र. सं.	निवेश की प्रकृति	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि	परिशोधन की लागत	अवसान मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित/लागत मूल्य			परिशोधित/लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	लोक लेखा	144782	144782	20012	1683	163111	163111

अनुसूची 22

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना -निवेश

क्र. सं.	निवेश की प्रकृति	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि	परिशोधन की लागत	परिशोधन की लागत	
		अंकित मूल्य	परिशोधित/लागत मूल्य			परिशोधित/लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	लोक लेखा	11115	11115	944	0	12059	12059

ए.2.2 लोक लेखों में निवेश (अनुसूची 20, 22)

परिशोधन की लागत लोक लेखे में निवेश की गई राशि में अंतर है जो ईपीएफओ को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा भुगतान किए गए ब्याज के संशोधन के कारण था। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने पत्र संख्या जी-20015/1/2018 एसएस-II दिनांक 01.01.2020 के माध्यम से क.पें. योजना, 1995 की निधि में लोक लेखे में रखी शेष राशि पर ब्याज को 10,568.06 करोड़ रुपये से संशोधित कर 8,884.52 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए) कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप 1,683.54 करोड़ रुपये (10,568.06 करोड़ रुपये - 8,884.52 करोड़ रुपये) के ब्याज का अंतर हुआ, जिसका उल्लेख 2020-21 के वार्षिक लेखे की अनुसूचित संख्या 20 में किया गया है, यह ब्याज में अंतर के कारण है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

<table>
<tr>
<td>प्रदान किया गया दस्तावेज़ वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि या परिशोधन की लागत से मेल नहीं लेखा । यह 2019-20 में भी इंगित किया गया था।
इसे देखते हुए, लेखापरीक्षा वार्षिक लेखों की अनुसूची 20 और 22 में लोक लेखे में निवेश शीर्ष के अंतर्गत आने वाली राशियों की शुद्धता को सत्यापित करने में असमर्थ है।</td>
<td>वित्त वर्ष 2020-21 के लिए श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अंतिम शेष राशि से राशि की शुद्धता का सत्यापन किया जा सकता है, दिनांक 02.06.2022 के मेल के माध्यम से अगले दौरे के दौरान लेखा परीक्षा पार्टी को प्रदान किया जाएगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>ए.2.3 निवेश (अनुसूची - 25 और 29)
यह पिछले वर्ष की रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या ए.1.5 के संदर्भ में है, विशेष जमा लेखे में निवेश की राशि में अंतर था जैसा कि लेखों में दिखाया गया है और जैसा कि नीचे विवरण के अनुसार वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा पुष्टि की गई है
(राशि ₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>अनुसूची संख्या</th><th>लेखों में दिखाई गई राशि</th><th>वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा सूचित राशि</th><th>अंतर</th></tr>
<tr><td>25 -ईपीएफ प्रशासन कोष - निवेश विशेष जमा लेखा</td><td>26917</td><td>26924</td><td>-7</td></tr>
<tr><td>29 -ईडीएलआई प्रशासन कोष - निवेश
विशेष जमा लेखा</td><td>3505</td><td>3503</td><td>2</td></tr>
</table>
ईपीएफओ ने उत्तर दिया कि शेष राशि में अंतर के समाधान के लिए मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया जाएगा। हालांकि, ईपीएफओ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</td>
<td>ए.2.3 निवेश (अनुसूची - 25 और 29)
पिछले 10 वर्षों के उपलब्ध बैंक प्रमाणपत्रों की जाँच की गई है और कोई अंतर नहीं पाया गया है, इसलिए यह अंतर काफी पुरानी अवधि से संबंधित है। 2009-10 से पूर्व की अवधि के प्रमाण-पत्रों ढूंढने/प्राप्ति हेतु संबंधित प्रभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई/प्रयास किये जा रहे हैं।</td>
</tr>
<tr>
<td>ए.2.4 अचल परिसंपत्ति (अनुसूची - 24)
ए.2.4.1 अचल परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष में अंतर</td>
<td>ए.2.4 अचल परिसंपत्ति (अनुसूची - 24)
ए.2.4.1 अचल परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष में अंतर</td>
</tr>
</table>

पिछले वर्ष के लेखों के अंतिम शेष से अचल परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष के सत्यापन के दौरान, निम्नलिखित अंतर देखे गए थे:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अचल परिसंपत्ति	सकल ब्लॉक			मूल्यह्रास	
		2019-20 का अंतिम शेष (वर्ष 31.03.20 के अंत में लागत/मूल्यांकन)	2020-21 का ओपनिंग बैलेंस (लागत/मूल्यांकन वर्ष की शुरुआत में 01.04.21)	अंतर	2019-20 का अंतिम शेष (वर्ष 31.03.2020 के अंत में संचित मूल्यह्रास)	2020-21 का प्रारंभिक शेष (2020-21 की शुरुआत में संचित मूल्यह्रास)
1	भूमि					
ए	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	67.01	66.42	0.59	0.04	0.42
बी	लीज होल्ड लैंड	22.16	22.90	-0.74	3.94	3.82
2	इमारत					
ए	भवन-कार्यालय	238.41	227.14	11.27	40.50	38.65
बी	लीज होल्ड बिल्डिंग-ऑफिस	80.14	77.10	3.04	22.19	20.14
c	भवन-आवासीय	78.78	85.78	-7	24.60	24.12
d	लीज होल्ड बिल्डिंग -	15.32	20.31	-4.99	5.39	8.01
	आवासीय					
3	संयंत्र मशीनरी और उपकरण	0.99	0.98	0.01	0.38	0.37

लेखापरीक्षा टिप्पणी को नोट किया गया है और वार्षिक लेखा 2021-22 में अनुपालन किया गया है। साथ ही सभी लेखा इकाइयों को प्रत्येक शीर्ष का प्रारंभिक शेष पिछले वर्ष के अंतिम शेष के समान लेने और जर्नल प्रविष्टि, यदि कोई हो, के माध्यम से समायोजन करने के लिए निर्देशित किया गया है।

4	वाहन और मोटर कार	1.86	1.80	0.06	0.90	0.84
5	फर्नीचर तथा फिक्स्चर	24.03	24.13	-0.10	6.12	5.65
6	कार्यालय उपकरण	9.20	9.10	0.10	3.41	3.31
7	कंप्यूटर / सहायक उपकरण	86.97	86.83	0.14	56.35	56.09
8	विद्युत प्रतिष्ठान	4.37	4.35	0.02	1.20	1.19
9	पुस्तकालय पुस्तकें	0.36	0.36	00	0.02	0.01
10	ट्यूबवैल और पानी की आपूर्ति	0.20	0.19	0.01	0.10	0.10
11	अन्य अचल परिसंपत्ति	2.46	2.10	0.36	0.63	0.26
12	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1.55	1.55	00	0.21	0.21

वर्ष **2019-20** के लिए ईपीएफओ के लेखों पर ईपीएफओ को इसी तरह की टिप्पणी (टिप्पणी संख्या ए.**1.6.i**) जारी की गई थी। हालांकि, ईपीएफओ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ए.2.4.2 फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास

अनुसूची - **24** (अचल परिपरिसंपत्तियां) फ्रीहोल्ड भूमि और उस पर मूल्यह्रास के निम्नलिखित विवरण दिखाती है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	मूल्यह्रास			
	वर्ष की शुरुआत में संचित मूल्यह्रास	चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान हटाई गई अचल	वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास

ए.2.4.2 फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास

टिप्पणी के अनुसार, गलत तरीके से चार्ज किए गए मूल्यह्रास को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों में रद्द और समायोजित किया गया है। लेखा परीक्षा टीम अपनी अगली लेखा परीक्षा के दौरान इसका सत्यापन कर सकती है।

			परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	
भूमि				
फ्रीहोल्ड भूमि	0.42	-	-	0.42

पिछले वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा ने इसी तरह की टिप्पणी (टिप्पणी संख्या ए.1.6.ii) को इंगित किया कि कंपनी अधिनियम या आयकर अधिनियम में फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास चार्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यह्रास आरोपित करना अनियमित था।

इस संबंध में ईपीएफओ ने त्रुटि स्वीकार की और जवाब दिया कि फ्रीहोल्ड भूमि पर गलत तरीके से लगाए गए मूल्यह्रास को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रद्द और समायोजित किया जाएगा।

हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए ईपीएफओ की लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा ने पाया कि ईपीएफओ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ए.2.5 **ईटीएफ निवेश का अंत शेष (अनुसूची -** 18 **और** 20) वर्ष 2020-21 के लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान, ईपीएफओ ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा जारी होल्डिंग सर्टिफिकेट के अनुसार ईटीएफ का अंत शेष प्रदान किया (स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा जारी उचित होल्डिंग सर्टिफिकेट लेखा परीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था), हालांकि, ये	**ए.2.5 ईटीएफ निवेश का अंत शेष (अनुसूची - 18 और 20)** वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कस्टोडियन से प्राप्त होल्डिंग स्टेटमेंट लेखा परीक्षा प्रभाग (एसएआर) को पहले ही प्रदान कर दिया गया है। कस्टोडियन के होल्डिंग स्टेटमेंट के आधार पर, 31.03.2021 को होल्डिंग (ईटीएफ) इस प्रकार है:

शेष भी निवेश अनुसूची **18** से **27** में प्रदर्शित ईटीएफ निवेशों के अंतिम शेष से मेल नहीं करते। विवरण निम्नानुसार हैं:

निवेश की अनुसूची	प्रमाण पत्र के अनुसार लेखे का नाम	करोड़ में अंतर
18	सीबीटी-ईपीएफ-**05-V**-डीएम	**13.50**
20	सीबीटी-ईपीएफ-**11-V**-डीएम	**13.56**

इसलिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा जारी उचित होल्डिंग सर्टिफिकेट के अभाव में, ईपीएफओ द्वारा प्रदान की गई शेष राशि की प्रामाणिकता को लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका और हम आंकड़ों का समाधान नहीं कर पाए। समाधान बैंक और लेखों के प्रमाणपत्र के अनुसार आंकड़ों के साथ किया जाना चाहिए।

निवेश की अनुसूची	लेखा संख्या	कस्टोडियन के अनुसार अंत शेष (राशि रुपये में)
18	**5**	**768,116,942,291.03**
20	**11**	**421,521,752,497.32**
26	**8**	**1,093,207,221.94**
	कुल	**1,190,731,902,010.29**

पिछले **5** वर्षों के वार्षिक लेखे और कस्टोडियन होल्डिंग के अध्ययन पर, यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ईटीएफ इकाइयों की खरीद के संबंध में सलाहकार द्वारा प्रदान किए गए गलत डेटा के कारण वार्षिक लेखे और होल्डिंग के बीच का अंतर कुछ तिथियों के लिए है और इसे वैसे ही आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि कुल राशि जो प्रमाणपत्र के अनुसार अनुसूची 18 और अनुसूची 26 में अधिक है, अनुसूची 20 के प्रमाणपत्र में समान राशि से कम हो रही है। यह गलत डेटा हाल ही में नोटिस में लाया गया था और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने के दौरान इसे ठीक किया जा रहा है।

ए.2.6 बकाया राशि/निपटान

बैलेंस शीट में लंबित समाधान/निपटान जैसे पारगमन में राशि, एक लेखे से अंतरित राशि लेकिन दूसरे में जमा नहीं की गई और इसके विपरीत, लेखों में गलत डेबिट और क्रेडिट, पारगमन में प्रेषण आदि के

ए.2.6 बकाया राशि/निपटान

यह सूचित किया जाता है कि 2017 से पहले क्षेत्रीय आधार पर कलेक्शन किया जाता था। बड़ी मात्रा में लेन-देन (प्रतिवर्ष लगभग 2.5 करोड़) के कारण बैंक लेखों में कुछ गलत डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों का, जिन्हें पिछले वर्ष की अनुसूची

<table>
<tr>
<td>₹1055.00 करोड़ की राशि के कई शेष हैं । इनमें से कुछ शेष 1976-77 की अवधि से संबंधित हैं।
विभाग इन शेष के समाधान और निपटान के लिए तत्काल कदम उठा सकता है।</td>
<td>प्रविष्टियों में देखा जा सकता है, पुराने रिकॉर्ड की अनुपलब्धता और विभिन्न अन्य कारणों से अब तक समाधान नहीं किया जा सका।</td>
</tr>
<tr>
<td>बी. आय और व्यय लेखा
बी.1 ईपीएफओ ने 2006-07 से संचालित निवेश उतार-चढ़ाव लेखे से संबंधित ₹ 270.08 करोड़ की निधि को बंद कर दिया है और आय और व्यय लेखे की अनुसूची 31 में 'पिछले वर्ष के लिए देय ब्याज का अतिरिक्त प्रावधान - वापस लिखा (निवेश उतार-चढ़ाव निधि वापस लिखा)' शीर्ष के तहत राशि बुक की है। वापस लिखा गया निवेश उतार-चढ़ाव लेखा पिछली अवधि और आय और व्यय लेखे में पूर्व अवधि समायोजन के तहत अलग से प्रकट की जाने वाली राशि से संबंधित था। इसके परिणामस्वरूप 2020-21 के दौरान आय में ₹270.08 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई।</td>
<td>बी. आय और व्यय लेखा
बी.1 निवेश उतार-चढ़ाव कोष के तहत पड़ी राशि को ब्याज आय में वापस जोड़ दिया गया है क्योंकि इसे इस शीर्ष से चार्ज किया गया है। यह केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा 09-09-2020 को आयोजित अपनी 227वीं बैठक और सीएजी टिप्पणी में लिए गए निर्णय के अनुसार किया गया है। यह निधि को वापस लिखने का एकमुश्त समायोजन है।</td>
</tr>
<tr>
<td>बी.2 आय और व्यय लेखा लेखापरीक्षा की जांच के दौरान पाया गया कि एफडीआर पर अर्जित ब्याज में अंतर था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:
(राशि ₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>अनुसूची 31 (ईपीएफ अंशदान निधि)</th><th>लेखों के अनुसार राशि</th><th>बैंक प्रमाणपत्रों के अनुसार राशि</th><th>अंतर
(- कम करके आंका गया)
(+ अधिक बताया गया)</th></tr>
<tr><td>एफडीआर पर अर्जित ब्याज</td><td>14.34</td><td>21.79</td><td>(-) 7.44</td></tr>
</table>
उपरोक्त अंतर के समाधान की जरूरत है।</td>
<td>बी.2 लेखा परीक्षा की टिप्पणी का अनुपालन किया गया है और वार्षिक लेखा 2021-22 में कोई अंतर नहीं है</td>
</tr>
</table>

बी.3 मार्च 2021 के महीने के लिए ईपीएफओ के पोर्टफोलियो की समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि "कस्टोडियन (एससीबी) की अपेक्षित और पिछली रिपोर्ट के सत्यापन पर, यह देखा गया कि ब्याज और परिपक्वता (आंशिक परिपक्वता सहित) ₹1410.09 करोड़ (₹554.91 करोड़+₹144.20 करोड़ + ₹547.20 करोड़ + ₹163.78 करोड़) जो पिछले वर्षों में बकाया था, 31.03.2021 तक वसूल नहीं किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय अनुबंधों और बॉन्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के पैरा ii (डी) में प्रावधान है कि ब्याज के भुगतान और/या बॉन्ड के मोचन और इस समझौते के अनुसार देय अन्य सभी धन के भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, कंपनी बॉन्ड धारकों को ब्याज के भुगतान में चूक के लिए ब्याज दर पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज और/या मूल राशि का भुगतान तब तक करेगी जब तक कि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि यद्यपि लेखों पर टिप्पणियों - **VII** (निवेश) - ए (वसूली के लिए लंबित निवेश) में ब्याज और परिपक्वता की बकाया चूक की स्थिति दिखाई गई थी लेकिन भुगतान तिथि (परिपक्वता अवधि 15.01.2012 से 22.10.2020 तक) के बाद देय ब्याज और दंड शुल्क का न तो लेखों पर नोट्स में उल्लेख किया गया था और न ही यह ईपीएफओ द्वारा दावा की गई कुल राशि का एक हिस्सा था।	**बी.3** लेखा परीक्षा की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के तुलन पत्र में आवश्यक प्रावधानों को शामिल कर लिया गया है।
बी.4 आय और व्यय लेखे में, ₹21787.32 करोड़ और ₹1155.88 करोड़ को 'वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज' के रूप में क्रमशः अनुसूची -34 (वर्ष के दौरान ब्याज आय -क.पें.यो. अंशदान निधि) और	**बी.4** टिप्पणी को नोट किया जाता है और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज को अलग से वार्षिक लेखों 2021-22 में बुक किया जाता है। लेखा परीक्षा पार्टी इसे सत्यापित कर सकती है।

अनुसूची - 36 (वर्ष के दौरान ब्याज आय - ईडीएलआई अंशदान निधि) के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, लेखों में प्रकट ब्याज की गणना क.पें.यो. अंशदान निधि से ₹21.23 करोड़ और ईडीएलआई अंशदान निधि लेखों से ₹51.04 लाख के ओवरड्राफ्ट की कटौती के बाद की गई थी। इस प्रकार, इन ओवरड्राफ्ट प्रभारों का निवलीकरण सही कार्य नहीं था ।	
बी.5 आय - ₹498.33 करोड़ ईपीएफओ को मंत्रालय से समय-समय पर क.पें.यो. 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000/- रु और सरकारी अंशदान @1.16% के बकाया के लिए निधि प्राप्त होती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, ईपीएफओ को केवल ₹993.07 करोड़ (₹900.27 करोड़ -अंशदान और ₹92.80 करोड़ - ब्याज) के चालू वर्ष के लम्बितता के मुकाबले ₹1491.40 करोड़ की न्यूनतम पेंशन पर अंशदान प्राप्त हुआ है। पूर्व अवधि की ₹498.33 करोड़ की आय को चालू वर्ष की बजाय पूर्व अवधि की आय में दर्ज किया जाना चाहिए।	**बी.5 आय - ₹498.33 करोड़** श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन 1000/- रुपये प्रति माह के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए 1491.40 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ईपीएफओ ने 1491.40 करोड़ रुपये का व्यय किया है जिसमें चालू वर्ष के लिए 993.07 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष से 641.62 करोड़ रुपये के लंबित बकाया के हिस्से के रूप में शेष राशि शामिल है। विवरण निम्नानुसार हैं: 1000/- **रुपये की न्यूनतम पेंशन का विवरण** **(राशि करोड़ रुपये में)**

वर्ष	संचयी बकाया राशि का आदि शेष	केंद्र सरकार से देय राशि			केंद्र सरकार से प्राप्त राशि	चालू वर्ष घाटा	संचयी बकाया
		अंशदान	ब्याज	कुल			
	ए	बी	सी	(डी = बी + सी	ई	एफ (डी-ई)	जी (ए + डी-ई)
2020-21	641.62	900.27	92.80	993.07	1,491.40	498.33)	143.29

	केवल वित वर्ष **2020-21** (डी = बी + सी) के संबंध में देय राशि: रु **993.07** करोड़ बकाया (वित वर्ष **2020-21** की शुरुआत में) (ए): **641.62** करोड़ रुपये कुल देय (ए+बी+सी):= रु. **1634.69** करोड़ वित वर्ष 2020-21 (ई) के दौरान प्राप्त राशि: रु. **1491.40** करोड़ अगले वित्तीय वर्ष के लिए बकाया (ए+डी-ई)= **143.29** करोड़। इसलिए, उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकता है कि वित वर्ष 2020-21 में प्राप्त राशि चालू वर्ष के बकाया के साथ-साथ पिछले बकाया दोनों के विरुद्ध है। 498.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अतिकथन नहीं है, बल्कि यह पिछले बकाया (641.62 करोड़ रुपये) का भुगतान है।
बी.6 ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि (अनुसूची - 42) आय और व्यय लेखे में, ₹2890.79 करोड़ की राशि को ईपीएफ अंशदान निधि में व्यय के रूप में 'ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि/पिछले वर्ष का समायोजन' शीर्ष के तहत दिखाया गया था। प्रकटीकरण पिछली अवधि से संबंधित है जिसे आय और व्यय लेखे में पूर्व अवधि के तहत बुक किया जा सकता है। इसके अलावा इस संबंध में ईपीएफओ ने उत्तर दिया कि उपरोक्त राशि ₹0.06 करोड़ (शेष राशि प्रतिभूतियों को ब्याज आय के रूप में गिना जा रहा है), ₹2686.51 करोड़ (पहले के वर्षों के प्रकटीकरण का सुधार) और ₹204.22 करोड़ (सिस्टम के सुधार के कारण अंतर) के आंकड़ों का योग है।	**बी.6 ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि (अनुसूची - 42)** **(I)** रु. 6,09,882 - सुरक्षा कोड 788869 एसटीजी श्रेणी का एक शून्य कूपन बॉड है जिसका अंकित मूल्य रु 10,00,000 और खरीद मूल्य 31.03.2020 को 390118 है, जो कि 2019-20 में रु 10,00,000 के लिए परिपक्व हुआ। हालाँकि, 2019-20 की परिपक्वता रिपोर्ट में परिपक्वता राशि 10,00,000 के बजाय 390118 के रूप में दिखाई गई क्योंकि शेष राशि यानी रु. 6,09,882 को ब्याज आय में गिना जा रहा है। तो 31.03.2021 को सही होल्डिंग पर पहुंचने के लिए यह शेष राशि यानी रु 6,09,882 को अनुसूची 18 में एसटीजी में परिपक्वता में जोड़ा गया है। (ii) रुपये 26,86,51,06,162.28 = वित वर्ष 2019-20 में ईटीएफ मोचन की वास्तविक राशि रु. 1,22,23,03,25,914.03 थी, हालांकि 2017-18 में ईटीएफ

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।	26,86,51,06,162.28 रु के मोचन को 2017-18 में हिसाब में नहीं लिया गया था और इसलिए 2019-20 में बैलेंस शीट के समापन बैलेंस में परिलक्षित नहीं हुआ था, जिसे 31.03.2021 को सही आंकड़े पर पहुंचने के लिए गिना जाना चाहिए, इसलिए इस राशि को इस वर्ष परिपक्वता के रूप में हिसाब में लिया गया है। (iii) 2,04,22,16,419.62 रुपये= 2,04,22,16,419.62 रुपये का अंतर t+1 दिन के सेटलमेंट सिस्टम के कारण हुआ है। निवेश अनुसूची डीमैट लेखे की धारिता को दर्शाती है जबकि प्राप्ति और भुगतान बैंक लेखे के शेष में परिवर्तन को दर्शाता है। उक्त राशि ईटीएफ का लागत मूल्य है जिसे 30.03.2021 को बेचा गया था, हालांकि राशि 03.04.2021 को बैंक लेखे में वसूल की गई थी। इसलिए, निवेश अनुसूची और रसीद और भुगतान की परिपक्वता राशि में अंतर दिखाई दे रहा है। यह राशि वर्ष 2021-22 के निवेश की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा संख्या 5 में दिखाई देगी।
सी. आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट्स (अनुसूची - 45) **सी.1 कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक मूल्यांकन** कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 32 के अनुसार, केंद्र सरकार को कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन उसके द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा कराना आवश्यक है। इसके अलावा, एएस-15 बताता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यद्यपि 2015-16 और 2016-17 के वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम और प्रभाव को लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है, लेकिन	**सी. आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट्स (अनुसूची - 45)** **सी.1 कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक मूल्यांकन** पैरा 32 के तहत बीमांकिक मूल्यांकन वास्तविक के अनुसार लेखांकन मूल्यांकन से अलग है। उल्लेखनीय है कि 2015-16 एवं 2016-17 के मूल्यांकन प्रतिवेदन में 15,531.91 करोड़ रुपये की संयुक्त निवल देयता/घाटे के संबंध में मूल्यांकक द्वारा प्रतिवेदन में कहा गया है कि वर्तमान के संदर्भ में घाटा मूल्य कुल देयता के 2.50% से कम है और यह चिंता का विषय नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि कर्मचारी पेंशन कोष ने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी किसी भी नकदी प्रवाह घाटे का अनुभव नहीं किया है और न ही निकट भविष्य में ऐसी किसी घटना की आशंका है। इस प्रकार

लेखों की पुस्तकों में बीमांकिक कमी के ₹15531.91 करोड़ के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है। लेखा पर टिप्पणियों-IV के अनुसार, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि "31.03.2020 और 31.03.2021 को कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकक की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह प्रक्रियाधीन है"। लेखा पुस्तकों में 2015 और 2016 के मूल्यांकन के प्रभाव के गैर-लेखांकन और क.पें.यो. के समवर्ती मूल्यांकन के अभाव में, लेखापरीक्षा क.पें.यो. की देयताओं की शुद्धता को सत्यापित करने में असमर्थ है। वर्ष 2019-20 के लेखों के संबंध में ईपीएफओ (टिप्पणी संख्या सी) को इसी तरह की टिप्पणी जारी की गई थी, हालांकि, ईपीएफओ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	बीमांकिक घाटे को पूरा करने के लिए धन की सोर्सिंग की कोई अत्यावश्यक आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यह कहा जाना चाहिए कि बीमांकक की सिफारिशों और निधि के संचालन में अनुभव के आधार पर, क.पें.यो.-1995 के कुछ प्रावधानों में संशोधन के माध्यम से कई उपाय पहले ही किए जा चुके हैं, जबकि अन्य वर्तमान में विचाराधीन हैं जिनसे घाटे को कम करने में सकारात्मक प्रभाव होने की उम्मीद है। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:- I. निधि की सदस्यता उन कर्मचारियों तक ही सीमित है, जिनका वेतन ज्वाइनिंग के समय 15,000/- रुपये प्रति माह की वेतन सीमा तक या उससे कम है। II. सदस्य और नियोक्ता के संयुक्त विकल्प पर वेतन सीमा से अधिक वेतन पर क.पें.यो. में अंशदान के लिए उपलब्ध प्रावधानों को वापस ले लिया गया है जिससे क.पें.यो. निधि पर देयता सीमित हो गई है। सरकार की ओर से 1.16% का अंशदान भी केवल ऐसे श्रमिकों तक ही सीमित है जो वेतन सीमा से कम और केवल रु.15,000/- तक योजना में शामिल होते हैं। III. 01.09.2014 से प्रभावी वेतन की बढ़ी हुई सीमा को ध्यान में रखते हुए (रु. 6,500/- से रु. 15,000/- प्रतिमाह) पेंशन लाभों की गणना वेतन सीमा में वृद्धि से पहले और उसके बाद सेवाकाल को ध्यान में रखते हुए केवल संभावित रूप से और आनुपातिक आधार पर किया जा रहा है, इस प्रकार लाभ के किसी भी अनपेक्षित कमी के खिलाफ सुरक्षा। IV. पेंशन योग्य वेतन की गणना, जो लाभ के निर्धारण में एक कारक है, पहले से लागू 12 महीने के वेतन के औसत के बजाय औसतन पांच साल पर आधारित है।

	उपरोक्त संशोधन जीएसआर संख्या 610(ई.) दिनांक 22.08.2014 के तहत किया गया था। उपरोक्त संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन बाद के वर्षों के बीमांकिक मूल्यांकन के दौरान किया जाएगा। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के मूल्यांकन के संबंध में, यह कहा गया है कि मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता / बीमांकक पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुका है और इसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पूरा हो चुका है और रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। दिनांक 31-03-2020 एवं 31-03-2021 को कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकक की नियुक्ति हेतु तीन बार निविदा प्रक्रिया की गई। निविदा का अंतिम/तीसरा दौर 31.08.2021 को खोला गया था, जिसमें केवल एक बोलीदाता तकनीकी मूल्यांकन दौर के दौरान योग्य था। एकल बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य बहुत अधिक था। मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच की गई। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने पत्र दिनांक 20.05.2022 के माध्यम से नई निविदा जारी करने के लिए कहा है और साथ ही वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है। अब 3 साल (यानी 31-03-2020, 31-03-2021 और 31-03-2022 तक) के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के लिए नई निविदा जारी की गई है और केंद्र सरकार द्वारा, मूल्यांकक की नियुक्ति के बाद मूल्यांकन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। पैरा 32 के तहत बीमांकिक मूल्यांकन वास्तविक के अनुसार लेखांकन मूल्यांकन से अलग है। सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में, स्थिति ऊपर बताई गई है

सी.2 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 9.2 में कहा गया है कि अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा। यह लेखा नीति एएस-15 के पैराग्राफ 127 के उल्लंघन में है जो यह प्रावधान करती है कि सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिए। ईपीएफओ को पिछले वर्ष के लेखों पर इसी तरह की टिप्पणी (टिप्पणी संख्या डी.1.1) जारी की गई थी, हालांकि, ईपीएफओ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	सी.2 टिप्पणी को नोट कर लिया गया है और इसके लिए संबंधित अनुभाग को एक पत्र जारी किया गया है।
डी जनरल **डी.1 उचंत लेखा - समाधान न करना** वर्ष के दौरान क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखों की विभिन्न अनुसूचियों में उचंत लेखों के आंकड़े दर्शाए गए थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: बैलेंस शीट की अनुसूची संख्या और विवरण — राशि ₹ करोड़ में अनुसूची 5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान) I - वर्तमान देयताएं 2 विविध क्रेडिट — 65.93 क.उचंत लेखा (अवर्गीकृत) (ईपीएफ) अनुसूची 15 (प्रशासन निधि) (वर्तमान देयताएं और प्रावधान) I - वर्तमान देयताएं ए क्षेत्रीय — 29.66 क.उचंत लेखा (प्रशासन निधि) अनुसूची 19 (वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम) I - वर्तमान परिसंपत्ति 4. विविध नामे — 127.68 क.उचंत लेखा (अवर्गीकृत) (ईपीएफ) अनुसूची 28- प्रशासन। निधि (वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम) 3. विविध नामे — 22.56 क.उचंत लेखा (प्रशासन निधि)	**डी जनरल** **डी.1 उचंत लेखा - समाधान न करना** देश भर के सभी कार्यालयों को लंबित शेष राशि के समाधान के लिए निर्देश जारी किए गए थे और इसकी नियमित रूप से अंचल कार्यालय /मुख्यालय स्तर पर निगरानी की जा रही है।

ये बड़े शेष पिछले वर्षों से संबंधित गलत डेबिट/क्रेडिट थे और इन्हें उचंत लेखों में रखा गया था। इन्हें क्षे.का. के साथ समाधान करने और उपयुक्त शीर्षों में समायोजित करने की आवश्यकता है।	
डी.2 क्षे.का., ईपीएफओ, सागर के वार्षिक लेखों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई - **डी.**2.1 क्षे.का., ईपीएफओ, सागर के वार्षिक लेखों की जांच में बैलेंस शीट की अनुसूची-4 के तहत ₹397.52 करोड़ की ऋणात्मक शेष राशि का पता चला। ईपीएफओ ने जवाब दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में इसे ठीक कर लिया जाएगा।	डी.**2** डी.**2.1** वित्तीय वर्ष **2020-21** के लिए वार्षिक लेखे सीएजी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप में तैयार किए गए थे, जहां ब्याज की अनुसूची देयता पक्ष पर है। इसलिए, देयता पक्ष में प्रारंभिक शेष राशि ऋणात्मक है क्योंकि यह पहले परिसंपत्ति पक्ष पर लीगेसी प्रारूप में सकारात्मक थी। "क्षे.का. /आं.का. के पास कोई ब्याज आय नहीं है क्योंकि अंशदान से प्राप्त राशि का निवेश मुख्य कार्यालय स्तर पर किया जाता है लेकिन ईपीएफओ की समेकित बैलेंस शीट में यह सकारात्मक है ।"
डी.2.2 ईपीएफ लेखा नियमावली अध्याय 6, पैरा 6.12 के अनुसार, शाखाओं/लिंक शाखाओं, सहायक बैंकों के आधार पर ईपीएफ अंशदान में प्राप्त सभी धन चालान धारक लेखा संख्या 1 के माध्यम से निवेश लेखा संख्या 5 'एसबीआई, बॉम्बे में अंतरित किया गया। क्षे.का. , ईपीएफओ सागर के वार्षिक लेखे 2020-21 की जांच के दौरान यह देखा गया कि समेकित बैलेंस शीट अनुसूची -1 ईपीएफ अंशदान कोष ₹ 70.85 करोड़ दिखाया गया था लेकिन यह राशि अनुसूची -18 ईपीएफ-निवेश में शामिल नहीं थी। ईपीएफओ ने जवाब दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में सुधार किया जाएगा।	डी.2.2 इसमें सुधार किया गया है और राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूची-18 ईपीएफ-निवेश' में शामिल किया गया है।
डी.2.3 ईपीएफओ सागर के वर्ष 2019-20 और 2020-21 के वार्षिक लेखे में, यह देखा गया कि 31.03.2019 को देयताओं और परिसंपत्तियों का अंत शेष ₹113.86 करोड़ और 31.03.2020 को	**डी.2.3** 110.31 करोड़ रुपये की राशि अनुलग्नक के रूप में दिखाई गई है तथा ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 72(6) के तहत निष्क्रिय लेखों की संशोधित परिभाषा के अनुसार, 11-11-2016 से वार्षिक लेखा 2019-20 में ऑपरेटिव लेखों

निष्क्रिय लेखे में अंत शेष ₹3.55 करोड़ दिखाया गया था। इस प्रकार, पिछले वर्ष के अंत शेष की तुलना में ₹110.31 करोड़ (₹113.86 - ₹3.55 करोड़) का अंतर देखा गया। हालांकि, प्राप्ति और भुगतान लेखा संख्या 1 में निष्क्रिय लेखे से भुगतान शून्य दिखाया गया था। इसके अलावा, हमने देखा कि ₹ 110.31 करोड़ वर्ष 2019-20 के लिए वर्गीकृत सारांश के अनुलग्नक में दिखाया गया था लेकिन वर्ष 2019-20 और 2020-21 के वार्षिक लेखे में इसका हिसाब नहीं दिया गया था। ईपीएफओ ने जवाब दिया कि अगले वित्तीय वर्ष में सुधार किया जाएगा।	में अंतरित कर दिए गए हैं, इसलिए कोई सुधार नहीं किया जाना है क्योंकि इसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में सिस्टम द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट के आधार पर दिखाया गया है।

ई. सहायता अनुदान **ई.1 योजनाओं के तहत सहायता अनुदान** ईपीएफओ का वित्तपोषण मुख्य रूप से अंशदान की प्राप्तियों और प्रशासनिक प्रभार लगाने की वसूली से किया जाता है। पीएमपीआरपीवाई का सहायता अनुदान न तो भारत सरकार से प्राप्त हुआ और न ही ईपीएफओ द्वारा उपयोग किया गया। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान एबीआरवाई के तहत किसी अनुदान का उपयोग नहीं किया गया था। हालांकि, क.पें.यो., 1995 के तहत ₹1000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन, पीएमआरपीवाई, पीएमपीआरपीवाई, पीएमजीकेवाई और एआरबीवाई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। प्राप्त और उपयोग किया गया शीर्षवार अनुदान अनुबंध 1 में दर्शाया गया है।	**ई. सहायता अनुदान** **ई.1 योजनाओं के तहत सहायता अनुदान** तथ्यात्मक होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।
v. पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा बैलेंस शीट, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखे, लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार हैं।	
vi. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और टिप्पणी संख्या ए.2.1, ए.2.2 और बी.6 के अधीन हैं जबकि हम इन मामलों और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों पर राय बनाने में असमर्थ हैं, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। क. जहां तक वे 31 मार्च 2021 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट से संबंधित हैं; तथा ख. जहां तक वे उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय लेखे से संबंधित हैं।	

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली

ह०

दिनांक: 26-07-2022

(अशोक सिन्हा)

(स्वास्थ्य कल्याण और ग्रामीण विकास)

महानिदेशक, लेखा परीक्षा

परिशिष्ट	
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता • ईपीएफओ के लेखा परीक्षा विंग द्वारा 2020-21 के दौरान क.भ.नि.सं. मुख्यालय सहित 58 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई और लेखा परीक्षा की गई । बकाया आपत्ति पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रभावी नहीं थी क्योंकि 31 मार्च 2021 को 19781 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।	**1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** तथ्यात्मक होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं । लंबित लेखापरीक्षा पैरा को समाप्त करने और आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के अनुपालन के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता **i) डिफिसिएंट इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर और उसका संचालन** वर्ष के दौरान विभाग ने पिछले वर्षों में देखी गई त्रुटियों के लिए निवेश सॉफ्टवेयर में कुछ सुधार किए हैं। रिकॉर्ड में निर्दिष्ट इन त्रुटियों का विवरण है 'निवेश सॉफ्टवेयर में गलत रिपोर्टिंग, सीसीआईएल मार्जिन को सॉफ्टवेयर में कैप्चर नहीं किया गया, गलत तरीके से दर्शाया गया और टीआई के रूप में जोड़ा गया, परिपक्वता तिथि पर सॉफ्टवेयर में एमओ + सीआर दोनों की राशि के लिए प्रविष्टि पास की गई, सॉफ्टवेयर में गलत राशि के साथ एमओ प्रविष्टि पास की गई, एमओ रिपोर्ट राशि गलत रूप से ₹49,67,55,000 की सही राशि के बजाय ₹1 के रूप में परिलक्षित होती है, सॉफ्टवेयर में एमओ के लिए दोहरी प्रविष्टि पास की गई, एफवी और सीपी के लिए दो प्रविष्टियां पास की गई, एक सुरक्षा के लिए तथा एक डुप्लिकेट आदि के लिए दो प्रविष्टियां पास की गईं। इससे पता चलता है कि निवेश सॉफ्टवेयर फूलप्रूफ नहीं है और इसमें अनिवार्य जांच और सत्यापन का अभाव है। सॉफ्टवेयर के संचालन में मानवीय त्रुटियों को रोकने के लिए आगे की प्रणाली भी अपर्याप्त प्रतीत होती है। ऐसी परिस्थितियों में लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि निवेशों के लेखांकन के लिए सॉफ्टवेयर प्रणाली विश्वसनीय, फूलप्रूफ, वैज्ञानिक और प्रामाणिक है।	**2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** **i) डिफिसिएंट इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर और उसका संचालन** सॉफ्टवेयर के संचालन में मानवीय त्रुटियों को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में अनिवार्य जाँच और सत्यापन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं और ऐसी अनिवार्य जाँच और सत्यापन के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन किए गए हैं: **1.** ऑटो समाधान के स्थान पर एक नया 2 स्तरीय समाधान कार्यक्षमता पेश की गई है। निधि प्रबंधक और कस्टोडियन द्वारा अपलोड किए गए लेन-देन को दैनिक आधार पर निवेश अनुभाग में ईमेल पर उनके द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के साथ सत्यापित किया जाता है। यह कार्यक्षमता मानवीय त्रुटि को रोकने के लिए पेश की गई है। **2.** जरूरत पड़ने पर परिपक्वता, कूपन फ्रीक्वेंसी, और कूपन ड्यू डेट ऑफ सिक्योरिटी को एडिट करने के लिए एडिट फंक्शनलिटी पेश की गई है या कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है। **3.** कई योजनाओं के बंद होने के कारण प्रतिभूतियों को एक योजना से दूसरी योजना में स्थानांतरित करने के लिए एक नई कार्यक्षमता शुरू की गई है। यह कार्यक्षमता एक योजना के सुरक्षा कोड को दूसरी योजना में माइग्रेट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। **4.** एक आईएसआईएन के खिलाफ एक से अधिक सुरक्षा कोड के लिए एक नई कार्यक्षमता "कोड विलय" उपयोगकर्ता मैनुअल के बिंदु संख्या 1 में पेश की गई

विभाग ने उत्तर दिया कि सॉफ्टवेयर में इसी प्रकार की त्रुटियों को रोकने के लिए आवश्यक जांच और सत्यापन शुरू किया गया है और समाधान प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर उन्नयन से संबंधित कोई विशिष्ट विवरण प्रदान नहीं किया गया है।	है। यह कार्यक्षमता एक ही सुरक्षा कोड के विरुद्ध विभिन्न सुरक्षा कोड (लेकिन एकल आईएसआईएन वाले) के तहत दर्ज सभी लेनदेन को मर्ज कर देगी। **5.** डुप्लीकेट सुरक्षा कोड से छुटकारा पाने के लिए एक नई कार्यक्षमता पेश की गई है, जो ईपीएफओ सॉफ्टवेयर में मौजूद है लेकिन कस्टोडियन सिस्टम में विलय कर दी गई है और एकल सुरक्षा कोड के तहत रिपोर्ट की जा रही है। यह कार्यक्षमता आईएसआईएन विलय कार्यक्षमता का एक छोटा-सा संस्करण है। इस कार्यक्षमता का उपयोग करके किसी भी डुप्लीकेट सुरक्षा कोड को उनके आईएसआईएन के बावजूद किसी अन्य के साथ विलय किया जा सकता है।
ii) स्थापित नहीं किए गए निवेशों के नियमित समाधान के लिए प्रणाली निवेशों में बड़ी मात्रा में असमायोजित शेष राशि के संबंध में बार-बार लेखापरीक्षा टिप्पणियों को देखते हुए, ईपीएफओ ने 2019-20 के दौरान इन शेष राशि का समाधान किया है। बार-बार अनसुलझा शेष के बावजूद, विभाग ने अभी तक निवेश के समाधान की एक नियमित और सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित नहीं की है। चूंकि भविष्य में भी इसी तरह के समाधान किए गए शेष की पुनरावृत्ति की संभावना है, इसलिए निवेश के विभिन्न खंडों के तहत शेष राशि के नियमित समाधान के लिए शासी परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित एक उचित लेखा नीति की आवश्यकता है।	**ii) स्थापित नहीं किए गए निवेशों के नियमित समाधान के लिए प्रणाली** इन मतभेदों को सुलझाने के लिए, निवेश अनुभाग ने एक विस्तृत लेखा परीक्षा आयोजित करने और असंगत राशियों के समाधान के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया है। राशियों के स्क्रिप वार समाधान के लिए सीए की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। **iii)** ईपीएफओ लेखांकन के सभी बुनियादी सिद्धांतों और सीएजी द्वारा स्वीकृत और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पालन करता है। **iv)** ईपीएफओ, लेखांकन सॉफ्टवेयर के विकास की प्रक्रिया में है। कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में इसके लागू होने की संभावना है। इसकी उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है और लेखा इकाइयों से संबंधित सभी मुद्दों को लेजर और ट्रायल बैलेंस आदि के संबंध में ठीक से बनाए रखा जाएगा।

उपरोक्त टिप्पणियों को 2019-20 की अवधि के लिए पिछले एसएआर में भी सूचित किया गया था। विभाग ने बताया कि अभी तक समाधान की प्रक्रिया चल रही है। **(iii)** ईपीएफओ ने बुनियादी लेखा सिद्धांतों का पालन नहीं किया और एकल प्रविष्टि प्रणाली पर एमएस एक्सेल कार्यक्रम के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए जा रहे थे जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक लेखों में नकारात्मक प्रविष्टियां हुईं। **(iv)** उनकी क्षेत्रीय इकाइयों के साथ-साथ क.भ.नि.सं. मुख्यालय में ट्रायल बैलेंस और शीर्षवार लेखा बही तैयार नहीं की जा रही थी।	
3. परिपरिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली **3.1** क.भ.नि.सं. मुख्यालय के फर्नीचर और फिक्स्चर और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों का 2020-21 के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया।	**3. परिपरिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** **3.1** तथ्यात्मक होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।
3.2 क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद में, अचल परिसंपत्तियों (पुस्तकालय पुस्तकों सहित) और सूची/भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।	**3.2** इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि समिति का गठन किया गया है; वर्तमान समिति की रिपोर्ट का अभी इंतजार है।
3.3 क्षे.का., मदुरै में, अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान नहीं किया गया था और अनुपयोगी / अप्रचलित भंडार / परिसंपत्ति के विवरण का भी खुलासा नहीं किया गया था।	**3.3** 2021-22 की अवधि से, अचल परिसंपत्ति रजिस्टर को ठीक से बनाए रखा गया है और 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए, अचल परिसंपत्तियों के सत्यापन के लिए अधिकारियों की टीमों का गठन किया गया है और अचल परिसंपत्तियों का विवरण तैयार किया जा रहा है।
3.4 क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में, बार-बार अनुरोध के बावजूद, अचल परिसंपत्तियों और सूची की कोई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।	**3.4** क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के लिए अचल परिसंपत्ति संबंधित क्षे.का. द्वारा खरीदी जाती है, इसलिए अचल परिसंपत्तियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता है और इसका सत्यापन नहीं होता है।

3.5 क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू में, चार क्षेत्रीय कार्यालयों यथा बैंगलोर- I, बैंगलोर- II, के.आर. पुरम, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के संबंध में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। ।	**3.5** सभी कार्यालयों में सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है।
4. इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली ईपीएफओ के संबंध में उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी के संबंध में भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान आयोजित किया गया था।	**4. इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** तथ्यात्मक होने के कारण , कोई टिप्पणी नहीं ।
5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता लेखों के अनुसार, 31.03.2021 को सांविधिक देय राशियों के संबंध में छः माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।	**5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता** तथ्यात्मक होने के कारण , कोई टिप्पणी नहीं ।

प्रबंधन पत्र का अनुलग्नक

1. चालू परिपरिपरिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची - 19) **1.1** ₹69.47 करोड़ को विशेष आरक्षित निधि (वसूली योग्य) के शेष के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, ईपीएफओ ने उन नियोक्ताओं का वर्षवार विवरण नहीं दिया, जिनसे राशि वसूली योग्य है और यह कब से बकाया है। इसके अभाव में वसूली योग्य राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका।	**1. चालू परिपरिपरिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-19)** **1.1** 69.47 करोड़ रुपये की राशि ईपीएफओ के विभिन्न क्षे.का. द्वारा वितरित विशेष आरक्षित निधि राशि की अंतिम शेष राशि है, जिसमें से इस रिजर्व की स्थापना के बाद से इस भुगतान के खिलाफ वसूल की गई राशि घटी हुई है। इसमें पूरे भारत से हजारों लेनदेन शामिल हैं, इन भुगतानों और वसूली के उचित रिकॉर्ड और रजिस्टर आदि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बनाए रखा जाता है। इसकी उन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिखाए गए बैलेंस के साथ-साथ दौरा कर रही लेखा परीक्षा टीम द्वारा जांच की जा सकती है।
1.2 वर्तमान परिपरिसंपत्तियां एक कंपनी की सभी परिपरिसंपत्तियां हैं जिन्हें अगले वर्ष मानक व्यापार संचालन के परिणामस्वरूप बेचा या उपयोग किए जाने की उम्मीद है। वर्तमान परिसंपत्ति में नकद, नकद समकक्ष, प्राप्य लेखे , स्टॉक इन्वेंट्री, विपणन योग्य प्रतिभूतियां, पूर्व-भुगतान देनदारियां और अन्य तरल परिपरिसंपत्तियां शामिल हैं। अनुसूची 19 - विविध देनदार ने चालू परिसंपत्ति के रूप में ₹11.31 करोड़ (अनियमित भुगतान शीर्ष के तहत ₹8.35 करोड़ और शीर्ष भुगतान के तहत ₹2.96 करोड़) दर्शाया। हालांकि, इस राशि में पिछले वर्षों के आंकड़े शामिल हैं जिन्हें वर्षों से आगे बढ़ाया गया है। इसे लेखों में समायोजित/समाधान करने की आवश्यकता है।	**1.2** अधिक भुगतान और अनियमित भुगतान की निगरानी आंचलिक कार्यालय स्तर पर एक अधिक भुगतान समिति और मुख्य कार्यालय के एक अनुभाग द्वारा की जा रही है। इसके अलावा कई अन्य उपाय जैसे समवर्ती लेखापरीक्षा/आंतरिक लेखापरीक्षा/जोन और क्षेत्र में आंचलिक और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आदि ऐसे मामलों को कम करने के लिए सभी संदिग्ध भुगतानों का ख्याल रखते हैं और ऐसे मामलों में नियमित रूप से आवश्यक कानूनी और अनुपालन उपाय किए जाते हैं।

2. निवेश - कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना की एफडीआर (अनुसूची - 22)

अनुसूची 22 (ईडीएलआई) के तहत एफडीआर का अंकित मूल्य ₹53.01 करोड़ दिखाया गया है जबकि प्राप्ति और भुगतान लेखे (लेखा संख्या 25 (ईडीएलआई) में, एफडीआर ₹53.00 करोड़ के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार, लेखों के दो सेटों में ₹0.01 करोड़ का अंतर है जिसका समाधान करने की आवश्यकता है।

2. निवेश - कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना की एफडीआर (अनुसूची - 22)

31.03.2014 को रु. 89,298/- टीडीएस की ईपीएफओ टीडीआर लेखे 33685782153 (ईपीएफओ लेखा संख्या 25) से कटौती की गई और आयकर विभाग, बैंक को संशोधित रिटर्न फाइल की गई और राशि आयकर से वसूल की गई।

2. चूंकि मूल टीडीआर में रु. 89,298/- कम थे, इसलिए बैंक ने 23.02.2015 को पिछले दिनांकित प्रभाव यानी 31.03.2014 के साथ नया टीडीआर (एसी-34728862579) खोला, वित्तीय वर्ष 2017-18 में एफडीआर का मूल्य रु. 1,14,767 जो अंतर बताया गया है जो उल्लिखित अंतर है।

3.उपरोक्त टीडीआर का पूरा विवरण नीचे दिया गया है:

	तिथि	राशि
दी गई नई एफडी	31.03.2014	89298
प्राप्त ब्याज	25.02.2017	26366
	कुल	115664
निकासी/हस्तांतरण डेबिट	26.02.2017	-897
	निवल जमा	114767
प्राप्त ब्याज	24.01.2020	25127
	सकल जमा	139894

	परिपक्वता तिथि | 23.12.2022 | वितीय वर्ष 2022-23 के लिए परिपक्वता मूल्य पर वार्षिक लेखों में इसका समाधान किया जाएगा ।
3. एलएमएफ प्रतिभूतियों के मोचन की राशि में अंतर (अनुसूची - 27) प्रासंगिक अभिलेखों से एलएमएफ प्रतिभूतियों के मोचन की राशि के सत्यापन के दौरान निम्नलिखित अंतर देखा गया: (राशि ₹ में) अनुसूची संख्या | लेखा सं. | निवेश की प्रकृति | वर्ष के दौरान भुनाई गई प्रतिभूतियों का मूल्य: वार्षिक लेखे के अनुसार | प्राप्ति और भुगतान लेखे के अनुसार | अंतर 27 | 9 | एलएमएफ | 3097542798.77 | 3096742798.77 | 800000 अंतर का समाधान करना होगा ।	**3. एलएमएफ प्रतिभूतियों के मोचन की राशि में अंतर (अनुसूची - 27)** रु. 800000/- की यह राशि वास्तव में प्राप्ति और भुगतान विवरण में एलएमएफ पर पूंजीगत लाभ के शीर्ष के अंतर्गत आनी चाहिए। यह राशि एलएमएफ आवेदन राशि की वापसी के मद में लिखी गई है जो कि गलत है। बैलेंस शीट अनुभाग ने इस राशि को वार्षिक लेखों में मोचन में लिया है, इसलिए सीएजी द्वारा इंगित यह अंतर दिखाई दिया। इस अंतर को 2021-22 की बैलेंस शीट में सुधारा गया है।
4. अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची - 24) **4.1** क.भ.नि.सं. (मुख्य कार्यालय) के वार्षिक लेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹792.37 करोड़ की राशि अनुसूची 24ए में 'प्रगति में पूंजीगत कार्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शायी गई थी। तथापि, अभिलेखों के अनुसार, यह पाया गया कि ईपीएफओ ने आवासीय स्थान, पार्किंग स्थान आदि के लिए ₹138.54 करोड़ का भुगतान किया, जो वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान ईपीएफओ के कब्जे में थे (दिनांक 28.05.2019 को टाइप-VI के 19 फ्लैटों, दिनांक 13.03.2020 को टाइप-V के 14 क्वार्टर और दिनांक 28.01.2021 को टाइप-IV के 8 क्वार्टर का कब्जा)।	**4. अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची - 24)** विवरण नीचे दिया गया है भवन मूल्य भ.नि.भवन भीकाजी कामा प्लेस | 283140000 | प्रक्रियाधीन किदवई नगर में तैयार कार्यालय एवं आवासीय परिसर की खरीद | 8700000000 | प्रक्रियाधीन भ.नि.ए., मालवीय नगर का पुनर्विकास | 604728000 | प्रक्रियाधीन मुख्यालय में एसी प्लांट का प्रतिस्थापन | 7703000 | पूर्ण

<table>
<tr>
<td>इस प्रकार, उपरोक्त अचल परिसंपत्तियों के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को कम करके और पूंजीगत कार्य-प्रगति को ₹ 138.54 करोड़ से अधिक बताया गया।</td>
<td>
<table>
<tr><td>मुख्यालय में सब स्टेशन और विविध कार्यों के उन्नयन का प्रस्ताव</td><td>32052000</td><td>प्रक्रियाधीन</td></tr>
<tr><td>मुख्यालय में मौजूदा 625 केवीए के 02 डीजी सेट और 16 यात्री की 02 लिफ्ट का प्रतिस्थापन</td><td>16274000</td><td>पूर्ण</td></tr>
<tr><td>किदवई नगर में फर्नीचर इंटीरियर और बागवानी कार्यों को उपलब्ध कराना और ठीक करना</td><td>13800000</td><td>प्रक्रियाधीन</td></tr>
<tr><td>किदवई नगर में फर्नीचर इंटीरियर ई एंड एम सेवाओं और बागवानी कार्यों को प्रदान करना और ठीक करना</td><td>736449000</td><td>प्रक्रियाधीन</td></tr>
</table>
उपरोक्त स्थिति पूंजीगत व्यय कार्यों की है। 138.54 करोड़ रुपये (मुख्य कार्यालय) की अचल परिसंपत्तियों का पूंजीकरण न करने के संबंध में, यह उल्लेख करना है कि यह राशि - किदवई नगर में तैयार कार्यालय और आवासीय परिसर की खरीद-बजट शीर्ष के अंतर्गत शामिल है - एनबीसीसी से कार्यालय मंजिलों की पूर्ण सुपुर्दगी को पूरा किया जाना है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.2 भवन के पूंजीकरण में अंतर
अनुसूची 24 में- (अचल परिसंपत्ति) में, ईपीएफओ ने वर्ष के दौरान 'भवन-कार्यालय' और 'भवन-आवासीय' मदों के तहत अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त के रूप में ₹6.18 करोड़ (₹4.45 करोड़ + ₹1.73 करोड़) दिखाया है। हालांकि, वर्ष के दौरान वास्तव में पूर्ण की गई परियोजनाओं की राशि और ईपीएफओ द्वारा ली गई इमारतों का कब्जा ₹42.45 करोड़ (₹18.06 करोड़ - क्षेत्रीय</td>
<td>4.2 भवन के पूंजीकरण में अंतर
चूंकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अंतिम व्यय विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होना बाकी था, पूंजीगत कार्य की प्रगति में पूंजीकृत नहीं किया गया था। हालांकि, चूंकि काम वास्तव में पूरा हो गया है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से लिया गया है, उक्त राशि को वर्ष 2021-</td>
</tr>
</table>

कार्यालय, बैंगलोर; ₹19.13 करोड़ - क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम और ₹5.26 करोड़- क्षेत्रीय कार्यालय, कर्नाटक) था। इस संबंध में, ईपीएफओ ने उत्तर दिया कि क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर के संबंध में ₹18.06 करोड़ की राशि का कार्य पूरा कर लिया गया है और कब्जा ले लिया गया है। लेकिन ईपीएफओ को कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, क.भ.नि.सं ने अन्य मामलों में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। भवन की स्थिति के विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा वार्षिक लेखों में भवन (स्थायी परिसंपत्ति) के प्रकटीकरण को सुनिश्चित नहीं कर सकी।	22 के दौरान पूंजीकृत किया गया है और वर्ष 2021-22 की बैलेंस शीट में दर्शाया गया है।
4.3 वर्ष के दौरान, ईपीएफओ (मुख्यालय) के वार्षिक लेखों के अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में फर्नीचर और फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर और पेरिफेरल और सॉफ्टवेयर शीर्ष के तहत ₹ 23.18 लाख (अनुलग्नक -1) की अचल परिसंपत्तियों का लेखा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को कम करके और व्यय को ₹23.18 लाख से अधिक बताया गया है।	**4.3** जैसा कि सीएजी द्वारा देखा गया है, वर्ष 2020-21 के दौरान छोड़ी गई अचल परिसंपत्तियों को सुधारा गया है और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अचल परिसंपत्ति लेखे में लिया गया है।
4.4 मूल्यह्रास का प्रभार न देना लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों ने ईपीएफओ वार्षिक लेखों में दर्शाई गई अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया था: **(राशि ₹ में)**	**4.4 मूल्यह्रास का प्रभार न देना** **<u>भवन कार्यालय:</u>** **2,12,59,000/-** की राशि अनजाने में "वित्त वर्ष **2020-21** के दौरान अचल परिसंपत्ति के अतिरिक्त" के सकल ब्लॉक में "एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम (प्रगति में पूंजीगत कार्य) के बजाय वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिखाया गया है। चूंकि भवन को क्षे.का. , क्योंझर द्वारा अपने कब्जे में नहीं लिया गया है, इसलिए मूल्यह्रास की गणना लागू नहीं

आंचलिक कार्यालय का नाम	अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक		मूल्यह्रास	
		वर्ष के आरंभ में मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान शामिल अचल परिसंपत्तियां	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास	चालू वर्ष का मूल्यह्रास

मुख्यालय	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	8703869.00	0.00	0.00	0.00	है। वित्त वर्ष **2021-22** . के लिए चालू वर्ष की बैलेंस शीट में इसे ठीक किया गया है कंपनी अधिनियम **2013-** अर्क की अनुसूची- **II** के भाग "सी" के अनुसार ईपीएफओ में मूल्यह्रास दर के चार्ट का पालन किया जा रहा है, जहां उपरोक्त चार्ट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी बुक पर मूल्यह्रास चार्ज करने के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई है। उक्त मदों पर प्रभारित किए जाने वाले मूल्यह्रास की दर को परिभाषित करने के लिए मामला प्रक्रियाधीन है, ताकि इसे अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अन्य लेखा इकाइयों के साथ अंचल कार्यालयों को सूचित किया जा सके।
विजयवाड़ा	पुस्तकालय पुस्तकें	23615.00	7233.00	-	-	
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	149390.00	0.00	0.00	21950.00	
हैदराबाद	पुस्तकालय पुस्तकें	307113.00	73208.00	-	-	
	अन्य अचल परिसंपत्तियां	332521.00	-	-	-	
बैंगलुरु	भवन कार्यालय	2599743.86		1981791.86	-	
	भवन आवासीय	137100352.79	-	35764344.79		
	वाहन एवं मोटर कार	689967.00	-	237106.00	-	
पटना	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	49880.00	0.00	0.00	
कोयंबटूर	पुस्तकालय पुस्तकें	340276.00	119901.00	-	-	
अहमदाबाद	पुस्तकालय पुस्तकें	52320.00	6995.00	-	-	
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	12500.00	0.00	0.00	0.00	
केरल	पुस्तकालय पुस्तकें	33722.00	6884.00	-	-	

बांद्रा	पुस्तकालय पुस्तकें	84120.00	-	-	-
थाणे	पुस्तकालय पुस्तकें	153848.00	53823.00	-	-
चंडीगढ़	पुस्तकालय पुस्तकें	366385.00	116234.00	-	-
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	295512.00	65490.00	144490.00	0.00
जयपुर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	79446.00	0.00	20050.00	0.00
पीडीनास	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	24975.00	42727.50	0.00	15818.00
ओडीशा	भवन कार्यालय	21259000.00	-	-	-
	पुस्तकालय पुस्तकें	735.00	50175.00	-	-
कानपुर	पुस्तकालय पुस्तकें	201530.00	25614.00	-	-
हुबली	पुस्तकालय पुस्तकें	230384.00	42511.00	-	-

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अभाव में, लेखापरीक्षा अचल परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को सत्यापित नहीं कर सका। ईपीएफओ को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के मूल्यह्रास के बाद अचल परिसंपत्तियों के समेकन की जरूरत है।

4.5 ₹91.18 करोड़ को 2020-21 की अवधि के लिए वार्षिक लेखों की अनुसूची - 24 (अचल परिपरिसंपत्तियां) की 'भूमि' के तहत दिखाया गया था। ईपीएफओ	लेखापरीक्षा को उनकी अगली यात्रा के दौरान भूमि और खरीदी/बेची गई भूमि की स्थिति प्रदान की जाएगी।

<table>
<tr><td>द्वारा लेखापरीक्षा को भूमि, कब्जे की स्थिति, भूमि के अतिक्रमण की स्थिति और खरीदी/बिक्री की स्थिति का लागत-वार विवरण प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए विवरण का लेखों से समाधान नहीं किया गया है। इसके लिए समाधान की जरूरत है।</td><td></td></tr>
<tr><td>5. एफडीआर के लिए निवेश रजिस्टर का रखरखाव न करना - ₹9080.01 करोड़

वार्षिक लेखों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि निवेश, कर्मचारी पेंशन निधि निवेश और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना निवेश के तहत ₹9080.01 करोड़ की एफडीआर को बनाए रखा गया था।
तथापि, ईपीएफओ द्वारा कोई निवेश रजिस्टर तैयार और अनुरक्षित नहीं किया गया था जिसमें एफडीआर की परिपक्वता, प्राप्त/प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की स्थिति की निगरानी और नियंत्रण के लिए दरों, परिपक्वता तिथि, अर्जित ब्याज, प्राप्त ब्याज आदि को बनाए रखा गया था।
लेखापरीक्षा ने आगे नोट किया कि एफडीआर सं. 39265769226 (भारतीय स्टेट बैंक), दस्तावेजों के दो अलग-अलग सेटों में ₹10.00 करोड़ के अर्जित ब्याज का अंतर था यानी बैंक विवरण में ₹10.41 करोड़ दिखाया गया था जबकि बैंक प्रमाणपत्र में ₹0.41 करोड़ दिखाया गया था। इस अंतर के समाधान की जरूरत है।</td><td>5. एफडीआर के लिए निवेश रजिस्टर का रखरखाव न करना - ₹9080.01 करोड़
जैसा कि सीएजी पार्टी ने सुझाव दिया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 से एफडीआर रजिस्टर का प्रस्तावित प्रारूप बैंकिंग अनुभाग द्वारा बनाए रखा जा रहा है, नीचे दिया गया है:
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>लेखा सं.</th><th>एफडीआर सं.</th><th>खरीद की तिथि</th><th>एफडीआर की राशि</th><th>परिपक्वता की तिथि</th><th>ब्याज की दर</th><th>परिपक्वता राशि</th><th>परिपक्वता राशि के क्रेडिट की तिथि</th></tr>
</table>
लेखा परीक्षा पार्टी को प्रदान किया गया यह प्रमाणपत्र गलत छपा था और 10 करोड़ की प्रविष्टि बच गई थी। अत: लेखों में प्रतिवेदित राशि सही थी।</td></tr>
<tr><td>6. अर्जित/प्राप्त ब्याज का प्रकटीकरण न करना

लेखा संख्या 25 (ईडीएलआई) के तहत बैंक विवरण के अनुसार, चार एफडीआर में वर्ष के दौरान ₹3.12 लाख की राशि प्राप्त/उपार्जित ब्याज का खुलासा किया। हालांकि, वार्षिक लेखों में एफडीआर का खुलासा नहीं किया गया था। इसके</td><td>6. अर्जित/प्राप्त ब्याज का प्रकटीकरण न करना

इस संबंध में, क्षे.का. पार्कस्ट्रीट कोलकाता में, एफडीआर माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के निर्देशानुसार है।</td></tr>
</table>

परिणामस्वरूप ₹3.12 लाख के मूल्य के साथ-साथ आय तक के एफडीआर निवेश को कम बताया गया। विवरण इस प्रकार हैं:

(राशि ₹ में)

लेखा सं.	एफडीआर सं.		प्रोद्भवन ब्याज	प्राप्त ब्याज	एफडीआर की स्थिति	टिप्पणियां
25	1	35710827070	7811.00	176765.00	खुला	पार्कस्ट्रीट कोलकाता
	2	36252371765	9096.00	42900.00	खुला	
	3	36168222007	14885.00	51608.00	खुला	
	4	34728862579	8822.00	0.00	खुला	बांद्रा,मुंबई
कुल			**40,614.00**	**2,71,273.00**		
सकल योग				**3,11,887.00**		

इसके अलावा, सावधि जमा का विवरण और मूल्य ईपीएफओ से मांगा गया था लेकिन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस लेखापरीक्षा के अभाव में क.भ.नि.सं. में सावधि जमाओं का रखरखाव सुनिश्चित नहीं कर सका।

माननीय न्यायालय के निर्देशों के बाद उक्त एफडीआर को बंद करते समय इसका हिसाब लिया जाएगा।

क्षे.का. बांद्रा में यह एफडीआर परिपक्वता के समय यानी 23.12.2022 को बंद कर दिया जाएगा और बंद होने के बाद, इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों में रिपोर्ट किया जाएगा।

7. पीएमजीकेवाई के तहत गलती से ईपीएफओ को ₹0.37 करोड़ का क्रेडिट प्राप्त करने के कारण लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए थे। उपरोक्त के अभाव में, लेखापरीक्षा को योजना के भीतर निधियों की स्थिति और हस्तांतरण को सत्यापित नहीं किया जा सका।

7. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि पीएमजीकेवाई के तहत डेबिट, नियोक्ताओं को पीएमजीकेवाई लाभ की पात्रता के अनुसार हुआ है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदान किया गया था। हालांकि, अमान्य लेखा संख्या, त्रुटि/अमान्य रिसीवर आईएफएससी कोड, अमान्य लेखा संख्या, सिस्टम "आईएनवी", लेखा बंद, विविध प्रविष्टियों (टिप्पणियों के आधार पर हम प्राप्त नहीं कर सके) के कारण लेखे में कुछ

<table>
<tr><td></td><td>डेबिट वापस जमा कर दिए गए हैं। वाउचर आईडी / भुगतान आईडी संबंधित डेटा), आदि।</td></tr>
<tr><td>

8. वर्ष के दौरान क.भ.नि.सं. (मुख्यालय) के वार्षिक लेखों की विभिन्न अनुसूचियों में उचंत लेखों के आंकड़े दर्शाए गए थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

<table>
<tr><th>बैलेंस शीट में लेखा शीर्ष</th><th>राशि ₹ में</th></tr>
<tr><td>**अनुसूची संख्या 15**
वर्तमान देयताएं और प्रावधान
ईपीएफ प्रशासन निधि
I-वर्तमान देयताएं
विविध क्रेडिट
उचंत लेखा (प्रशासन निधि)</td><td>55,42,219.47</td></tr>
<tr><td>**अनुसूची संख्या 28**
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम
अग्रदाय लेखा
विविध डेबिट
उचंत लेखा (प्रशासन निधि)</td><td>6,24,660.43</td></tr>
</table>

इन्हें उपयुक्त शीर्षों में समायोजित करने की आवश्यकता है।

</td><td>

8. अनुसूची शीर्ष 15 और 25 के अंतर्गत उचंत लेखे के आंकड़ों का समाधान किया जा चुका है।

अनुसूची संख्या 28 के तहत सस्पैंस अकाउंट (प्रशासन निधि) के देय समाधान के बाद, 31.03.2021 को 6,24,660.43 रुपये की असमाधानित राशि, कम करके 31.03.2022 को 2,33,921.44 कर दिया गया है। ।

अनुसूची 15 एवं 28 के अंतर्गत सभी उचंत लेखों का समुचित लेखा-जोखा लिया जा रहा है।

</td></tr>
<tr><td>

9. अंतिम शेष में अंतर - ₹4.24 करोड़

मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों के साथ वार्षिक लेखों में दिखाए गए कर्पेयो 95 (न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रति माह) में दिखाए गए आंकड़ों में अंतर। विवरण इस प्रकार हैं:

</td><td>

9. अंतिम शेष में अंतर - ₹4.24 करोड़

असावधानी के कारण, कर्पेयो -95 (न्यूनतम पेंशन 1000/- रुपये प्रति माह) में 2020-21 (31.03.2021 तक) के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र में 147.53 करोड़ रुपये की बकाया राशि दी गई । 2020-21 के

</td></tr>
</table>

(₹ करोड़ में) **विवरण** | **कर्पयो 95 (न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रति माह)** | **मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया उपयोगिता प्रमाण पत्र** | **31.03.2021 को अंतर** अंत शेष | 143.29 | 147.53 | 4.24 अंतर का समाधान करने की आवश्यकता है।	लिए वास्तविक बकाया राशि 143.29 करोड़ रुपये थी और इसका सत्यापन किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 के लिए, रुपये 143.29 करोड़ का एक ही सत्यापित आंकड़ा वर्ष 2021-22 के लिए आदि शेष (बकाया के संबंध में) के रूप में लिया गया है। वर्ष 2021-22 के उपयोगिता प्रमाण पत्र में 143.29 करोड़ रुपये का विधिवत उल्लेख वित्त वर्ष 2020-21 के बकाया के रूप में किया गया है।
10. इक्विटी में निवेश कभनिसं की निवेश नीति के अनुसार डेट और इक्विटी में निवेश के आधार पर डेट और इक्विटी का अनुपात क्रमशः 85:15 होना चाहिए। वर्ष 2020-21 के दौरान, डेट और इक्विटी में निवेश का कोष क्रमशः 92 और 8 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ईटीएफ के लिए कोई सुसंगत रिडेम्पशन नीति नहीं है ताकि सृजित रिटर्न उचित तरीके से निवेशकों को दिया जा सके। 2020-21 के दौरान, इक्विटी बाजारों के दशक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद, कभनिसं द्वारा पर्याप्त रिडेम्पशन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप इक्विटी से निवेशकों के लिए खराब रिटर्न प्राप्त हुआ, इस प्रकार इक्विटी बाजारों में निवेश करने का उद्देश्य ही विफल हो गया। कभनिसं के इक्विटी पोर्टफोलियो पर उच्च रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए इक्विटी निवेश के रिडेम्पशन के लिए कम से कम एक पद्धति होनी चाहिए।	**10. इक्विटी में निवेश** ईटीएफ में किए गए निवेश आकार में बढ़ रहे हैं और हर साल बढ रहे हैं। हालांकि, ईटीएफ में इक्विटी निवेश से एनएवी के अनुसार पूंजीगत लाभ केवल काल्पनिक है और वित्तीय वर्ष के दौरान आय के रूप में प्राप्त होने तक इसे शामिल नहीं किया जाता है। कभनिसं केवल वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक आय को निधि में सदस्यों के कभनि बैलेंस में ब्याज दर जमा करने की घोषणा करके ग्राहकों को वितरित करता है। यदि निवेश के इक्विटी हिस्से से आय/पूंजीगत लाभ पर ब्याज दर की गणना के लिए विचार किया जाना है, तो पूंजीगत लाभ को भुनाने या लाभांश के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय से प्राप्त करना होगा। यह आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और सेबी विनियमन के अनुसार भी है; केवल वसूल हुआ लाभ वितरित किया जा सकता है। इसलिए, इक्विटी से आय प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि इक्विटी में निवेश के एक हिस्से को निवेश के इक्विटी हिस्से से रिटर्न / आय के उचित घटक को प्राप्त करने के लिए भुनाया जाए, जिसे वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों

	को वितरित की जाने वाली कुल आय की गणना के लिए डेट भाग प्राप्त आय के साथ शामिल किया जाना है। यह कहना उचित नहीं है कि 2020-21 के दौरान, इक्विटी बाजारों के दशक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद, विभाग द्वारा पर्याप्त रिडेम्पशन नहीं किया गया था। कृपया नोट किया जाए कि कभनिसं ने अक्टूबर 2021 के अंत में (जब बाजार चरम पर था), सीबीटी की 19 मार्च 2021 को आयोजित बैठक में एक एजेंडा आइटम रखकर रिडेम्पशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाए थे और बिक्री की प्रक्रिया जनवरी 2022 के मध्य में सीबीटी के स्वीकृत मिनट प्राप्त प्राप्त होने पर शुरू हुई थी। पूर्व में कभनिसं ने इक्विटी निवेश (कर्मचारी भविष्य निधि योजना) पर आय से होने वाले लाभों को वितरित करने के लिए, केंद्रीय बोर्ड, कभनि से उचित अनुमोदन लेने के बाद चार मौकों पर ईटीएफ इकाइयों को भुनाया था। पहली बार ईटीएफ का रिडेम्पशन मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से लिया गया था: क. अगस्त 2015 से ईटीएफ में किया गया निवेश इकाईकरण नीति के कार्यान्वयन की तारीख तक इकाईकरण का हिस्सा नहीं बनेगा और इसलिए इसे समय-समय पर भुनाया जाना चाहिए। ख. ईटीएफ में निवेश से पूंजीगत लाभ से लाभ आज तक सदस्यों को वितरित नहीं किया गया है और निफ्टी और सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर पर हैं और अगस्त-दिसंबर-2015 में ईटीएफ में निवेश किया गया है।

	दूसरा उदाहरण: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इक्विटी निवेश पर आय से होने वाले लाभों को वितरित करने के लिए ईटीएफ इकाइयों के वास्तविक रिडेम्पशन के प्रस्ताव के साथ 158वीं एफआईएसी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था। 227वें केंद्रीय बोर्ड, कअनि ने ईटीएफ इकाइयों के वास्तविक रिडेम्पशन के लिए अनुमोदन प्रदान किया और ईटीएफ इकाइयों के रिडेम्पशन के लिए पैरा 8 में उल्लिखित समान सिद्धांत/पद्धति का पालन किया गया। तीसरे उदाहरण में, भुनाए जाने वाले ईटीएफ की मात्रा पर निर्णय लेने के लिए अपनाया गया सिद्धांत यह था कि इक्विटी निवेश से प्रस्तावित रिडेम्पशन डेट और इक्विटी कॉर्पस के अनुपात में आय सृजित करना होगा (तत्कालीन 92:8 के अनुपात में) ।उक्त प्रस्ताव को 228वें सीबीटी के समक्ष रखा गया था, जिसमें इक्विटी निवेश से प्राप्त होने वाले पूंजीगत लाभ जिसे वित्त के वर्ष 2020-21 के लिए वितरित की जाने वाली आय के रूप में शामिल किया जाना था पर विचार-विमर्श किया गया था और केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। चौथा उदाहरण: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान तीसरे उदाहरण में अपनाए गए समान सिद्धांत का पालन करते हुए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ईटीएफ से आय प्राप्त करने के लिए, ईटीएफ के रिडेम्पशन का प्रस्ताव 229वें सीबीटी के समक्ष रखा गया था और सीबीटी, कअनि, ईटीएफ के अनुमोदन के साथ इकाइयों के रिडेम्पशन

	के लिए पैरा 8 में उल्लिखित समान सिद्धांत/पद्धति का पालन किया गया था। रिडेम्पशन की प्रक्रिया: यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिडेम्पशन के दौरान एक मजबूत प्रक्रिया का पालन किया जाता है, बाजार की अस्थिरता आदि से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कम कट-ऑफ आदि के साथ अच्छी तरह से परिभाषित समय सीमा के भीतर रिडेम्पशन किया जाता है, सीबीटी ने रिडेम्पशन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी मंजूरी दी थी। जो इस प्रकार है। ईटीएफ इकाइयों को फीफो सिद्धांत का पालन करते हुए भुनाया जाएगा। एसबीआई एमएफ और यूटीआई एमएफ द्वारा धारित निफ्टी 50 ईटीएफ सेंसेक्स ईटीएफ पर आधारित सभी ईटीएफ के लिए पिछले 7 दिनों के औसत एनएवी पर पहुंचें (प्रस्ताव की मंजूरी के दिन से 7 दिन गिने जाते हैं) और केवल उन दिनों पर रिडेम्पशन की अनुमति दें जब मौजूदा बाजार एनएवी लेन-देन का दिन औसत से 5% से कम नहीं है। यह गिरावट के जोखिम से बचाने के लिए किया गया है यदि बाजार में बिक्री के चरण में गिरावट आती है। हालांकि, कोई ऊपरी मूल्य बैंड नहीं था। रिडीम की गई कुल इकाइयों को रोज समान किया जाना चाहिए और 15-30 लेनदेन दिन की अवधि में भुनाया जाना चाहिए। यह इस

	तरह के लेनदेन के लिए प्रभाव लागत को न्यूनतम रखने में मदद करेगा। कृपया नोट करें कि कभनिसं ने भविष्य निधि ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए और इक्विटी निवेश से रिटर्न की दीर्घकालिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए रिडेम्पशन के बाद एक सुसंगत और विवेकपूर्ण नीति अपनाई है।
11. 11 लेखा-XII पर टिप्पणियों के अनुसार (स्टाफ पेंशन - सह - ग्रेच्युटी फंड), वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में बीमांकक द्वारा प्रस्तुत कुल अनुमानित लाभ दायित्व में घाटा ₹2667.72 करोड़ होने का उल्लेख है जो 2019-20 के दौरान घटकर ₹563.41 करोड़ हो गया। । घाटे में ₹214.31 करोड़ की कमी के समर्थन में विवरण मांगा गया था लेकिन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।	11 इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि घाटे की गणना पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में उपलब्ध कुल संपत्ति के अनुसार की गई थी जो वास्तविक घाटे को नहीं दर्शा सकती है। इसलिए, इसे वार्षिक लेखा 2021-22 में संशोधित किया गया है और केवल अधिशेष राशि जो कि 2019-20 से लेखा-4 से लेखा-9 में स्थानांतरित की गई है, को नवीनतम बीमांकिक रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल घाटे से घटा दिया गया है। ।
12. वर्ष 2019-20 के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान क.भ.नि.सं को निम्नलिखित अवलोकन (टिप्पणी संख्या बी.1) जारी किया गया था - "क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि विभाग, चेन्नई के वार्षिक लेखों की जांच से पता चला कि खाता संख्या 2 और 21 के तहत दिसंबर 2019 तक ₹58.19 लाख की राशि का चेक 30 मार्च 2020 के अंत तक नहीं भुनाया गया । चूंकि चेक की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए लेखों में वापस लिखा जाना चाहिए	**12. लेखा संख्या 21 -** लेखा संख्या 21 से संबंधित रु 57,91,742 के 26 चेकों में से सभी चेकों की वसूली/पुन: प्रसंस्करण किया गया, इसलिए इसे बंद माना जा सकता है। **खाता संख्या 2**

और इसके लिए उपयुक्त देयता बनाई जानी चाहिए। । चूंकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक कार्यालयों में भी इसी तरह के समय-अवरुद्ध चेक थे, ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए सभी फील्ड कार्यालयों को उपयुक्त निर्देश दिए जाने चाहिए।

लेखा संख्या 1 के संबंध ₹12.94 करोड़ और लेखा संख्या 10 के लिए ₹2.96 करोड़ के चेक 31.03.2020 तक भुनाए नहीं गए थे। लेखा संख्या 1 और 10 के संबंध में भुनाए न गए चेकों के विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे"।

हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए लेखों के ऑडिट के दौरान, क.भ.नि.सं ने जवाब दिया कि आज की तारीख में समाशोधन की प्रक्रिया चल रही है।

27,238.23 रुपये के 10 चेकों में से केवल 2 चेक रु. 2159.87 और रु. 1172.36 (कुल- 3332.23 रुपये) की वसूली की गई है। शेष चेकों की स्थिति इस प्रकार है:

ईपीएफटीएनएसयू से संबंधित 4 चेक- बैंक को चेक प्रस्तुत न करने के लिए ईपीएफटीएनएसयू को पत्र जारी किए गए हैं और शेष 4 चेकों के लिए, नए चेक जारी करने और स्थिति की पुष्टि करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई (दक्षिण) को लेखा सं. 1 और 10 से संबंधित बहुत पुरानी अवधि के न भुनाए गए क्रमशः रु. 12.94 करोड़ रु. 2.96 करोड़ के चेकों के विवरण की पहचान करने और उनका समाधान करने के निदेश दिए गए हैं ।

13. आंकड़ों में अंतर

13.1 क.भ.नि.सं. (मुख्यालय) के वार्षिक लेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान अनुरक्षित ब्रॉडशीट के साथ स्टाफ भविष्य निधि प्रकटीकरण में अंतर था। विवरण इस प्रकार हैं:

(राशि ₹ में)

विवरण	वार्षिक लेखों के अनुसार राशि		एसपीएफ ब्रॉडशीट के अनुसार राशि	अंतर
आरंभिक जमा	(अनुसूची 13)	55,34,37,497	55,45,35,320	10,97,823

13. आंकड़ों में अंतर

13.1 अंतर का समाधान निम्नानुसार किया गया है:-

राशि	विवरण
105,003,860	आरएंडपी लेखा संख्या 2 के अनुसार एसपीएफ निकासी / अंतिम निपटान
(41,455,557)	ब्रॉडशीट के अनुसार एसपीएफ निकासी
(6,36,09,147)	ब्रॉडशीट के अनुसार एसपीएफ अंतिम निपटान
60,844/-	ब्रॉडशीट और आरएंडपी लेखा संख्या के बीच अंतर

अंतर समाधान

राशि	विवरण
60,844/-	ब्रॉडशीट और आरएंडपी लेखा संख्या 2 के बीच अंतर

अंशदान	प्राप्ति और भुगतान लेखा संख्या 2	9,21,28,977	9,10,73,878	-10,55,099
अग्रिम की वापसी		5,74,551	18,12,928	12,38,377
निकासी		10,50,03,860	4,14,55,557	60,844
अंतिम निपटान			6,36,09,147	
अंतिम शेष	(अनुसूची 13)	58,08,68,081	58,20,88,338	12,20,257

63,548,303/-	आरएंडपी लेखा 2 (वार्षिक लेखे) में लिया गया एसपीएफ अंतिम निपटान
60,844/-	ट्रांसफर आउट (आरएंडपी लेखा 2 में नहीं लिया गया)
6,36,09,147	ब्रॉडशीट के अनुसार अंतिम निपटान
शून्य	अंतिम अंतर

13.2 वसूली योग्य अग्रिमों (स्टाफ) के आंकड़ों में अंतर:

(राशि ₹ में)

वस्तुओं का विवरण	वार्षिक लेखों के अनुसार (प्राप्ति और भुगतान खाता संख्या 2)	ब्रॉडशीट के अनुसार	अंतर
वसूली योग्य अग्रिम (स्टाफ)			
वाहन अग्रिम	39704.00	37204.00	2500.00
हाउस बिल्डिंग एडवांस	1300282.00	1293616.00	6666.00
कंप्यूटर एडवांस	-295.00	12055.00	-12350.00
01.04.2020 को आरंभिक शेष राशि			
वाहन अग्रिम	273332.00	270832.00	2500.00
हाउस बिल्डिंग एडवांस	12771853.00	12765187.00	6666.00
कंप्यूटर एडवांस	12170.00	24520.00	-12350.00

13.2 **वसूली योग्य अग्रिमों (स्टाफ) के आंकड़ों में अंतर:**

अंतर वर्ष 2019-2020 के लिए पिछले वर्ष के ब्रॉडशीट के अंतर के कारण हैं, जिन्हें 2020-2021 के दौरान समायोजित किया गया है।

13.3 आय और व्यय लेखे और वार्षिक लेखे की बैलेंस शीट में दिखाए गए आंकड़ों मे अंतर निम्नानुसार है:

(राशि ₹ में)

विवरण	आय और व्यय लेखे के अनुसार राशि	बैलेंस शीट के अनुसार राशि
अनुसूची संख्या 10 कअनि - प्रशासन निधि घटाएं **(2):** कअनि प्रशासन निधि के आय और व्यय लेखे से अंतरित वर्ष के दौरान आय से अधिक व्यय	(1256687834.36)	1256687834.36

अंतर के समाधान की आवश्यकता है

13.3 कोई अंतर नहीं है क्योंकि यह आंकड़ा आईएंडई में ऋनात्मक था क्योंकि वास्तव में आय से अधिक व्यय है लेकिन इसे एकल शीर्ष होने के कारण **"व्यय से अधिक आय"** शीर्ष में दर्ज किया गया था, लेकिन बैलेंस शीट की अनुसूची **(10)** में, शीर्ष **"आय से अधिक व्यय"** अलग से दिखाया गया है, इसलिए यह धनात्मक था। वार्षिक लेखे **2020-21** में कोई अंतर नहीं है।

14. क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर और मध्य)-

14.1 कर्मचारी भविष्य निधि में अंतर

₹2,68,99,703/- स्टाफ भविष्य निधि एसपीएफ़ निकासी अंतिम निपटान शीर्ष के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (मध्य) के प्राप्ति और भुगतान लेखा संख्या 2 के भुगतान पक्ष की ओर दिखाया गया था, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार ₹ 2,69,30,293/- दिखाया गया था। इस अंतर के समाधान की जरूरत है।

14. क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर और मध्य)-

14.1 कर्मचारी भविष्य निधि में अंतर

अंतर राशि रु. 30,590/- (रु. 2,69,30,293/- (-) रु. 2,68,99,703/-) का समाधान किया गया है। यह श्री बुद्ध रतन मौर्य, एसएस (सेवानिवृत) को भुगतान की गई स्टाफ भविष्य निधि की एक अतिरिक्त राशि है जिसे चेक संख्या 617117 दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से वापस प्राप्त किया गया है। । इसलिए, वर्ष 2020-21 के लिए एसपीएफ़ निकासी का वास्तविक योगदान रु. 2,68,99,703/- है जो सही है।

14.2 देयता का अतिकथन - ₹30,590/- ₹5,96,42,263/- अनुसूची 13-कर्मचारी भविष्य निधि (एसपीएफ़) निकासी/बैलेंस शीट में निपटान में दिखाया गया है जबकि वास्तविक शेष ₹5,96,72,853/- था। इसके परिणामस्वरूप बैलेंस शीट में दिखाए गए देयता का अतिकथन हुआ। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य और उत्तर) ने कर्मचारी भविष्य निधि की ब्रॉडशीट का रखरखाव नहीं किया था।	**14.2 देयता का अतिकथन - ₹30,590/-** देयता का कोई अतिकथन नहीं है। अंतर राशि रु. 30,590/- (5,96,72,853/- – 5,96,42,263/-) का समाधान किया गया है। श्री बुद्ध रतन मौर्य, एसएस (सेवानिवृत्त) को एसपीएफ़ राशि रूपए 30,590/- का अधिक भुगतान किया गया था। है, जो कि चेक संख्या 617117 दिनांक 14.10.2020 द्वारा वापस प्राप्त किया गया है जैसा कि ऊपर पैरा 14.1 के उत्तर में बताया गया है। इसलिए, वर्ष 2020-21 के लिए एसपीएफ़ निकासी का वास्तविक अंशदान रु. 5,96,42,263/- जो बैलेंस शीट में सही दर्शाया गया है। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत है कि क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (केंद्रीय) और क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (उत्तर) वित्तीय वर्ष 2021-22 से कर्मचारी भविष्य निधि की ब्रॉडशीट का रखरखाव कर रहे हैं।
14.3 व्यय का अतिकथन - ₹31,213/- और ₹16,862/- तीसरे पक्ष पर क्रमशः टीडीएस और मार्च 2021 के महीने में विक्रेता प्रेषण पर जीएसटी के कारण काटा गया। उक्त लेखे के तहत सांविधिक देयता को बैलेंस शीट के देयता पक्ष के तहत देय के बजाय भुगतान के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यय का अतिकथन तथा देयता को ₹0.48 लाख कम बताया गया।	**14.3 व्यय का अतिकथन -** राशि रूपए 31,213/- और रुपये 16862 / - से संबंधित है जो मार्च 2021 के माह में क्रमशः तीसरे पक्ष पर टीडीएस और विक्रेताओं के प्रेषण पर जीएसटी के कारण काटा गया। प्रेषण से काटे गए टीडीएस और जीएसटी की राशि को वैधानिक समय सीमा यानी 07 दिनों के भीतर विधिवत जमा किया गया था। सभी चेक दिनांक 31.03.2021 के थे जिन्हें बैंक द्वारा 06.04.2021 को भुना लिया गया था। इसलिए

	लेखाबहिओं के अनुसार 31.03.2021 को टीडीएस/जीएसटी का भुगतान किया गया था और देय टीडीएस/जीएसटी के रूप में नहीं दिखाया गया था। विक्रेता को भुगतान की गई राशि और व्यय को भी सही ढंग से दर्ज किया गया है। अतः व्यय का कोई अतिकथन नहीं है।
14.4 उचंत शेष उचंत लेखों के तहत दिखाए गए बड़े शेष को 2020-21 के दौरान बैलेंस शीट के निम्नलिखित शीर्षों में सुधार या समाधान की आवश्यकता है: **बैलेंस शीट में लेखा शीर्ष** — **राशि (₹ में)** **अनुसूची संख्या 15** वर्तमान देयताएं और प्रावधान विविध क्रेडिट — 6,15,362.00 **उचंत खाता (प्रशासन निधि)** **अनुसूची संख्या 19** वर्तमान संपत्ति — 200.60 विविध डेबिट — 9,48,843.00 उचंत खाता (अवर्गीकृत) (कअनि) अनियमित भुगतान — 46,081.00 अधिक भुगतान इन्हें उपयुक्त लेखा शीर्षों में समायोजित करने की आवश्यकता है।	**14.4 उचंत शेष** ये राशियाँ अनियमित भुगतान या अधिक भुगतान हैं और संबंधित कार्यालयों द्वारा इस तरह बुक की जाती हैं। राशि की वसूली के लिए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। **(क) बैलेंस शीट में खाता प्रमुख — राशि (रुपये में)** **अनुसूची संख्या 15** **6,15,362/- रुपये के विवरण को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:** (i) मुख्य कार्यालय के निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से रु. 4,90,204/- पीएम कोविड केयर फंड के लिए वसूल की गई राशि जो उचंत में रही क्योंकि मुख्य कार्यालय ने केंद्रीय रूप से अंशदान को

	काट लिया था और क.अ.नि.सं की ओर से पीएम कोविड केयर फंड में केंद्रीय रूप से भुगतान किया था। । (ii) जीआईएस से प्राप्त राशि रु 1,25,158/- सेवानिवृत कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें बाद के वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में भुगतान किया गया था। निम्नलिखित कर्मचारियों को 06.05.2021 को उनकी सेवानिवृत्ति पर जीआईसी राशि का भुगतान किया गया: - 1.श्रीमती अलका जे बाली रु.45214/- 2.श्री मनमोहन सिंह रु.44306/- 3 श्री ओम प्रकाश रु.35638/- कुल = रु.1,25,158/- **(ख) अनुसूची संख्या 19** (i) रु. 200.60/- इसे वर्ष 2021-22 के बैलेंस शीट में उसी शीर्ष के तहत समाधान और समायोजित किया गया है जिसे अगले लेखापरीक्षा दल द्वारा सुधारा जा सकता है। (ii) (क) चालू संपत्ति:- रु.9,48,843/- यह प्रस्तुत है कि राशि रु. 9,48,843/- क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम) से संबंधित है। ये (05) निकासी दावों के निपटान में क.अ.नि.सं दिल्ली (पश्चिम) से संबंधित मेसर्स ऋचा एंड कंपनी [डीएलसीपीएम/4957] के संबंध में अधिक भुगतान के मामले हैं। एक एफ.आई.आर. दिल्ली (उत्तर) द्वारा

	वर्ष 2015 में दर्ज की गई है, स्थापना इसके अधिकार क्षेत्र में आती है। (ख) विविध नामे, राशि रु. 46,081/- क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (मध्य) से संबंधित है, जो राशि की वसूली के बाद शेष है। (लेखापरीक्षा पैरा 14.7 और उसका उत्तर संदर्भित किया जा सकता है)। अधिक भुगतान राशि रु. 50,000/- अप्रैल 2016 के महीने में श्री पवन वर्मा भविष्य निधि नंबर डीएस/एनएचपी/19868/51, तकनीकी त्रुटि के कारण के (सदस्य द्वारा लिया गया अग्रिम सदस्य बहीखाता में परिलक्षित नहीं) के संबंध में हुआ। और जनवरी 2019 में क.भ.नि.सं के राष्ट्रीय डेटा केंद्र द्वारा इसका पता लगाया गया था। 50,000/- रुपये की राशि में से रुपये 3919.50 बैंक खाता अटेच कर वसूल किया गया। चूंकि सदस्य ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया है, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली(मध्य) ने दिनांक 18.11.2019 को जिला न्यायालय, द्वारका में सीबीटी बनाम पवन वर्मा के नाम से वाद संख्या 1300/2019 के तहत एक सिविल सूट दायर किया है। प्रतिवादी के आगरा पते पर भेजे गए रिपोर्ट सम्मन की प्रतीक्षा और प्रतिवादी की सेवा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मामले को दिनांक 19.03.2020 को स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा, मामला 19.11.2020, 20.02.2021, 07.09.2021, 21.12.2021, 28.02.2022 और 13.07.2022 को सूचीबद्ध किया गया था। आगे की सुनवाई के लिए उक्त अदालत के समक्ष सुनवाई की अगली तिथि

	03.09.2022 है। क्षेत्रीय कार्यालय हर महीने क्षेत्रीय धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति के तंत्र द्वारा इन मामलों की नियमित रूप से निगरानी करते हैं। अंचल कार्यालय स्तर पर इन मामलों पर चर्चा की जाती है और वसूली की प्रगति और कार्रवाई की समीक्षा हर महीने आंचलिक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति में की जाती है।
14.5 नकद शेष राशि का कम बताया जाना - ₹27/- (बजट रजिस्टर 2020-21) क.भ.नि.सं क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर), वजीरपुर के बजट रजिस्टर (कैश बुक) के तहत दिखाए गए मार्च 2021 के महीने के वाउचर की एक नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष के दौरान चार लेनदेन में से, मेसर्स पेपर स्पियर्स के संबंध में ₹4652/- के एक मामले में वाउचर नंबर 1140/3/21 के तहत दिखाए गए लेकिन कैश बुक में ₹4625/- की राशि दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप शेष राशि ₹27/- कम बताई गई है। लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए इसके समाधान की आवश्यकता है।	**14.5 नकद शेष राशि का कम बताया जाना - ₹27/- (बजट रजिस्टर 2020-21)** इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि वाउचर संख्या 1140/03/21 के माध्यम से मैसर्स पेपर स्पियर्स को रु.4,652/- का भुगतान सही ढंग से किया गया है, लेकिन बजट रजिस्टर में इसे गलत तरीके से रु 4,625/- लिखा गया है। इसके अलावा, क्षेभनिआ दिल्ली (मध्य) द्वारा बजट रजिस्टर में अब सही प्रविष्टि की गई है। तदनुसार, नकद शेष को कम नहीं बताया गया है।
14.6 ₹0.50 लाख की अचल संपत्तियों को कम बताना क.भ.नि.सं , क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (उत्तर) और दिल्ली (मध्य) के पुस्तकालय अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (उत्तर) के ₹39,923/- और क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (मध्य) के ₹10,575/- की राशि को वर्ष 2020-21 के लिए अचल संपत्तियों में शामिल नहीं किया गया था। इसके	**14.6 ₹0.50 लाख की अचल संपत्तियों को कम बताना** इस संबंध में प्रस्तुत है कि क.भ.नि.सं की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुसार, केवल 5,000/- रुपये से अधिक की खरीद प्रति आइटम और एक वर्ष से अधिक के उपयोग योग्य जीवन को लेखों में अचल संपति के रूप में बुक किया जाना चाहिए और ऐसी कोई भी पुस्तक

परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों में पुस्तकों को शामिल न करने के कारण ₹50,498/- की अचल संपत्तियों को कम बताया गया है।	नहीं है जिसकी कीमत 5000/-. रुपये से अधिक हो। इसलिए इसे अचल संपत्तियों में शामिल नहीं किया गया था, जो सही है । तदनुसार, अचल संपत्तियों को कम नहीं बताया गया है।
14.7 अनियमित भुगतान और अधिक भुगतान का प्रकटीकरण वर्ष 2020-21 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (उत्तर) के बैलेंस शीटकी जॉच करने पर यह पता चला कि अनुसूची 5 (2बी) और अनुसूची 19 (4बी) के तहत अनियमित भुगतानों का आरंभिक बकाया 01.04.2020 को ₹9,48,843/- था और 31.03.2021 को अंतिम शेष राशि ₹9,48,843/- थी। इसी प्रकार, दिनांक 01.04.2020 को अनुसूची 5 (2सी) के तहत दिखाए गए ₹46,081.00/- का अधिक भुगतान और अनुसूची 19 (4सी) में वसूली के लिए लंबित था। वर्ष के दौरान ₹3,32,628/- का अधिक भुगतान किया गया और 31.03.2021 को ₹46,081.00 की शेष राशि छोड़कर ₹3,32,628/- की वसूली की गई। इस प्रकार, यह निहित है कि अनियमित भुगतान को नियमित करने के लिए कोई निगरानी और अधिक भुगतान की वसूली का प्रयास नहीं किया गया था।	**14.7 अनियमित भुगतान और अधिक भुगतान का प्रकटीकरण** प्रस्तुत है कि यह राशि रु. 9,48,843/- क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम) से संबंधित है। ये (05) निकासी दावों के निपटान में क.भ.नि.सं दिल्ली (पश्चिम) से संबंधित मेसर्स ऋचा एंड कंपनी [डीएलसीपीएम/4957] के संबंध में अधिक भुगतान के मामले हैं। विभाग द्वारा 19.08.2015 को एफआईआर दर्ज कराया गया है। एफआईआर दिनांक 19.08.2015 की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और अनुलग्नक -I के रूप में चिह्नित है। अधिक भुगतान राशि रु. 50,000/- अप्रैल 2016 के महीने में श्री पवन वर्मा भविष्य निधि नंबर डीएस/एनएचपी/19868/51, तकनीकी त्रुटि के कारण के (सदस्य द्वारा लिया गया अग्रिम सदस्य बहीखाता में परिलक्षित नहीं) के संबंध में हुआ। और जनवरी 2019 में क.भ.नि.सं के राष्ट्रीय डेटा केंद्र द्वारा इसका पता लगाया गया था। 50,000/- रुपये की राशि में से रुपये 3919.50 बैंक खाता अटेच कर वसूल किया गया। चूंकि सदस्य ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया है, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली(मध्य) ने दिनांक 18.11.2019 को जिला न्यायालय, द्वारका में सीबीटी बनाम पवन वर्मा के नाम से वाद संख्या 1300/2019 के

	तहत एक सिविल सूट दायर किया है। प्रतिवादी के आगरा पते पर भेजे गए रिपोर्ट सम्मन की प्रतीक्षा और प्रतिवादी की सेवा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मामले को दिनांक 19.03.2020 को स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा, मामला 19.11.2020, 20.02.2021, 07.09.2021, 21.12.2021, 28.02.2022 और 13.07.2022 को सूचीबद्ध किया गया था। आगे की सुनवाई के लिए उक्त अदालत के समक्ष सुनवाई की अगली तिथि 03.09.2022 है। क्षेत्रीय कार्यालय हर महीने क्षेत्रीय धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति के तंत्र द्वारा इन मामलों की नियमित रूप से निगरानी करते हैं। अंचल कार्यालय स्तर पर इन मामलों पर चर्चा की जाती है और वसूली की प्रगति और कार्रवाई की समीक्षा हर महीने आंचलिक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति में की जाती है।
14.8 वर्तमान देयता का अतिकथन ₹0.46 लाख ₹46,081/- का अधिक भुगतान अनुसूची 5 (2सी) के तहत वर्तमान देनदारियों के रूप में दिखाया गया था और उसी शेष राशि को वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में अनुसूची 19 (4 सी) में भी बुक किया गया था जो कि वसूली योग्य है। अधिक भुगतान को बैलेंस शीट की अनुसूची -5 में वर्तमान देयता के रूप में गलत तरीके से बुक किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयता को ₹46,081/- अधिक बताया गया है।	**14.8 वर्तमान देयता का अधिक विवरण ₹0.46 लाख** राशि रु. 46081/- दिल्ली(मध्य) से संबंधित है , क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली(मध्य) ने दिनांक 18.11.2019 को जिला न्यायालय, द्वारका में सीबीटी बनाम पवन वर्मा के नाम से वाद संख्या 1300/2019 के तहत एक सिविल सूट दायर किया है। प्रतिवादी के आगरा पते पर भेजे गए रिपोर्ट सम्मन की प्रतीक्षा और प्रतिवादी की सेवा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मामले को दिनांक 19.03.2020 को स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा, मामला 19.11.2020,

	20.02.2021, 07.09.20.21, 21.12.2021, 28.02.2022 और 13.07.2022 को सूचीबद्ध किया गया था। आगे की सुनवाई के लिए उक्त अदालत के समक्ष सुनवाई की अगली तिथि 03.09.2022 है। लेखा प्रक्रिया नियमावली और सीएजी द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रारूप के अनुसार कोई अतिकथन नहीं है, अधिक भुगतान को संपत्ति और देयता दोनों पक्षों के लिए बुक किया जाना चाहिए।
15. विभिन्न राज्यों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विभिन्न कार्यालयों के प्राप्ति और भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं: **15.1 आंचलिक कार्यालय, कोयंबटूर** **15.1.1 चल रहे कार्य को गलत दर्शाया जाना** ₹93.02 लाख और ₹4.51 लाख की राशि को क्षेत्रीय कार्यालय , तिरुनेलवेली और क्षेत्रीय कार्यालय , नागरकोइल के बैलेंस शीटमें वर्ष 2020-21 के लिए क्रमशः आरंभिक शेष और पूंजीगत कार्य-प्रगति के अंतिम शेष के रूप में ऋणात्मक शेष के रूप में दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि क्षेत्रीय कार्यालय में वार्षिक लेखों के संकलन के दौरान, इसके नियंत्रणाधीन अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में चल रहे पूंजीगत	**15.1 आंचलिक कार्यालय, कोयंबटूर** **15.1.1 चल रहे कार्य को गलत दर्शाया जाना** क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनेलवेली: एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 2020-21 में 93.02 लाख रुपये का नेगेटिव बैलेंस, जिसमें से 50.09 लाख रुपये 2009-2010 से नेगेटिव बैलेंस के रूप में ले जाया गया है। हालांकि, 2017-18 के दौरान ही ऋणात्मक शेष राशि को शून्य के रूप में सुधारा गया था। ऋणात्मक शेष को "एजेंसियों/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत कार्य)" के रूप में बनाए गए नए कॉलम में समायोजित किया गया था। 48,60,402.60 रुपये की शेष राशि को एजेंसियों को भुगतान किए गए वास्तविक अग्रिम के साथ बदल दिया जाएगा और एचआरएम डिवीजन और सीपीडब्ल्यूडी से उत्तर प्राप्त होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में नकारात्मक शेष को ठीक किया जा सकता है।

कार्य के ऋणात्मक शेष को पूंजीगत कार्य-प्रगति के धनात्मक शेष से घटाया गया था। पिछले वर्ष के दौरान पूंजीगत कार्य-प्रगति की गलत दर्शाने और वर्ष के दौरान पूंजीगत कार्य-प्रगति के नेटिंग के परिणामस्वरूप आंचलिक कार्यालय के समेकित बैलेंस शीट में पूंजीगत कार्य-प्रगति में कमी आई थी।	**आरओ, नागरकोइल:** रु. (-) 4.51 लाख की राशि बैलेंस शीट2020-21 के परिसंपत्ति पक्ष में चल रहे पूंजीगत कार्य के मद में पिछले वर्ष (2018-19) आगे ले जाई जा रही है। इसका वर्ष-वार विश्लेषण किया जा रहा है और तुलन-पत्र में तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।
15.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज लेखे को गलत दर्शाना वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज लेखे का अंतिम शेष बैलेंस शीट (क्रमांक 3 बी) के परिसंपत्ति पक्ष में ₹29.48 करोड़ के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज लेखे का आरंभिक शेष बैलेंस शीट के देयता पक्ष में ₹(-)29,47,78,548 प्रदर्शित किया गया था । अंतर का समाधान किया जाए और परिवर्तन का कारण लेखापरीक्षा को स्पष्ट किया जाए ।	**15.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज लेखे को गलत दर्शाना** वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखा सीएजी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप में तैयार किया गया था, जहां ब्याज की अनुसूची देयता पक्ष पर है। इसलिए, प्रारंभिक शेष देयता पक्ष में ऋणात्मक है क्योंकि यह पहले परिसंपत्ति पक्ष पर लीगेसी प्रारूप में धनात्मक था। इसका पालन सभी कार्यालयों में किया गया है।
15.1.3 सांविधिक कटौती के प्रेषण के प्रति देयता का प्रावधान न करना। 2020-21 के दौरान की गई वसूलियों की तुलना में प्रेषण कम किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :	**15.1.3 सांविधिक कटौती के प्रेषण के प्रति देयता का प्रावधान न करना।** अंतर राशि की देयता को अनुसूची-15 के उचंत लेखों में दर्ज किया गया है।

(राशि ₹ में)

2020-21			
शीर्ष (क्यू) - (प्रेषण)	**वसूली**	**प्रेषित**	**अंतर**
जीआईएस बचत कोष की वापसी	7,21,517	3,88,741	3,32,776
अन्य क्षे.का को प्रेषण के लिए वसूली	57,81,798	54,43,506	3,38,292
	कुल		**6,71,068**

हालांकि, किए जाने वाले प्रेषणों के लिए बैलेंस शीट में 2020-21 के दौरान ₹6.71 लाख की अंतर राशि के लिए देयता प्रदान नहीं की गई थी।

15.2 क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै

15.2.1 देनदारी को ₹2,800 करोड़ कम दिखाना

2020-21 में, संगठन ने बैलेंस शीट के देयता पक्ष (अनुसूची **4**) में समापन परिसंपत्ति शेष के साथ-साथ सदस्यों के खाते में जमा किए गए ब्याज को नेगेटिव शेष के रूप में प्रदर्शित किया है।

चूंकि क.भ.नि. के सदस्यों के खाते में जमा किए गए ब्याज को कर्मचारियों को वापस करना होता है, इसे बैलेंस शीट में देयता के रूप में दिखाया जाना चाहिए और तदनुसार संगठन ने बैलेंस शीट की अनुसूची **1** में सदस्यों के खाते में जमा किए गए ब्याज को प्रदर्शित किया है। हालांकि, जैसा कि बैलेंस शीट की देयता पक्ष की अनुसूची 4 में राशि को फिर से नेगेटिव शेष के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इसके परिणामस्वरूप लेखों में पहले से ही दिखाई गई देयता समाप्त हो गई है। इसके परिणामस्वरूप देयता को ₹27,99,99,62,714.00 कम बताया गया जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

15.2 क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै

15.2.1 देनदारी को ₹2,800 करोड़ से कम दिखाना

वित्त वर्ष **2020-21** के लिए वार्षिक लेखे सीएजी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप में तैयार किए गए थे, जहां ब्याज की अनुसूची देयता पक्ष पर है। इसलिए, देयता पक्ष में प्रारंभिक शेष राशि ऋणात्मक है क्योंकि यह पहले परिसंपत्ति पक्ष पर लीगेसी प्रारूप में धनात्मक थी। "क्षेत्रीय कार्यालय /आंचलिक कार्यालय के पास कोई ब्याज आय नहीं है क्योंकि अंशदान से प्राप्त राशि का निवेश मुख्य कार्यालय स्तर पर किया जाता है लेकिन यह क. भ. नि. सं. की समेकित बैलेंस शीट में धनात्मक है ।"

(राशि ₹ में)

क.भ.नि. ब्याज लेखे का अंतिम शेष 2019-20 लेखों के आइटम 3 (ए) के रूप में दर्शाया गया था जिसे 2020-21 लेखों की बैलेंस शीट की अनुसूची 4 में नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस के रूप में प्रदर्शित किया गया था।	₹25,14,33,23,174.53
सदस्यों के खाते में जमा ब्याज जोड़ें (अनुसूची 1 के अनुसार)	₹2,85,66,39,540.00
कुल	**₹27,99,99,62,714.00**

15.2.2 क.भ.नि.अंशदान की वसूली योग्य बकाया राशि को शामिल न करना - वर्तमान संपत्ति को ₹2272.83 लाख कम बताना

31.03.2021 तक विभिन्न स्थापनाओं द्वारा प्रेषित किए जाने वाले लंबित क.भ.नि. अंशदान के रूप में ₹ 7427.47 लाख की राशि का आकलन किया गया था। निर्धारित बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	**राशि (₹ लाख में)**
श्रेणी I	
1. परिसमापन के तहत	1072.03
2. अदालतों दवारा स्थगन	3795.48
3. बीआईएफआर मामले	287.13
कुल	**5154.64**
श्रेणी II किस्त मामले	3.47
उपरोक्त के अलावा श्रेणी III	2269.36
कुल	**2272.83**

15.2.2 कभनि अंशदान की वसूली योग्य बकाया राशि को शामिल न करना - वर्तमान संपत्ति को ₹2272.83 लाख कम बताना

क.भ.नि.सं. की समेकित बैलेंस शीट में लेखों के नोट्स तैयार किए जाते हैं, इसके अलावा, उस वर्ष में लेखों में अंशदान दर्ज किया जाता है जिसमें यह वास्तव में प्राप्त होता है।

विवादाधीन अंशदान (विभिन्न कानूनी प्राधिकारियों के पास लंबित) को लेखों के नोट्स के तहत प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अंशदान के अन्य निर्धारित बकाया जो वसूली योग्य हैं, उन्हें चालू परिसंपत्तियों के तहत वसूली योग्य के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हालांकि, संगठन ने इसे वर्तमान परिसंपत्तियों (क.भ.नि. अंशदान निधि के तहत) में वसूली योग्य अंशदान के रूप में प्रदर्शित नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों को ₹ 2272.83 लाख और देयता में समान राशि कम दिखाया गया है।	
15.2.3 एजेंसियों/ठेकेदारों को अग्रिम का गलत दर्शाया जाना (पूंजीगत कार्य) - अनुसूची - 14 और अनुसूची 28(3) फॉर्म **65** के अनुसार **31.3.2021** को सीपीडब्ल्यूडी को किए गए कुल अग्रिम केवल **1.92** करोड़ रुपये थे। हालांकि, एजेंसियों/ठेकेदारों (पूंजीगत कार्यों) को किए गए कुल अग्रिम को बैलेंस शीट से जुड़ी अनुसूची-**28** में **₹ 5.26** करोड़ के रूप में दर्शाया गया था। इसके लिए समाधान की आवश्यकता है।	**15.2.3 एजेंसियों/ठेकेदारों को अग्रिम का गलत दर्शाया जाना (पूंजीगत कार्य) - अनुसूची - 14 और अनुसूची 28(3)** 5.26 करोड़ रुपये की राशि के लिए एजेंसियों को दिए गए अग्रिम में क्षेत्रीय कार्यालय , मदुरै में स्टाफ क्वार्टर के काम के नवीनीकरण के लिए सीपीडब्ल्यूडी, मदुरै को भुगतान की गई 1.92 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो आंशिक रूप से पूरा हो गया है और नवीनीकरण का काम अभी बाकी है। क्षेत्रीय कार्यालय , मदुरै में स्टाफ क्वार्टरों की 9 इकाइयों से युक्त 3 ब्लॉकों में पूरा किया जाना है। एनेक्स भवन एवं टाइप V क्वार्टरों के निर्माण से संबंधित 3.34 करोड़ रुपये के पूंजीगत कार्य के संबंध में अंतिम बिल का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
15.3 क्षेत्रीय कार्यालय , कोयंबटूर **15.3.1 संपत्ति से ग्राहकों को देय ब्याज राशि की निकासी** मार्च 2020 तक क्षेत्रीय कार्यालय , कोयंबटूर की बैलेंस शीट के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय , कोयंबटूर के कर्मचारी भविष्य निधि के ब्याज लेखे का समापन शेष	**15.3 क्षेत्रीय कार्यालय , कोयंबटूर** **15.3.1 संपत्ति से ग्राहकों को देय ब्याज राशि की निकासी** वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखे सीएजी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप में तैयार किए गए थे, जहां ब्याज

₹4288,99,02,537.74/- था। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज, ब्याज के समायोजन के बाद ₹624,45,11,886.10/- था (₹2,70,23,185.97/- और शाश्तिक नुकसानी ₹3,80,95,090.93/-) (अनुसूची 42 -₹630,96,30,163/-; अनुसूची- 32 रु.6,51,18,276.90)। 624,45,11,886.10 रुपये की यह राशि वर्ष 2020-21 में अनुसूची 4-ब्याज लेखे में नकारात्मक आंकड़े के रूप में प्रदर्शित की गई थी। प्रक्रिया में परिवर्तन के कारणों को लेखापरीक्षा को स्पष्ट किया जाए ।	की अनुसूची देयता पक्ष पर है। इसलिए, देयता पक्ष में प्रारंभिक शेष राशि ऋणात्मक है क्योंकि यह पहले परिसंपत्ति पक्ष पर लीगेसी प्रारूप में धनात्मक थी। *"क्षेत्रीय कार्यालय /आंचलिक कार्यालय के पास कोई ब्याज आय नहीं है क्योंकि अंशदान से प्राप्त राशि का निवेश मुख्य कार्यालय स्तर पर किया जाता है लेकिन यह क.भ.नि. सं. की समेकित बैलेंस शीट में धनात्मक है ।"*
15.3.2 चालू संपत्ति को कम बताना और वर्तमान देयता को कम बताना ₹26.50 लाख क्षेत्रीय कार्यालय, क.भ.नि.सं., कोयंबटूर ने वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, कोयंबटूर के सभी शौचालयों की मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी को ₹26.50 लाख का अग्रिम भुगतान किया है। मार्च 2021 माह के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-65 के अनुसार, उक्त कार्य नहीं किया गया था और वर्ष 2020-21 के दौरान कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया था। हालांकि, उक्त अग्रिम, वर्तमान परिसंपत्ति होने के कारण, वर्ष 2020-21 के लिए बैलेंस शीट में अनुसूची 19 वर्तमान संपति, ऋण और अग्रिम के तहत प्रदर्शित नहीं किया गया था। इसके अलावा, चूंकि उक्त राशि का वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया था, इसे अनुसूची 15- वर्तमान देयता और प्रावधान के तहत दिखाया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को कम करके और वर्तमान देनदारियों को ₹26.50 लाख कम बताया गया है।	**15.3.2 चालू संपत्ति को कम बताना और वर्तमान देयता को कम बताना ₹26.50 लाख** इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि सीपीडब्ल्यूडी को बजट शीर्ष "लघु कार्य" के तहत 26,50,000/- रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था। इसलिए, उक्त राशि को "लघु कार्य" शीर्ष के तहत किए गए भुगतान के रूप में प्रदर्शित किया गया और लेखे बंद कर दिए गए। उक्त राशि को बैलेंस शीट 2021-22 में समायोजित किया गया है और भुगतान किए गए अग्रिम को समायोजन (पिछले वर्षों) शीर्ष में एक विपरीत प्रविष्टि के साथ "एजेंसियों/ठेकेदारों को अग्रिम" शीर्ष के तहत दिखाया गया था।
15.3.3 कर्मचारी भविष्य निधि लेखे में आरम्भिक और अंतिम शेष में विसंगतियां	**15.3.3 कर्मचारी भविष्य निधि लेखे में आरम्भिक और अंतिम शेष में विसंगतियां**

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (एसपीएफ) के मुख्य लेखे और एसपीएफ वार्षिक लेखों के अनुसार ओपनिंग और क्लोजिंग करने में निम्नलिखित विसंगति देखी गई:

₹ करोड़ में

वर्ष	आरंभिक शेष		अंत शेष		अंतर
	क.भ.नि.सं. बैलेंस शीट	एसपीएफ वार्षिक लेखे	क.भ.नि.सं. तुलन पत्र	एसपीएफ वार्षिक	
2019-20	7.82	9.02	8.42	9.42	
2020-21	8.42	9.42	9.09	10.09	**1.00**

31.03.2021 को वार्षिक लेखे और एसपीएफ़ लेखा बही के बीच अंतर ₹1.00 करोड़ था। इसके लिए समाधान की आवश्यकता है।

सत्यापन करने पर यह पाया गया कि एसपीएफ़ वार्षिक लेखों का वास्तविक अंतिम शेष यानि रु9.42 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः 10.09 करोड़ रुपये सही है, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है। बैलेंस शीट में त्रुटि थी।

बैलेंस शीट 2021-22 में आवश्यक समायोजन किया गया है अतः, एसपीएफ़ वार्षिक लेखों और बैलेंस शीट के ओबी और सीबी बैलेंस शीट 2021-22 में समान हैं।

15.3.4 प्राप्तियों और भुगतान लेखे और अग्रदाय खाता कैश बुक के अनुसार हाथ में नकदी के अंतिम शेष में विसंगति।

31.03.2020 और 31.03.2021 को वार्षिक लेखों (प्राप्तियों और भुगतान लेखे) के अनुसार खाता संख्या -1 के नीचे अग्रदाय लेखे में नकद ₹500 था। हालांकि, कैश बुक के अनुसार हाथ में नकदी 31.03.2020 को ₹4,336 और 31.03.2021 को शून्य थी। अंतर का समाधान किए जाने की आवश्यकता है ।

15.3.4 प्राप्तियों और भुगतान लेखे और अग्रदाय खाता कैश बुक के अनुसार हाथ में नकदी के अंतिम शेष में विसंगति।

एजी ऑडिट ने वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्तियों और भुगतान अकाउंट और इंप्रेस्ट अकाउंट कैश बुक के अनुसार हाथ में नकदी के समापन शेष में रुपये 3836/-.की राशि से विसंगति को इंगित किया है। सत्यापन करने पर यह पाया गया कि अग्रदाय लेखे के अंतर्गत वास्तविक नकद शेष केवल रु.500/- है, जिसे प्राप्तियों और भुगतान लेखे विवरण में सही रूप से दर्शाया गया है। तथापि, केयरटेकिंग अनुभाग में अनुरक्षित अग्रदाय रोकड़ बही में वास्तविक व्यय की रिकॉर्डिंग में विसंगति को त्रुटिपूर्ण रूप से रु.3836/- के रूप में दिखाया गया था जिसे वर्ष 2020-21 में पहले ही ठीक कर दिया गया था।

15.3.5 बकाया व्यय के लिए देयता का प्रावधान न करना। मार्च 2021 के महीने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों (आकस्मिक स्टाफ) का वेतन भुगतान अप्रैल 2021 में किया गया था। मार्च 2021 के लिए आकस्मिक कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹19,12,371 / - का समेकित बिल था । बैलेंस शीट की आगे की जांच से पता चला कि बकाया व्यय वर्ष 2020-21 के लिए आकस्मिक कर्मचारियों के वेतन मद के तहत शून्य था और बकाया व्यय को देयता के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया था। इसी तरह बिजली, कर्मचारी कार रखरखाव और टेलीफोन बिल जो 31.03.2021 तक भुगतान नहीं किया गया था, को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के रूप में नहीं दिखाया गया था।	**15.3.5 बकाया व्यय के लिए देयता का प्रावधान न करना।** पर्यवेक्षण को भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नोट किया गया है और मार्च 2022 के महीने के लिए आकस्मिक कर्मचारियों के वेतन को बैलेंस शीट 2021-22 में बकाया व्यय के तहत दर्ज किया गया है।
15.4 क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनेलवेली **15.4.1 वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में असंगति** वर्ष 2020-21 में, क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनेलवेली ने बैलेंस शीट के एसेट साइड में सदस्यों के लेखे में जमा किए गए ब्याज को नहीं दर्शाया गया है। इसके बजाय, संगठन ने सदस्यों के खाते में जमा किए गए ब्याज को देयता पक्ष में नेगेटिव बैलेंस के रूप में दर्शाया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: 2019-20 के लिए ब्याज लेखा-कभनि का अंतिम शेष (बैलेंस शीट का आइटम 3): ₹1295,36,29,070/- (2020-21 में नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिया गया) जोड़ें क.भ.नि.अंशदान कोष से कुल आय और वर्ष के दौरान सदस्यों के भविष्य निधि खाते में जमा किये गये ब्याज के बीच अंतर अनुसूची 31 + 32 - अनुसूची 42 (₹2,59,89,435.40- ₹1,53,01,03,149) :	**15.4 क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनेलवेली** **15.4.1 वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में असंगति** वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखे सीएजी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रारूप में तैयार किए गए थे, जहां ब्याज की अनुसूची देयता पक्ष पर है। इसलिए, देयता पक्ष में प्रारंभिक शेष राशि ऋणात्मक है क्योंकि यह पहले परिसंपत्ति पक्ष पर लीगेसी प्रारूप में धनात्मक थी। "क्षेत्रीय कार्यालय /आंचलिक कार्यालय के पास कोई ब्याज आय नहीं है क्योंकि अंशदान से प्राप्त राशि का निवेश मुख्य कार्यालय स्तर पर किया जाता है लेकिन यह क.भ.नि.सं. की समेकित बैलेंस शीट में धनात्मक है ।"

₹150,41,13,714 कुल :₹1445,77,42,784 प्रक्रियाओं को बदलने का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था।	
15.4.2 बैलेंस शीट में कर्मचारी के वसूली योग्य अग्रिमों का गलत लेखा-जोखा - तुलन-पत्र में ऋणात्मक अंकों का दर्शाया जाना वाहन अग्रिम और वेतन अग्रिम (अनुसूची 28) के संबंध में वसूली योग्य अग्रिमों का अंतिम शेष 31.03.2021 को क्रमशः ₹(-)9,60,062/- और ₹(-)4,43,191/- के रूप में दर्शाया गया। वर्ष के आरंभ और अंत में यानि ऋणात्मक अंक के रूप में प्रारंभिक शेष और समापन शेष के गलत प्रदर्शन के कारण, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान प्रभावित अग्रिमों और वसूलियों को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।	**15.4.2 बैलेंस शीट में कर्मचारी के वसूली योग्य अग्रिमों का गलत लेखा-जोखा - तुलन-पत्र में ऋणात्मक अंकों का दर्शाया जाना** उपलब्ध अभिलेखों/रजिस्टरों का सत्यापन कर ऋणात्मक शेष को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
15.4.3 2020-21 के लेखों में सीपीडब्ल्यूडी के पास बकाया अग्रिम को न दर्शाना- चालू परिसंपत्तियों को कम करके दिखाना-₹ 55.64 लाख क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनेलवेली ने 31.03.2021 तक सीपीडब्ल्यूडी, मदुरै के पास उपलब्ध ₹52.12 लाख और सीपीडब्ल्यूडी, कोयंबटूर के पास उपलब्ध ₹3.51 लाख, बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में नहीं दिखाया है। इसके परिणामस्वरूप ₹55.63 लाख (₹52.12 लाख + ₹3.51 लाख) के अग्रिमों को कम बताया गया।	**15.4.3 2020-21 के लेखों में सीपीडब्ल्यूडी के पास बकाया अग्रिम को न दर्शाना- चालू परिसंपत्तियों को कम करके दिखाना-₹55.64 लाख** मामले को सीपीडब्ल्यूडी के साथ उठाया गया है और सीपीडब्ल्यूडी से जवाब मिलने पर इसे ठीक किया जाएगा।
15.4.4 कार्य-प्रगति के गलत प्रदर्शन के परिणामस्वरूप 2020-21 के लेखों में माइनस बैलेंस - ₹93.02 लाख **2018-19** में **₹79.79** लाख के रूप में नीचे लाया गया कार्य-प्रगति का त्रुटिपूर्ण आरंभिक शेष का अभी तक समाधान नहीं किया गया था, 31 मार्च 2021 को ₹93.02	**15.4.4 कार्य-प्रगति के गलत प्रदर्शन के परिणामस्वरूप 2020-21 के लेखों में माइनस बैलेंस - ₹93.02 लाख** यह प्रस्तुत है कि 50,09,046/- रुपये को ऋणात्मक शेष के रूप में 2009-2010 से शीर्ष "भूमि और भवन (अग्रिम)" 2017-18 के तहत

लाख का ऋण शेष रह गया था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि राजस्व व्यय (₹14.28) लाख) को डब्ल्यूआईपी में समायोजित किया गया था।	ले जाया गया है। तथापि, ऋणात्मक शेष को "एजेंसियों/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत कार्य)" नामक नए कॉलम में सुधारा गया था और ऋणात्मक शेष को समायोजित किया गया था। हालांकि, उसी वर्ष 2017-18 के दौरान, समान राशि रु (-) 48,60,402.60 को एक बार फिर शीर्ष "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" अर्थात् कॉलम संख्या के तहत दर्शाया गया है। बैलेंस शीट के 8 (बी) और 31,18,421 / - रुपये को "वर्ष के दौरान पूंजीकृत राशि" के रूप में दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये (-) 79,78,823.60 / - की नकारात्मक शेष राशि है। ऊपर दर्शाई गई नकारात्मक राशि रु.48,60,402.60/- को एजेंसियों को भुगतान किए गए वास्तविक अग्रिम के साथ बदल दिया जाएगा और आने वाले वित्तीय वर्ष में ऋणात्मक शेष को ठीक कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप रु.(-)79,78,823.60/- ऋणात्मक शेष होगा। ऊपर दर्शाई गई ऋणात्मक राशि रु.48,60,402.60 को एजेंसियों को भुगतान किए गए वास्तविक अग्रिम के साथ बदल दिया जाएगा और आगामी वित्तीय वर्ष में ऋणात्मक शेष को ठीक कर दिया जाएगा।
15.4.5 वर्तमान देयता को अधिक बताना ₹4.27 लाख क्षेत्रीय कार्यालय , तिरुनेलवेली द्वारा क.भ.नि.ग्राहकों को किए गए ₹4.27 लाख के अधिक भुगतान, जो कि वसूली योग्य है, को वर्ष 2020-21 के लिए बैलेंस शीट का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची -19 के तहत चालू संपत्ति के रूप में बुक किया गया है। इसे भी गलत तरीके से बैलेंस शीट की अनुसूची -5 में वर्तमान देयता के रूप में दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयता को ₹ 4.27 लाख अधिक बताया गया था।	**15.4.5 वर्तमान देयता को अधिक बताना ₹4.27 लाख** क.भ.नि.अभिदाताओं को रु. 4,26,782/- का अधिक भुगतान किया गया, उसे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से पूरी तरह वसूल करने का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण, वसूली रोक दी गई थी और अदालती कार्यवाही अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम आदेश मिलने के बाद आगे की

	कार्रवाई की जाएगी। लेखा प्रक्रिया नियमावली और सीएजी द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रारूप के अनुसार कोई अतिकथन नहीं है, अधिक भुगतान को संपत्ति और देयता दोनों पक्षों के लिए बुक किया जाना चाहिए।
15.4.6 क्षेत्रीय कार्यालय, क.भ.नि.सं., तिरुनेलवेली के वार्षिक लेखों की जांच से पता चला कि निष्क्रिय लेखे से ₹214.44 करोड़ की अतिरिक्त निकासी की गई थी, जिसका विवरण क्षेत्रीय कार्यालय , तिरुनेलवेली में उपलब्ध नहीं है। क.भ.नि.सं. ने जवाब दिया कि निकासी केवल क.भ.नि.सं. मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई थी। तथापि, उसका विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।	**15.4.6** 11/11/2016 से एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निष्क्रिय लेखे की परिभाषा में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार, निष्क्रिय लेखे में जमा काफी राशि को क.भ.नि. की क्लोजिंग बैलेंस के तहत सिस्टम द्वारा ऑपरेटिव अकाउंट के रूप में पुनवर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनेलवेली के संबंध में प्रस्तुत उक्त संशोधित शेष राशि 7,18,55,190/- रुपये है, जिससे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समायोजित अंतर राशि 214.44 करोड़ रुपये हो गई है। इसलिए, निष्क्रिय लेखे से कोई निकासी नहीं है, लेकिन यह केवल एक समायोजन प्रविष्टि है।
15.5 क्षेत्रीय कार्यालय , लुधियाना **15.5.1 निष्क्रिय खाता ₹ 1202.20 लाख** क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना ने ₹12,02,20,202/- के लिए निष्क्रिय लेखे के कारण देयता बनाई, लेकिन स्थापनाओं के लेखों की सही संख्या लेखों की टिप्पणी के माध्यम से नहीं दिखाया गया था।	**15.5 क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना** **15.5.1 निष्क्रिय खाता ₹1202.20 लाख** क.भ.नि.सं. के समेकित वार्षिक लेखों में लेखों की टिप्पणी तैयार की जाती हैं और उसी का प्रकटीकरण किया गया था।
15.5.2 वार्षिक लेखों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का वर्णन न करना महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों को वार्षिक लेखों में शामिल नहीं किया गया था और एकल प्रविष्टि प्रणाली पर बनाए रखा गया है। दर और मूल्यह्रास	**15.5.2 वार्षिक लेखों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का वर्णन न करना** क.भ.नि.सं. के समेकित वार्षिक लेखों में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और

के तरीकों के संबंध में मूल्यह्रास नीति कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार थी, लेकिन वार्षिक लेखे में ऐसा कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था।	लेखों पर नोट्स और दर आदि के संबंध में मूल्यह्रास नीति के बारे में प्रकटीकरण शामिल किया गया था।
15.6 क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई-II, ठाणे **15.6.1 नई पेंशन योजना: ₹(-) 369352** ₹(-)3,69,352/- ऋणात्मक देयता एनपीएस अंशदान (बोर्ड के शेयर) के अधिक भुगतान को दर्शाती है। हालांकि, ₹(-)3,69,352/- के इस अतिरिक्त भुगतान के प्रति, बकाया व्यय के विवरण में दिखाया गया शेष ₹(-)5,17,092/- था। उत्तर में क्षेभनिआ-I ने कहा कि ऋणात्मक शेष राशि समाधान समस्या के कारण उत्पन्न हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि 2018-19 के आंकड़े की तुलना में अब ऋणात्मक संतुलन कम हो गया है।	**15.6 क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई- II , ठाणे** **15.6.1 नई पेंशन योजना: ₹(-) 369352** वर्ष के दौरान प्राप्त राशि ₹61,86,239/- और वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि ₹58,49,027/- के रूप में बैलेंस शीट में दर्शाई गई नई पेंशन योजना की राशि एक धनात्मक आंकड़ा है और वर्ष 2020-21 में कोई ऋणात्मक शेष नहीं है । ऋणात्मक संतुलन पिछले कई वर्षों से जारी था और यह काफी कम हो गया है ।
15.6.2 ₹ (-) 8.14 लाख का वाहन अग्रिम (अनुसूची-28, क्रमांक 5(क)) चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वाहन अग्रिम के अंतर्गत ₹ (-) 8.14 लाख ऋणात्मक शेष, वाहन अग्रिम की अधिक वसूली को दर्शाता है। वाहन अग्रिम के तहत ऋणात्मक शेष की शुद्धता की जांच और पुष्टि की जानी आवश्यक है। आंचलिक कार्यालय, क.भ.नि.सं.,ठाणे द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।	**15.6.2 ₹ (-) 8.14 लाख का वाहन अग्रिम (अनुसूची-28, क्रमांक 5(क))** ऋणात्मक शेष का कारण क.भ.नि.सं. के अन्य कार्यालय में पदस्थ अधिकारी द्वारा आहरित अग्रिम की वसूली और बाद में इस कार्यालय में अंतरित करना है, अग्रिम उनके संबंधित वेतन से वसूल किया गया था लेकिन इसे उनके संबंधित कार्यालयों में और इसके विपरीत, अंतरित नहीं किया गया था । इस मामले को उच्चाधिकारियों के समक्ष विचारार्थ उठाया गया है। इसे भविष्य में ठीक किया जाएगा।
15.6.3 त्यौहार अग्रिम (अनु. 28 क्रमांक 5 (ई)) - ₹ 3.49 लाख उपरोक्त त्योहार अग्रिम में पिछले वर्ष (2019-20) से आगे लाए गए ₹ 56,740/- का ऋणात्मक शेष शामिल है। किसी विभाग द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का मूल्य सामान्य रूप से बैलेंस शीट	**15.6.3 त्यौहार अग्रिम (अनु. 28 क्रमांक 5 (ई)) - ₹ 3.49 लाख** इस मामले को विचार के लिए उच्चाधिकारियों के साथ उठाया गया है और अभी भी प्रक्रिया में है। इसे भविष्य में ठीक किया जाएगा।

के परिसंपत्ति पक्ष में या तो धनात्मक या शून्य मूल्य में दर्शाया जाना चाहिए। चालू आस्तियों में ऋणात्मक शेष को शामिल करने का कारण और इसकी शुद्धता लेखापरीक्षा को बताई जाए। उत्तर में क्षेभनिआ -1 ने कहा कि त्यौहार अग्रिम प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद की गई वसूली का समाधान न करने के कारण त्यौहार अग्रिम ऋणात्मक हो रहे हैं।	
15.6.4 समेकित आय और व्यय के लिए उप-अनुसूची मद "एएमसी - कंप्यूटर, सर्वर और अन्य कार्यालय उपकरण" के तहत ₹ 14.62 लाख की राशि को कंप्यूटर उपभोग्य सामग्रियों के प्रति नकारात्मक व्यय के रूप में दिखाया गया था। इसी प्रकार, मद "क.भ.नि.प्रशासन निधि (व्यय)" के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर के प्रति ₹ 4.75 लाख का नकारात्मक व्यय दिखाया गया था। जिन परिस्थितियों में लेखों में नकारात्मक प्रविष्टि दर्शाई गई थी, उनके समर्थन में विस्तृत दस्तावेजी साक्ष्य मांगे गए थे। आंचलिक कार्यालय, ठाणे द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।	**15.6.4 समेकित आय और व्यय के लिए उप-अनुसूची** प्राप्तियों और भुगतानों में शीर्ष "फर्नीचर और फिक्स्चर" और "उपभोक्ता उपभोग्य" के तहत ऋणात्मक शेष राशि चालू वर्ष में क्षेत्रीय कार्यालय कांदिवली पूर्व (नए द्विभाजित क्षेत्र) में वर्ष 2019-20 के लिए अचल संपत्ति विवरण वर्तमान वर्ष बैलेंस शीट यानी 2020-21 में लेने के कारण था। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय से अधिक है, इसलिए ऋणात्मक शेष है।
15.6.5 लेखा संख्या 21 और एमआईएस के आर एंड पी के बीच 1832.58 करोड़ रुपये का अंतर अपर केंद्रीय भनि आयुक्त कार्यालय, आंचलिक कार्यालय मुंबई-II, ठाणे अपने तीन क्षेत्रीय कार्यालयों, अर्थात् (क्षेत्रीय कार्यालय) ठाणे, (क्षेत्रीय कार्यालय) कांदिवली और (आरओ) वाशी की रिपोर्ट संकलित करता है। जब वर्ष 2020-21 के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस-105) में दिखाए गए संगत आंकड़ों के साथ प्राप्ति और भुगतान लेखे में "क.भ.नि. के तहत प्राप्त अंशदान"	**15.6.5 लेखा संख्या 21 और एमआईएस के आरएंडपी के बीच 1832.58 करोड़ रुपये का अंतर** यह प्रस्तुत है कि अंशदान, शास्तिक नुकसानी और 7क्यू ब्याज (क्रम संख्या 18,19 और 20) केंद्रीकृत प्राप्तियां डेटा हैं जो मुख्यालय द्वारा प्रबंधित एमआईएस 2.0 डैशबोर्ड के अनुसार हैं और वर्ष 2020-21 में केंद्रीकृत प्राप्ति राशि में कोई अंतर नहीं है। ।

में लेखा संख्या 1 के तहत शेष राशि की तुलना की गई, तो निम्नलिखित अंतर देखा गया:

(राशी ₹ में)

लेखा सं. 1	कांदिवली	वाशी	ठाणे	कुल
क्रम सं . 18	38,474,237,115.56	22,157,019,736.87	30,946,875,881.85	91,578,132,734.28
क्रम सं . 19	26,426,632.00	28,263,864.00	31,175,843.00	85,866,339.00
क्रम सं . 20	17,422,417.00	27,876,741.00	19,556,580.58	64,855,738.58
कुल	**38,518,086,164.56**	**22,21,31,60,342**	**30,99,76,08,305**	**91,728,854,811.86**
एमआईएस 105	6,05,87,77,000	1,56,65,87,000	8,68,75,08,000	
	3,59,64,20,000	0.00	0.00	
कुल एमआईएस 105	**9,65,51,97,000**	**1,56,65,87,000**	**8,68,75,08,000**	**19,90,92,92,000.00**
अंतर				**718,19,56,811.56**

उपरोक्त तालिका के अनुसार ₹718,19,56,811.56/- (₹9172,88,54,811.56/-- ₹1990,92,92,000/-) का अंतर है।

जब लेखा संख्या I और एमआईएस -105 के बीच उपरोक्त अंतर को क्षेभनिआ-1 के ध्यान में लाया गया, तो यह उत्तर दिया गया कि क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 का संचालन करता है, जिसके तहत 03 योजनाएँ अर्थात क.भ.नि., क.पै.यो. ,ईडीएलआई हैं। एमआईएस 105 से लिया गया डेटा केवल क.भ.नि. (लेखा संख्या 1) से संबंधित है, जबकि आपने ईडीएलआई (खाता संख्या 21) से इस डेटा की तुलना की है। इसलिए, ईडीएलआई अंशदान के साथ क.भ.नि. अंशदान की तुलना करने के कारण अंतर आ गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखा संख्या 1 में क.भ.नि.(क्रमांक 18, 19 और 20) के तहत दिखाई गई प्राप्तियों की तुलना एमआईएस-105 में दर्शाई गई प्राप्तियों से

की जाती है, अंतर अभी भी मौजूद है। अंतर के कारण की जांच की जा सकती है और लेखापरीक्षा को दिखाए गए आंकड़ों का मिलान किया जा सकता है।

15.6.6 बैलेंस शीट के अंतिम और आरंभिक शेष में अंतर

31.03.20 को बैलेंस शीट में विभिन्न मदों (परिसंपत्तियों और देनदारियों) के तहत दिखाए गए क्लोजिंग बैलेंस की जांच और 1.4.2020 (2020-21) को दिखाए गए उन मदों के आरंभिक बैलेंस की जांच में निम्नलिखित अंतर सामने आए:

देयताएं

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	देयताएं	31.03.2020 को अंतिम शेष	01.04.2020 को को आरंभिक शेष	अंतर राशि
1	विशेष आरक्षित निधि	99700499.06	98550903.37	(-)। 149595.69
2	उचंत खाता (कभनि)	88335074.76	92510591.76	(+)4175,517
3	अधिक भुगतान	949946	886125	(-)63821
4	जीआईएस (नया)	249490	392830	(+) 143340
5	एनपीएस	-980812.04	-369352.04	(+)6,11,460
	कुल	**188254197.78**	**191971098.09**	**3716900.31**

ख. परिसम्पतियाँ

(राशि ₹ में)

क्र.सं .	परिसम्पति	31.03.2020 को अंतिम शेष	01.04.2020 को आरंभिक शेष	अंतर राशि
1	उचंत खाता (कभनि)	102792416.35	114293698.35	(+) 11501282
2	वाहन अग्रिम	-6,96771	-814268	-117497
3	एचबीए	4269221	6141946	(+) 1872725
4	त्योहार अग्रिम	56740	349086.64	(+)292346.64
5	कंप्यूटर एडवांस	1618265	1585095	(+)33170

15.6.6 बैलेंस शीट के समापन और प्रारंभिक शेष में अंतर

प्रस्तुत है कि स्पेशल रिजर्व फंड, उचंत लेखा (कभनि), ओवरपेमेंट, एनपीएस और जीआईएस का 31.03.2020 का अंतिम शेष आंचलिक कार्यालय के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 01.04.2020 के आरंभिक शेष के साथ मेल खाता है।

प्रस्तुत है कि सस्पेंस लेखा (कभनि), कन्वेयंस एडवांस, एचबीए, फेस्टिवल एडवांस, कंप्यूटर एडवांस और ओवरपेमेंट का 31.03.2020 का अंतिम शेष सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में 01.04.2020 के आरंभिक शेष के साथ मेल खाता है।

क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में बैलेंस शीट में अंतिम और आरंभिक शेष में कोई अंतर नहीं है।

6	अधिक भुगतान	949946	886125	(+)63821
	कुल	**108989817.35**	**122441682.99**	**13645847.64**

जब समाधान की स्थिति सहित उपरोक्त अंतर का कारण मांगा गया तो क्षेभनिआ-1 द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

15.7 क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

15.7.1 क.भ.नि. प्रशासन कोष- ₹32.95 करोड़

इसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के पास पड़ी सुरक्षा जमा राशि पर ₹ 16,695 का प्राप्त ब्याज शामिल नहीं है। जुलाई 2021 के बिजली बिल के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अर्जित ₹ 16,695 का ब्याज और अगस्त 2021 में भुगतान किया जाएगा, इसमें सुधार की आवश्यकता है।
विभाग ने कहा कि भविष्य में बैलेंस शीट में सुधार दिखाया जाएगा।

15.7.2 डाक विभाग को देय बकाया देय राशि और एसबीआई लिंक शाखा से प्राप्य सेवा शुल्क का निपटान

सभी एपीएफसी को संबोधित क.भ.नि.सं. मुख्यालय के एपीएफसी-II (पेंशन) के पत्र संख्या पेन.-I/(3) डाक जिला/2015/1166 दिनांक 18.04.2017 से यह पता चलता है कि डाक विभाग, दिल्ली की पेंशन निपटान एवं कमीशन से संबंधित ₹ 7268797.00 की बकाया राशि निपटान के लिए लम्बित थी । इसी प्रकार क.भ.नि.सं. मुख्यालय को संबोधित पत्र संख्या जेडओ/ओआर/जोनल कॉर्प/जनरल/8/2017/194 दिनांक 17-08-2017 के अनुसार ₹31,54,112.00 का सेवा शुल्क एसबीआई की लिंक शाखा द्वारा क.भ.नि.सं. को वापस किया जाना था। अभिलेखों से उनके निपटान का पता नहीं लगाया जा सका और वर्तमान स्थिति का विवरण आगे की जांच के लिए माँगा गया था।

15.7 क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

15.7.1 क.भ.नि. प्रशासन कोष- ₹32.95 करोड़

क.भ.नि.प्रशासन कोष- रु 32.95 :- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के पास पड़ी जमानत राशि पर ब्याज रु. 16695/- वर्ष 2021-22 के बैलेंस शीट में लिया गया है।

15.7.2 डाक विभाग को देय बकाया देय राशि और एसबीआई लिंक शाखा से प्राप्य सेवा शुल्क का निपटान

डाक विभाग से वसूली की प्रक्रिया जारी है। सभी संबंधित डाकघर शाखाओं को पत्र भेज दिया गया है और वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

जवाब में कहा गया कि मामले को संबंधित अधिकारी के समक्ष उठाया जाएगा। ऐसा ही किया जाए और लेखापरीक्षा को निपटान की स्थिति से अवगत कराया जा सकता है।	
15.7.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है को अचल संपति के रूप में दिखाया गया है कार्यकारी अभियंता, बीसीडी-II, सीपीडब्ल्यूडी, भुवनेश्वर ने सीपीडब्ल्यूए फॉर्म 65 (दिसंबर 2020) में एसआरओ, क्योंझर के कार्यालय भवन पर कार्य का व्यय ₹1,81,16,000.00 ₹ 3,95,95,000.00 की जमा राशि के विरुद्ध सूचित किया। समेकित लेखों में ₹ 1, 81,16,000.00 (31-3-2020 तक ₹ 79,16,000.00 और 2020-21 के दौरान ₹ 1,02,00,000.00) के व्यय को पूंजीगत कार्य-प्रगति के रूप में नहीं दिखाया गया है। यद्यपि कार्य प्रगति पर है, ₹ 2,12,59,000.00 की राशि को सीडब्ल्यूआईपी के बजाय अचल संपत्ति (अनु-24 क्र.सं .2) के तहत दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अचल संपति को ₹ 2,12,59,000.00 अधिक और सीडब्ल्यूआईपी को इतना ही कम करके दिखाया गया है।	**15.7.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है को अचल संपति के रूप में दिखाया गया है** रुपये 2,12,59,000.00 की राशि असावधानी के कारण "वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत कार्य-प्रगति में" के बजाय "वर्ष 2020-21 के दौरान अचल संपति के परिवर्धन" के सकल ब्लॉक में दिखाया गया था। वर्ष 2021-22 के बैलेंस शीट में रुपये 2,12,59,000.00 की कटौती अचल संपति से कर और चल रहे पूंजीगत कार्य के विरुद्ध इसे दिखा कर इसे ठीक किया गया है।
15.7.4 उपयोग की रिपोर्ट प्राप्त किए बिना प्रगति कार्य के रूप में दिखाया गया अग्रिम क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में विद्युत प्रतिष्ठानों के नवीनीकरण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान किए गए ₹ 59,67,000.00 (मार्च 2021 तक) के अग्रिम में से एजेंसी{कार्यकारी अभियंता, (विद्युत), बीसीईडी-आई, सीपीडब्ल्यूडी, भुवनेश्वर} से ₹ 35,93,095.00 के उपयोग की रिपोर्ट (सीपीडब्ल्यूए फॉर्म 65) की प्राप्ति के विरुद्ध ₹ 20,00,000.00 पूंजीगत कार्य-प्रगति पर है (अनु.24ए) के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य-प्रगति (अनु.24ए) को ₹15,93,095.00 कम बताया गया।	**15.7.4 उपयोग की रिपोर्ट प्राप्त किए बिना प्रगति कार्य के रूप में दिखाया गया अग्रिम** क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में विद्युत प्रतिष्ठानों के नवीनीकरण कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान किए गए ₹ 39,67,000.00 (मार्च 2021 तक) के अग्रिम में से एजेंसी{कार्यकारी अभियंता, (विद्युत), बीसीईडी-आई, सीपीडब्ल्यूडी, भुवनेश्वर} से ₹ 35,93,095.00 के उपयोग की रिपोर्ट (सीपीडब्ल्यूए फॉर्म 65) की प्राप्ति के विरुद्ध ₹ 20,00,000.00 पूंजीगत कार्य-प्रगति पर है (अनु.24ए) के रूप में असावधानी पूर्वक दिखाया गया है । अंतर राशि रु. 15,93,095

वर्ष 2021-22 के बैलेंस शीट में "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाकर संशोधित किया गया है।

15.7.5एजेंसियों/ठेकेदारों (पूंजीगत कार्यों) को अग्रिम की कम विवरणी - अनुसूची 28 क्रमांक 13

एजेंसियों/ठेकेदारों (पूंजीगत कार्य) को अग्रिम शीर्ष के तहत ₹ 2,38,52,905.00 के वास्तविक अंतिम शेष के प्रति ₹ 2,23,03,000.00 को अंतिम शेष के रूप में दिखाया गया था जिसके परिणामस्वरूप एजेंसियों/ठेकेदारों (पूंजीगत कार्यों) को ₹ 15,49,905.00 (अनु. 28 क्रमांक 13) निम्नानुसार कम बताया गया था:

(राशि ₹ में)

कार्य	31-3- 2021 को कुल जमा	उपयोग की रिपोर्ट के अनुसार व्यय (सीपीडब्ल्यू ए फॉर्म 65)	दर्शाया गया अंतिम शेष	वास्तविक अंतिम शेष	अंतर
सी/ओ एसआरओ कार्यालय भवन, क्योंझर	3,95,95,000	1,81,16,000	2,23,03,000	2,14,79,000	15,49,905
विद्युत प्रतिष्ठानों का नवीनीकरण कार्य	59,67,000	35,93,095		23,73,905	
कुल	4,55,62,000	2,17,09,095	2,23,03,000	2,38,52,905	

उत्तर में यह बताया गया कि मांगी गई सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दी गई थी और इसकी प्राप्ति के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। .

15.7.5 एजेंसियों/ठेकेदारों (पूंजीगत कार्यों) को अग्रिम की कम विवरणी - क्रम. 28 क्रमांक 13

इस संबंध में प्रस्तुत है कि क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के नवीनीकरण कार्य शीर्ष के तहत 31.03.2021 को कुल जमा के रूप में इंगित 59,67,000/- का आंकड़ा ऑडिट पार्टी द्वारा गलती से दिखाया गया है। सही आंकड़ा रु. 39,67,000/- (सीपीडब्ल्यूडी के फॉर्म 65 के अनुसार) है । तदनुसार, गणना होनी चाहिए:

(राशि रु. में)

कार्य	31-3- 2021 को कुल जमा	उपयोग की रिपोर्ट के अनुसार व्यय (सीपीडब्ल्यू ए फॉर्म 65)	दर्शाया गया अंतिम शेष	वास्तविक अंतिम शेष	अंतर
सी/ओ एसआरओ कार्यालय भवन, क्योंझर	3,95,95,000	1,81,16,000	2,23,03,000	2,14,79,000	
विद्युत प्रतिष्ठानों का नवीनीकरण कार्य	39,67,000	35,93,095		3,73,905	
कुल	4,35,62,000	2,17,09,095	2,23,03,000	2,18,52,905	**4,50,095**

वास्तविक अंतर: 2,23,03,000-2,18,52,905 = **4,50,095**

	उपरोक्त गणना के अनुसार अंतिम शेष 2,23,03,000 (जो पहले दिखाया गया था) के बजाय 2,18,52,905 होना चाहिए। अतः अंतर 4,50,095 है। इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैलेंस शीट में सुधार किया गया है, जिसमें अग्रिम से 4,50,095/ - की राशि काटकर एजेंसियों / ठेकेदारों (पूंजीगत कार्य) को क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के संबंध में पूंजीगत कार्य में स्थानांतरित कर दिया गया है (क्रमांक **25** का अनुलग्नक पत्रक)
15.8 **क्षेत्रीय कार्यालय , ग्वालियर** 15.8.1 **ब्याज लेखा - कभनि अंशदान निधि (अनुसूची** -4) यह माइनस 1180.42 करोड़ रुपये दिखाया गया है, इसके बावजूद क्षेत्रीय भनि आयुक्त-II, क्षेत्रीय कार्यालय , ग्वालियर माइनस बैलेंस के कारणों को स्पष्ट नहीं कर सके। इसके अलावा प्राप्ति और भुगतान लेखा संख्या **2** (प्रशासनिक) में भी आरंभिक शेष और अंतिम शेष के रूप में क्रमशः ₹ 2,23,785 और ₹ 4,27,271 के रूप में माइनस बैलेंस दिखाया। विभाग ने कहा कि अगले साल सुधार किया जाएगा।	**15.8 क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर** 15.8.1 **ब्याज लेखा - कभनि अंशदान निधि (अनुसूची** -4) इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामान्य प्रारूप में, कर्मचारी भविष्य निधि का ब्याज लेखा, जिसे बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में 2019-20 में लीगेसी प्रारूप में दिखाया गया था, को देयता पक्ष में बदल दिया गया है और ऋणात्मक शेष के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, **2,23,785** रुपये के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा संख्या **2** का आरम्भिक शेष और अंतिम शेष राशि रु 4,27,271 भुनाए न गए चेकों की वह राशि है जो बाद के महीनों में समाशोधित किए जाते हैं और जो समय बाधित होते हैं उन्हें रद्द कर दिया जाता है।

15.8.2 **क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू** **देयताएं अनुसूची-11-कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज खाता ₹ (-)34,48,84,078/-** 2019-20 के अंतिम शेष को 31,72,87,752 से (-)31,72,87,752 में अस्पष्टीकृत परिवर्तन, जबकि उक्त अनुसूची में आरम्भिक शेष को दर्शाने के परिणामस्वरूप गलत अंतिम शेष और एसपीएफ को देय ब्याज को रु. 63,45,75,504/- कम बताया गया है, अतः राशि की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।	15.8.2 **क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू** देयताएं अनुसूची-**11**-कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज खाता ₹ (-) 34,48,84,078/- इससे पहले कभनिसं के आंचलिक कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के वार्षिक लेखे लीगेसी फॉर्मेट में तैयार किए जाते थे। लीगेसी प्रारूप में एसपीएफ़ और कभनि ब्याज परिसंपत्ति पक्ष में थे। कॉमन फॉर्मेट में शिफ्ट करने पर, वही लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है जिसके कारण अंतिम शेष नेगेटिव हो गया है। इसका पालन सभी कार्यालयों में किया गया है।
15.8.3 बीएस-रिजर्व और सरप्लस एसआरएफ- अनुसूची-3 ₹ 6,41,74,007.60 **2020-21** के आरम्भिक शेष के रूप में ₹ 16,32,458/- के रूप में आगे बढ़ाते हुए 2019-20 के अंतिम शेष के अस्पष्ट परिवर्तन के परिणामस्वरूप 2020-21 के अंतिम शेष को उसी सीमा तक कम करके दिखाया गया।	**15.8.3 बीएस-रिजर्व और सरप्लस एसआरएफ- अनुसूची 3 -₹ 6,41,74,007.60** इससे पहले कभनिसं के आंचलिक कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के वार्षिक लेखे लीगेसी फॉर्मेट में तैयार किए जाते थे जिसमें मृत्यु राहत कोष के लिए एक अलग शेड्यूल होता था। लेकिन स्वायत्त निकायों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेखों के सामान्य प्रारूप में चूंकि सामान्य प्रारूप में मृत्यु राहत कोष के लिए कोई अलग अनुसूची नहीं है, इसलिए एकमुश्त समायोजन इस तरह किया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एसआरएफ के लिए आरम्भिक शेष राशि (रु. 6,41,74,007.60) = (31 मार्च 2020 को एसआरएफ की अंतिम शेष राशि) (रु. 6,58,06,466.56) - 31 मार्च, 2020 को डीआरएफ का अंतिम शेष (रु.1632458.96)। साथ ही, मृत्यु राहत के लिए

	सभी भुगतानों को सामान्य प्रारूप की अनुसूची संख्या **3** विशेष आरक्षित निधि में शामिल किया गया है।
15.9 क्षेत्रीय कार्यालय , इंदौर **15.9.1एजेंसियों/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत कार्य) रु.6.90 लाख (अनुसूची 28)** इसमें एजेंसियों/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत कार्य) के लिए 6,90,000 रुपये की गैर-समाधान राशि शामिल है। यह राशि वित्त वर्ष 2017-18 से पहले की है। इस प्रकार, इस राशि को देयता के रूप में दिखाने के लिए पूर्ण विवरण और कारण और संबंधित पार्टी/पार्टियों से प्राप्त शेष पुष्टि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। विभाग ने कहा कि एचआरएम-III (केयर टेकर) द्वारा राशि के सत्यापन के बाद, अगले वर्ष की बैलेंस शीट 2021-22 में 6,90,000/- रुपये की राशि में सुधार किया जाएगा।	**15.9 आरओ, इंदौर** **15.9.1एजेंसियों/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत कार्य) रु.6.90 लाख (अनुसूची 28)** एजेंसियों/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत कार्य) रु. 690000/- बैलेंस शीट **2020-21** में प्रतिबिंबित हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप देयता है। सत्यापन करने पर पता चला कि राशि रू. 690000/- वित्तीय वर्ष 2017-18 से पहले का है जिसका समाधान नहीं किया जा सका। उक्त राशि का मिलान/सत्यापन पूरा होने पर रु. 690000/- में सुधार किया जाएगा।
15.9.2 देयताएं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखाबहियों में ऋणात्मक आंकड़े नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दिखाए गए थे, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। **दायित्व पक्ष** 1. अनुसूची - 4, ब्याज लेखा -कभनि अंशदान निधि 31 मार्च 2021 को शेष ₹ - 30434769935.91 2. अनुसूची - 11, ब्याज लेखा - कर्मचारी भविष्य निधि 31 मार्च 2021 को शेष ₹ - 245370233.49	**15.9.2 देयताएं** इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामान्य प्रारूप में, कर्मचारी भविष्य निधि का ब्याज खाता, जिसे बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में 2019-20 में लीगेसी प्रारूप में दिखाया गया था, को देयता पक्ष में बदल दिया गया है। यह पिछले वर्षों के दौरान सदस्यों को जमा की गई ब्याज की संचित राशि है। क्षेत्रीय कार्यालय /अंचलों की कोई ब्याज आय नहीं है क्योंकि अंशदान से प्राप्त राशि केवल मुख्य कार्यालय स्तर पर निवेश की जाती है, इसलिए इसे लीगेसी प्रारूप में संपत्ति पक्ष के तहत बुक किया जाता है लेकिन अब सीएजी द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रारूप

विभाग ने कहा कि वर्ष 2020-21 में बैलेंस शीट के प्रारूप में परिवर्तन के कारण, बैलेंस शीट के देयता पक्ष पर कभनि अंशदान निधि के ब्याज लेखे का विवरण दिखाना आवश्यक है। इसलिए, उपरोक्त राशि को बैलेंस शीट के देयता पक्ष पर वित्त वर्ष 2020-21 के आरंभिक शेष के रूप में ऋणात्मक में दिखाया गया था। भविष्य के अनुपालन के लिए ऑडिट पार्टी की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है।	में यह शीर्ष देयता पक्ष के अंतर्गत है। इसलिए इसे क्षेत्रीय कार्यालय /अंचलों की बैलेंस शीट में ऋणात्मकके रूप में दिखाया गया है, लेकिन कभनिसं की समेकित बैलेंस शीट में यह धनात्मक है।
15.9.3 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (₹ 23.27 करोड़ की अनुसूची 15) इसमें मार्च 2021 की अवधि के लिए आउटसोर्स किए गए जनशक्ति के वेतन के प्रावधान के रूप में 649594.78 रुपये शामिल नहीं हैं, क्योंकि यह राशि अप्रैल 2021 में 'आकस्मिकता से भुगतान किए गए कर्मचारियों' बजट से भुगतान की जाती है, इसलिए इसके लिए प्रावधान वित्त वर्ष 2020-21 में किया जाना चाहिए। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप व्यय (खाता संख्या **2**, कभनि प्रशासनिक निधि) और 'वर्तमान देयताएं और प्रावधान' **(अनुसूची-15)** को ₹ 649593.78 कम बताया गया। विभाग ने कहा कि इस संबंध में एचआरएम-III को एक कार्यालय नोट जारी किया गया है कि बैलेंस शीट के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करते समय उचित सत्यापन और उचित देखभाल की जानी चाहिए। भविष्य में अनुपालन के लिए ऑडिट पार्टी की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है।	**15.9.3 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (₹ 23.27 करोड़ की अनुसूची 15)** सत्यापन करने पर पता चला कि राशि रू. 649593.78 जो मार्च-2021 की अवधि के लिए आउटसोर्स किए गए जनशक्ति के वेतन से संबंधित है जिसे निर्धारित प्रारूप 'विवरण 01' बकाया व्यय' में नहीं दिया गया था। इसके कारण, उक्त राशि "वर्तमान देयताएं और प्रावधान' (अनुसूची) -15) को कम बताया गया। ऑडिट पार्टी की टिप्पणियों को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
15.9.4 **अन्य प्राप्तियां-क्षेत्रीय अंशदान खाता सं.** 10 ₹ 82.77 **लाख** इसमें ₹ 82,77,242.04 की राशि शामिल नहीं है, जो कि गैर-सुपुर्दगी धनराशि (खाता सं 10 प्राप्ति एवं भुगतान खाता के प्राप्ति पक्ष- 4 जमा की गई गैर-सुपुर्दगी	**15.9.4 अन्य प्राप्तियां-क्षेत्रीय अंशदान खाता सं. 10 ₹ 82.77 लाख** खाता सं 10 एक पूल खाता है और सीएजी द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रारूप में, कर्मचारियों की पेंशन योजनाओं के तहत सभी

धन राशि रू. 82.77 लाख) से संबंधित है । इन राशियों के बावजूद सदस्यों (यानी भ.नि. सदस्यों) को मुद्दों (आईएफएससी कोड का गलत बैंक खाता, बैंक खाता प्रकार में अंतर, राशि सीमा) को छूट देते हुए चुकाया जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु समेकित आय और व्यय खाते में अन्य आय (अनुसूची -35) के रूप में माना गया था। । चूंकि इस प्रकार प्राप्त न होने के कारण प्राप्त राशि भविष्य में देय होगी और देयता की श्रेणी के अंतर्गत आती है, लेकिन ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया और देयताओं को ₹ 82.77 लाख से कम बताया गया। विभाग ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए तुलन पत्र को मुख्यालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और खाता सं. 10 से संबंधित सभी डाटा को केवल प्राप्ति एवं भुगतान खाता सं 10 के प्रारूप में पोस्ट किया गया है। सभी अनुसूचियां सॉफ्टवेयर द्वारा ही ऑटो फीड की जाती हैं।	प्राप्तियों और भुगतानों को उस वर्ष की आय और व्यय के रूप में माना जाता है। देयता पक्ष पर इसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई समय सारिणी नहीं है। इसलिए देयता पर न्यून-कथन नहीं है।
15.9.5 अन्य प्राप्तियाँ - क्षेत्रीय अंशदान खाता सं 21 ₹ 11.38 लाख इसमें गैर-डिलीवर रिफंड से संबंधित **₹1138417.00** की राशि शामिल है, खाता संख्या **21** की प्राप्ति और भुगतान खाते के अनुसार रसीद पक्ष-**5** में गैर-डिलीवर किए गए रिफंड **₹ 11.38** लाख को क्रेडिट किया गया) इन राशियों को सदस्यों (यानी पीएफ सदस्यों) को चुकाने के बावजूद वित्तीय वर्ष **2020-21** के लिए समेकित आय और व्यय खाते की अन्य आय (अनुसूची-**37**) के रूप में माने जाने वाले मुद्दों (आईएफएससी कोड का गलत बैंक खाता, बैंक खाता प्रकार में अंतर, राशि सीमा) को छूट देने के बाद। चूंकि इस प्रकार प्राप्त राशि, डिलीवर नहीं होने के कारण भविष्य में देय होगी और देयता की श्रेणी में आती है, लेकिन ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया और देयताओं को **₹11.38** लाख से कम बताया गया। विभाग ने कहा कि वर्ष **2020-21** के लिए तुलन पत्र को मुख्यालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और सभी डाटा खाता संख्या **21** से संबंधित	**15.9.5 अन्य प्राप्तियाँ - क्षेत्रीय अंशदान खाता सं 21 ₹ 11.38 लाख** खाता संख्या **21** एक पूल खाता है और सीएजी द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रारूप में, खाता संख्या **21** की सभी प्राप्तियों और भुगतानों को उस वर्ष की आय और व्यय के रूप में माना जाता है। देयता पक्ष पर इसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई समय सारिणी नहीं है। इसलिए देयता पर कोई कमी नहीं है।

हैं। केवल खाता संख्या **21** प्रारूप में पोस्ट किया गया है। सभी अनुसूचियां सॉफ्टवेयर द्वारा ही ऑटो फीड की जाती हैं।	
15.9.6 प्राप्ति और भुगतान खाता **1.** खाता संख्या **2** में **₹ 21,85,84,693/-** की राशि के अंतरण के स्थान पर सब्सिडी के रूप में नामित किया गया है। **2. ₹ 5130/-** यात्रा भत्ते से संबंधित है जो संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान खाता संख्या **2** के संबंधित शीर्ष में नहीं लिया गया है। इसी तरह, **₹ 32,994/-** छुट्टी नकदीकरण से संबंधित है, जिसे गलती से प्राप्ति और भुगतान खाता संख्या **2** में एलटीसी व्यय के रूप में माना गया है, में सुधार की आवश्यकता है।	**15.9.6 प्राप्ति और भुगतान खाता** यह प्रत्येक दिन के अंत में शून्य शेष को बनाए रखने के लिए मुख्यालय द्वारा रखरखाव किए जाने वाले खाता संख्या **4** से क्षेत्रीय कार्यालय के चालू खाता संख्या **2** में अंतरित की गई राशि है। इसलिए वह बाहर से प्राप्त सब्सिडी नहीं है।
15.10 क्षे.का., सागर, म.प्र. **15.10.1 तुलन पत्र** क्षेत्रीय कार्यालय, क.भ.नि.सं., सागर द्वारा निष्क्रिय खाते के संबंध में वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि ₹171.41 लाख है, हालांकि, इसे क्षे.का., सागर द्वारा प्राप्ति और भुगतान खाता संख्या 1 में शून्य के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूची -2 "निष्क्रिय खातों को ₹171.41 लाख से अधिक और प्राप्ति और भुगतान खाते को कम करके दिखाया गया। विभाग ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में सुधार कर दिया जाएगा।	**15.10 क्षे.का., सागर, म.प्र.** **15.10.1 तुलन पत्र** क्षे.का., सागर की निष्क्रिय राशि 171.41 लाख रुपये है जो 2020-21 में रसीद और भुगतान खाता 01 (भुगतान पक्ष कॉलम संख्या 4) में दिखाया गया है। कार्यालय के अगले तुलन पत्र में आवश्यक सुधार किये जायेंगे।
15.10.2 कर्मचारी भविष्य निधि खाता (कर्मचारी भविष्य निधि खाता अनुसूची-13) ₹460.46 लाख और कर्मचारी भविष्य निधि खाता (अनुसूची-11) ₹184.86 लाख के लिए क.भ.नि.सं., सागर पर ₹ 645.32 लाख की देयता थी। उपरोक्त देयताओं के विरुद्ध ₹152.70 लाख की संबंधित परिसंपत्तियां खातों में दर्शाई गई हैं (कर्मचारी भविष्य निधि खाता अनुसूची-26) ₹152.70 लाख, पारगमन में एसपीएफ़ राशि (अनुसूची -	**15.10.2** जैसा कि दिखाया गया है और इस बिंदु में दिखाए गए अनुसार संबंधित संपत्तियों का एसपीएफ़ रजिस्टर और एसपीएफ़ खातों से मिलान किया जा रहा है। इसके अलावा माइनस फिगर के संबंध में, पूर्व में क.भ.नि.सं. के आंचलिक कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के वार्षिक लेखे लीगेसी फॉर्मेट में तैयार किए जाते थे। लेगसी प्रारूप में एसपीएफ़

28) ₹ शून्य, इसलिए देयताओं और निम्न की परिसंपत्तियों का अंतर कर्मचारी भविष्य निधि के मद में ₹ 492.62 (₹ 645.32 - ₹ 152.70) के सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा, हमने देखा कि अनुसूची -11 "कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज खाता ₹184.86 के तहत दर्शाया गया ऋणात्मक आंकड़ा जबकि क्रमांक पर समान आंकड़ा। एसेट के अंतः शेष का नंबर 9 प्लस में दिखाया गया था जो वार्षिक लेखे की सही और निष्पक्ष विवरण नहीं दर्शाता है।	और क.भ.नि. ब्याज परिसंपति पक्ष में थे । कॉमन फॉर्मेट में शिफ्ट करने पर, वही देयता पक्ष में दर्शाया जाता है जिसके कारण अंतः शेष ऋणात्मक हो गया है। इसका पालन सभी कार्यालयों में किया जाता है।
15.10.3 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.भ.नि.) अनुसूची 5 ₹11.72 लाख उपर्युक्त में अनियमित और अधिक भुगतान से संबंधित ₹1172701/- तक की गैर-समाशोधित अतिरिक्त/त्रुटिपूर्ण क्रेडिट राशि शामिल है। चालू देयता शीर्ष के अंतर्गत "अनियमित भुगतान और अधिक भुगतान ₹ 1172701 (₹1165068 अनियमित भुगतान और ₹ 7633/- अधिक भुगतान) दिखाया गया था। यह राशि वर्ष 2020-21 के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में शामिल नहीं थी। अतः यह स्पष्ट है कि यह राशि पिछले वर्ष से संबंधित है लेकिन मार्च 2021 तक मिलान/समायोजित नहीं की गई है। इस राशि का वर्ष/लाभार्थियों के अनुसार विभाजन क.भ.नि.सं. सागर के पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि यह राशि कब से अनियमित और वार्षिक खाते में अधिक भुगतान के रूप में पड़ी है। इसका समाधान करने और तदनुसार वार्षिक लेखे में सुधार करने की आवश्यकता थी। विभाग ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में सुधार कर दिया जाएगा।	**15.10.3 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (क.भ.नि.) अनुसूची 5 ₹11.72 लाख** आवश्यक पत्राचार नियमित आधार पर किया जा रहा है और इसे यथाशीघ्र समाशोधन किया जाएगा ।
15.11 उचंत खाते लेखा प्रक्रिया नियमावली के पैरा 10.06 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के भाग- I सामान्य के उप-पैरा II (VII) के अनुसार, देयताओं और संपति दोनों पक्षों में "भविष्य निधि उचंत" के तहत दिखाए गए 10 शेष का विवरण दर्शाने वाला एक	**15.11 उचंत खाते** **<u>आंचलिक कार्यालय, कोयमबत्तूर</u>** उचंत खाते (प्रशासन निधि) के मद में पड़ी राशि पूर्ववर्ती क्षेत्र के विकेंद्रीकरण से कई वर्षों पहले की है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों

विवरण होना चाहिए लेन-देन की तारीख, राशियों का संक्षिप्त विवरण दर्शाते हुए हर वर्ष तुलन पत्र में संलग्न किया जाना चाहिए। इस मद के तहत बकाया मदों का विश्लेषण करने और उन्हें साफ करने के लिए जोरदार अभियान चलाया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अवर्गीकृत उचंत के तहत देयताओं और संपत्ति दोनों पक्षों में शेष राशि को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और उन्हें साफ करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

उचंत खाते में रखे गए निधि खाते का विवरण निम्नानुसार है: :-

आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	देयताएं	राशि (रू. में)	परिसंपत्तियां	राशि (रू. में)
आंचलिक कार्यालय, कोयमबतूर	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	4,48,24,928.06	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	44,43,074
आंचलिक कार्यालय, भुबनेश्वर	उचंत खाते (गैर-वर्गीकृत) (कभनि)	-7,92,20,928.11 (अनुसूची -5)	उचंत खाते (गैर-वर्गीकृत) (कभनि)	15,82,57,091.48 (अनुसूची -19)
	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	-2,33,82,944.68 (अनुसूची -15)	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	34,80,152.16 (अनुसूची -28)
क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनलवेली	उचंत खाते (कभनि)	45,14,317.90	उचंत खाते (कभनि)	5,41,985.60
	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	46,23,362.60	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	6,32,076
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	उचंत खाते	54,518,518.87	उचंत खाते (गैर-वर्गीकृत) (कभनि)	42,237,406.37
	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	24,099,516.60	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	1,731,135.73
आंचलिक कार्यालय, भुबनेश्वर	उचंत खाते (गैर-वर्गीकृत) (कभनि)	-7,92,20,928.11 (अनुसूची-5)	उचंत खाते (गैर-वर्गीकृत) (कभनि)	15,82,57,091.48 (अनुसूची -19)
	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	-2,33,82,944.68 (अनुसूची-15)	उचंत खाता (प्रशासन निधि)	34,80,152.16 (अनुसूची-28)

द्वारा कारण की पहचान करने तथा उचंत खाते (प्रशासन निधि) के शेष का यथाशीघ्र समाधान करने की कार्रवाई की जा रही है।

क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुनलवेली: उचंत खाते (कभनि) और उचंत अकाउंट (प्रशासन निधि) के तहत पड़ी शेष राशि को उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ सत्यापित किया जा रहा है और भारी शेष राशि के कारणों की पहचान करने के बाद, तुलन पत्र 2022-23 में इसका मिलान किया जाएगा।

क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै: आवश्यक सुधार के लिए मामले को बैंक अधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है। इसे सुलह के बाद तुलन पत्र 2022-23 में समायोजित किया जाएगा।

आंचलिक कार्यालय, भुबनेश्वर

इस अंचल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को चिट्ठी की संपत्ति और देयताओं के तहत उचंत खातों (गैर-वर्गीकृत) के तहत पड़ी शेष राशि की निकासी के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए पत्र जारी किए गए हैं और नियमित रूप से इसका पालन किया गया है। सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 20-30% शेष का मिलान कर लिया गया है तथा सुलह की प्रक्रिया जारी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

सूचित किया जाता है कि उचंत खाते के अंतर्गत अधिकांश राशि वित्तीय वर्ष 2010-11 से पूर्व की है तथा स्थापना द्वारा क.भ.नि.आ. एवं संबद्ध देय राशि जमा करने की मैनुअल प्रणाली थी। उचंत खाते को गलत क्रेडिट के तहत मिलान करने के लिए ईडीपी/लेखा अनुभाग

आंचलिक कार्यालय, मुंबई-II, थाणे

क्षे.का., कांदिवली, क्षे.का., वाशी और क्षे.का., ठाणे के संबंध में तैयार किया गया क्षे.का.-वार समेकित विवरण यह कि तुलन पत्र (₹ 92510591.36) और जो सभी तीन क्षे.का. के समेकित खाते में उचंत शीर्ष के तहत दिखाए गए (₹ 97918338.48) उचंत खाते के आंकड़े के बीच ₹ 5407797 का अंतर था ।

रुपये 11.33 करोड़ की राशि (क.अ.नि.) (अनुसूची 19 (1) (4) (ए) और ₹ 9.56 करोड़ अनुसूची 28 (सी) (3) (ए) - उचंत खाता (प्रशासन निधि) के तहत और कई वर्षों से उक्त खातों में असमायोजित पड़े थे । क्षे.का., कांदिवली, क्षे.का., वाशी और क्षे.का., ठाणे के संबंध में तैयार किए गए क्षे.का.-वार समेकित विवरण से यह आगे देखा गया कि तुलन पत्र से जुड़ी अनुसूची में दिखाए गए उचंत खाते के आंकड़ों और उनमें दिखाए गए आंकड़ों के बीच अंतर था। सभी तीन क्षे.का. का समेकित विवरण, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	अनुसूची में दर्शाई गई राशि	क्षेका के समेकन विवरणी के अनुसार के	अंतर
अनुसूची 19	114293698.00	102792416.00	11501282.00
अनुसूची 28	95627763.00	95791968.00	1642015.00
कुल	**209921461.00**	**198584384.00**	**13143297.00**

जब मतभेद का कारण पूछा गया तो अंचल कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै

विभिन्न खातों के संबंध में बैंक समाधान विवरण की जांच से पता चलता है कि निम्नलिखित राशियों (नकद बहियों के अनुसार) का मिलान वर्ष 1985 से किया जाना था और प्रत्येक के सामने उल्लिखित खातों में दिखाया जाना था।

क्र.सं.	खाता	राशि (₹ में)	वर्गीकरण

से स्थापना के विशाल ऋणात्मक शेष की सूची प्राप्त की जा रही है और सूची के अनुसार एईओ कम राशि और चालान का सत्यापन करेगा, यदि स्थापना द्वारा पहले ही जमा किया गया है। इस तरह उचंत अकाउंट को क्लियर किया जा सकता है।

इसके अलावा, खाता 02 में त्रुटिपूर्ण डेबिट के तहत 823633.93 रुपये को हटा दिया गया है और यह अगले वित्त वर्ष 2022-23 की तुलन पत्र में दिखाई देगा। सभी खातों के संबंध में त्रुटिपूर्ण डेबिट के तहत शेष राशि के लिए एसबीआई, मुख्य शाखा, रायपुर को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और उसी के अनुसार अपडेट किया जाएगा।

आंचलिक कार्यालय, मुंबई-II, थाणे

क्षे.का. थाणे (उत्तर एवं दक्षिण) अनुसूची 19:- समेकन विवरण में उचंत खाते (क.अ.नि.) के सामने दर्शाई गई ₹40,014,342.20 की राशि पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष है और 31.03.2021 को अनुसूची 19 में दर्शाई गई ₹51,515,624.20 की राशि त्रुटिपूर्ण डेबिट और समाशोधित राशि के उचित समायोजन के बाद प्राप्त हुई थी।

अनुसूची 28:- समेकन विवरण में उचंत खाते (क.अ.नि. प्रशासन) के पक्ष ₹21,28,000/- की राशि पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि है और 31.03.2021 को शेष के रूप में अनुसूची 28 में दर्शाई गई राशि ₹21,30,565/- है। वर्ष के दौरान त्रुटिपूर्ण नामे और वर्ष के दौरान समाशोधित राशि के यथोचित समायोजन के बाद प्राप्त की गई ।

1.	खाता सं. 1	1,01,17,372.04	देयताओं के पक्ष गैर-वर्गीकृत नामे	
2.	खाता सं. 2	-11,53,089.82	परिसंपत्तियों के पक्ष गैर-वर्गीकृत जमा	
3.	खाता सं. 10 (2013 से)	15,92,671.00 34,84,793.00	देयताओं के पक्ष गैर-वर्गीकृत नामे	
4.	खाता सं. 21	82,148.00	देयताओं के पक्ष गैर-वर्गीकृत नामे	
5.	खाता सं. 5	- 906.95	परिसंपत्तियों के पक्ष गैर-वर्गीकृत जमा	

तथापि, यह देखा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै ने खातों में इसे विशिष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया है।

उचंत खातों के शेष को समाशोधन करने की आवश्यकता है।

क्षे.का. वाशी, समेकन विवरण में उचंत खाते (क.अ.नि.) के समक्ष दिखाई गई ₹62,778,074.15 की राशि पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष है और 31.03.2021 को अनुसूची 19 में दर्शाई गई राशि त्रुटिपूर्ण डेबिट और समाशोधित राशि के उचित समायोजन के बाद प्राप्त हुई थी।

समेकन विवरण में उचंत खाते (क.अ.नि.) के सामने दर्शाई गई ₹93,670,012.54 की राशि पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि है और 31.03.2021 को शेष के रूप में अनुसूची 28 में ₹93,503,242.54 की राशि वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण नामे के उचित समायोजन और वर्ष 2020-21 के दौरान समाशोधित राशि के पश्चात प्राप्त हुई थी।

15.12 ऋणात्मक शेष को दर्शाना

प्राप्ति और भुगतान में निम्नलिखित ऋण शेष को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दर्शाया गया है: :-

	खाता सं.	01-04-2020 को आदि शेष	31-03-2021 को अंत: शेष
क्षे.का.,सागर	01	(-) 125899035.82	(-) 161916824.82
	02	(-) 6852194.10	(-) 5926071.10
	10	(-) 52534641.60	(-) 52141199.60
	21	(-) 3850789.85	(-) 4059171.85
	22	(-) 206952.28	(-) 206952.28
आं.का., फरीदाबाद	01	(-) 903696.82	(-) 116623753.82
	02	(-) 20605324.69	(-) 42772650.69
	10	(-) 6134972085	(-) 84453806.85

15.12 ऋणात्मक शेष को दर्शाना

आं.का./क्षे.का. फरीदाबाद

मार्च के अंतिम दिनों विशेष रूप से 30 और 31 मार्च को जारी किए गए चेक का भुगतान नहीं किया जाता है और अगले दिन यानी अप्रैल के महीने में बैंक से उनका भुगतान कर दिया जाता है। इसलिए ये चेक हर साल एक अवैतनिक बैलेंस बनाते हैं जिसे ऋणात्मक शेष के रूप में दिखाया जाता है।

आं.का., कोयंबतूर

भुगतान पक्ष में ईसीआर अस्वीकृति मामलों के लिए राशि बुक करने के लिए कोई अलग शीर्ष नहीं है। अत: क्षेत्रीय कार्यालय अंशदान मद के अंतर्गत संबंधित खातों के प्राप्ति पक्ष में उतनी ही राशि ऋणात्मक

	21	(-) 86273.95	(-) 677459.95
क्षे.का.,फरीदाबाद	01	1213425.08	(-) 24372168.92
	02	(-) 13214003.69	(-) 17410801.69
	10	418300.15	(-) 20812004.85
	21	(-) 277742	(-) 237928.80
	22	(-) 262.06	(-) 262.06
आंचलिक कार्यालय, कोयंबतूर	2	प्राप्ति पक्ष - प्रशासनिक प्रभार	(-) 2,02,251
	10	प्राप्ति पक्ष - जमा किए गए अंशदान	(-) 6,10,961
	21	प्राप्ति पक्ष - जमा किए गए अंशदान	(-) 80,063
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	2	प्राप्ति पक्ष	(-)223952
	10	प्राप्ति पक्ष - आदि शेष	(-)74575796.39
	10	प्राप्ति पक्ष - जमा किए गए अंशदान	(-)9275108
	10	भुगतान पक्ष	(-)92104930.39

क्षेत्रीय कार्यालय, कोयंबतूर के संबंध में प्राप्ति पक्ष में ऋणात्मक शेष प्रदर्शित करने के कारणों को लेखापरीक्षा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

अंक के रूप में दिखा रहे हैं। अतः प्राप्ति पक्ष में एक नकारात्मक आंकड़ा था।

क्षे.का.,रायपुर

भुगतान पक्ष में ईसीआर अस्वीकृति मामलों के लिए राशि बुक करने के लिए कोई अलग शीर्ष नहीं है। अत: क्षेत्रीय कार्यालय अंशदान मद के अंतर्गत संबंधित खातों के प्राप्ति पक्ष में उतनी ही राशि ऋणात्मक अंक के रूप में दिखा रहे हैं। अतः प्राप्ति पक्ष में एक नकारात्मक आंकड़ा था।

15.12.1 आंचलिक कार्यालय, कोयंबतूर

खाता संख्या 1, 10 और 21 में जमा किया गया अंशदान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के आँकड़ों और इसके नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के अग्रिमों के प्रकटीकरण के बीच निवल किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

खाते में जमा किया गया	क्षे.का.,कोयंबतूर	क्षे.का., सेलम	क्षे.का., त्रिची	क्षे.का., मदुरै	क्षे.का., तिरुनलवेली	क्षे.का., नागरकोइल	को निवल अंशदान
खाता सं 1	(-) 112509922	130290656.5	440818	(-) 4951552	(-) 4511385	(-) 1199896	7558719.5
खाता सं 10	760560	0	0	0	(-) 1371521	0	(-)610961

15.12.1 आंचलिक कार्यालय, कोयंबतूर

भुगतान पक्ष में ईसीआर अस्वीकृति मामलों के लिए राशि बुक करने के लिए कोई अलग शीर्ष नहीं है। अत: क्षेत्रीय कार्यालय अंशदान मद के अंतर्गत संबंधित खातों के प्राप्ति पक्ष में उतनी ही राशि ऋणात्मक अंक के रूप में दिखा रहे हैं। अतः प्राप्ति पक्ष में नकारात्मक आंकड़ा था।

शीर्ष "वाहन अग्रिम" और "अग्रिम भुगतान" के तहत ऋणात्मक शेष की जांच करने पर, यह पाया गया कि ये पूर्ववर्ती तमिलनाडु क्षेत्र के विकेंद्रीकरण से पहले कई वर्षों से संबंधित संचित अग्रिम हैं। यह

खाता स 21	47279	0	0	0	(-) 127342	0	(-)80063
वाहन अग्रिम (वसूलनीय अग्रिम-स्टाफ के तहत तहत	114566	(-)260440	(-) 397545	(-) 203052.20	(-) 924904.80	(-) 1,49,914	(-) 18,21,290
वाहन अग्रिम (वसूली के विरुद्ध)	18705	4200	28062	(-)212867.20	35158	5578	(-) 121164.20

उपरोक्त सभी खातों के ऋणात्मक शेष प्रदर्शित करने के कारणों को लेखापरीक्षा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि को दिखाया गया है, इसकी वसूली को ऋणात्मक आंकड़े के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और अंतिम राशि को केवल प्लस अंक के रूप में प्रदर्शित करना आवश्यक है। इस अनुसूची के अंतर्गत ऋणात्मक आंकड़ों को अंतिम शेष के रूप में मानने के कारण - वाहन अग्रिम पर लेखापरीक्षा में आपत्ति की गई है।

इसी प्रकार, वेतन अग्रिमों को ऋणात्मक अंक के रूप में निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया:

क्र.सं.	अग्रिम के प्रकार	01/04/2020को आदि शेष	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान की गई राशि	कुल	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वसूल की गई राशि -	31/03/2021 को अंत: शेष
1	वेतन अग्रिम	(-)38,213.00	0	(-)38,213	2,21,329.00	(-)2,59,542.00

देखा गया है कि विकेंद्रीकरण से पहले, कर्मचारियों से वसूल की गई राशि को संबंधित कार्यालयों में भौतिक रूप से अंतरित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप तुलन पत्र 2020-21 में संचित शेष राशि मौजूद थी।

अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

15.13 अचल परिसम्पत्तियां

15.13.1 मूल्यह्रास का अधिक विवरण - भवन-कार्यालय - अचल परिसम्पत्तियां (आंचलिक कार्यालय, कोयमबतूर)

15.13 अचल परिसम्पत्तियां

15.13.1 मूल्यह्रास का अधिक विवरण - भवन-कार्यालय - अचल परिसम्पत्तियां (आंचलिक कार्यालय, कोयमबतूर)

भवन कार्यालय के मूल्य के रूप में-₹19,19,07,264 की राशि प्रदर्शित की गई है और वर्ष 2019-20 के लिए ₹99,58,722 का मूल्यह्रास प्रदान किया गया था। हालांकि, कंपनी के अधिनियम 2013 के तहत प्रदान की गई मूल्यह्रास दर केवल 1.58% थी।

क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम से संबंधित वार्षिक लेखों के आगे सत्यापन से पता चला कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, क्षे सेलम ने-.का.₹ 5,91,18,796 मूल्य के भवन कार्यालय पर कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया। आंचलिक कार्यालय ने उत्तर दिया कि क्षे.का. के लेखे वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की अवधि के तुलन पत्र के आधार पर समेकित किये जा रहे थे।

अचल संपत्ति विवरण को फिर से तैयार किया जा सकता है और चालू वर्ष के खातों में त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है।

क्षे.का., सेलम : नए कार्यालय भवन के लिए मूल्यह्रास जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, चालू वर्ष के तुलन पत्र में किया जाएगा।

क्षे.का., कोयंबतूर: वर्ष 2019-20 के लिए, क्षे.का., कोयंबतूर के कार्यालय भवन के लिए 1.58% मूल्यह्रास की गणना रुपये 35551/- भवन के शुद्ध मूल्य (रु. 22,50,064/-) के रूप में की गई है, बजाय सकल मूल्य (रु.24,90,997/-) के आधार पर जो कि रु. 39358/- है।

अत: वर्ष 2019-20 के लिए प्रदान किया गया मूल्यह्रास रुपये 3807/- से कम है। और इतनी ही राशि तलन पत्र 2021-22 में जोड़ी गई है।

15.13.2 अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की गलत प्रदर्शनी (क्षेका, मदुरै)

2018 में क.अ.नि.सं. ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास अपनाया।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित अचल संपत्तियों की अनुसूची की जांच से पता चला कि क्षे.का., क.अ.नि.सं., मदुरै द्वारा धारित अचल संपत्तियों के लिए निम्नलिखित मूल्यह्रास किया गया था जो मार्च 2018 के दौरान जारी क.अ.नि.सं. मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार नहीं था।

क्र. सं.	परिसंपत्तियों की प्रकृति	मूल्यह्रास की दर प्रदान	31/03/20 के अंत में परिसंपत्तियों का मूल्य	31/3/21 के अंत में संपत्ति का मूल्य	2019-20 के दौरान प्रदान किया गया	2020-21 के दौरान प्रदान किया गया मूल्यह्रास	2019-20 के दौरान	2020-21 के दौरान प्रदान की गई मूल्यह्रास की दर

15.13.2 अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की गलत प्रदर्शनी (क्षेका, मदुरै)

अचल संपत्ति विवरण तैयार करते समय, अचल संपत्ति विवरण के शीर्ष को गलत तरीके से बदल दिया गया था। तथापि, इन त्रुटियों की पहचान की गई और उन्हें ठीक किया गया।

		की जानी है			मूल्यह्रास		प्रदान की गई मूल्य ह्रास की दर	
1.	भवन (कारखाना भवन के अलावा) आरसीसी फ्रेमयुक्त संरचना	1.58	1,11,85,883	1,11,85,883	3,23,859	323859	2.89	2.89
2.	फर्नीचर और फिक्स्चर	9.5	14,50,989	14,50,989	1,26,675	2,55,339	8.73	17.60
3.	वाहन और मोटर कार	15.83	8,888	8,888	800	720	9	8.10
4.	कार्यालय उपकरण	19	8,94,098	10,63,971	1,23,299	1,55,795	13.80	14.64
5.	कंप्यूटर / पेरीफेरल्स	31.67	55,06,826	65,25,360	7,46,313	19,32,465	13.55	29.61
6.	नलकूप और जलापूर्ति	31.67	5,18,651	5,18,651	92,767	61,838	17.88	11.92
7.	इलैक्ट्रिकल इन्स्टलेशन	9.50	26,72,837	26,72,837	8,06,182	10,60,474	30.16	39.68

15.13.3 मूल्यह्रास की कमी ₹ 1,77,658/- (क्षे.का., कोयंबतूर)

क.भ.नि.सं., कोयंबतूर के वार्षिक तुलन पत्र की समीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II (भाग सी) में निर्धारित सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास अचल संपत्तियों पर प्रदान किया जाताहै।

अचल संपत्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए मूल्यह्रास की दर निम्नलिखित है

15.13.3 मूल्यह्रास की कमी ₹ 1,77,658/- (क्षे.का., कोयंबतूर)

मूल्यह्रास मुख्यालय द्वारा प्रदान की गई मूल्यह्रास की दरों के आधार पर निकाला गया था। तथापि, भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा प्रदान की गई दरों का सत्यापन किया गया था और 2021-22 के लिए तुलन पत्र में आवश्यक सुधार किया गया है।

(₹ में राशि)

क्र.सं. ।	परिसंपत्ति का वर्ग	प्रायोगिक समय (वर्ष)	मूल्यह्रास की दर
1	भवन	60	1.58
2	अस्थायी भवन	3	31.67
3	कार्यालय उपकरण	5	19
4	फर्निचर व फिक्सचर	10	9.5
5	कंप्यूटर पेरीफेरल	6	15.83
6	सॉफ्टवेयर	6	15.83

भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II भाग सी के नोट्स में दिया गया है कि -

जहां, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी परिसंपत्ति में कोई वृद्धि की गई है, या जहां कोई संपत्ति बेची गई है, त्याग दी गई है, ध्वस्त कर दी गई है या नष्ट कर दी गई है, ऐसी संपत्ति पर मूल्यह्रास की गणना इस तरह की वृद्धि की तारीख से आनुपातिक आधार पर की जाएगी या , जैसा भी मामला हो, उस तारीख तक जब तक ऐसी संपत्ति को बेचा, त्यागा, ध्वस्त या नष्ट किया गया हो'।

आगे की जांच में, यह पाया गया कि एक परिसंपत्ति के लिए जो एक वित्तीय वर्ष में 6 महीने से कम समय के लिए उपयोग किया जाता है, उस वर्ष में दिए गए मूल्यह्रास का आधा प्रदान किया जाता है, कुछ मामलों को छोड़कर जहां संपत्ति का उपयोग 6 महीने से अधिक किया गया था, तब भी आधा मूल्यह्रास प्रदान किया गया था। ऐसे मामलों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ में राशि)

खरीद की तिथि	वस्तु	भुगतान की गई राशि	मूल्यह्रास प्रदान किया गया	मूल्यह्रास प्रदान किया जाना है	अंतर
04.09.2019	फोटोकॉपियर		8806	17612	8806
17.09.2019	टेलीविजन	63000	5985	11970	5985

(ख) लेखा परीक्षा द्वारा इंगित अचल संपत्तियों के तहत दर्ज राजस्व व्यय को तुलन पत्र 2021-22 में सत्यापित और संशोधित किया गया है।

(ग) जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा नोट किया गया है, परिसंपत्ति के उपयोगी समय के बाद परिसंपत्ति का अवशिष्ट मूल्य तुलन पत्र 2021-22 में दर्शाया गया है।

18.09.2019	सीसीटीवी कैमरे	183726	17454	34908	17454
23.09.2019	32 पीसी	1657120	131161	262322	131161
27.09.2019	5 प्रिंटर	168730	13211	26423	13211
27.09.2019	यूपीएस 600 केवी	13300	1041	2082	1041
				कुल	**1,77,658**

A. इसके अलावा यह भी देखा गया कि प्रिंटर स्याही, कार्ट्रिज, टोनर जैसे कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न राजस्व व्यय को अचल संपत्ति के रूप में बुक किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्ति का अधिक विवरण और राजस्व व्यय को कम करके दिखाया गया है।

B. कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित सीधी रेखा पद्धति मूल्यह्रास की दर और एक संपत्ति का उपयोगी जीवन देती है। एक परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के बाद कुछ अवशिष्ट मूल्य बचा है जो खरीद मूल्य का लगभग 5 प्रतिशत है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत में इसे अवशिष्ट मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए और आगे मूल्यह्रास नहीं किया जाना चाहिए।

उत्तर में संगठन ने 2021-22 के लिए खातों में संशोधन को शामिल करना स्वीकार किया।

15.13.4 राजस्व व्यय का कम विवरण और अचल संपत्ति का अधिक विवरण- ₹43,976/- (<u>क्षेत्रीय कार्यालय, कोयमबत्तूर</u>)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹4,15,521/- के एक वर्ष के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नवीनीकरण की खरीद पर व्यय पूंजीकृत किया गया था और मूल्यह्रास निम्नानुसार प्रदान किया गया था।

15.13.4 राजस्व व्यय का कम विवरण और अचल संपत्ति का अधिक विवरण- ₹43,976/- (<u>क्षेत्रीय कार्यालय, कोयमबत्तूर</u>)

जैसा कि ए.जी. लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, एक वर्ष की वैधता के साथ सॉफ्टवेयर पर व्यय को अमूर्त संपत्ति के बजाय राजस्व व्यय के तहत दर्ज किया जाएगा। तुलन पत्र 2021-22 में लेखा परीक्षा द्वारा सुझाए गए आवश्यक सुधार किये गए हैं।

(₹ में राशि)

खरीद की तिथि	विवरण	पूंजीकृत राशि	प्रभारित मूल्यह्रास	2020-21 में दर्ज किया जाने वाला राजस्व व्यय	31.03.2021 के अनुसार पूर्व भुगतान व्यय
03.08.2020	के7 एंटीवायरस	9240	5109.92	3080	6160
29.10.2020	ऑफिस 365	6240		2600	3640
29.10.2020	ऑफिस 365	16800		7000	9800
18.01.2021	ऑफिस 365	11696	926.32	2436	9260
		43,976	**6,036.24**	**15,116**	**28,860**

पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय की इस गलत बुकिंग के परिणामस्वरूप सकल अचल संपत्ति को ₹43,976 से अधिक बताया गया है, मूल्यह्रास को ₹ 6,036.24 से अधिक बताया गया है और आय और व्यय खाते में राजस्व व्यय को ₹15,116 से कम बताया गया है और वर्तमान परिसंपत्तियों को ₹28,860 से कम बताया गया है।

15.13.5 **अन्य अचल संपत्ति के रूप में पूंजीगत व्यय की गलत बुकिंग- ₹ 7,66,584.00**

वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल संपत्तियों से संबंधित अभिलेखों की जांच करने पर, यह देखा गया कि "अन्य अचल संपत्तियों" में ₹ 7,66,584 की वृद्धि की गई थी। अन्य अचल संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ में राशि)

खरीदने की तारीख	विवरण	पूंजीकृत राशि	मूल्यह्रास प्रभारित	संपत्ति का सही शीर्ष	मूल्यह्रास प्रभारित किया जाना है

15.13.5 अन्य अचल संपत्ति के रूप में पूंजीगत व्यय की गलत बुकिंग- ₹ 7,66,584.00

इसे वर्ष 2021-2022 के तुलन पत्र में संशोधित और शामिल किया गया है।

31.07.2020	अस्थायी शेड 1 किश्त	342000	79097	अस्थायी संरचना का निर्माण	113988
01.10.2020	सोनी टी वी	74300	0	विद्युत संस्थापन	3529
08.02.2020	अस्थायी शेड 2 किश्त	350284	33276	अवन-अस्थायी संरचना	58374
		7,66,584	**1,12,373**		**1,75,891**

यह भी देखा गया है कि अस्थायी शेड पर 33.33 प्रतिशत के बजाय 19 प्रतिशत मूल्यह्रास प्रदान किया गया था। कार्यालय के लिए खरीदे गए टेलीविजन को विद्युत प्रतिष्ठानों के स्थान पर अन्य अचल संपति के रूप में भी दिखाया जाता है। टेलीविज़न पर लगाया जाने वाला मूल्यह्रास 4.75 प्रतिशत है (वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में संपति के उपयोग के लिए 9.5 प्रतिशत का आधा।)
इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास को कम करके और अचल संपतियों को ₹63,518 से अधिक बताया गया है।

15.14 क्षे.का., तिरुनेलवेली

15.14.1 **₹ 56,078/- की अचल संपति को कम बताना और मूल्यह्रास का अधिक विवरण - ₹ 64,787/-**

कार्यालय उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 97,002/- का व्यय किया गया था। तथापि, वर्ष 2019-20 के दौरान परिवर्धन ₹ 40,924/- के रूप में प्रदर्शित किया गया था। कार्यालय उपकरणों पर मूल्यह्रास को ₹ 9,215/- के बजाय ₹ 74,022/- के रूप में गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अचल संपति को ₹ 56,078/- तक कम करके और मूल्यह्रास को ₹ 64,787/- से अधिक बताया गया है।

15.14.2 **संयंत्र मशीनरी और उपकरण पर मूल्यह्रास को गलत दर्शाना**

15.14 क्षे.का., तिरुनेलवेली

15.14.1 **₹ 56,078/- की अचल संपति को कम बताना और मूल्यह्रास का अधिक विवरण - ₹ 64,787/-**

9215/- के स्थान पर कार्यालय उपकरण पर मूल्यह्रास के रूप में प्रदर्शित 74,022/- रुपये की राशि को तुलन पत्र 2022-23 में सुधारा जाएगा।

15.14.2 **संयंत्र मशीनरी और उपकरण पर मूल्यह्रास को गलत दर्शाना**

वर्ष 2019-20 के दौरान संयंत्र मशीनरी और उपकरणों की खरीद में वृद्धि ₹1,16,141/- थी। हालांकि, यह देखा गया कि प्लांट मशीनरी और उपकरण पर प्रदान किया गया मूल्यह्रास रु.0.59/- के रूप में प्रदर्शित किया गया था, इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास की गलत प्रदर्शनी हुई थी।	मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम में प्रदान की गई दरों के आधार पर की गई है जिसका क.भ.नि.सं. में पालन किया जाता है।
15.14.3 भवन-कार्यालय पर मूल्यह्रास को गलत दर्शाना वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए भवन पर प्रदान किया गया मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर सकल संपत्ति के लिए क्रमशः ₹ 60.69 लाख और ₹ 17.25 लाख था। जब यह ध्यान में लाया गया, तो यह उत्तर दिया गया कि 19-20 में मूल्यह्रास की गणना अनजाने में ₹ 17.45 लाख के बजाय ₹ 60.69 लाख के रूप में की गई थी। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया और पूंजीगत निधि को ₹ 43.44 लाख से कम बताया गया।	15.14.3 **भवन-कार्यालय पर मूल्यह्रास को गलत दर्शाना** मूल्यह्रास कॉलम स्वचालित रूप से एक्सेल प्रारूप में अपडेट हो जाता है जब भी संपत्ति को दर्ज किया जाता है और अलग इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। इमारतों के संबंध में 2019-20 के लिए मूल्यह्रास कॉलम की गणना अनजाने में 17.45 लाख रुपये के बजाय 60.69 लाख रुपये के रूप में की गई थी। आगामी वर्षों में मूल्यह्रास की सही राशि प्रस्तुत करने के लिए अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है।
15.15 क्षे.का., लुधियाना अचल संपत्तियों और अन्य संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों के अनुसार लगाया जाना चाहिए, वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक खातों की नमूना जांच, यह देखा गया कि: (i) फर्नीचर फिक्सचर पर मूल्यह्रास की गणना करते समय, ₹ 69655 का जोड़ दो बार लिया गया, जबकि समेकित आंकड़ा सही है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3309.77 @ 9.5%/2 यानी आधे साल के लिए मूल्यह्रास को अधिक बताया गया और खातों में फर्नीचर और फिक्स्चर ए सी की इसी कमी को बताया गया। (ii) कंपनी अधिनियम-2013 की अनुसूची II के अनुसार, मद संख्या 1 (डी), नलकूपों का 19% मूल्यह्रास किया जाना था। लेकिन ट्यूबवेल की समेकित राशि ₹38010/- पर मूल्यह्रास नहीं किया गया था। इस के परिणामस्वरूप ट्यूबवेल ए/सी को अधिक बताया गया और मूल्यह्रास ए सी को ₹ 72213.90 से कम बताया गया	**15.15 क्षे.का., लुधियाना** इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अचल संपत्ति प्रोफार्मा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ए.जी. ऑडिट द्वारा उठाए गए सभी तीन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

(iii) आयकर अधिनियम की धारा 32 के अनुसार, पुस्तकालय की पुस्तकों पर 40% मूल्यह्रास किया जाना था, लेकिन उसका मूल्यह्रास नहीं किया गया था। पुस्तकों की समेकित राशि ₹ 161585/- थी, जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकालय खाते में मूल्यह्रास खाते को ₹ 64634 - से अधिक बताया गया।	
15.16 क्षे.का., रायपुर 15.16.1 क.अ.नि.सं., क्षे.का., रायपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए अचल संपत्ति रजिस्टर के अनुसार '2020-21 के लिए अचल संपतियों के विवरण' की जांच के दौरान तुलन पत्र में प्रदान की गई अचल संपतियों का विवरण के संबंध में निम्नलिखित बिंदु बेमेल पाए गए हैं: 1. अचल संपत्ति रजिस्टर के अनुसार सकल ब्लॉक में 'वर्ष की शुरुआत में लागत/मूल्यांकन' के लिए '2020-21 के लिए अचल संपतियों के विवरण' के लिए कॉलम 'लागत/मूल्यांकन' के कॉलम से मेल नहीं खाता है। तुलन पत्र के अनुसार सकल ब्लॉक में '2020-21 के लिए अचल संपतियों का विवरण'। 2. अचल संपत्ति रजिस्टर के अनुसार सकल ब्लॉक में 'वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन' के लिए '2020-21 के लिए अचल संपतियों के विवरण' के लिए कॉलम 'लागत/मूल्यांकन के लिए कॉलम के साथ मेल नहीं खाता है। तुलन पत्र के अनुसार सकल ब्लॉक में '2020-21 के लिए अचल संपतियों का विवरण'। 3. अचल संपत्ति रजिस्टर के अनुसार '2020-21 के लिए अचल संपतियों के विवरण' में मूल्यह्रास ब्लॉक में 'वर्ष की शुरुआत में संचित मूल्यह्रास' के लिए कॉलम 'वर्ष की शुरुआत में संचित मूल्यह्रास' के कॉलम से मेल नहीं खाता है। तुलन पत्र के अनुसार '2020-21 के लिए अचल संपतियों के विवरण' में मूल्यह्रास ब्लॉक में। 4. अचल संपत्ति रजिस्टर के अनुसार मूल्यह्रास ब्लॉक में 'वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास' के लिए '2020-21 के लिए अचल संपतियों के विवरण' में मूल्यह्रास ब्लॉक	**15.16 क्षे.का., रायपुर** लेखापरीक्षा का अवलोकन नोट किया गया है और अब वर्ष 2021-22 के लिए तुलन पत्र में अचल संपत्ति रजिस्टर को तुलन पत्र के साथ जोड़ा गया है ।

में 'वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास' के लिए कॉलम के साथ मेल नहीं खाता तुलन पत्र के अनुसार '2020-21 के लिए अचल संपतियों का विवरण'। विभाग ने क.भ.नि.सं. अंचल कार्यालय, भोपाल से प्राप्त निर्देश के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए वर्ष की शुरुआत में लागत/मूल्यांकन के लिए कॉलम का मूल्य वर्ष 2019-20 के लिए वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन से लिया जाता है और 2020-21 के लिए वर्ष की शुरुआत में स्तंभ संचित मूल्यह्रास 2019-20 के वर्ष के अंत में संचित मूल्यह्रास से लिया जाता है। उपरोक्त संशोधन के कारण तुलन पत्र की अचल संपतियों का विवरण अचल संपति रजिस्टर के साथ बेमेल है।	
15.17 आंचलिक कार्यालय, भुबनेश्वर **15.17.1 मूल्यह्रास का गलत प्रभार** पत्र संख्या बीएससी 1 (1) 2020-21 दिनांक 26-3-2021 के साथ पत्र संख्या बीएससी 1 (1) 2017-18 दिनांक 28-3-2018 और बीएससी 12 (3) 2014-15 दिनांक 24-6 के अनुसार -2016 ₹5000.00 से अधिक के सभी मदों पर व्यय, जो एक वर्ष से अधिक के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, संपति के रूप में माना जाएगा और उसी पर मूल्यह्रास वर्ष के लिए व्यय के रूप में माना जाएगा। पी 2013 (संशोधित) के तहत निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। मूल्यह्रास की पूर्ण दर अचल संपत्तियों पर प्रदान की जाती है, जो हमें 180 दिनों से अधिक रही है और आधी दर पर, यदि वर्ष के दौरान 180 दिनों तक उपयोग की जाती है। समेकित वार्षिक खातों में मूल्यह्रास रु. 36,93,206.00 प्रभारित किया गया है (अनुसूची 24 अचल परिसंपत्ति)। उक्त पत्र में निर्दिष्ट मूल्यह्रास की पूर्ण दरों पर 2020-21 के दौरान शुद्ध ब्लॉक के कुल प्रारंभिक शेष राशि और अतिरिक्त राशि पर काम किया गया था। मूल्यह्रास की गणना करते समय अचल	**15.17 आंचलिक कार्यालय, भुबनेश्वर** **15.17.1 मूल्यह्रास का गलत प्रभार** इसका समाशोधन कर लिया गया है और अंतर राशि को वार्षिक लेखा 2021-22 में समायोजित कर लिया गया है।

संपत्तियों की खरीद और 2020-21 के दौरान उनके उपयोग की तारीख को ध्यान में नहीं रखा गया था। चूंकि खरीदी गई सभी अचल संपत्तियों को 180 दिनों से अधिक के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है, पूर्ण दरों पर मूल्यह्रास चार्ज करने के परिणामस्वरूप अधिक मूल्यह्रास हुआ है। खरीद की तिथि/संपत्तियों की स्थापना की तिथि, उपयोग में आने वाले दिनों की संख्या जैसे विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा में अधिक मूल्यह्रास की गणना नहीं की जा सकी (मांग के बावजूद आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई)। वर्ष 2020-21 के लिए प्रभारित मूल्यह्रास की राशि भी निम्नलिखित टिप्पणियों को देखते हुए सही नहीं है:

(₹ में राशि)

संपत्ति	आदिशेष	जोड़	मूल्यह्रास प्रभार्य			मूल्यह्रास प्रभारित	अंतर	टिप्पणियां
			आदिशेष पर	जोड़ने पर	कुल			
भवन-कार्यालय	34618367.45		54697.0		546970	109702.23	437268.23	1.58% के बजाय 3.17% की मूल्यह्रास दर अपनाने के कारण अधिकता
भवन-आवास	31426219	–	496534.26	-	496534.26	996211.14	499676.88	-वही-
फर्नीचर	1113677	3848.00	105799.31	34656	140455.31	105799.31	(-)34656	जोड़ पर गैर-चार्जिंग मूल्यह्रास के कारण कम
कार्यालय उपकरण	421094	155634	80007.86	2,95,70.46	109578.32	80007.86	(-) 29570.46	-वही-

कंप्यूटर	4399578	3004 066	1393346.35	9,51,387.70	23,44,734.05	13,93,346.35	(-)9,51,387.70	-वही- सर्वर और नेटवर्क (मूल्यह्रास दर 15.83% और अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि @ 31.67%) अलग से नहीं दिखाए गए हैं।
इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेशन	2,16,157	1,44,915	20,534 .91	13,766.92	34,301.83	20,439.91	(-) 34,301.83	जोड़ पर गैर-चार्जिंग मूल्यह्रास के कारण कम
पुस्तकालय के पुस्तकें	0	50,175	NA	NA	NA	50,175	NA	मूल्यह्रास दर उपलब्ध नहीं है

मूल्यह्रास की गणना क.भ.नि.सं. मुख्यालय के पूर्वोक्त पत्र और खातों में आवश्यक सुधार के अनुसार की जानी चाहिए।

इसके अलावा (i) अनुबंध-I में वर्गीकृत सारांश में ₹ 2,12,59,000.00 का जोड़ मुख्य भवन/कार्यालय के तहत दिखाया गया है, हालांकि कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त राशि को जोड़ने के कारण अंतिम शेष राशि ₹ 2,12,59,000.00 से अधिक बताई गई है (ii) शीर्ष कार्य प्रगति पर अनुलग्नक नहीं दिखाया गया है।

15.18 क्षे.का. / आ.का., बेंगलुरु जोन

15.18.1 परिसंपत्तियाँ - अनुसूची - 24ए पूंजी कार्य प्रगति पर ₹16,54,02,080

सरकारी संस्थाओं के लिए अचल संपत्तियों के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अचल संपत्तियों/परियोजनाओं पर व्यय जो निर्माण या पूर्ण होने की प्रक्रिया में हैं और रिपोर्टिंग तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उदाहरण के लिए, भवन या जल विद्युत परियोजना का निर्माण , को सीडब्ल्यूआईपी के तहत अचल संपत्ति रजिस्टरों में अचल संपत्तियों के संबंधित वर्ग के दिए गए कॉलम में दर्ज किया जाना चाहिए। अचल संपत्ति/परियोजना के पूरा होने या चालू होने पर उस

15.18 क्षे.का. / आ.का., बेंगलुरु जोन

15.18.1 परिसंपत्तियाँ - अनुसूची - 24ए पूंजी कार्य प्रगति पर ₹16,54,02,080

चूंकि सीपीडब्ल्यूडी से अंतिम व्यय विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होना बाकी था, इसलिए राशि को पूंजीगत कार्य प्रगति में शीर्ष के तहत दिखाया गया था। हालांकि, चूंकि काम वास्तव में पूरा हो गया है और सीपीडब्ल्यूडी से लिया गया है, उक्त राशि को वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीकृत किया गया है और वर्ष 2021-22

परिसंपत्ति/परियोजना का कुल व्यय सीडब्ल्यूआईपी कॉलम में दर्शाया जाना बंद हो जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां सीडब्ल्यूआईपी परियोजना के हिस्से इच्छित उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से तैयार हैं, ऐसी परियोजना की संबंधित/आनुपातिक लागत को सीडब्ल्यूआईपी से हटा दिया जाना चाहिए। वर्ष 2020-21 के खातों की जांच पर, अनुसूची 24ए से यह देखा जाता है कि सीडब्ल्यूआईपी के तहत ₹16,54,02,080 की राशि को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जमा कार्यों के माध्यम से निष्पादित क.भ.नि.सं. अंचल कार्यालय एनेक्सी भवन के निर्माण की लागत के रूप में दिखाया गया है। . इस सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के व्यय अनुसूची से ज्ञात होता है कि 31 मार्च, 2021 तक ₹15,92,44,087 की राशि व्यय की जा चुकी है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि सीपीडब्ल्यूडी ने अपने पत्र दिनांक 20/02/2019 के माध्यम से भवन को अपने कब्जे में लेने के लिए आरपीएफओ को भवन सूची और विद्युत सूची सौंप दी है। जैसा कि रिकॉर्ड से देखा गया है, क.भ.नि.सं. कार्यालय ने वर्ष 2020 के दौरान अनुलग्नक भवन पर कब्जा कर लिया था और इसका आधिकारिक तौर पर 04/03/2021 को उद्घाटन किया गया था, हालांकि उद्घाटन से बहुत पहले भवन पर कब्जा कर लिया गया था। हालाँकि, ₹15,92,44,087 की इस राशि को सीडब्ल्यूआईपी को उस सीमा तक कम करके अचल संपत्तियों के तहत भवनों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को कम करके और सीडब्ल्यूआईपी को ₹1,592.44 लाख से अधिक बताया गया है और साथ ही आनुपातिक मूल्यह्रास को भी कम बताया गया है।	के तुलन पत्र में दर्शाया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए आनुपातिक मूल्यह्रास को 2021-22 के तुलन पत्र में भी दर्शाया गया है।
15.18.2 समेकित तुलनपत्र -अनुसूची - 24 - अचल परिसंपत्तियाँ - ₹18,96,05,247 खाता सं. 2	**15.18.2 समेकित तुलनपत्र -अनुसूची - 24 - अचल परिसंपत्तियाँ - ₹18,96,05,247 खाता सं. 2**

वर्ष 2020-21 के लिए अंचल कार्यालय के खातों के समेकित मूल्यह्रास विवरण के अनुसार। भवन कार्यालय के तहत संपत्ति की लागत। आवासीय और वाहन और मोटर कारों का निर्माण क्रमशः ₹1981791.86, ₹3,57,64,344 और ₹2,37,106 पर दिखाया गया है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के समेकित खातों में उपर्युक्त परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रदान नहीं किया गया है।:

(₹ में राशि)

क्र. सं.	विवरण	परिसंपत्ति का लागत	मूल्यह्रास की दर	दी गई मूल्यह्रास संख्या
1	कार्यालय भवन	25,99,743	1.58%	41,075
2	आवासीय भवन	13,71,00,352	1.58%	21,66,185
3	वाहन एवं मोटर कार	6,89,967	11.88%	81,968
			कुल	**22,89,2285**

इसके परिणामस्वरूप ₹22,89,228.00 के मूल्यह्रास को कम करके और उसी सीमा तक अचल संपत्तियों के मूल्य को अधिक बताया गया है।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी को क्षे.का., बेंगलुरु (मध्य) को संदर्भित किया गया था और वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यह्रास के लिए आवश्यक प्रविष्टियां पारित की गई हैं और इसे 2021-22 की तुलन पत्र में शामिल/प्रतिबिंबित किया गया है।

15.19 आंचलिक कार्यालय, मुंबई-II, ठाणे

15.19.1 अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 24) - ₹ 20.36 करोड़

अनुसूची 24 के तहत प्रदर्शित अचल संपत्तियों का शुद्ध ब्लॉक ₹ 20,36,12,524.42 था जबकि क्षे.का. -वार प्राप्त अचल संपत्तियों का विस्तृत समेकित विवरण ₹ 19,87,64,039.42 के समान है जो ₹ 48,48,485 का अंतर दर्शाता है।

15.19 आंचलिक कार्यालय, मुंबई-II, ठाणे

15.19.1 अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 24) - ₹ 20.36 करोड़

क्षे.का. ठाणे (उत्तर और दक्षिण) में, ओ.बी. अचल संपत्तियों की संख्या ₹85,845,964.42 है और वर्ष के दौरान उन पर परिवर्धन ₹5,380,742/- है और वर्ष के लिए गणना मूल्यह्रास ₹10,308,979/-

उत्तर में क्षे.भ.नि.आ.-1 ने कहा कि अचल परिसंपत्तियों के संबंध में तुलन पत्र में दर्शाया गया डाटा व्यक्तिगत कुल क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मेल खाता है जो ₹ 20,36,12,524.42 पर काम करता था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तुलन पत्र में दिखाया गया निवल ब्लॉक तीन क्षे.का. के संबंध में अचल संपत्तियों के समेकित विवरण से मेल नहीं खाता था। इसके अलावा, मूल्यह्रास पत्रक में दिखाए गए आंकड़ों और क्षे.का., ठाणे से संबंधित अचल संपत्तियों के विवरण के बीच बेमेल था।	है जो 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए अचल संपत्तियों के विवरण और क्षे.का. तुलन पत्र की अनुसूची 24 से मेल खाता है। क्षे.का. वाशी में, ओ.बी. अचल संपत्तियों की संख्या ₹55,300,675/- है और वर्ष के दौरान उन पर परिवर्धन ₹3,348,900/- है और वर्ष के लिए गणना की गई मूल्यह्रास अचल संपत्तियों के विवरण और वर्ष समाप्त 31.03.2021 के लिए क्षे.का. तुलन पत्र की अनुसूची 24 से मेल खाती है। क्षे.का. के वर्ष 2020-21 के लिए तुलन पत्र में अचल संपत्तियों में राशि का कोई अंतर नहीं है।
15.19.2 कार्य प्रगति पर (अनुसूची 24 (ए): ₹ 1.56 करोड़ कार्य प्रगति पर (डब्ल्यूआईपी) तुलन पत्र में ₹ 1.56 करोड़ दिखाया गया था लेकिन क्षे.का. -वार समेकित विवरण में इसे केवल ₹ 50.11 लाख के रूप में दर्शाया गया था। अलग-अलग क्षे.का. से संबंधित प्रगति में कार्यों की सूची का विधिवत संकेत देते हुए इस अंतर का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रगति पर कार्य के लिए ₹ 1.56 करोड़ की राशि को अनुसूची 24 ए में संलग्न विवरण के अनुसार अचल संपत्तियों की अनुसूची में दर्शाया नहीं गया था। अंचल कार्यालय की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।	15.19.2 **कार्य प्रगति पर (अनुसूची 24 (ए): ₹ 1.56 करोड़** क्षे.का. ठाणे (उत्तर और दक्षिण) में, 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए क्षे.का. तुलन पत्र के अनुसार "कार्य प्रगति पर" (डब्ल्यूआईपी) शून्य है क्षे.का. वाशी में, 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए क्षे.का. तुलन पत्र के अनुसार "कार्य प्रगति पर" (डब्ल्यूआईपी) शून्य है क्षे.का. कांदिवली (पश्चिम और पूर्व) में, कार्य प्रगति पर ₹1.56 करोड़ के रूप में दिखाया गया है जो वर्ष 2020-21 के लिए तुलन पत्र के अनुसार सही है। उक्त राशि नवविभाजित कार्यालय, क्षे.का. कांदिवली पूर्व और क्षे.का., कांदिवली पश्चिम के अन्य सीपीडब्ल्यूडी कार्य से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी कार्य के लिए है।

15.20 क्षे. का., मदुरै

15.20.1 अचल संपत्तियों की गलत प्रदर्शनी - कंप्यूटर पेरीफेरल्स

इस अवधि के दौरान कंप्यूटर प्रति पेरिफेरल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइसेंस की खरीद के लिए ₹ 14.14 लाख का व्यय किया गया था वर्ष 2020-21 जैसे कि नीचे विस्तृत:

क्र.सं.	बिल सं.	तिथि	वस्तु का विवरण	राशि (₹ में)
1.	24	06.08.20	20 नंबर के डेस्क टॉप कंप्यूटरों की खरीद	9,04,880
2.	316	16.08.,20	पेन ड्राइव की खरीद	33,950
3.	79	24.11.20	वेब कैमरा की खरीद	23,984
4.	32	11.12.20	लॉजिटेक एच1 10 वायर्ड हेडसेट -3.5 मिमी ड्यूल ऑडियो	8,400
5.	53	17.12.20	एचपी लेजर जेट प्रिंटर	14,358
6.	13	04.01.21	एचपी लेजर जेट प्रिंटर	14,616
7.	103	31.03.21	लैपटॉप, स्पीकर आदि	84,680
8.	96	30.06.20	10 एमएस ऑफिस 2019 स्टैंड और लाइसेंस की खरीद (कार्यालय एसटीडी 2019)	3,29,000
			कुल	**14,13,868**

हालाँकि, वर्ष 2020-21 के दौरान केवल ₹10,18,534.00 को कंप्यूटर/पेरिफेरल्स के अतिरिक्त के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

इसी प्रकार का चेक वर्ष 2019-20 के लिए भी किया जा सकता है।

15.20 क्षे. का., मदुरै

15.20.1 अचल संपत्तियों की गलत प्रदर्शनी - कंप्यूटर पेरीफेरल्स

अचल संपत्ति विवरण तैयार करते समय, अचल संपत्ति विवरण के शीर्ष को गलत तरीके से बदल दिया गया था। हालाँकि, इन त्रुटियों की पहचान की गई और उन्हें ठीक किया गया।

15.20.2 अचल संपत्तियों की गलत प्रदर्शनी - फर्नीचर और फिक्स्चर

वर्ष 2020-21 के लिए वाउचर और बजट नियंत्रण रजिस्टर की जांच से पता चला है कि वर्ष 2020-21 के दौरान फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद के लिए 29,965 रुपये

15.20.2 अचल संपत्तियों की गलत प्रदर्शनी - फर्नीचर और फिक्स्चर

(बिल संख्या 209 दिनांक 29.06.20) का खर्च किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि इसे अचल संपत्तियों की अनुसूची में प्रदर्शित नहीं किया गया था।

इसी प्रकार का चेक वर्ष 2019-20 के लिए भी किया जा सकता है।

अचल संपत्ति विवरण तैयार करते समय, अचल संपत्ति विवरण के शीर्ष को गलत तरीके से बदल दिया गया था। हालाँकि, इन त्रुटियों की पहचान की गई है और उन्हें ठीक किया गया है

15.20.3 अचल परिसंपत्तियों की गलत प्रदर्शनी

वर्ष 2020-21 के लिए वाउचर और बजट नियंत्रण रजिस्टर की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यालय उपकरण की खरीद के लिए ₹ 1,04,277 का व्यय किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	बिल सं.	तिथि	वस्तु का विवरण	राशि (₹ में)
1.	6	03.11.20	बीटल फोन की खरीद 50 नग।	6,200
2.	78	27.11.20	1.5 केवीए इन्वर्टर की खरीद	13,800
3.	77	27.11.20	एक्साइड बैटरी की खरीद	13,400
4.	54	17.12.20	1.5 केवीए इन्वर्टर की खरीद	12,800
5.	18	04.12.20	एक्साइड बैटरी की खरीद	13,750
6.	73	28.12.20	अग्निशमक	22,243
7.	83	30.12.20	टोकन डिस्पेंसर मशीन	13,924
8.	23	09.03.21	एक्साइड बैटरियों की खरीद	8,160
कुल				**1,04,277**

तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,69,873/- की राशि कार्यालय उपकरण के रूप में अतिरिक्त के रूप में प्रदर्शित की गई थी।

इसी प्रकार का चेक वर्ष 2019-20 के लिए भी किया जा सकता है।

15.20.3 अचल परिसंपत्तियों की गलत प्रदर्शनी

अचल संपत्ति विवरण तैयार करते समय, अचल संपत्ति विवरण के शीर्ष को गलत तरीके से बदल दिया गया था। हालाँकि, इन त्रुटियों की पहचान की गई है और उन्हें ठीक किया गया है .

15.20.4 **पूंजीगत संपत्ति को कम दर्शाना और डब्ल्यूआईपी का ₹ 1.85 करोड़ अधिक दर्शाना**

सीपीडब्ल्यूडी, मदुरै सेंट्रल डिवीजन (एमसीडी) मदुरै द्वारा 2020-21 में स्टाफ क्वार्टरों के उन्नयन का कार्य ₹ 1.85 करोड़ पूरा किया गया और क.भ.नि.सं. क्षे.का.,

15.20.4 **पूंजीगत संपत्ति को कम दर्शाना और डब्ल्यूआईपी का ₹ 1.85 करोड़ अधिक दर्शाना**

तिरुनेलवेली को सौंप दिया गया। हालांकि इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था लेकिन डब्ल्यूआईपी के तहत बुक किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों के निर्माण और प्रासंगिक मूल्यह्रास और डब्ल्यूआईपी के रुपये से अधिक के बारे में बताया गया था। 1.85 करोड़।	वर्ष 2020-21 के दौरान 1.85 करोड़ रुपये की राशि का पूंजीकरण नहीं किया गया था क्योंकि क्षे.का., मदुरै में 9 यूनिट स्टाफ क्वार्टर वाले 3 ब्लॉकों में नवीनीकरण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
15.21 क्षे.का., फरीदाबाद, **15.21.1** अचल परिसंपत्तियां अचल संपत्तियों जैसे भूमि/भवन/आवासीय कॉलोनी/फर्नीचर और फिक्स्चर और अन्य उपकरण/कंप्यूटर परिधीय/विद्युत स्थापना पर मूल्यह्रास की गणना आयकर अधिनियम, 1961 या कंपनी अधिनियम 2013 की दर के अनुसार अलग से की जानी है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, फरीदाबाद द्वारा तैयार तुलन पत्र के अनुसार मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 या कंपनी अधिनियम 2013 की समय-समय पर लागू दर के अनुसार प्रदान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का गलत मूल्यांकन हुआ। वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशियों को शेष राशि में शामिल नहीं किया गया था जिसके कारण खरीदी गई परिसंपत्तियों का बही मूल्य प्रमाणित नहीं किया जा सका।	**15.21 क्षे.का., फरीदाबाद,** **15.21.1** अचल परिसंपत्तियां इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्षे.का., फरीदाबाद के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम 2013 में निर्दिष्ट मूल्यह्रास दरों के अनुसार की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त सही ढंग से शामिल किया गया था तुलन पत्र ।
15.22 सामान्य **15.22.1 आंचलिक कार्यालय, कोयमबत्तूर** क.भ.नि.सं. संगठन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आ रहा है और इस तरह, खातों को सामान्य प्रारूप के तहत तैयार करना आवश्यक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित खातों का एक समान प्रारूप। तथापि, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अवधि 2019-20 तथा 2020-21 से संबंधित वार्षिक लेखे निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत तैयार नहीं किए गए थे।	**15.22 सामान्य** **15.22.1 आंचलिक कार्यालय, कोयमबत्तूर** भारत सरकार और सीएजी द्वारा निर्धारित 2020-21 से एक समान प्रारूप का पालन किया जा रहा है।

15.22.2 आंचलिक कार्यालय, कोयमबत्तूर में वार्षिक लेखे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के वार्षिक लेखे के आधार पर एक्सेल शीट में तैयार किए गए थे। खातों के लिए कोई नोट और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तैयार नहीं की गई थीं और खातों के समान प्रारूप में निर्धारित वार्षिक खातों से जुड़ी थीं।	**15.22.2** भारत सरकार और सीएजी द्वारा निर्धारित 2020-21 से एक समान प्रारूप का पालन किया जा रहा है। हालांकि, खातों के लिए नोट्स और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तैयार की गई और क.भ.नि.सं. के समेकित वार्षिक खातों से जुड़ी हुई थीं।
15.22.3 **आंचलिक कार्यालय, कोयमबत्तूर** में देयता पक्ष के तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए तुलन पत्र में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।	**15.22.3** क.भ.नि.सं. मुख्यालय के स्तर पर प्रावधान किए जा रहे हैं।
15.22.4 **आंचलिक कार्यालय, कोयमबत्तूर**, आंचलिक कार्यालय, भुवनेश्वर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना में, वार्षिक लेखों में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक पिछले वर्षों के आंकड़े भी संबंधित कॉलम में नहीं दर्शाए गए थे।	**15.22.4** टिप्पणी को ध्यान में रखा गया है और पिछले वर्षों के आंकड़े विधिवत तुलन पत्र 2021-22 में संबंधित कॉलम के तहत दिखाए गए हैं।
15.22.5 **क्षे.का., लुधियाना** में, लेनदारों, देनदारों, स्टाफ ऋण और अग्रिमों के संबंध में लेजर नहीं बनाए गए हैं। मार्च 2021 में चेक जारी होने के कारण रोकड़ बही में ऋणात्मक शेष था लेकिन वसूली नहीं हुई।	**15.22.5** यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्टाफ ऋण अग्रिमों के संबंध में बहीखाता नियमित आधार पर बनाए रखा जा रहा है। हालांकि क्षे.का. लुधियाना के संबंध में कोई देनदार और लेनदार नहीं हैं। क.भ.नि. खाता संख्या **01, 02, 10** और **21** की रोकड़ बही में ऋणात्मक शेष हर साल मार्च के महीने में जारी किए गए चेक के कारण थे, जो हर साल **31** मार्च के बाद प्रस्तुत किए गए थे। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त क.भ.नि. खाते शून्य शेष खाते हैं। इसलिए, **31** मार्च को जारी किए गए चेक की राशि हर साल ऋणात्मक शेष राशि को दर्शाती है।
15.22.6 क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में समेकित वार्षिक खातों की तैयारी के लिए ईपीएफओ मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बैलेंस शीट पर महालेखाकार द्वारा पहले की गई टिप्पणियों को चालू वर्ष के खातों में सुधारा जाना चाहिए। आरओ के तुलन पत्र के संबंध में की गई टिप्पणियों का सुधार और समेकित तुलन पत्र में परिणामी सुधार नहीं किया गया था।	**15.22.6** वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए तुलन पत्र में आवश्यक सुधार किए गए हैं।

i) बिजली की आपूर्ति (सेसु, साउथको, नेस्को, वेस्को), एलपीजी कनेक्शन, टेलीफोन/इंटरनेट (बीएसएनएल), लीज रेंट आदि के लिए की गई सुरक्षा जमा राशि को अनुसूची-28 के तहत नहीं दिखाया गया था। ii) प्रीपेड व्यय (अनुसूची-28 धारा 1.-6) नहीं दिखाया गया, हालांकि कंप्यूटर, सर्वर, विद्युत उपकरण और अन्य कार्यालय उपकरण के लिए एएमसी (उप-अनुसूची, आय एवं व्यय) की गई थी। iii) क.भ.नि. अंशदान निधि-निवेश (एसएच-18) और कर्मचारी भविष्य निधि-निवेश (एसएच-26) में निवेश पर ब्याज नहीं दिखाया गया था उत्तर में टिप्पणी को भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नोट किया गया था और यह कहा गया था कि अंचल के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को कमियों का समाधान/सुधार करने और वित्त वर्ष 2021-22 के तुलन पत्र में इसे दोहराने के लिए निर्देशित नहीं किया गया है। इसे अगले वर्ष की तुलन पत्र में सुधारा जाएगा।	i) क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ष 2020-21 के दौरान कोई जमानत राशि जमा नहीं की गई ii) चूंकि "प्रीपेड व्यय" शीर्ष के तहत कॉलम सुरक्षित है और क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों द्वारा भरने की आवश्यकता नहीं है, इसे तुलन पत्र की तैयारी के दौरान प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है. iii) निवेश पर ब्याज मुख्यालय स्तर पर बनाए रखा जाता है।
15.22.7 क्षे.का., ग्वालियर और क्षे.का. येलहंका और बैंगलोर I और II (खाता संख्या 2 में) में नकारात्मक शेष देखे गए थे। शेष राशि का मिलान नहीं किया गया था।	**15.22.7** ऑडिट ऑब्जर्वेशन का भविष्य में अनुपालन हेतु नो कर लिया गया है।

15.22.8	15.22.8
(i) क्षे.का., इंदौर ने दावा निपटान से ₹ 16,49,07,565 की राशि का टीडीएस काटा, जिसमें से केवल ₹ 1,51,70,848 का भुगतान किया गया और ₹ 14,97,36,717 की शेष राशि को देयता के रूप में दिखाया गया। आगे इंगित किए जाने पर क्षे.का. ने उत्तर प्रस्तुत किया जो लेखापरीक्षा प्रश्न के अनुसार नहीं है और आवश्यक अभिलेख भी लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सुधार करने का आश्वासन दिया। (ii) अवैतनिक देयता एलआईसी से जीआईएस लाभ से संबंधित है ₹1,50,294/- , जीएसटी रु. 12,217/- और पीएम केयर फंड ₹ 2,64,479/- कुल रु. 4,26,990/- अनुसूची 15 और 5एए में गलत तरीके से सस्पेंस अकाउंट (प्रशासन निधि) के रूप में दिखाया गया है) (iii) जर्नल लेज़र, ट्रायल बैलेंस आदि तैयार नहीं किए गए थे। लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था। प्रोद्भवन के आधार पर लेखे तैयार नहीं किये गये। (iv) सभी खातों की रोकड़ बही को उचित प्रारूप में रखरखाव नहीं किया गया था, इसलिए बैंक समाधान प्रमाणपत्रों में उल्लिखित रोकड़ बहियों की अंतिम और प्रारंभिक शेष राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका। (v) क्षेत्रीय कार्यालय, क.भ.नि.सं. इंदौर ने भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित खातों के समान प्रारूप में अपने खाते नहीं निकाले हैं। (vi) क्षेत्रीय कार्यालय, क.भ.नि.सं. इंदौर द्वारा धारित भूमि के स्वामित्व का प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं है।	(i) **क्षे.का., इंदौर** यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2020-21 के लिए तुलन पत्र में प्राप्ति एवं भुगतान खाता संख्या 01 में योगदान राशि पर काटे गए टीडीएस के तहत 16,49,07,565/- को गलत तरीके से दिखाया गया था। दरअसल इस राशि में एक कैंसिल चेक राशि रु. 149610631/- गलत मिलान प्रारूप के कारण गलत तरीके से जोड़ दी गई थी। टी डी एस कटौती की सही राशि रु. 16,49,07,565- रु14,96,10,631 = रु.1,52,96,930/- (आवश्यक अभिलेख लेखापरीक्षा के समक्ष पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं) । इसमें से 1,51,70,848/- की राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक किया जा चुका है, शेष राशि रु. 1,26,086/- का भुगतान वित्त वर्ष 2021-22 के अगले महीने में किया गया था। (ii) एलआईसी से जीआईएस लाभ रु.1,50,294- मार्च 2021 के महीने में प्राप्त हुआ लेकिन मई 2021 में भुगतान किया गया। जीएसटी राशि रु। 12,217/- 30 मार्च 2021 को क्षे.का. बैंक खाते में वापस लौटाया गया जो कि फरवरी 2022 के महीने में चुकाया गया है, इसलिए इन्हें सस्पेंस खाते में दिखाया गया है। यह राशि पीएम केयर्स फंड के तहत 137 कर्मचारियों के वेतन से एक दिन के वेतन की कटौती की गई है। 2,64,479/- का भुगतान किया गया था, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य संघटक कार्यालयों द्वारा बताए गए अंशदान का भुगतान प्रधान कार्यालय द्वारा किया गया था, इसलिए इसे क.भ.नि.सं. के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सस्पेंस खाते के तहत दिखाया गया था। (iii) क.भ.नि.सं. लेखांकन के सभी बुनियादी सिद्धांतों और सीएजी द्वारा स्वीकृत और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का पालन करता है ।

(vii) देनदारों का शेष पुष्टि प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।	**(iv)** लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 से सभी खातों की कैश बुक अर्थात खाता संख्या 1, 10, 2 और 21 का रखरखाव किया जा रहा है। चूंकि खाता 22 एक निष्क्रिय खाता है, इसलिए क्षे.का. बैंक खाते में कोई लेनदेन प्राप्त नहीं होता है। **(v)** क.भ.नि.सं. के सभी कार्यालयों में, सी एंड एजी द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रारूप में तुलन पत्र तैयार की जाती है। **(vi)** क्षे.का., इंदौर का भवन/परिसर दीर्घकालीन पट्टे पर है, जो इंदौर विकास प्राधिकरण से लिया गया है। **(vii)** यह उपलब्ध नहीं था और इसके कारणों को लेखापरीक्षा दल को उनकी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचित किया गया था।
15.22.9 क्षे.का., रायपुर (छत्तीसगढ़) क.भ.नि.सं. मुख्यालय पत्र संख्या: बीएससी- एल (एल) 2020-21 / बैलेंसशीट / मुख्यफाइल, दिनांक 26 मार्च 2021 के अनुलग्नक के बिंदु संख्या 6, में इसका उल्लेख है कि "यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निष्क्रिय खाते में अंतःशेष के रूप में दिखाए गए आंकड़े, एमआईएस डैशबोर्ड में दिखाए गए निष्क्रिय खातों का अंतः शेष" के साथ मेल खाना चाहिए । जब बिंदु संख्या 6 में उल्लिखित उपर्युक्त निर्देश के अनुसार तथ्यों का पता लगाने और मिलान करने के लिए निष्क्रिय खातों के लिए डैशबोर्ड 2.0 (एमआईएस) में शेष राशि / आंकड़ों के संबंध में जानकारी की मांग की गई है । क.भ.नि.सं. रायपुर द्वारा सूचित किया गया है कि विवरण नहीं मिला है। परिणामस्वरूप, निष्क्रिय खाते के लिए तुलन पत्र में अंतःशेष का मिलान डैशबोर्ड 2.0 (एमआईएस) के साथ नहीं किया जा सकता है ।	**15.22.9 क्षे.का., रायपुर (छत्तीसगढ़)** निष्क्रिय खाते का समापन शेष, नई दिल्ली के आईएस डिवीजन पर रखरखाव किए जाने वाले एमआईएस 2.0 डैशबोर्ड के अनुसार है। यह शेष राशि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एमआईएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध नहीं है।

विभाग ने बताया कि एमआईएस 2.0 डैशबोर्ड में विवरण नहीं पाए जाते हैं ।	
15.22.10 आंचलिक कार्यालय, भुवनेश्वर वर्ष 2020-21 के लिए तुलन पत्र की जॉच करने पर यह पाया गया कि अनियमित भुगतानों का प्रारंभिक शेष (उप क्रम 5 (2बी)/एल 9 (4(बी)) 1.04.2020 को 14,63,988.00 था और समापन 31.03.2021 को शेष राशि ₹14,63,988.00 थी। इसी प्रकार, 01.04.2020 को वसूली के लिए ₹ 1,58,007.00 का अधिक भुगतान लंबित था। वर्ष के दौरान ₹ 42,571.00 अधिक भुगतान किया गया था और 31.03.2021 को ₹ 42,571.00 की शेष राशि को छोड़कर ₹1,58,007.00 वसूल की की गई थी । इस प्रकार, यह निहित है कि अनियमित भुगतान को नियमित करने और अधिक भुगतान की वसूली के लिए कोई निगरानी प्रयास नहीं किया गया था। उत्तर में यह बताया गया कि मांगी गई सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दी गई थी और इसकी प्राप्ति के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।	**15.22.10 आंचलिक कार्यालय, भुवनेश्वर** **अनियमित भुगतान:-** रुपये 11,37,748/- के अनियमित भुगतान के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय राउरकेला के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। श्रीमती कल्याणी सुबुधि और श्री परशुराम सेनापति को पहले ही उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है । **अधिक भुगतान: - क्षे.का. भुवनेश्वर:** - रुपये 36,193/- में से रु. 92,26/- की वसूली निम्नलिखित अधिकारियों से की जानी है। श्री हेमंत कुमार सारंगी, एसएस, (सेवानिवृत्त) श्री मंदारधर बेहरा, एसएस, (सेवानिवृत्त) अन्य सभी अधिकारियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, अतः शेष राशि की वसूली नहीं की जा सकी। **क्षे.का. ब्रह्मपुर:** - 11,412 रुपये की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि सभी संबंधित कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके हैं। **क्षे.का. राऊरकेला:** - रु.11,04,402/- की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि सभी संबंधित कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त/ दिवंगत हो चुके हैं। इन लंबित शेषों को खारिज करने हेतु मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

मुख्यालय : भविष्य निधि भवन

Head Office : Bhavishya Nidhi Bhawan

14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

14, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

Website: www.epfindia.com : www.epfindia.gov.in : www.epfindia.org